दशम माला, खण्ड 34, अंक 17

बुधवार, 17 अगस्त, 1994
26 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....53
Date...15.12.95

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

17 अगस्त, 1994 के लोकसभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
111	नीचे से 3,	स्प	रूप
275	नीचे से 1	रूप	रूप
17	नीचे से 13	प्रिदा टोपनो	प्रिडा तोपनो
46	9	'331- अंग्रेजी वर्णमाल	'331. कुमारी प्रिडा तोपनो
111	नीचे से 3	3203	3202
154	नीचे से 10	कष्णा	कृष्णा
246	14	डायमंड हर्बर	डायमंड हार्बर
328	3	बीवालीसवां	चवालीसवां
	5		
	7	लोक सभा के पश्चा	बैठक" का लोप कीजिए।

विषय - सूची

दशम माला, खण्ड 34 ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शक)

अंक 17 बुधवार, 17 अगस्त, 1994 / 26 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	323, 324 और 326	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	321, 322, 325 और 327 से 340	18-71
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3163, 3164, 3166 से 3177, 3179 से 3192, 3194, 3195, 3197-3247, 3249 से 3253 और 3255 से 3326	72-255
सभा पटल पर रखे गए पत्र		265-268
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		268
पैतीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		
मंत्री द्वारा वक्तव्य		268-269
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम तीन पीठों का सृजन		
	श्री अर्जुन सिंह	
नियम 377 के अधीन मामले		269-271
(एक) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पिछड़े समुदायों के लोगों को निर्दिष्ट आवास योजना के अंतर्गत पर्याप्त मकान उपलब्ध कराने के लिए और अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता		269
	डा. विश्वनाथम कैनिथी	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) हरियाणा को रियायती दर पर बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता 270

श्री जंगबीर सिंह

(तीन) बेलथगाड़ी (कर्नाटक) में टीपू सुल्तान के किले के पुनरुद्धार और समुचित रख-रखाव की आवश्यकता 270

श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ

(चार) महाराष्ट्र में नासिक में आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र शुरु करने की आवश्यकता 271

डा. वसंत पवार

(पांच) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने और गोदामों से खरीदे गए खाद्यान्नों की समय पर ढुलाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता 271

श्री विजय एन.पाटील

(छः) पंजाब में फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों के ढन कपास उत्पादकों को, जिनकी फसलें "पर्ण-कुंचन रोग (लीफ-कर्ल) से क्षतिग्रस्त हो गई है, मुआवजा देने की आवश्यकता। 271

श्री जगमीत सिंह बरार

राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करने संबंधी संकल्प 272-275, 277

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 272-275, 277-278

श्री मुरली देवरा 278-280

श्री रमेश चेन्नित्तला 280-284

श्री भगवान शंकर रावत 284-288

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 288-291

श्री नीतिश कुमार	291-294
श्री अमल दत्ता	294-300
डा. एस.पी. यादव	300-303
श्री श्रवण कुमार पटेल	303-305
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक	305-308
श्री के.टी. वान्डायार	308-310
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	310-315
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	315-318
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	318-322
श्री आर. जीवरत्नम	323-327

अध्यक्ष द्वारा घोषणा 275-277

प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का संशोधित रुप में प्रस्तुत किया जाना।

कार्य मंत्रणा समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत

लोक सभा

बुधवार, 17 अगस्त, 1994/ 26 श्रावण 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्र. 321. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी - उपस्थित नहीं।

डा. मुमताज अंसारी - उपस्थित नहीं।

प्र. 322 श्री एम.वी.वी. एस.मूर्ति - उपस्थित नहीं।

श्री वेंकटेश्वर राव - उपस्थित नहीं।

प्र. 323. - श्री चन्द्रेश पटेल - उपस्थित नहीं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

मतदाताओं को पहचान-पत्र

*325. **श्री वल्लभ पाणिग्रही :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों ने ऐसे पहचान-पत्र तैयार करने का आश्वासन दिया है और ये कब तक तैयार किये जायेंगे ;

(ग) ऐसे प्रत्येक पहचान-पत्र पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(घ) किन-किन राज्यों ने पहचान-पत्र तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है/किये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी राज्य ने फोटो पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पूरा नहीं किया है। तथापि, मणिपुर, मेघालय और हरियाणा राज्यों ने फोटो पहचान-पत्र जारी करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) सिद्धान्त रूप से अधिकांश राज्य फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए सहमत हो गए हैं। तथापि, अधिकांश राज्यों ने उस अवधि की बाबत अपनी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है जिस तक ये पहचान-पत्र जारी कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा और सिक्किम राज्यों ने जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की गई समय-सीमा के भीतर स्कीम को पूरा करना चाहते हैं।

(ग) उक्त प्रत्येक पहचान-पत्र पर अनुमानित व्यय 10/- रुपये से 15/- रुपये के बीच हो सकता है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों ने, पहचान-पत्र जारी करने की लागत के या तो सम्पूर्ण या एक बड़े भाग को वहन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। शेष राज्यों ने व्यय का 50 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से मांगा है।

(ङ) निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार, फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने पर होने वाले व्यय का प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है और बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य को कोई आबंटन नहीं किया गया है।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, फोटो पहचान पत्र लागू करने का विवाद कतिपय क्षेत्रों में अभी तक चल रहा है। परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की है जहां शीघ्र ही चुनाव होने थे और फोटो पहचान-पत्र लागू करने का कार्य चरणबद्ध रूप में करने के पक्ष में निर्णय लिया गया है और आम सहमति हो गयी है। विभिन्न राज्यों, जिनमें चुनाव होने हैं, के मुख्य मंत्रियों के इस सम्मेलन, जिसकी अध्क्षता स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने की थी, के इस निर्णय पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी। परन्तु राज्य फोटो पहचान पत्र जारी करने को राजी हो गये हैं और, वास्तव में, कुछ राज्यों में इन्हें जारी करने का कार्य चल रहा है। परन्तु राज्यों की ओर से किसी विशिष्ट तिथि के संबंध में कोई अन्तिम तिथि अथवा प्रतिबद्धता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कहां तक सही है और सरकार एक ऐसी स्थिति का समाधान किस प्रकार करेगी जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में, पिछले सप्ताह, पटना में अपने संकल्प को दोहराया है कि यदि यह प्रक्रिया, कम से कम उन राज्यों में जहां 1995 के प्रारम्भ में चुनाव होते हैं, 30 नवंबर से पहले पूरी नहीं की जाती तो वह चुनाव आयोजित करने हेतु अधिसूचना जारी नहीं करेंगे ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह सुनिश्चित करने में गहरी रूचि ली

है कि फोटो पहचान-पत्र जारी करने के इस कार्य में सभी राज्यों को मदद मिले। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा बुलायी गयी नवीनतम बैठक 29 जुलाई, 1994 को हुई थी जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल ने भाग लिया था। यह प्रधान रूप से उनकी कठिनाईयों पर चर्चा करने हेतु बुलायी गयी थी क्योंकि ये पहचान-पत्र राज्यों में जारी किये जाने हैं। अतः हम इस मुद्दे का समाधान निर्वाचन आयोग तथा राज्यों के साथ बातचीत द्वारा करने में गहन रूचि ले रहे हैं। अपनी ओर से, हमने मुख्यमंत्रियों के साथ दो या तीन बैठकें की हैं और अब सभी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के कार्यक्रम को लागू करेंगे। अतः, उस विवाद का समाधान कर लिया गया है और पहचान-पत्र जारी करने के मामले में सर्वसम्मति हो गयी है।

व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अभिव्यक्त कर रहे हैं और हम उन्हें दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उपाय के संबंध में हमें उनसे बात करनी है। पहली व्यावहारिक कठिनाई समय संबंधी है। दूसरी कठिनाई धन संबंधी है। ये दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में हम इसका समाधान निर्वाचन आयोग तथा राज्यों के साथ बातचीत द्वारा करना चाहते हैं ताकि पहचान-पत्रों के मुद्दे पर कोई गतिरोध न हो। जब देश ने इसे स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री ने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है और हम सभी को निर्देश दिये हैं कि इसे लागू किया जाये, तो मेरे विचार से इस पर कोई कठोर रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिये। यह बहुत अच्छा कार्य है जिसकी हम सराहना करते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह गतिरोध धीरे-धीरे समाप्त हो जायें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर की सराहना करता हूँ। परन्तु उन्होंने कहा है कि कठोर रवैया नहीं होना चाहिए . . . **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : हमें समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी वास्तविक जानकारी के आधार पर चलना चाहिये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : नहीं, महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस बात पर बल दे रहे हैं कि एक निश्चित तिथि तक . . . **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से है ?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समाचारपत्रों में छपने वाली बात पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह बात सरकार की जानकारी में आ गयी है।

अध्यक्ष महोदय : इसके प्रति थोड़ी सावधानी बरतें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि इस परियोजना पर पूरे देश में कितनी धनराशि खर्च होगी और क्या यह सच है कि कुछ राज्य इस प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं बल्कि अग्रिम वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं। उनकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे इसे चलाने की स्थिति में नहीं हैं।

विशेष रूप से कुछ राज्य हैं जिनमें अगले वर्ष फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। उड़ीसा में, ऐसा नहीं दिखायी देता कि इस दिशा में कोई कार्य शुरू किया गया है। वे बस यह कह रहे हैं कि पैसे की कमी है। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई मामला है जिसमें वे यह चाहते हैं कि इस प्रयोजनार्थ धनराशि का भुगतान अग्रिम किया जाये और यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, आज तक की स्थिति यह है कि चुनाव आयोग ने यह अनुदेश दिये हैं कि राज्य अपनी धनराशि खर्च करें और हमसे उसका पचास प्रतिशत लें जैसी कि प्रथा है। उड़ीसा का मामला भी यही है। मुझे उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा राज्य ने पचास प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की है और सामान्यतया ऐसा ही होता है। इस अवस्था में हम पूरा खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आज तक की स्थिति के अनुसार कुल 1,637 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अतः, हमें ऐसी कारगर प्रणाली अपनानी पड़ेगी जिसके द्वारा उन राज्यों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लेना पड़े जिनमें 1995 में चुनाव होने हैं और जहाँ विवाद है। हम उनसे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उनके हिस्से के खर्च अर्थात् खर्च की पचास प्रतिशत धनराशि के संबंध में हम उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। समस्या वह नहीं है। समस्या यह है कि क्या वे इसे इतना शीघ्र कर सकते हैं जितनी अपेक्षा की गयी है। यदि राज्य ऐसा कर सकते हैं तो हम उनकी सहायता करने को तत्पर हैं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर तथा प्राप्त समाचार से यह जानकर संतोष हुआ कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने में गहरी रूचि ले रहे हैं कि कोई तनाव उत्पन्न न हो और सभी राज्य पहचान-पत्र जारी करने की इस योजना को लागू करें। निस्संदेह, इससे दूसरे के स्थान पर वोट डालने और बूथ कब्जा करने पर निश्चय ही रोक लगेगी, चुनाव आयोग का यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और एक बहुत अच्छा चुनाव सुधार है।

अब प्रमुख समस्या खर्च और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों की प्रतीत होती है। उत्तर में यह कहा गया है कि कुछ राज्य लागत का बड़ा भाग और कुछ अन्य राज्य खर्च का 50 प्रतिशत भाग सहायता के रूप में मांग रहे हैं। उत्तर के भाग (ङ) में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कतिपय निर्देश दिये हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहते हैं कि राज्य खर्च वहन करें और इसके बाद 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करें।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन पहचान-पत्रों का खर्च वहन करने के संबंध में एक समान नीति बनाएगी और इसे प्रत्येक राज्य की बातचीत तथा उनकी माँग पर नहीं छोड़ेगी। क्या आप इन पहचान-पत्रों का खर्च वहन करने के संबंध में एक अखिल भारतीय समान नीति बनाएंगे ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, अखिल भारतीय नीति सुविदित है और वह है खर्च का 50 प्रतिशत वहन करना।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग सभी राज्य पहचान-पत्र जारी करने पर सहमत हो गये हैं। निर्णय जल्दी नहीं लिया गया है। परन्तु उत्तर से मैं देखता हूँ कि अब तक केवल पाँच राज्यों ने केन्द्र को सूचित किया है कि वे अन्तिम तिथि तक कार्य पूरा कर लेंगे। अतः, इन परिस्थितियों में मेरा पहला

प्रश्न यह है : कानूनी स्थिति क्या है ; यदि किसी निर्धारित तिथि तक पहचान-पत्र तैयार न हों तो क्या चुनाव रोके जा सकते हैं ? मैं कानूनी स्थिति जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में इस प्रकार की बात कहने की अनुमति नहीं दूँगा। यह कार्य न्यायपालिका ही कर सकती है।

श्री इन्द्रजीत : मेरा दूसरा प्रश्न है : जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे देश में विदेशियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ है। देश के गृहमंत्री द्वारा सभा में कही गयी यह बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल है कि हमारे यहां दिल्ली में ही लगभग तीन लाख बंगलादेशी हैं। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहाँ मैं हाल ही के सप्ताहों में दो से अधिक बार गया हूँ, में विदेशी भारी संख्या में आकर बसे हैं। कुछ विदेशी चोरी-छिपे न घुस आयें और उसी प्रकार फोटो-पहचान-पत्र प्राप्त न कर लें जिस प्रकार उन्होंने विभिन्न राशन कार्ड प्राप्त कर लिये, ऐसा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

महोदय, मेरा एक संक्षिप्त तीसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न की अनुमति नहीं दी गयी है। दूसरा प्रश्न स्थित है।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, समस्या धन संबंधी है।

पता नहीं, विधि मंत्रालय राशन कार्डधारी नागरिकों को आगे स्वयं आकर अपने परिचय पत्र लेने को कहने पर विचार करेगा या नहीं। ऐसे में हम सामान्य नागरिकों से उनके परिचय पत्रों के लिए शुल्क भी ले सकते हैं। इन परिचय पत्रों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। अतः इस मामले में केंद्रीय सरकार को कोई धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। राज्यों को भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार राशन कार्डधारी भारतीय नागरिकों को स्वयं आकर अपने परिचय-पत्र लेने को कहा जाए।

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, जहां तक विदेशियों की घुसपैठ का प्रश्न है, तो इस मामले का संबंध चुनाव कराने के उद्देश्य से परिचय-पत्रों की तैयारी और जारी करने से नहीं हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान एक अलग स्तर पर अर्थात् गृह मंत्रालय द्वारा होना है। इस परिचय पत्र से केवल निर्वाचन केंद्र पर रूप धारण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्वाचक पंजीकरण नियमावली के नियम 28 का मूल उद्देश्य यह देखना है कि पररूपधारण न हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशियों की घुसपैठ की समस्या सुविदित है। सरकार ने इस संबंध में अनेक उपाय किए हैं। लेकिन मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि कार्य नियमों के नियतन के अनुसार, इसका संबंध गृह मंत्रालय से है। परंतु निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचक सूचियों की तैयारी के दायित्व से प्रभारित अन्य अधिकारी ही मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी दिशा निदेशों के अनुसार उसकी जांच कर सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकारी होता है। अतः वह प्रावधान बाध्यकारी है और मुझे आशा है कि निर्वाचक सूचियों के संशोधन या तैयारी के समय या फोटो परिचय पत्र जारी करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। आशा है, मेरी बात से अब माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, परिचय पत्रों का जारी किया जाना वैसे तो एक छोटा कदम

है, पर निस्संदेह, निर्वाचन सुधारों की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। यदि कुछ राज्य इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और उनका काम पूरा भी होने जा रहा है, तो मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आता कि अन्य राज्य-इस मामले में विलंब या संकोच क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसा विशेषतः इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर के भाग (घ) में कुछ उन राज्यों का उल्लेख किया गया है जो इस काम के लिए भारत सरकार से भारी प्रतिपूर्ति चाहते हैं जबकि उन राज्यों को चलाने वाली पार्टियों में से कुछ का कहना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया का वित्तपोषण राज्य द्वारा ही किया जाए। मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या ऐसा सभी राज्यों के लिए है कि सारे खर्चों का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाए, जबकि खास कर वे इस बात पर बल दे रहें हैं कि चुनावों का वित्त पोषण राज्य द्वारा हो ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, जहां तक चुनावों के वित्त पोषण का संबंध हैं तो वह दूसरी बात है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस तिथि सीमा के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मेरा प्रश्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर नहीं, बल्कि माननीय मंत्री जी द्वारा स्वयं दिए गए उत्तर पर आधारित है। अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि महाराष्ट्र, मणिपुर, हरियाणा और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों ने सूचना दी है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि सीमा के अंदर इस योजना को पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कुछ अन्य राज्य इस तिथि सीमा के प्रति गम्भीर नहीं हैं, तो सरकार क्या कार्यवाही करेंगी? प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों को 50 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। केरल जैसे कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों को तो भारी परेशानी हो जाएगी, अगर 50 प्रतिशत या अधिक वित्तीय सहायता उन्हें प्रापत नहीं हुई। अतः केंद्रीय सहायता के 50 या उससे अधिक प्रतिशत की सहायता के संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, ऐसे मुद्दे पर हम दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते। खर्च की भागीदारी करने के मामले में हमें सभी राज्यों के संदर्भ में एक समान निर्णय लेना होगा। जैसा कि यह अच्छी तरह ज्ञात है, यदि हम एक राज्य को ज्यादा धन देते हैं तो वैसी स्थिति में अन्य राज्यों द्वारा अधिक धन मांगा जाना न्याय संगत होगा ? अतः पहले से ही एक दिशानिदेश है और वर्षों से उसका अनुपालन हो रहा है। वह दिशानिदेश यह है कि संसदीय चुनावों में लागत के 50 प्रतिशत का वहन राज्य करेंगे और 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा किया जाएगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि मणिपुर सरकार ने अपने मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन परिचय पत्रों का पुनः संग्रह विद्रोहियों अथवा भूमिगत संगठनों द्वारा कर लिया गया है ? यदि सरकार को इस बात की जानकारी है तो डुप्लीकेट या नए परिचय पत्र जारी करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रहीं है ? हालांकि मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि विदेशियों को मतदाता सूचियों से अलग करने के लिए छात्रों एवं अन्य संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन बंद का आह्वान किया हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यह बयान दे दें कि मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम निकाल दिए जाएंगे और उन्हें परिचय पत्र जारी नहीं किए जाएंगे तो इससे मणिपुर सरकार को बहुत ही सहूलियत होगी।

महोदय, जैसा कि आप जानते होंगे, जीरीवाम क्षेत्र से और म्यानमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगने वाले सीमा क्षेत्रों से मणिपुर में विदेशियों की घुसपैठ हुई है। केंद्रीय सरकार 50 प्रतिशत खर्च वहन करे भी तो मणिपुर और सिक्किम जैसे छोटे और कमजोर राज्यों के किए इस व्यय का वहन करना अत्यंत कठिन होगा। अतः केंद्रीय सरकार के लिए क्या ऐसे छोटे राज्यों के लिए शत प्रतिशत खर्च का वहन करना सम्भव होगा ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, जहां तक मणिपुर का संबंध है, तो कुल अनुमानित व्यय 5.49 करोड़ रुपए का है और सरकार इसका 50 प्रतिशत भार वहन करने को सहमत है। योजना और कानून के अंतर्गत निर्वाचक सूचियों की तैयारी और परिचय पत्रों के जारी किए जाने के संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को परिचय पत्र तैयार करने और इन सब कार्यों का दायित्व दिया गया है। उन्हें इस बात के स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त हैं कि किसे यह परिचय पत्र दिया जाना है और किसे मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाना है। हम न तो संशोधन और न ही मतदाता सूचियों की तैयारी से सम्बन्धित हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश

***324. प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में कोई विदेशी पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अब तक किये गये कुल पूंजी निवेश की तुलना में यह कितना है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश विद्यमान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में विदेशी पूंजी निवेश के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो. पी.जे. कुरियन : सरकार पिछड़े क्षेत्रों से विशेष रूप से संबंधित विदेशी पूंजी निवेश आंकड़ों का रख-रखाव नहीं कर रही है। मैं सरकार को ऐसा करने का परामर्श दूंगा। ऐसा करना अधिक कठिन नहीं है।

उदारीकरण के बाद से, देश में पूंजी-निवेश में वृद्धि हो रही है। महत्वपूर्ण क्षेत्र और मूलभूत ढांचे में भी पूंजी-निवेश हो रहे हैं, हालांकि आशानुकूल पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। उदारीकरण के निश्चित ही ये सकारात्मक चिन्ह और परिणाम हैं। पर, महोदय, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। वह यह है कि अधिकांश पूंजी निवेश विकसित या शहरी क्षेत्रों में हो रहे हैं। यहां तक कि देश में पूंजी लगाने वाले निवेशक भी पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। अस्सी के दशक में हमने 'क्षतिपूरक पिछड़ा क्षेत्र भत्ता' योजना लागू की थी। अब वह भत्ता नहीं दिया जाता है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन में पुनः वृद्धि होने की संभावना है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस समस्या के प्रति सचेत है और यदि हां, तो विकसित और शहरी क्षेत्रों में पूंजी निवेश के आकर्षण के कारण उत्पन्न हो रहे क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बैकवर्ड ऐरिया की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और भारत सरकार इसमें सचेष्ट है। बैकवर्ड ऐरिया से हमारा मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से है। अभी डिस्ट्रिक्टवाईज हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। और जब सभी संसद सदस्यों को इसके बोर में जिज्ञासा हुई और सभी लोगों ने इसके बारे में जानकारी चाही तो प्रधानमंत्री जी को बहुत चिन्ता हुई। उसके बाद ही हम लोगों ने राज्यवार आंकड़े उपलब्ध करना शुरू किया। हमने अपने देश में विदेशी पूंजी का इन्वैस्टमेंट किया। जब इस बारे में जिज्ञासा जगी तो हम लोगों ने राज्यवार आंकड़ों की सूचना देने का कार्य किया और जब विदेशी पूंजी का इनवैस्टमेंट हुआ तो उन आंकड़ों के लिये विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इन सबका स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा लेखा-जोखा कराया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट के ऐलोकेशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। 6-7 महीने तक प्रतिवेदन उपलब्ध होंगे। इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है क्योंकि सारे राज्यों से आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। हमने पहले इस बात को उन एंटरप्रीन्यूर्स पर छोड़ दिया है कि वे कहां पर लगाना चाहते हैं। यह देखा गया है कि जब लाईसेंस का समय था, उस समय भी इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। सरकार हस्तक्षेप करें या ऐंटरप्रैयोर्स को बाध्य करें, उससे यह संभव नहीं हो सका और देखा यह गया कि जहां सबसे ज्यादा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है और भरोसेमन्द सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसी जगह वे जाने को तैयार हुए हैं।

इन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही हैं। मैं बताना चाहती हूं, इनको भी मालूम है क्योंकि ये इस विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। मुख्यतया औद्योगिकरण का सवाल राज्य सरकारों का होता है लेकिन नई नीति के बाद पिछड़े, क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रियायतें भी दी जा रही हैं और ऐंटरप्रैन्योर्स को इनफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से ग्रोथ सैन्टर स्कीम्स, टैक्स हौलीडे, और ट्रांसपोर्ट सबसिडी के माध्यम से भारत सरकार ये योजनाएं चला रही है जो विभिन्न राज्य सरकारों को यह सहायता उपलबध करवाती है। यह सप्लीमेंट के रूप में काम करती है और इस तरह से औद्योगिकरण का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सरकारें भी अपनी ओर से वैरायटी ऑफ इनसैनटिव्ज जैसे कैपिटल सबसिडी, सैल्स टैक्स ऐग्जीम्पशन, पावर सबमिडी, ऐलॉटमैंट ऑफ लैंड आदि देती है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय मैं, माननीय मंत्री जी से सहमत हूं, परंतु मैंने एक अत्यंत विशिष्ट प्रश्न उठाया है। आज हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। लाइसेंस राज अब नहीं रहा। हम उसे चाहते भी नहीं थे। पर लाइसेंस काल में भी पिछड़ा क्षेत्र भला हुआ करता था। लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया के जरिये कुछ हद तक कुछ उद्योग पिछड़े क्षेत्रों की ओर भी बढ़ा दिए गए थे और कुछ उद्योगपतियों को पिछड़े क्षेत्रों की ओर अग्रसर होने को कहा

भी गया था, क्योंकि उन दिनों पूंजी निवेश में 20 प्रतिशत राज सहायता का प्रावधान हुआ करता था। आज दोनों प्रणालियां नहीं है। अब ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा हम निवेशकों को पिछड़े क्षेत्रों की ओर अग्रसर कर सकें। मैं इसी समस्या को विशेष रूप से विचारार्थ उठा रहा हूं। अतः क्षेत्रीय असंतुलनों के बढ़ने की सम्भावना है। हम सभी ने उदारीकरण का स्वागत किया। यह सफल सिद्ध हुआ है।

माननीय मंत्री जी ने इस समस्या का उल्लेख किया है। स्वयं उन्होंने जो उपचार बताया है वह है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने की सरकार की दो योजनाएं थी। वे है विकास केन्द्र योजना और आधारभूत ढांचा विकास योजना। यह विकास राजसहायता का विकल्प है। विकास केन्द्रों का कार्य पिछड़े क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करना था क्योंकि विकास केन्द्रों को पिछड़े क्षेत्रों में ही आधारभूत ढांचा विकसित करना होगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इस सभा में बताया है कि यह योजना कार्यान्वित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त, एक और योजना थी और यह लघु औद्योगिक एककों के लिए आधारभूत ढांचा विकास योजना है। यह लघु औद्योगिक नीति में भी शामिल की गई थी। मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा है कि विकास केन्द्र योजना को समाप्त किया जा रहा है और आधारभूत ढांचा योजना भी ठीक से नहीं चल पा रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की विकास केन्द्र योजना और आधारभूत ढांचा विकास योजना के संबंध में क्या नीति है और क्या इन योजनाओं का त्याग कर दिया गया है। यदि नहीं, तो इन्हें कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इस योजना के अंत तक ये परिकल्पित विकास केन्द्र चालू हो जायेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ सैन्टर की योजना, जो राज्यों को इनफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के लिए बनाई गई हैं, उसे छोड़ा नहीं गया है, एबेन्डन नहीं किया गया है। भारत सरकार ने औद्योगिकरण के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के महत्व को देखते हुए 1988 में ग्रोथ सैन्टर स्कीम को लागू किया था जिसमें गांवों में मुख्य सुविधाएं जैसे पावर, टैलीकम्युनिकेशन, वॉटर उपलब्ध करवाने की योजना है। ताकि औद्योगिक प्रक्रिया में यह केन्द्र बिन्दु बन सके। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें विलम्ब हो रहा है, मैं ऐसा मानती हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है। प्रत्येक केन्द्र पर 30 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना थी। इस राशि को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा वहन किया जाना था लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां आई। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर संसाधनों की कमी के कारण ग्रोथ सैंटर योजना की प्रगति थोड़ी धीमी हुई। अधिकांश राज्यों की यह स्थिति है कि योजना के प्रावधान के अनुसार बाजार से जो 18 करोड़ रुपये प्रति सैंटर लेने थे, वे रेज नहीं कर सके। कुछ मामलों में लैंड एक्विजिशन को लेकर परेशानी हुई। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई स्तर पर मीटिंग की और राज्य सरकारों को भी आमंत्रित किया। इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई। कैबिनेट सैक्रेटरी ने भी मीटिंग बुलायी। प्रगति की समीक्षा विभाग द्वारा होती रही। सितम्बर-अक्तूबर, 1993 से यह शुरू हुई। हमने कई राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का दौरा किया। जिन-जिन राज्यों में कठिनाइयां थी वहां के मंत्रियों को बुलाकर कहा गया। इसमें

व्यावहाकिर कठिनाइयां थीं। जैसे नार्थ ईस्ट की तरह जमीन की कमी थी और राशि की उपलब्धता नहीं थी। इसके लिए रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। रिव्यू कमेटी में प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव आये। रिव्यू कमेटी का प्रतिवेदन करीब-करीब तैयार हो गया है। सैक्रेटरी आई.डी. ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उसकी बैठक बुलाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन राज्यों में अच्छी प्रगति हुई है, उनको वित्तीय संस्थानों के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें जो विभागीय कठिनाइयां हैं, हम उसमें कुछ फ्लैक्सिबिल्टी ला रहे है। नार्थ-ईस्ट और पिछड़े राज्यों में कैसे कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा, इसका प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है। उस पर जल्दी कार्यवाई होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा निवेश राजसहायता पाने के पात्र पिछड़े जिलों को यह राजसहायता बंद करने के निर्णय के पश्चात अब केवल औद्योगिक विकास केन्द्रों से ही सहायता प्राप्त होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस सभा में यह बताया है कि औद्योगिक विकास केन्द्र का कार्य भी अपेक्षित स्तर का नहीं है। अन्तोगत्वा न तो पिछड़े जिलों को निवेश राजसहायता दी जा रही है और न ही विकास केन्द्रों में कोई प्रगति ही हुई है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उन उद्योगों को निवेश राजसहायता अथवा अन्य किसी रूप में कोई प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जोकि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उन विकास केन्द्रों के रूप में चाहते हैं जोकि इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि भारत सरकार तीन योजनाओं को चला रही है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, ग्रोथ सेंटर्स है और टैक्स हालिडे है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें इन्सैंटिव्स देती है। उनका अपना पैकेज प्रोग्राम होता है।

श्री भैरू लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो नई उद्योग नीति आई है, उसमें उद्योगपतियों को एक तरफ लाइसेंस नहीं लेने की छूट दी गई है तो दूसरी तरफ उनको सबसिडी दी जाती है, लेकिन कुल मिला कर ऐसा लगता है कि वे पिछड़े इलाकों में उद्योग नहीं लगाते हैं। जहां उनको सुविधा होती है, वहीं वे उद्योग लगाते हैं। मेरे क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मैंने जयपुर से दिल्ली आने के रास्ते यह सब चीज देखी है। इससे यह लग रहा है कि पिछड़े के नाम पर सबसिडी तो दी जाती है लेकिन उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है।

दूसरे, जो मुझे बहुत चिन्ता है, हम सब देखते हैं कि ठेकेदार लोग काम कराते हैं, और वह गैंग के गैंग साथ लेकर चलते हैं। एक कारखाने का काम पूरा किया तो दूसरे में चले गये और इस तरह से वह सारे देश में घूमते हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि बन्धुआ मजदूरों की तरह पिछड़े लोग और आदिवासी फिरते रहेंगे तो क्या सरकार इस बात को तय करेगी कि पिछड़े इलाकों में भी कारखाने लगें और उनसे पिछड़े लोगों को लाभ मिले ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार माननीय सदस्यों को बताया है कि नई औद्योगिक

नीति के बाद हमारा उद्देश्य यह है कि भारत को हम पूरे विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में ले जायें। जब सारा देश आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। इसलिए . . . (व्यवधान)

श्री भेरू लाल मीणा : आप ऐसा कर रहे हैं कि जिससे देश आगे बढ़े लेकिन गरीबों का कुछ भी नहीं हो रहा है।

श्रीमती कृष्णा साही : ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जब हमारे यहां विदेशी पूंजी के लिए कोलेबोरेशंस होते हैं तो हम उस समय इस बात का निर्धारण करते हैं। . . . (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब विदेशी पूंजी के लिए कोलेबोरेशंस होते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे देश हित में यह कितनी दूर तक काम करेगा, देशहित में है या नहीं। दूसरे, हमें कितनी विदेशी पूंजी अर्जित होगी। तीसरे, हम यह देखते हैं कि किस तरह की टैक्नालॉजी हमारे यहां आ रही है तो इस तरह से हर पैमाना देखा जाता है और वह पूरे देश के लिए होता है।

श्री भेरू लाल मीणा : इससे क्या फायदा है ? पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है ? ऐसा ही करना है तो आप उनको गोली मार दो।

श्रीमती कृष्णा साही : जितनी दूर तक पूंजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वह डोमैस्टिक हो या फोरेन पूंजी निवेश हो, उतनी दूर तक वह आकर्षित करते हैं, जितनी दूर तक वह इन्फ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, जितनी दूर तक वह सुविधा मुहैया करा सकते हैं, उतनी ही दूर तक वह जाते हैं। हम इस तरह से उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आप बैकवर्ड एरिया में जाइये या फारवर्ड एरिया में जाइये।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता समझता हूँ। एक ऐसी बात है जिसे हम सभी को नोट करना चाहिए। इस विदेशी निवेश में क्या क्या होगा ? यह अधिकांशतः उस आधारभूत ढांचे के रूप में होगा जोकि कतिपय क्षेत्रों को छोड़कर देश में निर्मित नहीं किया गया है। अब स्थिति वही है - जब बिजली नहीं होगी, आप उद्योग नहीं चला सकते। आपके पास बिजली नहीं है। किसानों की शिकायत है कि उन्हें 24 घंटे में 2 घंटे के लिए भी बिजली नहीं मिलती। उद्योगों से भी शिकायत आ रही है कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही। इस तरह से आधारभूत ढांचा एक ऐसा पहलू है, इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि हमने बिजली को पहली प्राथमिकता दी है; इसके बाद प्राथमिकता सड़कों को, फिर पत्तनों आदि को दी गई है। और हम एक बार इन्हें प्राथमिकता दे देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि बिजली देश के प्रत्येक भाग में सप्लाई की जायेगी। हम यह ध्यान रख रहे हैं कि बिजली न केवल उन्हीं क्षेत्रों को सप्लाई की जाये जहां पर यह पहले से ही दी हुई है, बल्कि यह सभी क्षेत्रों को सप्लाई की जाये ताकि बांसवाड़ा को, पूर्वोत्तर क्षेत्रों को और मध्य प्रदेश को भी यह यथाशीघ्र सप्लाई की जाये। यही एक प्राथमिकता है। जो कुछ होता रहा है वह तो होता ही रहा है।

अब हमने यह निर्णय लिया है कि निवेश अधिकांशतः आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में किया जाये और आधारभूत ढांचा देश के सुदूरतम क्षेत्रों में भी निर्मित किया जा सके। इसमें समय तो लगेगा। जैसाकि हम सभी को मालूम है कि परियोजनाएं रातभर में पूरी नहीं हो जाती। लेकिन, इसके साथ ही यह असंतुलन को ठीक करने

का मामला है। यही हम कर भी रहे हैं। हम और असंतुलन पैदा नहीं कर रहे हैं। हम पूरी सतर्कता से इन असंतुलन और विसंगतियों को दूर कर रहे है। लेकिन इसमें समय लगेगा।

माननीय सदस्य जहां यह महसूस करें कि कोई गलती हुई है, वे मेरे पास आ सकते हैं। हम राज्य सरकारों से भी इस विषय में सदैव बातचीत कर सकते हैं क्योंकि यह केवल केन्द्रीय सरकार का ही मामला नहीं है। सभी उद्योग राज्य क्षेत्र में हैं। संविधान में कहा गया है कि उद्योग राज्य का विषय है। हम क्या कर सकते हैं ? हम वस्तुतः किसी राज्य प्रमुख पर हावी होकर किसी पिछड़े क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगा सकते। यह संभव नहीं हैं, यह एक बहुत जटिल मामला है। हमें राज्य सरकारों के समन्वय करके कार्य करना पड़ता है। और इसके लिए निर्दिष्ट नीति भी एकदम स्पष्ट है। मैंने अपनी प्रत्येक बैठक में यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम उन उद्योगों को नहीं लगाना चाहते जो हमारी श्रेणी 'एक' अथवा 'पहली' प्राथमिकता में नहीं आती। वे उद्योग पांच वर्ष, चार वर्ष बाद उस श्रेणी अथवा प्राथमिकता में आ सकते हैं। लेकिन जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह है बिजली जो किसी भी चोज से पहले हमारी प्राथमिकता है।

देश में आज स्थिति यह है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो भी योजना बनाई है, यहां तक कि उसका आधा भाग भी अभी पूरा नहीं हुआ है। 8वीं योजना के दो वर्ष ही बचे हैं। महोदय, 8वीं योजना जहां तक पूरी हुई है ; वहां से तो हमें मानक स्तर प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। पिछले दो-तीन वर्षों में आपको मालूम होगा कि काफी परिवर्तनों और बदलावों के कारण से निवेश नहीं किया गया। अब यह धीरे-धीरे किया जा रहा है और आगामी दो वर्षों में हमें काफी कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना कुछ ही कह सकता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि काफी असंतुलन बने हुए हैं। ये असंतुलन अभी पैदा नहीं हुए हैं; ये तो हमें विरासत में मिले हैं। हमने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीकों से इन असंतुलनों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी हुआ नहीं है। इस तरह से हमें यह कोशिश करते रहना होगा और यही यह सरकार कर रही है।

श्री इम्बालम्बा : विशेषरूप से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस आधारभूत ढांचे का अभाव रहा है। हमारे पास कच्चा माल है, प्राकृतिक संसाधन आदि है, लेकिन आधारभूत ढांचे का वहां अभाव रहा है। देश की औद्योगिकीकरण संबंधी कोई भी नीति रहे, जब तक आधारभूत ढांचे का अभाव रहेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र सदैव घाटे में रहेगा इस तथ्य के बावजूद कि आधारभूत ढांचा देश के लिए सर्वोत्तम बात हो सकती है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्र संबंधी नीति और कार्यक्रम के बारे में बातचीत करते रहे हैं। जिससे यहां पर आधारभूत ढांचे तैयार होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन्हें शुरू किया गया है ये अभी अधूरी अवस्था में पड़े हुए है जैसे इनको उपेक्षित कर दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन अधूरे विकास केन्द्रों पर कार्य और ज्यादा धनराशि और सुविधाएं प्रदान करके निकट भविष्य में शुरू किया जायेगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक विकास केन्द्रों का संबंध है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्वोत्तर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों को इस मामले में प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा। इससे किसी हद तक तो समस्या का समाधान होगा लेकिन पूरी तरह से इसका हल नहीं निकलेगा। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर मैं किसी अन्य अवसर पर इस सभा में

चर्चा करना चाहूंगा। मैं सभी दिक्कतों और सरकार ने जो कुछ किया है उन सभी पर बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूर्वोतर क्षेत्र की कई बार यात्रा की है। मैंने प्रधान मंत्री के रूप में कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता कार्यक्रम लागू करने के लिए चुना है। वहां पर काफी गैस उपलब्ध है। लेकिन उद्यमी लोग वहां पर जाना नहीं चाहते। विभिन्न कारणों से वे वहां नहीं जा रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है कि कच्चा माल वहां उपलब्ध है। सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन एक तो दूरी और दूसरा कुछ उद्योगपतियों को यही दिल्ली, बम्बई अथवा उन क्षेत्रों में, जहां सभी जा सकते हैं में जो सुविधाएं प्राप्त हैं और वे उद्योग लगाकर यहीं पैसा कमा सकते हैं, में बने रहने का आसान विकल्प अपना लेते हैं। इसलिये हमें कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन क्षेत्रों में उद्योग लगें। हम पूरी सतर्कता से ये प्रयास कर रहे हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र शासन ने प्राकृतिक गैस पर आधारित एचबीजे पाइप लाइन सारे देश में 1800 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई है। प्राकृतिक गैस पर आधारित उद्योग लगाने के लिए लोग इच्छुक है। क्या उस गैस पाइप लाइन के किनारे ग्रोथ सेंटर्स बनाने की कोई योजना बना रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए यह चिन्ता का कारण है। लेकिन मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि गैस की उपलब्धता के बारे में अनेक गलत गणनाएं लगाई गयी हैं। वास्तव में, जो छान-बीन और गणनाएं की गई थीं उनके बारे में हम अत्यधिक आशावान हैं। अनेक उद्योगों को गैस उपलब्ध कराने के लिए लिखित आश्वासन दिए गए थे। अचानक मालूम चला कि खोज के समय गैस मिलने के संबंध में लगाये गये अनुमान गलत साबित हुए अतः अब हमें पहले आबंटित की गई गैस में कटौती करनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगपति परेशानी महसूस कर रहे हैं। हमने उद्योगपतियों से दोहरी-ईंधन उद्योग या दोहरी-ईंधन संरचना या योजना अपनाने के लिए कहा है क्योंकि इसे तुरन्त करना आसान है। अतः ये कुछ सीमाएं हैं हम नहीं जानते हैं कि खोज के दौरान खोजकर्ता गलत था या गणनाएं उन कारणों से गलत हुई जो उसके नियंत्रण से बाहर थे।

हम नए क्षेत्रों में खोजकार्य कर रहे हैं और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि नए क्षेत्रों में गैस के कुछ भण्डार मिले हैं। अतएव, मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इन मामलों में सरकार के साथ सहयोग करें। गैस भारहीन द्रव्य होता है। जिसकी पहले से सही सही गणना नहीं की जा सकती है। अतएव, जिस सीमा तक गणनाएं गलत होती है उसी के अनुसार हमें नई परिस्थितियों में समायोजित करना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 325 श्री एस.एम. लालजान वाशा उपस्थित नहीं।

फालतू भूमि

*326 श्री खेलन राम जांगड़े :

डा. कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 को देश में कितनी फालतू भूमि थी ;

(ख) जनवरी, 1994 तक निर्धन ग्रामीणों को वितरित की गई फालतू भूमि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) भूमि सुधार उपायों को शीघ्रता से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) इस मामले में राज्यवार अद्यतन क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है। दिसम्बर, 1993 को समाप्त तिमाही तक 73.51 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई जिसमें से 64.15 लाख एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा 50.49 लाख एकड़ भूमि 48.82 लाख ग्रामीण गरीबों में वितरित की गई है। वितरित किये गये कुल क्षेत्र में से लगभग 50 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आवंटित की गई है।

2. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों को आवंटित भूमि पर साथ-साथ उन्हें कब्जा दिलायें।

3. राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती हैं तथा इनके प्रभावी तथा त्वरित कार्यान्वयन के लिये सुझाव दिये/सिफारिश की जाती है। इन सम्मेलनों की सिफारिशें आवश्यक कार्यवाई हेतु राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजी जाती हैं।

4. भूमि सुधार एक बहु-आयामी कार्यक्रम है। राज्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त की है। इसलिए, इस दिशा में हुई प्रगति की राज्यवार तुलना करना संभव नहीं है। तथापि, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। पिछले वर्ष (1993-94) के लिये 5,98,563 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा 70,887 एकड़ भूमि की उपलब्धि की सूचना प्राप्त हुई थी।

5. भूमि राज्य का विषय होने से भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार केवल समन्वयक और सलाहकारी भूमिका निभाती है।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि दिसम्बर, 93 तक 73.51 लाख एकड़ जमीन फालतू घोषित की गई थी, परन्तु जिनकी जमीन थी वे लोग न्यायालय में चले गए थे जिसके कारण भूमिहीनों/हरिजनों को विशेष फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों की जमीन आबंटित की जा चुकी है उन्हें खेतो नहीं करने दिया जा रहा है अभी तक पुराने मालिक ही जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। मैं मंत्री जी से पहली बात यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न घ में जमीन का राज्यवार ब्यौरा नहीं दिया है। क्या सरकार ने जिन लोगों को फालतू भमि प्रदान की है उनके पास जमीन है या नहीं ? इस कार्य की समीक्षा हेतु कोई प्रयास किया है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 93 तक कुल जमीन 73.51 लाख एकड़ उपलब्ध हुई थी, जो सरप्लस डिकलेयर किया गया था उसमें से 64.28 एकड़ जमीन हमारे कब्जे में आई। उसमें से 50.58 एकड़, यानी 79 परसैंट जमीन बांट दी गई है और जो बांटी गई है उसमें से 36 प्रतिशत लोग एससी बेनिफिशरिस हैं और जो14 प्रतिशत हैं वे हामरे अनुसूचित जाति के हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुल 50 प्रतिशत दी गई है, जो बची हुए 22.93 एकड़ जमीन है इसमें से लिटिगेशन में विभिन्न कोर्टों में 22.70 लाख जमीन है। रेवेन्यू कोर्ट की 576241 एकड़ जमीन है जिसमें कि 13148 केसों में यह जमीन रेवेन्यू कोर्ट में है। हाई कोर्ट में 657684 एकड़ जमीन है जिसमें 3902 केस हैं और सुप्रीम कोट्र में 56384 एकड़ जमीन है जिसमें 762 केस हैं। इस वजह से यह जमीन बांटी नहीं जा सकी है और जो इसके बाद की जमीन थी उसमें से 3.67 लाख एकड़ जमीन सार्वजनिक कामों के लिए या तो दे दी गई है या सुरक्षित की गई है और जो जमीन खेती के लायक नहीं मानी गई है वह 3.55 लाख एकड़ है। इसी प्रकार से और जमीन जो काम के लायक नहीं है, मिसलेनियस किस्म की या छोटे-छोटे पैचेज हैं, वह 1.83 लाख एकड़ है। इस प्रकार जो उपलब्ध जमीन है, वह 98000 एकड़ हैं। इस बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर्स की बैठक मार्च, 1993 को हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अक्तूबर 1991 से मार्च, 1993 तक 3.14 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। इसके अतिरिक्त वेस्ट लैंड 27.39 लाख एकड़ बांटी गई है और इस तरह 23.29 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। 98000 एकड़ जमीन जो उपलब्ध है, उसको बांटने की प्रक्रिया जारी है। सभी राज्यों को अतिरिक्त टारगेट दे दिया गया है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा करें। इसके लिए दो प्रकार के लैंड ट्रिब्यूनल 323 बी के तहत स्थापित किए गए हैं, कुछ राज्यों ने ये ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए हैं और उनमें केसेस को निपटाया जा रहा है। कुछ हाई कोर्ट्स में स्पेशल बैंचेज बनाई गई हैं और केसेस जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सभी केसेस दे दें और हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य-न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि इन केसेस का जल्दी निपटारा किया जाए। यह काम होने से रेवेन्यू केसेस में कोर्ट का निर्णय मान्य होगा, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। . . . **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 50.59 लाख एकड़ में से 48.82 लाख एकड़ भूमि ग्रामीणों में वितरित की जा चुकी है। इसमें से 50 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुदूर ग्रामों में इस भूमि वितरण को लेकर काफी गड़बड़ी है। अनुसूचित

जाति के लोगों को भूमि तो दे दी गई है, परंतु उनको कब्जा आज तक नहीं मिला है। उत्तर में भी बताया गया है कि इस संबंध में बहुत मुकदमें विचाराधीन हैं क्या राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाएगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटित भूमि का कब्जा दिलाने के लिए जिलास्तर पर कोई व्यवस्था करके दबंग लोगों के कब्जे से जमीन निकाल कर इन मामलों का निस्तारण किया जाए और भूमि वितरण में फैली गड़बड़ी को दूर किया जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्पष्ट है कि जमीन सुधार का सारा काम राज्य का विषय हैं। प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार समय-समय पर रेवेन्यू मिनिस्टर्स की बैठकें हुई हैं, मार्च, 1992 में मुख्य मंत्रियों की बैठक भी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य जल्दी से जल्दी निपटारे के लायक मामलों को रेवेन्यू और दूसरे कोर्टों में निपटाने का काम करें। इसके अतिरिक्त जो जमीन वितरित की गई है, खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को, जिन पर जमीन के मालिकों ने कब्जा नहीं छोड़ा है, इन मामलों में प्रशासन के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से केसेस का निपटारा करें। बहुत राज्यों में काम हो रहा है। हाई कोर्ट्स और दूसरे कोर्ट्स के निर्देश के मुताबिक विशेष सत्र लगाकर के मामलों का निपटारा किया जा रहा है और जमीनों का वितरण किया जा रहा है।

इस तरह के केस मध्य प्रदेश में एक साथ हुए। जहां हजारों एकड़ जमीन का निपटारा किया गया। इसके लिए समय पर हमारे मंत्रालय की तरफ से अनुरोध किया जाता है कि वहीं से काम को पूरा करें।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सांवत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों की ओर से विशेषरूप से निगमित क्षेत्र और कभी कभी परती भूमि के विकास के लिए भूमिहद बंदी को हटाने के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव मिल रहे हैं। भूमि ऐसा स्रोत है जो वास्तव में पुनर्प्रयोज्य नहीं होता है। फालतू समझी जाने वाले भूमि का आज उपयोग नहीं हो सकता है परन्तु कल जनता को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह इस संबंध में विशेषरूप से परती भूमि के संबंध में क्या नीति अपनाने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है ? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। प्रश्न फालतू भूमि के बारे में है।

श्री सुधीर सावंत : यह प्रश्न फालतू भूमि के संबंध में भूमि की हदबंदी नीति के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अपने प्रश्न को उसी के अनुसार पूछिए।

श्री सुधीर सांवत : मेरा प्रश्न यह है कि यदि आप भूमि हदबंदी को हटाते हैं तो आज जो फालतू भूमि उपलब्ध है वह भविष्य में उपलब्ध नहीं होगी और उस सीमा तक फालतू भूमि में कमी हो जाएगी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार हदबंदी अधिनियम के संबंध में विशेष रूप से निगमित क्षेत्र के संदर्भ में क्या नीति अपनाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप भूमि हदबंदी नियमों के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम देखेंगे कि कानून के अन्तर्गत उद्योग के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नियम को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। असल में, उससे देश परेशानी में पड़ जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : जो जमीन गरीब लोग, देहात के लोग, आदिवासी और हरिजन लोगों के कब्जे में है वह ज्यादातर राज्य सरकार की है। उसके साथ-साथ जो वहां जमींदार थे जिनकी जमीन कभी थी, उन्होंने भी मकान बनाये हुए हैं। मैंने अपने एरिया में ऐसे 15,000 केसेज रेवन्यू अथोरिटी को दिये हैं, लेकिन एक भी केस का फैसला नहीं हुआ हैं। अभी भी सैटलमेंट के लिए बातचीत चल रही है। उन लोगों को जो आई.आर. डी. से जो सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए, वे नहीं हो पाती हैं। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। यह आज से सौ साल से ऐसा ही हो रहा है। इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार को मदद कर रहे हैं तो बता दें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम उन्हें कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राजस्व प्रशासन के लिए और भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1977-78 में शुरू की गई थी।

[हिन्दी]

उसमें 79 करोड़ रुपये अभी तक दे चुके हैं। सात सदस्यों की एक समिति भी बनाई है। जो छानबीन कर रही है कि इसमें आगे क्या सुधार किये जा सकते हैं।

कुमारी फ्रिदा टोपनो : राउरकेला में स्टील प्लांट के लिए हरिजनों और आदिवासियों की बहुत सी जमीन ली गई थी। उसके बाद जिस जमीन की जरूरत नहीं थी वह राज्य सरकार को लौटा दी गई। कायदे से वह जमीन उन्हीं लोगों को घर बनाने के लिए देनी चाहिए थी। लेकिन राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों ने उस जमीन को अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम कराकर उस पर कब्जा कर लिया है। इस विषय में केन्द्र सरकार क्या कहना चाहती हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जो यह घटना राउरकेला में हुई है, हम राज्य सरकार को अनुरोध करेंगे कि इसकी छानबीन करके उचित निर्णय करे।

[अनुवाद]

श्री जी.देवराय नायक : देश के गरीब लोगों की सहायता करने के लिए भूमि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत शानदार कार्य हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ राज्यों ने इसे लागू करने में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को फालतू भूमि को वितरित करने में रूचि नहीं ली है। कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार के संबंध में बहुत अच्छी प्रगति की है। विशेष रूप से 1974 संशोधन के बाद उन्होंने फालतू भूमि को गरीबों में बाँटा है। लेकिन कुछ राज्य फालतू भूमि को वितरित करने में उतनी रूचि नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है। अब समय नहीं है।

श्री जी. देवराय नायक : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फालतू भूमि को प्राथमिकता के आधार पर वितरित करने की अपनी वर्तमान नीति के अंतर्गत इस कार्य में तेजी लगने की सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

***321. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र से अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन में भाग लेने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर गैर-सरकारी क्षेत्र की अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है ;

(ग) विभिन्न अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(घ) इन स्रोतों के माध्यम से आठवीं योजना अवधि के दौरान अब तक कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया है ?

अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). सरकार द्वारा प्रदर्शन परियोजनाओं को राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, आर्थिक राज सहायता तथा इसके साथ-साथ प्रचार एवं बाजार विकास को समर्थन के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को विशेषकर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता के अलावा वित्तीय संस्थाओं, निजी निवेशों और बाहरी सहायता से संसाधन जुटाए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र पवन फार्म लघु जल विद्युत और सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की साख लाइन उपलब्ध है। निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। कुल 122 मेवा की संस्थापित पवन विद्युत क्षमता में से 80 मेवा. क्षमता निजी क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त की गई है जिसमें से 59 मेवा क्षमता को वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त किया गया। लघु जल विद्युत, खोई आधारित सह-उत्पादन, और सौर जल तापन प्रणालियों के क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1982 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना के बाद केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए लगभग 1,283 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। आठवीं योजना अवधि के दौरान पवन, सौर, लघु जल विद्युत और बायोमास आधारित सह-उत्पादन से विद्युत का अनुमानित उत्पादन 1360 मिलियन कि.वा. घं. है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

*322. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ औद्योगिक आधार का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कम विकसित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने भारत में लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देश के विभिन्न भागों में उद्यमिता संस्कृति का निर्माण करने में सहायता करता रहा है। निगम लघु क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से सहायता देता है : -

(1) किराया खरीद आधार पर मशीनों की आपूर्ति।

(2) मौजूदा एककों को उनके विस्तार, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पट्टा आधार पर मशीनों की आपूर्ति।

(3) लघु उद्योगों के उत्पादों का विपणन और निर्यात।

(4) सरकारी भंडार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम एककों को सूचीबद्ध करना।

(5) अपने आद्यरूप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों और इनके उपकेन्द्रों में अनेक तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण।

(6) स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल की प्राप्ति तथा आपूर्ति।

अब तक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपनी किराया-खरीद तथा उपकरण पट्टा योजनाओं के अधीन 30,000 लघु एककों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, उपर्युक्त दो योजनाओं के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनों की आपूर्ति भी की गई है। इसमें से 30 प्रतिशत की आपूर्ति पिछड़े क्षेत्रों में

की गई है। निगम संतुलित क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित एककों को सहायता उपलब्ध कराता रहा है। निगम इन क्षेत्रों में उद्यम निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों को ब्याज दर, धरोहर राशि और किराया खरीद आधार पर मशीनों की आपूर्ति में सेवा प्रभार पर रियायतें उपलब्ध हैं।

ग्रामीण युवकों को औद्योगिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से निगम पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को ओखला, हावड़ा, राजकोट, मद्रास और हैदराबाद स्थित अपने आद्यरूप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों और काशीपुर तथा अलीगढ़ (उ.प्र.) में, डिन्डीगुल (तमिलनाडु), खम्माम (आंध्र प्रदेश) स्थित चार उपकेन्द्रों और गुवाहाटी (असम) स्थित विकास-सह-प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। पीडीटीसी और उपकेन्द्रों ने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिये हैं। और बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर दिया है। ये केन्द्र इन क्षेत्रों में स्थित लघु एककों को सामान्य सुविधा सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, इन केन्द्रों ने ऐसे औजारों तथा उपकरणों का विकास तथा उन्नयन भी किया है। जिनकी आवश्यकता स्थानीय कारीगरों को होती है, जैसे कि काशीपुर केन्द्र द्वारा सिंचाई पम्प हेतु इस्पात प्रसंस्करण ड्रम, अलीगढ़ केन्द्र द्वारा टी टाइप गैस फलो वाल्व, डिन्डीगुल केन्द्र द्वारा कोबलर किट, खम्माम केन्द्र द्वारा कार्पेन्टर किटं।

पूंजीगत माल क्षेत्र

*** 325. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पूंजीगत माल क्षेत्र का कार्य निष्पादन क्या रहा ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र का कार्य निष्पादन घटिया रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गत तीन केन्द्रीय बजटों का भी इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, पूंजीगत सामान क्षेत्र ने 1991-92 में (-) 9.0 % 1992-93 में (-) 0.1 % और 1993-94 में (-) 5.3 % विकास दर्ज किया है।

(ग) और (घ) पूंजीगत सामान क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर सामान्यतया मांग संबंधी बाधाओं, सख्त ऋण नीति और 1991 में भुगतान संतुलन के घोर संकट को ध्यान में रखते हुए अपनाये गये स्थिरीकरण उपायों के अल्पकालिक प्रभाव से असर पड़ा है।

(ङ) सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क को युक्तियुक्त बनाने तथा इसमें कमी करने, निगम कर में कमी

करने, माउवेट को पूंजीगत सामान क्षेत्र पर लागू करने, सावधि ऋणों पर न्यूनतम ऋण दरों में कमी करने का उद्देश्य पूंजीगत सामान क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।

जवाहर रोजगार योजना

*** 327. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्षवार और राज्यवार कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया और कितनी वास्तविक परिसम्पत्तियां सृजित की गयीं ;

(ख) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं ;

(ग) क्या अपर्याप्त आबंटन के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं / किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों की रिलीज और सृजित की गई भौतिक परिसम्पत्तियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण I से IV में दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रम दिनों के सृजन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार के निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरा विवरण - V में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पर्याप्त आबंटन किया गया है। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बहुतायत है तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी, प्रयासों को तेज करने के लिए देश के 120 पिछड़े जिलों में, इन जिलों के लिए कम से कम 700 करोड़ रुपये का आबंटन के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का 20 प्रतिशत आबंटित करके योजना को गहन बनाया गया है। उन सभी जिलों, जिनके अधिकांश खंड सूखा प्रभावित हैं, को 120 पिछड़े जिलों की इस सूची में शामिल किया गया है।

सरकार देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 2 अक्तूबर, 1993 से एक सुनिश्चित रोजगार योजना भी कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में गैर कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों का अकुशल रोजगार मुहैया कराना है।

विवरण - I

1991-92 से 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रिलीज किए गए संसाधन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज किए गए संसाधन (केन्द्र-राज्य) (लाख रुपये में)		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19124.26	21418.39	33362.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	93.03	251.50	188.84
3.	असम	4334.33	6194.14	8971.90
4.	बिहार	35825.21	46904.44	67587.70
5.	गोवा	353.49	406.13	426.81
6.	गुजरात	8188.77	10244.79	13202.98
7.	हरियाणा	2352.21	2366.87	2098.40
8.	हिमाचल प्रदेश	1035.25	1182.10	1235.76
9.	जम्मू व कश्मीर	2491.13	2139.63	2656.70
10.	कर्नाटक	10100.38	14252.56	21238.89
11.	केरल	6594.09	7899.60	6327.35
12.	मध्य प्रदेश	23885.31	33629.94	45569.94
13.	महाराष्ट्र	17060.46	25049.79	32318.06
14.	मणीपुर	141.28	645.13	355.49
15.	मेघालय	612.24	461.10	241.20
16.	मिजोरम	263.66	249.82	459.30
17.	नागालैंड	723.55	746.51	672.01
18.	उड़ीसा	10438.69	16389.03	27203.73
19.	पंजाब	1785.37	1702.19	1614.09
20.	राजस्थान	9475.52	17064.22	17705.65
21.	सिक्किम	344.68	394.60	240.03

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	21336.44	23241.96	25033.46
23.	त्रिपुरा	563.99	669.61	679.71
24.	उत्तर प्रदेश	44549.52	58887.46	67363.58
25.	पश्चिम बंगाल	12690.30	25220.33	26504.31
26.	अण्ड. निको. द्वीपसंमूह	52.16	62.58	81.93
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	80.67	91.02	73.75
29.	दमन व दीव	4.38	20.28	20.28
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	28.18	60.08	56.48
32.	पांडेचेरी	120.36	315.82	126.33
	कुल :	234648.90	318161.58	403617.32

* इसमें जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गई रिलीजें शामिल हैं।

विवरण - II

1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामाजिक वानिकी								
	कवर किया गया क्षेत्र	लगाए गए वृक्ष	अनु. जाति अनु. जनजाति के लाभ के निर्माण कार्य	लघु सिंचाई बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	भूमि संरक्षण निर्माण कार्य	ग्राम तालाबों का निर्माण	भूमि विकास कार्य	पेयजल कुएं तालाब आदि	ग्रामीण सड़कें
	(हे.)	(लाख सं.)	(सं.)	(हे.)	(हे.)	(सं.)	(हे.)	(सं.)	(कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	10262.91	5320.06	15198	15.00	0.00	163	67.00	3077	6422.55
2. अरूणाचल प्रदेश	297.00	2.58	513	34.00	8.26	0	13.00	0	551.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. असम	60.60	0.40	1438	3726.71	106.58	300	439.21	1327	1657.88
4. बिहार	9835.41	228.07	9838	388.21	1517.46	288	622.00	15130	7834.82
5. गोवा	76.00	0.22	59	एन आर	0.00	39	0.00	217	105.80
6. गुजरात	4652.23	161.59	17252	1429.00	2463.00	836	481.00	1466	3566.43
7. हरियाणा	953.58	11.33	4312	58.23	0.00	278	174.30	128	480.58
8. हिमाचल प्रदेश	131.00	0.58	2313	829.00	0.00	349	325.00	726	397.00
9. जम्मू और कश्मीर	388.00	52.48	2939	11210.00	10459.00	115	707.00	1119	1678.00
10. कर्नाटक	9670.00	483.40	16289	192.00	15075.00	280	262.00	572	11730.00
11. केरल	372.14	32.59	19517	166.00	5.00	13	8.00	433	1873.38
12. मध्य प्रदेश	135.88	0.29	118418	22.00	58.87	18	3.00	2285	6641.30
13. महाराष्ट्र	18570.00	124.98	33592	912.00	1981.00	256	1360.00	2152	4517.00
14. मणिपुर	56.93	0.08	268	33.00	2.00	7	75.00	6	96.00
15. मेघालय	229.83	0.01	863	1.00	0.00	0	203.83	5	62.50
16. मिजोरम	244.00	Neg.	1085	0.00	0.00	10	4.00	88	531.00
17. नागालैंड	2027.58	20.27	2066	0.00	0.00	0	0.00	1223	132.41
18. उड़ीसा	5709.59	39.67	49797	232.41	330.15	2607	2164.49	2891	19704.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. पंजाब	18.49	Nr	5450	0.00	254.00	139	122.00	81	5.00
20. राजस्थान	Nr	Nr	32922	7.00	36.00	789	6.00	651	1490.75
21. सिक्किम	952.00	Nr	633	4.00	90.00	213	92.00	81	747.69
22. तमिलनाडु	10951.98	Nr	43640	8.00	0.00	757	0.00	205	2639.55
23. त्रिपुरा	614.13	0.20	2113	66.00	94.40	517	110.75	80	881.72
24. उत्तर प्रदेश	10961.49	325.57	86100	30425.00	28616.00	516	5384.00	22384	26763.00
25. पश्चिम बंगाल	5140.00	111.07	25849	6611.00	609.00	2009	386.00	30376	11114.00
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	0.00	0.00	89	0.00	0.00	0	0.00	41	24.14
27. दादरा व नागर हवेली	Nr	0.60	152	0.00	0.00	7	0.00	52	40.95
28. दमन व दीव	Nr	Nr	19	0.00	0.00	0	0.00	0	0.05
29. लक्षद्वीप	72.00	Nr	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
30. पांडेचेरी	95.54	2.00	43	0.00	2.35	13	0.00	0	16.41
कुल	92478.31	6918.04	584394	56369.56	61708.07	10519	12899.58	86796	111706.26

विवरण – II

1991–92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूल भवन	आवास स्थलों का विकास	मकानों का निर्माण	पंचायत घर	महिला मंडल	स्वच्छ शौचालय	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण	अन्य निर्माण कार्य
	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश	3667	72	696	1165	214	3041	12755	10876	25014

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. अरूणाचल प्रदेश	109	0	99	10	6	35	0	233	248
3. असम	532	151	385	13	65	422	629	1231	1191
4. बिहार	3711	1622	1184	2321	126	2843	50836	22541	49406
5. गोवा	3	0	0	0	0	0	0	52	201
6. गुजरात	1512	97	150	832	16	1249	6364	4939	8688
7. हरियाणा	551	79	0	157	16	65	394	968	1294
8. हिमाचल प्रदेश	323	0	59	131	64	414	48	362	4564
9. जम्मू और कश्मीर	39	0	7975	326	2	228	1440	495	2543
10. कर्नाटक	3038	118	4629	168	175	564	1817	6092	16342
11. केरल	53	0	6336	0	0	6112	1742	5172	2259
12. मध्यप्रदेश	1630	4642	23097	235	411	140	30729	40644	24056
13. महाराष्ट्र	3539	622	3342	1446	102	2237	7997	9927	29368
14. मणीपुर	17	1	27	7	8	13	108	140	128
15. मेघालय	131	6	8	63	6	4	413	388	248

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16. मिजोरम	50	12	28	0	4	40	329	256	268
17. नागालैंड	76	0	0	25	0	0	0	1581	742
18. उड़ीसा	6027	211	3168	449	128	89	21394	17028	9298
19. पंजाब	628	0	0	664	39	519	0	1191	5246
20. राजस्थान	2403	138	1565	138	225	375	11500	13174	14711
21. सिक्किम	29	113	7	10	0	14	0	166	260
22. तमिलनाडु	641	0	0	894	0	81	2872	40768	14104
23. त्रिपुरा	53	16	666	68	0	96	354	472	1430
24. उत्तर प्रदेश	816	405	32632	450	12	3279	8780	20262	19369
25. पश्चिम बंगाल	1716	1674	601	376	332	6433	11792	8223	8950
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	1	1	0	9	0	0	5	17	62
27. दादर व नागर हवेली	6	0	0	0	0	1	20	56	20
28. दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	26	15
29. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	50	0	0	57
30. पांडेचेरी	102	3	0	0	0	0	10	22	21
कुल	31403	9983	86654	9957	1951	28344	172328	207299	240103

विवरण - 3

1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामाजिक वानिकी		अनु. जाति अनु. जनजाति के लाभ के निर्माण कार्य	लघु सिंचाई बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	भूमि संरक्षण निर्माण कार्य	ग्राम तालाबों का निर्माण	भूमि विकास कार्य	पेयजल कुए तालाब आदि	ग्रामीण सड़कें
	कवर किया गया क्षेत्र	लगाए गए वृक्ष							
	(हे.)	(लाख सं.)	(सं.)	(हे.)	(हे.)	(सं.)	(किमी.)	(सं.)	(सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	1911.90	663.89	31206	1950.00	395.00	467	72.00	1762	7456.93
2. अरूणाचल प्रदेश	114.00	0.70	486	28.00	6.00	-	3.66	2	544.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. असम	24.88	0.49	2971	367.89	68.17	109	1612.72	274	2411.95
4. बिहार	10068.94	170.71	125209	209.40	685.00	309	580.00	17992	15483.80
5. गोवा	NR	570	38	–	–	79	–	465	173.80
6. गुजरात	2283.00	161.25	14545	1490.50	408.50	864	352.00	1720	3287.72
7. हरियाणा	476.00	2.15	2521	NR	–	78	125.00	158	154.02
8. हिमाचल प्रदेश	180.29	1.79	1828	6.00	–	145	23.58	571	511.98
9. जम्मू और कश्मीर	131.00	43.10	2274	798.00	162.00	437	780.00	306	1184.00
10. कर्नाटक	5880.00	15.18	26160	457.00	4001.00	521	1702.00	1600	9615.00
11. केरल	31.78	38.48	12883	NR	NR	–	–	309	1767.19
12. मध्य प्रदेश	893.00	4.41	126690	14.00	18.00	872	114.00	1175	7885.45
13. महाराष्ट्र	3444.00	32.93	43142	403.00	1241.00	319	675.00	2954	5250.00
14. मणिपुर	91.66	0.19	1303	44.00	–	8	NR	22	455.83
15. मेघालय	309.07	0.41	1702	–	24.30	9	147.00	28	351.78
16. मिजोरम	NIL	NIL	379	NIL	NIL	28	NIL	22	275.50
17. नागालैंड	908.28	9.08	71	–	–	–	–	–	208.11
18. उड़ीसा	2069.08	21.06	9943	212.90	313.02	3202	875.25	5084	16484.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. पंजाब	53.00	NR	1421	–	26.00	24	120.00	–	–
20. राजस्थान	3912.00	42.88	11241	19.00	58.32	363	77.00	761	1653.33
21. सिक्किम	516.00	0.00	387	9.00	0.00	27	53.00	71	646.15
22. तमिलनाडु	NR	NR	21571	NR	–	975	–	156	2679.00
23. त्रिपुरा	465.56	1.82	1773	92.75	90.05	299	94.22	582	831.82
24. उत्तर प्रदेश	8846.00	56.00	83384	5453.00	4904.00	450	560.00	26974	26726.00
25. पश्चिम बंगाल	21210.00	238.97	8.98	9185.00	1555.00	1130	534.00	17285	17100.00
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	30	13.00
27. दादर व नागर हवेली	NR	NR	142	–	–	–	–	41	33.60
28. दमन व दीव	–								
29. लक्षद्वीप		0.78	21	–	Nr	–	–	17	NR
30. पांडेचेरी	30.00	Nr	69	Nr	Nr	Nr	-	Nr	9.63
कुल	63899.43	1511.97	531558	20739.44	13955.36	10715	8500.43	88351	123196.38

विवरण - 3

1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

	राज्य/संघ शासित क्षत्र	स्कूल भवन	आवास स्थलों का विकास	मकानों का निर्माण	पंचायत घर	महिला मंडल	स्वच्छ शौचालय	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण	अन्य निर्माण कार्य
		(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)
		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	2578	136	610	1040	157	1782	11457	10961	14780
2.	अरूणाचल प्रदेश	54	-	14	73	33	-	0	218	92

		11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	असम	303	44	116	553	38	9	1162	1037	1105
4.	बिहार	2843	4291	400	1513	239	1783	50689	28189	18327
5.	गोवा	10	–	–	56	9	–	12	55	419
6.	गुजरात	1021	105	217	661	84	877	4874	4889	7602
7.	हरियाणा	746	76	–	172	15	23	963	1002	776
8.	हिमाचल प्रदेश	179	–	31	229	27	–	34	351	2028
9.	जम्मू और कश्मीर	8	11	–	–	–	47	725	425	3258
10.	कर्नाटक	2911	187	6613	251	467	1299	3803	7197	18746
11.	केरल	47	–	5613	–	–	4516	3893	4100	3054
12.	मध्य प्रदेश	1303	308	3146	547	196	105	43396	47156	42627
13.	महाराष्ट्र	3718	447	3852	1111	99	1911	6739	8778	33284
14.	मणिपुर	24	10	11	4	–	12	189	213	996
15.	मेघालय	138	1	19	88	71	–	788	432	123
16.	मिजोरम	55	1	40	NIL	NIL	21	322	224	234
17.	नागालैंड	72	–	–	–	–	134	774	1603	506
18.	उड़ीसा	4668	231	2464	383	213	59	21126	11305	7413

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19. पंजाब	25	–	–	131	2	290	0	3359	1134
20. राजस्थान	2276	214	2414	326	206	475	9973	10541	15480
21. सिक्किम	1	5	1	6	–	6	0	140	297
22. तमिलनाडु	1432	–	–	241	–	–	7162	14409	13653
23. त्रिपुरा	8	8	227	45	8	61	716	343	284
24. उत्तर प्रदेश	415	2799	48399	1034	–	370	5437	22210	16822
25. पश्चिम बंगाल	3675	1350	820	836	55	1485	6718	13300	5692
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	1	–	–	–	–	–	0	20	1
27. दादर व नागर हवेली	2	–	–	–	–	–	30	52	17
28. दमन व दीव		–	–	–	–		0	21	
29. लक्षद्वीप	–	–	–	–	4	–	0	0	2
30. पांडेचेरी	1	NR	1	–	–	–	13	47	11
योग	28514	10224	75008	9320	1923	15265	180995	192585	208763

विवरण – 4

1993–94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामाजिक वानिकी								
	कवर किया गया क्षेत्र	लगाए गए वृक्ष	अनु. जाति अनु. जनजाति के लाभ के निमाण कार्य	लघु सिंचाई बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	भूमि संरक्षण निर्माण कार्य	ग्राम तालाबों का निर्माण	भूमि विकास कार्य	पेयजल कुए तालाब आदि	ग्रामीण सड़कें
	(हे.)	(लाख सं.)	(सं.)	(हे.)	(हे.)	(सं.)	(किमी.)	(सं.)	(सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	326.85	187.23	22486	16.12	14.00	334	230.00	1353	2918.13
2. अरूणाचल प्रदेश	45.24	0.32	88	4.00	15.00	0	7.00	3	27.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. असम	3.50	4.00	1897	472.20	113.00	39	139.50	106	1401.47
4. बिहार	11530.18	1413.88	36315	2635.00	1060.50	439	602.00	20263	19425.15
5. गोवा	0.19	0.00	80	0.00	0.00	5	0.00	16	10.00
6. गुजरात	563.00	27.31	11382	104.00	58.00	92	43.00	157	928.00
7. हरियाणा	205.00	3.22	9953	11.00	851.00	278	2272.00	278	3784.00
11. केरल	0.00	51.47	24584	0.00	0.00	0	0.00	359	1587.14
12. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	22991	58.71	0.00	450	0.00	1105	6691.09
13. महाराष्ट्र	7765.00	27.23	23518	162.00	1337.00	549	172.00	2645	3314.00
14. मणिपुर	75.39	1.09	1513	32.00	6.35	54	61.00	55	1588.00
15. मेघालय	52.18	0.39	600	0.00	0.00	28	273.50	18	399.00
16. मिजोरम	0.00	0.00	1170	0.00	0.00	0	0.00	49	503.00
17. नागालैंड	1295.00	12.95	2870	86.00	0.00	0	0.00	0	182.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. उड़ीसा	7599.50	69.90	25833	19796.90	122.50	2493	394.50	2242	9380.38
19. पंजाब									
20. राजस्थान	3804.00	1.80	5778	1.00	4.00	52	1.00	185	728.24
21. सिक्किम	599.80	40.00	930	12.00	14.00	14	32.00	117	720.00
22. तमिलनाडु	17134.00	244.12	24373	0.00	0.00	256	0.00	0	2622.16
23. त्रिपुरा	704.16	0.40	6210	889.30	0.00	286	76.30	1207	908.98
24. उत्तर प्रदेश	3762.00	37.00	48263	225.00	3817.00	106	541.00	30971	14019.00
25. पश्चिम बंगाल	15010.00	198.06	13293	8501.00	4420.00	791	1055.00	22234	13862.00
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0	0.00	1	21.50
27. दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0	0.00	38	33.50
28. दमन व दीव									
29. लक्षद्वीप	1.16	0.00	0	0.00	NR	NR	0.00	NR	NR
30. पांडेचेरी	0.00	0.00	24	0.00	0.00	0	0.00	0	0.95
कुल	73869.32	2371.16	286215	33153.23	11852.35	6343	5931.80	84053	85936.47

00 शून्य/असूचित

विवरण – 4

1993–94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूल भवन	आवास स्थलों का विकास	मकानों का निर्माण	पंचायत घर	महिला मंडल	स्वच्छ शौचालय	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण	अन्य निर्माण कार्य
	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)	(सं.)
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश	1144	96	152	437	22	894	15581	44897	4949

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. अरूणाचल प्रदेश	11	0	13	5	2	0	90	120	34
3. असम	229	19	31	286	16	24	342	4475	287
4. बिहार	3936	5319	4312	1956	276	2312	41203	88960	21192
5. गोवा	1	0	0	14	0	0	0	84	45
6. गुजरात	282	0	0	24	0	43	5602	6692	1217
7. हरियाणा	256	18	7	177	5	54	1446	1552	514
8. हिमाचल प्रदेश	281	0	0	78	8	30	26	629	1085
9. जम्मू और कश्मीर	10	0	10	4	0	12	495	183	516
10. कर्नाटक	1515	99	3781	153	270	788	2979	5063	13091
11. केरल	70	0	6671	0	0	9447	3064	4827	3299
12. मध्यप्रदेश	1404	716	2936	238	415	237	29763	48108	21670
13. महाराष्ट्र	2841	3	78	1346	88	1476	5284	18870	23937
14. मणिपुर	755	11	24	48	38	28	476	94	194
15. मेघालय	118	6	31	68	0	0	594	302	276
16. मिजोरम	41	74	46	293	0	0	668	206	667
17. नागालैंड	94	0	0	0	0	0	1213	1278	463
18. उड़ीसा	2738	134	2010	331	44	8	21324	10588	5008

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19. पंजाब							0	2739	
20. राजस्थान	1251	84	446	148	162	317	4844	19958	6144
21. सिक्किम	39	0	26	17	0	9	66	142	251
22. तमिलनाडु	818	0	0	675	0	0	4073	33758	10331
23. त्रिपुरा	77	45	138	25	0	358	2548	636	3200
24. उत्तर प्रदेश	964	112	11829	183	6	257	1523	46518	15008
25. पश्चिम बंगाल	4682	210	2440	1199	510	2906	2579	13389	7958
26. अण्ड. निको. द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	8	21	45
27. दादर व नागर हवेली	6	0	0	0	0	0	21	60	16
28. दमन व दीव								0	0
29. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. पांडेचेरी	0	0	0	0	0	0	5	48	2
कुल	23564	7018	34981	7705	1862	19200	145817	354197	141399

00 शून्य/असूचित

विवरण-V

1991-92 से 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	698.88	680.41	659.76	677.93	1025.61	1028.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.47	6.57	10.01	6.52	10.01	4.85
3.	असम	100.94	124.02	119.72	109.72	228.90	278.24
4.	बिहार	893.77	847.68	937.94	1036.16	1467.71	1474.25
5.	गोवा	10.96	9.56	8.36	8.12	10.12	8.53
6.	गुजरात	244.25	254.13	236.73	235.03	211.40	232.64
7.	हरियाणा	37.67	37.49	33.71	32.63	38.64	33.29
8.	हिमाचल प्रदेश	30.47	34.16	29.77	26.16	33.73	34.54
9.	जम्मू व कश्मीर	95.88	60.37	62.87	43.01	72.75	31.04
10.	कर्नाटक	418.36	401.64	441.08	418.29	718.01	651.30
11.	केरल	138.98	177.08	138.63	134.54	113.47	120.43
12.	मध्य प्रदेश	812.43	945.39	643.77	709.66	766.00	769.25
13.	महाराष्ट्र	654.72	771.64	838.77	823.53	1378.27	1188.50
14.	मणीपुर	3.87	5.11	9.84	5.23	14.84	6.68
15.	मेघालय	23.07	12.02	11.61	8.90	16.89	9.55
16.	मिजोरम	3.71	5.95	4.37	4.78	5.24	6.32
17.	नागालैंड	21.71	27.92	20.74	15.47	14.74	16.02
18.	उड़ीसा	300.09	348.86	306.52	326.39	557.70	522.96
19.	पंजाब	29.42	19.76	24.67	31.78	29.93	38.57
20.	राजस्थान	242.64	387.63	340.62	339.09	426.66	450.37
21.	सिक्किम	9.58	13.62	6.66	13.42	8.19	10.14

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	521.03	831.73	671.94	767.86	853.62	581.10
23.	त्रिपुरा	19.02	20.71	18.10	13.94	22.04	23.41
24.	उत्तर प्रदेश	1472.69	1562.14	1389.00	1496.29	1779.57	1791.16
25.	पश्चिम बंगाल	544.08	491.99	557.24	525.55	563.81	533.56
26.	अण्ड. निको. द्वीपसमूह	2.68	2.18	4.47	1.71	3.27	1.81
27.	दादर व नगर हवेली	3.51	3.94	3.55	2.70	2.73	2.34
28.	दमन व दीव	1.45	0.88	1.63	0.12	1.63	0.59
29.	लक्षद्वीप	2.64	2.23	2.55	2.68	2.62	2.21
30.	पांडेचेरी	3.37	5.20	3.32	3.81	5.16	4.27
	कुल :	7354.35	8092.01	7537.95	7821.02	10383.26	10156.82

* गहन जवाहर रोजगार योजना सहित।

नई औषध नीति

*** 328. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्री शरद पटनायक :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिर-प्रतीक्षित नई औषध नीति की घोषणा फिर स्थगित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में कुछ ऐसे दिशा निर्देश/मानदंड बताये हैं जिन पर नई औषध नीति आधारित होनी चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) नई औषध नीति किस तारीख को घोषित की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) उपयुक्त जांच के बाद औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा अग्रिम अवस्था में है और इस सम्बन्ध में निर्णयों को अन्तिम रूप देने के बाद अपेक्षित संशोधनों की घोषणा की जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम का सिंदरी एकक

***329. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक की क्या उपलब्धियां रहीं ;

(ख) इन वर्षों के दौरान मदवार इस एकक की उत्पादन क्षमता कितनी थी और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ तथा कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया और क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस एकक को रूगण कब घोषित किया गया था और इस एकक का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को कब सौंपा गया था ; और

(घ) इस एकक को पुनः अर्थक्षम बनाने हेतु भारतीय उर्वरक निगम ने कौन-कौन से प्रस्ताव और योजनाएं तैयार की हैं तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिन्दरी एकक की स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन/क्षमता उपयोगिता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

(उत्पादन 000 मी. टन में)

मद	वार्षिक स्थापित क्षमता	वर्षवार उत्पादन और क्षमता उपयोगिता					
		1991-92		1992-93		1993-94	
		उत्पादन	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत	उत्पादन	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत	उत्पादन	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
अमोनियम	297.0	163.2	54.9	205.2	69.1	186.8	62.9
यूरिया	330.0	225.6	68.3	295.5	89.6	244.1	74.0
*अमोनियम सल्फेट	320.0	8.7	2.7	0.2	0.1	0.0	0.0
अमोनियम नाईट्रेट	9.0	15.8	176.0	18.9	210.0	18.1	201.0
निट्रिक एसिड अमोनियम बाई-कार्बोनेट	3.0	3.4	111.7	3.9	128.3	3.7	122.7
कोक	111.7	110.1	98.6	87.1	78.0	109.9	98.4

(* अलाभकर प्रचालनों के कारण मार्च, 1992 से बन्द है।)

निम्न क्षमता उपयोगिता के मुख्य कारण संयंत्रों के पुरानेपन के कारण उपस्कर समस्याएं तथा वित्तीय प्रतिबन्ध हैं जिन्होंने निवेशों की प्राप्ति तथा समय पर नवीकरण और प्रतिस्थापन करने को प्रभावित किया।

(ग) और (घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के बोर्ड ने कम्पनी को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन (बी आई एफ आर) को निर्दिष्ट किया। बी आई एफ आर ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 6.11.1992 को उनके सिन्दरी एकक सहित रूग्ण कम्पनी घोषित किया।

सिन्दरी एकक के पुनरूद्धार और उसे पुनः चालू करने के लिए फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के बोर्ड ने अन्य वित्तीय राहतों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी अनुमानित लागत 152 करोड़ रुपए (जनवरी, 1993 मूल्य) थी। इस बीच 14.7.1994 को हुई सुनवाई में, बी आई एफ आर ने परिचालन अभिकरण अर्थात् भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई सी आई सी आई) को निदेश दिया कि तकनीकी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक लाभप्रदता के दृष्टिकोण से फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के विभिन्न एककों के पुनर्वास के लिए सभी विकल्पों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाए। सिन्दरी एकक को पुनः चालू करने के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय बी आई एफ आर जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम

***330. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए मंजूर किये गये संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये परियोजनायें किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं ;

(ग) ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित नहीं हैं। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) संयुक्त उद्यमों में विदेशी निवेश को अनुमोदित करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्तावों को एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किया गया है। एक संयुक्त उद्यम भारत में सौर, पवन आदि जैसी वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सन् सोरसिस केनन एनर्जी लि., भारत और केनन पावर कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। दूसरा संयुक्त उद्यम भारत में

प्रकाशवोल्टीय, सेमीकन्डक्टर्स, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए की लागत पर ओईपेक्स सर्विसेज (इण्डिया) प्रा.लि. और रूस की मैसर्स ओईपेक्स के बीच है। तीसरा संयुक्त उद्यम कुल 2000 लाख रुपए की परियोजना लागत पर प्रकाश वोल्टीय चार्जिंग द्वारा अनुपूरित बैटिरियों द्वारा चालित सौर यात्री परिवहन गाड़ियों के विनिर्माण के लिए पियरलेस डिवलपर्स लि., कलकत्ता और मैसर्स फ्रेजर नेश रिसर्च लि., यू.के. के बीच है। अन्य कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित इन तीन परियोजनाओं में से किसी ने भी अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।

[अनुवाद]

पूर्वी राज्यों में अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया पूंजी निवेश

1331-dqekjh fÝMkr lsu% क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई उदारीकरण नीति की घोषणा के बाद उड़ीसा सहित पूर्वी राज्यों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी धनराशि का पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में विपणन और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण अनिवासी भारतीयों ने वहां पर कम पूंजी निवेश किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति, 1991 के बाद पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उद्योगों की स्थापना के लिए 30 जून, 1994 तक 18 प्रस्तावों को सरकार का अनुमोदन मिला है, जिनमें 318.56 करोड़ रुपए का अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुदूर संवेदी परियोजनाएं

***332. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितनी सुदूर संवेदी परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी है ;

(ख) इन परियोजनाओं से कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं और इन लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश के सुदूरवर्ती गांवों को इन परियोजनेओं के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) केन्द्रीय और राज्य

सरकार के प्रयोक्ता विभागों के समन्वय से अन्तरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन.आर.एम.एस.) के अन्तर्गत देश में अनेक सुदूर संवेदन उपयोग परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है। राज्यवार आयोजित परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं से लाभान्वित क्षेत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं : -

राष्ट्रीय परती भूमि मानचित्रण

सभी राज्यों में फैले हुए 237 चुने हुए जिलों के लिए ग्रामीण स्तर पर परती भूमि की किस्म और मात्रा का निर्धारण करते हुए मानचित्र तैयार किए गए हैं। इन मानचित्रों को परती भूमि को उर्वरक बनाने के उपाय करने के लिए परती भूमि विकास विभाग और जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है।

भूमि उपयोग/भू-आवरण मानचित्रण

सभी राज्यों के लिए 1:250,000 के पैमाने पर भूमि उपयोग/भू-आवरण के लिए राष्ट्रव्यापी मानचित्रण किया गया। ये आंकड़े कृषि जलवायवी आधारित क्षेत्रीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग को प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन

सम्भाव्य भूमिजल के सम्भावित क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सभी राज्यों के लिए जल-भू-आकृति विज्ञानीय मानचित्र तैयार किए गए हैं। इन मानचित्रों का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों के जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों तथा राज्यों के भूमि जल विभागों द्वारा समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए पेय जल स्रोत्रों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।

कृषि सूखा मानीटरन

उपग्रह आधारित वनस्पति सूचक आंकड़ों का उपयोग करते हुए 10 सूखा ग्रस्त राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब) के लिए जिला स्तर पर कृषि सूखे के आकलन और मॉनीटरन के लिए सूखा रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। यह सूचना उपयुक्त सहायता संबंधी उपाय करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, राज्यों के कृषि विभागों और जिला प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है।

वन आवरण मानचित्रण

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए वन क्षेत्र के परिवर्तनों का पता लगाने के लिए बहु-तिथि वाले उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों के आधार पर वन क्षेत्र का द्विवार्षिक मानचित्रण किया जा रहा है। ये मानचित्र वनों की स्थिति पर सूचना प्रदान करने के साथ-साथ वनारोपण और कृषि-वानिकी के लिए क्षेत्रों के निर्धारण में सहायता करते हैं।

फसल का एकड़वार और उत्पादन का आकलन

देश के प्रमुख भागों को आवृत्त करते हुए प्रमुख फसलों के लिए फसल के एकड़वार और उत्पादन के पूर्वानुमान के संबंध में उपग्रह-सुदूर संवेदन आधारित अनुमानों को कृषि और सहकारिता विभाग तथा राज्यों के

कृषि विभागों को प्रदान किया जा रहा है। यह परियोजना 11 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम) के लिए गेहूं, चावल और ज्वार के लिए, 9 राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा) में तिलहनों के लिए तथा 5 राज्यों (महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात और पंजाब) में कपास की फसलों के लिए सूचना प्रदान करती है। फसल से संबंधित ये आंकड़े कृषि के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाते हैं।

बाढ़ मानचित्रण

उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए सभी प्रमुख नदी बेसिनों के लिए क्षति का आकलन और बाढ़ क्षेत्रों का लगभग वास्तविक काल में मानचित्रण किया जा रहा है। यह सूचना बाढ़ नियंत्रण/सहायता संबंधी उपायों को करने के लिए बाढ़ नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय जल आयोग और राज्यों के सिंचाई विभागों को प्रदान की जा रही है। इसमें असम, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी बेसिनों को आवृत्त किया गया है।

प्रोजेक्ट वसुन्धरा

तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को आवृत्त करते हुए भारतीय प्रायःद्वीप के लिए उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए खनिजों की खोज की जा रही है। भरतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा आगामी खनिज पूर्वानुमान अध्ययनों के लिए इस आंकड़ा आधार का उपयोग किया जा रहा है।

महासागर संसाधन

सम्पूर्ण देश के लिए तटीय जोन मानचित्र तैयार किए गए हैं, और इस सम्बन्ध में महासागर विकास विभाग और राज्य सरकारों को सूचना प्रदान की गई है। ये मानचित्र नम-भूमि, नदी मुहानों की स्थिति और जल कृषि के लिए सम्भावित स्थलों के निर्धारण के बारे में सूचना प्रदान करते हैं।

समुद्री संसाधन

उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए मत्स्य भंडार के सम्भावित चार्टों को तैयार किया जा रहा है, और इन्हें सभी समुद्रवर्ती राज्यों के मत्स्य विभागों, भारतीय मत्स्य उद्योग सर्वेक्षण विभाग और मछुआरों की सहकारी समितियों को मत्स्य पकड़ने की स्थिति में सुधार के लिए प्रदान किया जाता है।

कमाण्ड क्षेत्र विकास

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्रप्रदेश में प्रमुख कमाण्ड क्षेत्रों में फसलों/सिंचाई की स्थिति में मॉनीटरन के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। यह सूचना सिंचाई के लिए जल के इष्टतमी प्रयोग की दिशा में कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारियों, केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय को प्रदान की जा रही है।

लवणीय/क्षारीय मृदाओं का मानचित्रण

उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए सभी राज्यों के लिए लवणीय/क्षारीय मृदाओं का मानचित्रण और

लवण प्रभावित भूमि की विभिन्न किस्मों के क्षेत्रों का आकलन का कार्य 1:250,000 के पैमाने पर किया गया, ताकि सुधारात्मक उपाय किया जा सकें।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

पर्यावरण पर खनन, सुपर तापीय पॉवर स्टेशनों, उद्योगों और शहरीकरण के प्रभाव के आकलन के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इसमें जो विशिष्ट क्षेत्र शामिल किए गए हैं, उनमें कर्नाटक में कुद्रेमुख लोह-अयस्क खनन, गोवा में खनन, मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर तापीय पॉवर स्टेशन, झरिया (बिहार) में कोयला खनन, कर्नाटक में रसायन उद्योग तथा यमुना के लिए नदी प्रदूषण आकलन शामिल हैं।

दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन

दीर्घकालीन विकास हेतु समेकित मिशन (आई.एम.एस.डी.) के अन्तर्गत अन्तरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों से व्युत्पन्न विविध प्राकृतिक संसाधनों पर थिमेटिक सूचना के समाकलन के आधार पर सभी राज्यों में कुछ चुने हुए जिलों के लिए माइक्रो-स्तर पर स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। स्थानिक-विशिष्ट की कार्ययोजनाएं वस्तुतः माइक्रो-स्तर पर दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने के लिए इष्टतमी भूमि और जल प्रबन्ध पद्धतियों के उपयोग की सिफारिश करती है।

(ग) सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करते हुए विविध कार्यक्रमों का वास्तविक उद्देश्य देश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है। दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई.एम.एस.डी.) के अन्तर्गत स्थानिक विशिष्ट की कार्ययोजनाओं में जलकृषि के लिए स्थलों का चयन, वनारोपण, कृषि वानिकी, कृषि बागवानी, ईंधन की लकड़ी और चारा विकास के साथ-साथ मृदा और जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं। सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य प्राधिकारियों द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी चल रही विकासात्मक योजनाओं के साथ उपयुक्त समाकलन द्वारा इन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

***333. श्री एस.बी. सिदनाल :**

श्री सुधीर सावंत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए, राज्यवार, कितनी धनराशि आबंटित की ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार क्या उपलब्धियां हुई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (घ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान निधियों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु मांगी गई अतिरिक्त निधियां नीचे दर्शायी गई हैं : -

(लाख रुपए में)

क्रम.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1993-94 के लिए आबंटित निधियां	मांगी गई अतिरिक्त राशि
1.	गोवा	12.94	20.00
2.	हरियाणा	25.52	1500.00
3.	हिमाचल प्रदेश	26.28	345.00
4.	महाराष्ट्र	201.80	420.68
5.	पंजाब	25.96	482.00
6.	राजस्थान	94.86	120.00
7.	तमिलनाडु	166.82	269.00
8.	उत्तर प्रदेश	391.43	3287.82
9.	आंध्र प्रदेश	157.48	175.48
10.	जम्मू व कश्मीर	34.65	100.00
11.	मध्य प्रदेश	184.16	189.77
	कुल	310.90	6859.75

कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

विवरण -I

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के लिए किए गए आवंटन को दर्शानेवाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1993-94 के लिए आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	157.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.25
	असम	57.47
4.	बिहार	279.79
5.	गोवा	1.94
6.	गुजरात	71.01
7.	हरियाणा	25.52
8.	हिमाचल प्रदेश	26.28
9.	जम्मू व कश्मीर	34.65
10.	कर्नाटक	127.78
11.	केरल	97.20
12.	मध्य प्रदेश	184.16
13.	महाराष्ट्र	201.80
14.	मणिपुर	7.47
15.	मेघालय	8.03
16.	मिजोरम	2.16
17.	नागालैंड	5.58
18.	उड़ीसा	110.54
19.	पंजाब	25.96

1	2	3
20.	राजस्थान	94.86
21.	सिक्किम	2.09
22.	तमिलनाडु	166.82
23.	त्रिपुरा	11.30
24.	उत्तर प्रदेश	391.43
25.	पश्चिम बंगाल	151.29
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.40
27.	दमन व दीव	0.11
28.	लक्षद्वीप	0.62
29.	पॉडिचेरी	0.61
30.	दिल्ली	1.62
31.	चंडीगढ़	0.11
32.	दादर व नगर हवेली	0.27
		2250.00
33.	कापार्ट	750.00
		3000.00

नोट : जब कभी आबंटन इस राशि से कम था 5 लाख रुपए को केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया था।

विवरण -II

आठवीं योजना के दौरान प्राप्त भौतिक उपलब्धियों (निर्मित शौचालयों की संख्या) को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/सं. शासित क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95	
	के.ग्रा. स्व. कार्य	न्यू. अवि. कार्य.	कुल	के.ग्रा. स्व. कार्य	न्यू. अवि. कार्य	कुल	के.ग्रा. स्व. कार्य	न्यू आव. कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. आंध्र प्रदेश	3564	6015	9579	6551	6551	13102	22052	
2. अरुणाचल प्रदेश	0	400	400	0	545	545	0	
3. असम	0	20	20	276	678	954	267	
4. बिहार	0	0	0	1701	2621	4322	4269	
5. गोवा	119	1429	1548	16	1427	1443	185	
6. गुजरात	0	13502	13502	4621	10600	65221	6060	
7. हरियाणा	21531	86126	107657	13401	39350	52751	6982	
8. हिमा. प्रदेश	61	65588	65649	4154	63876	68030	1557	
9. जम्मू व कश्मीर	0	9092	9092	1140	7472	8612	1552	
10. कर्नाटक	922	3280	4202	2259	4153	6412	2332	
11. केरल	2168	0	2168	7868	6858	14726	3309	
12. मध्य प्रदेश	0	69	69	12378	5643	18021	887	
13. महाराष्ट्र	2472	2321	4793	0	1093	1093	0	
14. मणिपुर	20	2299	2391	500	1503	2003	184	
15. मेघालय	0	1132	1132	0	1048	1048	146	
16. मिजोरम		0	0	0	0	0		
17. नागालैंड	161	0	161	69	179	248	0	
18. उड़ीसा	1461	431	1892	0	550	550	104	

1	2	3	4	5	6	7	8
19. पंजाब	0	2156	2156	2274	4301	6575	140
20. राजस्थान	0	12430	12430	6477	6477	12954	151
21. सिक्किम	333	210	543	250	200	450	0
22. तमिलनाडु	2500	2500	5000	900	900	1800	291
23. त्रिपुरा	0	622	622	276	795	1071	185
24. उत्तर प्रदेश	0	69590	69590	43858	5993	49851	6500
25. पश्चिम बंगाल				9695	9695	19930	6790
26. अण्ड. निका. द्वीप	456	333	789	0	456	456	92
27. चण्डीगढ़				13	0	13	0
28. दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
29. दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0
30. दिल्ली	0	0	0	10	0	10	10
31. लक्षद्वीप	0	0	0	10	0	10	18
32. पांडिचेरी				140	31	171	0
33. कापार्ट	12760	0	12760	30051		30051	
अखिल भारत	48528	279545	328073	148878	182995	331873	64053

[हिन्दी]

20 सूत्री कार्यक्रम

***334. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री बलराम झाखी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार का इस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन मासिक प्रबोधन के लिए निर्धारित की गई मदों का वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अखिल भारतीय निष्पादन, लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण देखने से पता चलता है कि वर्ष 1993-94 के दौरान लक्ष्य के संदर्भ में संचयी उपलब्धि 21 मदों में "बहुत अच्छी" (90 प्रतिशत और अधिक कार्यनिष्पादन), 3 मदों के लिए "अच्छी" (80-90 प्रतिशत कार्य निष्पादन) तथा 3 मदों के लिए कम (80 प्रतिशत से कम निष्पादन) रही। वर्ष 1992-93 के दौरान लक्ष्य के संदर्भ में संचयी उपलब्धि 19 मदों के लिए "बहुत अच्छी", 3 मदों के लिए "अच्छी" तथा 5 मदों के लिए "कम" रही तथा शेष एक मद अर्थात् "उपकेन्द्र" के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, देश में 20 सूत्री कार्यक्रम की गति धीमी नहीं है।

कार्यक्रम के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन जो कि एक सतत प्रक्रिया है, के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रगति का प्रबोधन करता है जिसमें (क) मासिक प्रगति रिपोर्ट, (ख) कैप्सूल, रिपोर्ट, तथा (ग) छमाही रिपोर्ट शामिल हैं। विभाग द्वारा प्रबोधित 119 मदों में से 65 मदों का प्रबोधन परिमाणात्मक आधार पर तथा 54 मदों का प्रबोधन गुणात्मक आधार पर किया जाता है। परिमाणात्मक रूप से प्रबोधित 65 मदों में से केवल 28 मदें मासिक प्रबोधन के लिए रखी गई हैं। 28 मदों के संबंध में आंकड़े राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं तथा उन्हें मासिक प्रगति रिपोर्ट के लिए संकलित किया जाता है। छमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए केन्द्रीय विभाग/मंत्रालय स्तर पर केन्द्रक अधिकारी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र करने का समन्वय कार्य करते हैं तथा इसे छमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भेजते हैं। इस दिशा में अधिकारियों के क्षेत्र दौरों द्वारा तथा उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबोधन की क्षेत्रीय अधिकारनी योजना" के साथ जोड़कर प्रयासों को और अधिक गहन बनाया गया है। गुणवत्ता, समयबद्धता तथा लक्ष्यों की उचित उपलब्धि के विशेष संदर्भ में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

विवरण

अखिल भारतीय निष्पादन : लक्ष्य तथा उपलब्धि : 1993-94 तथा 1992-93

क्र. सं.	सूत्र सं.	मद	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि		प्रतिशत उपलब्धि	
				वार्षिक 1992-93	वार्षिक 1993-94	वार्षिक 1992-93	वार्षिक 1993-94	वार्षिक 1992-93	वार्षिक 1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	000 सं.	1875.1	2570.0	2066.9	2627.3	110	102
2.	1 ख	जवाहर रोजगार योजना	लाख श्रम दिवस	7537.9	10521.0	7463.2	9671.5	99	92
3.	1 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजी.)	000 सं.	140.3	148.2	172.2	172.1	123	116
4.	5क	फालतू भूमि का वितरण	000 एकड़	150.7	598.6	109.5	70.9	73	12
5.	6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	2297	2179	3424	2497	149	115
6.	7 क	पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	33453	40187	33618	35730	100	89
7.	8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं.	259	164	97	71	37	43
8.	8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं.	759	640	314	174	41	27
9.	8ग	उपकेन्द्र	संख्या	–	30.0	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	8 घ	बाल प्रतिरक्षण	लाख सं.	242.9	247.9	216.4	222.2	89	90
11.	9 क	परिवार नियोजन नसबंदी	हजार सं.	5224.6	5129.6	4182.7	4372.0	80	85
12.	9 ख	समतुल्य नसबंदी	000 सं.	2961.6	3475.2	2199.5	2792.5	74	80
13.	9 ग	ए.बा.वि.सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	2595	2760	2601	2766	100	100
14.	9 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	000 सं.	282.8	299.8	274.0	278.4	97	93
15.	11क	सहायता प्राप्त अनु.जाति के परिवार	000 सं.	2595.5	2524.8	1995.8	2323.7	77	92
16.	11 ख	सहायता प्राप्त अनु. जन जाति के परिवार	000 संख्या	895.8	900.0	856.8	1024.8	96	114
17.	14 क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	000 सं.	601.4	599.7	891.0	920.6	148	154
18.	14 ख	निर्माण सहायता (परि.)	000 सं.	330.3	322.0	399.9	441.1	121	137
19.	14 ग	इंदिरा आवास योजना- अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए (मकान)	000सं.	117.1	284.4	187.3	360.1	160	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	000 सं.	115.1	83.6	123.9	123.1	108	147
21.	14 ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	000 सं.	52.9	45.2	54.1	59.7	102	132
22.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	000 सं.	1177.7	1318.0	1193.9	1301.0	101	99
23. (1)	16 क	वृक्षारोपण	लाख सं.	14500.0	13509.0	14512.2	12694.2	100	94
23 (2)	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र	000 हेक्टे.	1064.0	1165.3	1021.2	975.2	96	84
24.	18	खोली गई उचित दर दुकानें	संख्या	1512	1666	4208	2220	278	133
25.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	4240	3218	3726	3337	88	104
26.	19 ख	शक्तिचालित पम्प सैट	000 सं.	256.7	275.4	424.4	428.8	165	156
27.	19 ग	उन्नत चूल्हें	000 सं.	1625.0	2214.0	1758.3	2260.1	108	102
28.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	000 सं.	114.4	139.2	156.7	181.4	137	130

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

* **335. श्री राम निहोर राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा संस्तुत उद्योगों की स्थापना के प्रस्तावों/परियोजनाओं में विलंब हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक इन परियोजनाओं का समय पर वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं कि बैंकों द्वारा ऐसे प्रस्तावों/परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटाया जाए ; और

(घ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्य वित्त निगमों द्वारा किया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) सरकार इस समस्या को जानती है। वर्ष 1977 से पहले प्रमाणीकृत खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थानों और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को ऋण व अनुदान बजट अनुदानों से दिये जाते थे। किन्तु एक ओर तो इन संस्थानों और राज्य बोर्डों की वित्तीय आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती रहीं तथा दूसरी ओर बजट संबंधी अड़चनें भी थीं, इस स्थिति को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि इन संस्थानों को अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क करना चाहिए। तदनुसार भारत सरकार ने ब्याज राजसहायता योजना चालू की थी।

(घ) आजकल आयोग द्वारा इन संस्थानों को ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं और इन प्रमाण पत्रों के आधार पर वे बैंक ऋण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क करते हैं। इनमें से कुछ बैंकों ने इन प्रमाण पत्रों को नहीं माना है और ऋण देने की काफी देर लगा दी है। इन ऋणों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत है और सामान्य बैंक ब्याज दर तथा राजसहायता वाली ब्याज दर के बीच के अंतर का भुगतान इस विभाग द्वारा अनुदान देकर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।

सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है और खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) की बैठक में इस पर चर्चा भी की गयी थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। एच पी सी के निर्देशों के आधार पर इस मामले की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उप-समिति नियुक्त की थी। इस उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई 1994 के अपने पत्र सं. पी आई-एन एफ सी-ई सी-16/06706-12/94-95 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे ब्याज राजसहायता प्रमाण पत्रों को मानें और खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में ऋण दें चाहे उनका परिचालन आकार और स्थापना स्थल कुछ भी हो।

(घ) ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय निगमों से संपर्क करने हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थानों पर कोई रोक नहीं है। ये संस्थान एस एफ सी की वित्तीय के अधीन भी आते हैं।

[अनुवाद]

उद्योगों का विकास

***336. श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति लागू करने के पश्चात कुछ उद्योग क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनके धीमें विकास के क्या कारण है ; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र ने 1993-94 में 3.0 प्रतिशत का समग्र विकास दर्ज किया है। उद्योग के 3 बड़े क्षेत्र जैसे कि खनन तथा उत्खनन, विद्युत तथा विनिर्माण क्षेत्रों ने क्रमशः 2.5 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत का सकारात्मक विकास दर्ज किया है।

(ग) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने सामान्यतया मांग संबंधी बाधाओं, सख्त ऋण नीति और 1991 में भुगतान संतुलन के घोर संकट को ध्यान में रखते हुए अपनाये गये स्थिरीकरण उपायों के अल्पकालिक प्रभाव के कारण सामान्य विकास दर दर्ज की है।

(घ) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति में किए गये नीतिगत उपायों, व्यापार नीति तथा बाद में बजट में घोषित सहायक वित्ताय व आर्थिक उपायों का लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन में तीव्र विकास करना हैं।

[हिन्दी]

कृषि विकास

***337. श्री एन.बे. राठवा :**

श्री प्रवीन डेका :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि विकास के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) राज्य सरकारों ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्वान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों, राज्यवार के लिए आबंटन के संबंध में विवरण संलग्न है। परिशिष्ट वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 के लिए अनुमोदित संशोधित परिव्ययों के वास्तविक व्यय को राज्यवार भी दर्शाता है।

(ग) से (ड.) किसी भी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कृषि विज्ञान हेतु अतिरिक्त निधियों की मांग नहीं की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1992-93		1993-94	
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	41.23	57.64	59.87	59.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	34.66	32.70	39.60	35.52
3.	असम	133.31	74.45	139.33	100.95
4.	बिहार	150.37	71.53	158.02	38.34
5.	गोआ	10.73	9.77	11.26	10.76
6.	गुजरात	126.26	126.23	126.26	110.54
7.	हरियाणा	71.26	70.40	75.83	66.91
8.	हिमाचल प्रदेश	86.60	84.06	93.58	84.45
9.	जम्मू और कश्मीर	80.86	78.62	91.90	85.64
10.	कर्नाटक	152.02	137.12	213.03	209.26
11.	केरल	154.55	123.57	161.30	164.51
12.	मध्य प्रदेश	188.45	137.75	181.64	167.29
13.	महाराष्ट्र	256.50	193.53	343.31	282.76
14.	मणिपुर	21.47	20.93	23.60	18.05

15.	मेघालय	37.56	34.26	44.74	43.59
16.	मिजोरम	22.48	21.75	26.27	23.67
17.	नागालैंड	22.40	8.60	23.60	16.99
18.	उड़ीसा	161.42	131.29	137.87	100.19
19.	पंजाब	96.45	53.74	82.64	77.66
20.	राजस्थान	171.20	128.24	182.15	166.13
21.	सिक्किम	13.30	13.91	14.32	12.88
22.	तमिलनाडु	215.67	260.36	237.39	241.59
23.	त्रिपुरा	68.85	39.58	62 90	28.45
24.	उत्तर प्रदेश	377.51	300.18	312.94	253.52
25.	पश्चिम बंगाल	89.72	42.04	67.48	54.60

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा के लिए कृतिक बल

*338. **प्रो. डम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ शिक्षा हेतु मोड्यूल्स तैयार करने और साक्षरता के बाद अभियान चलाने के लिए कोई कृतिक बल बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इसमें शामिल किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :

दूरस्थ शिक्षा के लिए कृतिक बल

(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीण लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए दूरस्थ शिक्षा हेतु मोड्यूल्स तैयार करने और साक्षरता के बाद अभियान चलाने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साक्षरता मिशन से परामर्श करके एक कृतिक बल का गठन किया है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। मोड्यूल्स में

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में अधिकाधिक जागरूकता सृजित होने की संभावना है ताकि उन्हें अपनी शक्तियों और उत्तरदायित्वों तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिल सकें।

(ग) और (घ) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 और इसके पश्चात राज्य कानूनों में परिवर्तनों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीविकरण के संदर्भ में मंत्रालय ने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारियों में जागरूकता सृजन को बढ़ावा देने तथा उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनेक प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां आरम्भ की हैं। दूरस्थ शिक्षा और साक्षरता के बाद अभियान की दिशा में मंत्रालय के प्रयास इस समग्र पहल का ही हिस्सा हैं। एक बार मोड्यूल्स तैयार हो जाने के बाद राज्य सरकारों को आपसी चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पंचायतों के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की 3 जुलाई, 1993 को हुई बैठक में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस बात पर बल दिया था कि पंचायत प्रणाली के बारे में सूचना और जानकारी का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के लिए सामग्री को स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाए और इसके व्यापक वितरण के प्रबंध किए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर पंचायत प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए बैठकें 'संगोष्ठियों' सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाए। पंचायती राज प्रणाली में शामिल सभी कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को भी स्वीकारा गया और उसकी सिफारिश की गई थी। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्मेलन

***339. श्री रवि राय :**

श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने रूग्ण एककों को पुनः चालू करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कोई सम्मेलन बुलाया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गईं : और

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन इन उपक्रमों की समस्याओं व संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 20 जुलाई, 1994 को आयोजित किया गया था। पुनर्गठन, आधुनिकीकरण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन कार्यनीति, परिवर्तन व जनशक्ति के प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों जैसे विभिन्न पहलुओं पर इस सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सहभागियों द्वारा रूग्ण एककों के पुनरुद्धार के संबंध में की गई सिफारिशों में, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना व ब्याज-दर में रियायत शामिल थी।

(घ) निर्णय, सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक रूग्ण उपक्रम के मामले के गुणावगुण व परिस्थितियों के आधार पर लिए जाएंगे।

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

***340. श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धियां रहीं ; और

(ग) इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की गई ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये हैं : -

(1) मानव संसाधन विकास,

(2) उत्पाद विकास

(3) रिसर्च तथा विकास

(4) सहायता सेवाएं

(5) प्रदूषण नियंत्रण, और

(6) निर्यात संवर्धन।

(ख) राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम का जून, 1992 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अवधि 4 साल है। निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन अब तक दी गई कुल सहायता यू.एन.डी.पी. अंशदान से 2.20 मिलियन अमरीकी डालर और भाग लेने वाली प्रतिपक्ष की संस्थाओं द्वारा धन देने से 100 मिलियन रुपये आंकी जाती है।

विवरण

लक्ष्य और उत्पादन - डिलीवरी की स्थिति

30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार

उत्पादन	विवरण	पूरा होने की लक्ष्य की तारीख	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	उद्देश्य : मानव संसाधन विकास (एच आर)			
1.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सीएफटीसी आगरा में	मई, 1993	अक्तूबर, 1993	
2.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सीएफओसी मद्रास में	मई, 1993	अक्तूबर, 1993	
3.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सीएलआरआई मद्रास	मई, 1993	सितंबर, 1993	
4.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, एफडीडीआई नोएडा, उ.प्र.	मई, 1993	अगस्त, 1993	
5.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आईआई एलपी मद्रास	मई, 1993	अगस्त, 1993	
6.	फुटवीयर प्रचालक प्रशिक्षण केन्द्र देवास	अक्तूबर, 1992	अक्तूबर, 1992	
7.	फुटवीयर प्रचालक प्रशिक्षण केन्द्र अम्बूर	मार्च, 1993	फरवरी, 1993	
8.	फुटवीयर प्रचालक प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली	सितंबर, 1993	छोड़ दिया गया	
9.	फुटवीयर प्रचालक प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई	मार्च, 1994	मार्च, 1994**	
10.	फुटवीयर मैन्यूअल और पद्धति विकास केन्द्र, एफडीडीआई, नोएडा	दिसंबर, 1995	दिसंबर, 1995	

** डिलीवरी नहीं किया गया - अनिश्चित काल के लिए स्थगित।

1	2	3	4	5
11.	चमड़ा परिधान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सीएलआरआई, मद्रास	जुलाई, 1993	सितंबर, 1993	
12.	चमड़ा परिधान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, आईआईएलपी, मद्रास	जून, 1994	जून, 1994	जुलाई, 94 तक स्थगित
13.	चमड़ा परिधान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, एनआईएफटी, नई दिल्ली	जुलाई, 1993	सितंबर, 1993	
14.	चमड़ा परिधान प्रचालक प्रशिक्षण केन्द्र, वनियमबाड़ी	अक्तूबर, 1993	जून, 1994	अक्तूबर, 94 तक स्थगित
15	चमड़ा सामान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सीएलआरआई, कलकत्ता	जुलाई, 1993	सितंबर, 1993	
16.	चमड़ा सामान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सीएलआरआई, मद्रास	जुलाई, 1993	सितंबर, 1993	
17.	चमड़ा सामान डिजाइन तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, आईआइएलपी, मद्रास	जनवरी, 1994	जून, 1994	जुलाई, 94 तक स्थगित
18.	चमड़ा सामान प्रचालक (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र, कुद्रांकुड़ी	जुलाई, 1993	जुलाई, 1993	
19.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, सीएलआरआई, मद्रास	जारी है		
20.	फुटवीयर प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, एफडीडीआई, नोएडा, उ.प्र.	अप्रैल, 1994	अगस्त, 1993	

1	2	3	4	5
21.	फुटवीयर उद्योग हेतु प्रबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, एफडीडीआई, नोएडा	अप्रैल, 1994	अप्रैल, 1994	
22.	मशीन रखरखाव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पीडीटीसी, मद्रास	जनवरी, 1993	जुलाई, 1993	
23.	फुटवीयर डिजाइन तथा पैटर्न निर्माण पाठ्यक्रम, एफडीडीआई, नोएडा	अप्रैल, 1993	फरवरी, 1993	
24.	फुटवीयर डिजाइन तथा पैटर्न निर्माण पाठ्यक्रम, सीएलआरआई, मद्रास (सीएडी)	अप्रैल, 1993	फरवरी, 1993	
25.	फुटवीयर कौशल उन्नयन केन्द्र, केवीआई सी, अम्बाला, हरियाणा में	जुलाई, 1993	जून, 94	जुलाई, 94 तक स्थगित
26.	फुटवीयर निर्माण में उद्योग प्रतिनिधियों हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण, लेम्स्टर साउथ फील्ड्स कालेज, यू.के. (सीएलई द्वारा)	अक्तूबर, 92	अक्तूबर, 92	
27.	फुटवीयर डिजाइन में उद्योग प्रतिनिधियों हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण, आर्स सुटोरिये मिलानो (सीएलई द्वारा)	अक्तूबर, 1992	अक्तूबर, 1992	
28.	फुटवीयर डिजाइन में उद्योग प्रतिनिधियों हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण, आर्स सुटोरिया मिलानो (सीएलई द्वारा)	अक्तूबर, 1993	अक्तूबर, 1993	
29.	फुटवीयर - डिजाइन तथा पैटर्न निर्माण-सीएलआई मद्रास	नवम्बर, 1994		
30.	गारमेंट-डिजाइन तथा मोड्यूल सीएलआरआई, मद्रास	नवम्बर, 1994		

1	2	3	4	5
31.	चमड़ा सामान - डिजाइनिंग तथा पैटर्न निर्माण मोड्यूल, सीएलआरआई मद्रास	नवम्बर, 1994		
32.	चमड़ा सामान-डिजाइनिंग तथा पैटर्न निर्माण मोड्यूल सीएलआरआई, मद्रास	नवम्बर, 1994		
उद्देश्य : उत्पादन विकास (पी डी)				
1.	मानकीकृत फुट मेजरमेंट एवं लास्ट सिस्टम, सीएलआरआई, मद्रास	मार्च, 1994	दिसंबर, 1994	
2.	फुटवीयर निर्माणकारी एककों को तकनीकी सहायता, एफडीडीआई, नोएडा	92-95	92-95	
3.	चमड़ा परिधान निर्माणकारी एककों को तकनीकी सहायता, एनआईएफडी, नई दिल्ली	92-95	92-95	
4.	चमड़ा सामान निर्माणकारी एककों को तकनीकी सहायता सीएलआरआई, मद्रास/कलकत्ता	अगस्त, 93	अक्तूबर, 93	
5.	फुटवीयर संघटक निर्माणकारी एककों को तकनीकी सहायता एफडीडीआई, नोएडा, उ.प्र.	92-95	92-95	
6.	फुटवीयर हेतु सीएडी सेवाएं एफडीडीआई, नोएडा	अप्रैल, 93	अप्रैल, 93	
7.	फुटवीयर हेतु सीएडी सेवाएं एफडीडीआई, नोएडा द्वारा मद्रास में	अप्रैल, 1993	सितंबर, 1993	

1	2	3	4	5
8.	फुटवीयर हेतु सीएडी सेवाएं सीएलआरआई, मद्रास	अप्रैल, 1993	फरवरी, 1993	
9.	फुटवीयर में श्रृंखला निर्माण एफडीडीआई, नोएडा	जून, 1993	सितंबर, 1993	
10.	फुटीवीयर में श्रृंखला निर्माण सीएलआरआई, मद्रास	जून, 1993	अगस्त, 1993	
11.	परिधान में श्रृंखला निर्माण सीएलई, मद्रास	जून, 1993	अप्रैल, 1994	
12.	चमड़ा सामान में श्रृंखला निर्माण सीएलई, मद्रास	जून, 1993	अप्रैल, 1994	
13.	फुटवीयर में श्रृंखला निर्माण सीएलई, मद्रास	जून, 1993	अप्रैल, 1994	
उद्देश्य : अनुसंधान और विकास				
01.	सी एल आर आई मद्रास द्वारा स्पिलिट चमड़ा उन्नयन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	दिसम्बर, 93	जनवरी, 93	अक्तूबर, 93 तक स्थगित
02.	सी एल आर आई कानपुर द्वारा साज चमड़ा प्रसंस्करण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	दिसम्बर, 93	जनवरी, 93	
03.	सी एल आर आई मद्रास द्वारा फुटवीयर तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्रों के लिए रसायनों हेतु प्रौद्योगिकी विकास	दिसम्बर, 93	दिसम्बर, 93	
04.	सी एल आर आई मद्रास द्वारा ऐनिमेटिक डिहेयरिंग एजेंटों के लिए प्रौद्योगिकी विकास तथा अपेस्केलिंग	जून, 1995	जून, 1995	
05.	सी एल आर आई मद्रास, में फुटवीयर परीक्षण प्रयोगशाला	जुलाई, 1993	नवम्बर, 1993	

1	2	3	4	5
06.	एफ डी डी आई नोएडा में फुटवीयर परीक्षण प्रयोगशाला	जुलाई, 1993	नवम्बर, 1993	
उद्देश्य : सहायता सेवाएं				
01.	पी डी टी सी मद्रास द्वारा उन्नत चुनिंदा मशीनें	दिसम्बर, 1993	जून, 1994	
02.	पी डी टी सी मद्रास द्वारा चुनिंदा सोल मेकिंग मशीनों के प्रोओटाइप का विकास	दिसम्बर, 1993	जून, 1994	अक्तूबर, 94 तक स्थगित
03.	सी एल आर आई मद्रास द्वारा सी ए डी मोल्ड डिजाइनिंग	दिसम्बर, 1994	दिसम्बर, 1994	
04	संमाधन केन्द्र, एफ डी डी आई नोएडा	मार्च 1993	सितम्बर 1993	
05.	बाजार अनुसंधान एकक, सी एल ई	मई 1993	जून 1994	
उद्देश्य : प्रदूषण नियंत्रण				
01.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामान्य बहि:स्राह, उपचार संयंत्र, कलकत्ता	दिसम्बर, 1995	दिसम्बर, 1995	
02.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलीनर प्रोसेस टेक्नोलोजी, कलकत्ता	दिसम्बर, 1995	दिसम्बर, 1995	
03.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रोम रिकवरी	दिसम्बर, 1995	दिसम्बर 1995	
04.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आइसोलेटिड टेनरीज में बहि:स्राव उपचार के लिए प्रौद्योगिकी	दिसम्बर, 1995	दिसम्बर 1995	
05.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बहि:स्राह उपचार के लिए उन्नत प्रयागशाला सुविधा	दिसम्बर, 1995	दिसम्बर 1995	

1	2	3	4	5
	उद्देश्य : निर्यात संवर्धन			
01.	सी एल ई द्वारा साख संवर्धन कार्यक्रम यू एस ए	1993	1993/94	
02.	सी एल ई द्वारा साख संवर्धन कार्यक्रम एफ आर जी/ई सी	1994	1994/95	
03.	सी एल ई द्वारा भारत में संयुक्त उद्यम संवर्धन	1993	1993/94	
04.	पी एम यू/सी एल ई/जी ओ आई द्वारा भारत में निवेश संवर्धन	93-95	93-95	
05.	पी एम यू/एफ डी डी आई/सी एल आर आई/आई आई एल पी द्वारा आइएसओ-900 अभियान	93-95	93-95	
06.	पी एम यू/सी एल आर आई द्वारा भारतीय संगोष्ठी में चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण का विकास	जून, 1993	जून, 1993	
	उद्देश्य : समन्वय			
01.	पी एम यू द्वारा संगत व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति	दिसम्बर, 1993	जुलाई, 1994	
02.	पी एम यू द्वारा चुड़ चमड़ा उद्योग में महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम	दिसम्बर, 1992	दिसम्बर, 1993	
03.	पी एम यू द्वारा उन्नत सांख्यिकी पद्धति का विकास	दिसम्बर, 1993	जून, 1994	अक्तूबर, 94 तक स्थगित
04.	पी एम यू द्वारा - संगोष्ठी में चमड़ा काम्पलेक्स का विकास	जून, 1993	जून, 1993	
05.	पी एम यू द्वारा चमड़ा उद्योग - संगोष्ठी के लिए कच्चे माल को बढ़ावा	दिसम्बर, 1992	दिसम्बर, 1992	
06.	पी एम यू द्वारा भारत संगोष्ठी में चमड़ा उद्योग के लिए रयायन	जनवरी, 1993	जनवरी, 1993	

श्रीनगर आयुध डिपो में विस्फोट

3163. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 मार्च, 1994 को श्रीनगर स्थित आयुध डिपों में हुए शक्तिशाली विस्फोट के पीछे कार्यरत शक्तियों का पता लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). घटना की जांच करने के लिए नियुक्त "विभागीय जांच अदालत" ने इस मामले की सम्पूर्ण जांच कर ली है। जांच से किसी प्रकार के हमले अथवा तोड़फोड़ की कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह विस्फोट सभवत: आकस्मिक विस्फोट के कारण हुआ था।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति

3164. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मानदण्डों की घोषणा कर दी गई है जिन पर उर्वरकों हेतु लम्बे समय से प्रतीक्षित छठी मूल्य निर्धारण नीति आधारित होनी चाहिए ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मानदण्डों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) छठी मूल्य निर्धारण अवधि के लिए प्रतिधारण मूल्य एवं राजसहायता योजना के लिए नीति मापदण्ड अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। मापदण्डों को पहले अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि यह उचित समझा गया कि उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की इंतजार की जाए। रिपोर्ट की प्राप्ति पर अन्त: मंत्रालय परामर्श किए गए। प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है'

केन्द्रीय परियोजनाओं संबंधी समिति

3166. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परियोजनाओं को समय पर लागू तथा पूरा करने के उपाय सुझाने हेतु वाणिज्य मंत्री की

अध्यक्षता में छह सदस्यों वाली मंत्रिमंडल समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस समय सरकार रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। क्योंकि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अभी निर्णय लिया जाना है, अतः इस स्थिति में विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

महानगरीय शहर

3167. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के पास उनके राज्यों के कुछ शहरों को महानगरीय शहर घोषित करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राज्य सरकारों से अपने कुछ शहरों को महानगरीय शहर घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। भारत की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूहों को महानगरीय शहर के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार, ऐसे 23 महानगरीय समूह/शहर हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजू की खेती

3168. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में वृक्षहीन परती भूमि पर काजू के बागान लगाए जाने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपलब्धि रही है :

(ग) इस कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(घ) क्या यह बागान किसानों की देख-रेख में होंगे या प्रकृति पर निर्भर होंगे, और

(ङ) पहले ही चल रही या कार्यान्वित होने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 20 अक्तूबर, 1993 को कोचीन में दक्षिणी राज्यों के एक अन्तर-मंत्रालय सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप बंजर भूमि विकास विभाग कृषि मंत्रालय और बंजर भूमि विकास विभाग की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के समन्वय द्वारा काजू वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। बंजर भूमि विकास विभाग ने 4738 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए तमिलनाडु के पांडुकुट्टाय जिले में, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम् जिले में और केरल के मालापुरम, कानौर, केसरगौंडा जिलों में तीन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं में, काजू के विकास हेतु कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रयोजित समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत काजू वृक्षारोपण घटक को वित्तीय सहायता दी गई है। घास सहित वानिकी तथा चारा प्रजातियों के रोपण को बंजर भूमि विकास विभाग की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत उगाये गये समस्त बागानों को स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग तथा भागीदारी से सुरक्षित किया जाता है। निजी भूमि पर लगाये गये बागान के संबंध में ये सुरक्षा की व्यवस्था निजी भू-स्वामियों द्वारा की जायेगी। सार्वजनिक तथा सरकारी भूमि पर बागानों की सुरक्षा पशु प्रूफ खड्डों के खोदने तथा स्थानीय समुदायों की सहायता से की जायेगी।

(ङ) कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में (1) निर्यात विशेषता के गुणों से नये पौधारोपण का विकास (2) पिछले वर्षों में लगाये गये काजू बागानों का रखरखाव (3) तीव्र कीट नाशी नियंत्रण को अपनाना (4) पुराने तथा अलाभकारी काजू बागानों का पुनरोपण तथा नवीकरण (5) व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाना। (6) क्षेत्री पौधशालाएं स्थापित करना। (7) वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। (8) काजू सेब आदि हेतु फार्म प्रक्रिया इकाई पर आधारित मॉडल का विकास।

बंजर भूमि विकास विभाग की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं माइक्रो - जलाशय स्तर की विस्तृत माइक्रो - प्लानिंग के आधार पर हैं और इसमें वनीकरण, वनवृक्ष विकास, चारगाह विकास, बागवानी विकास, मृदा एवं नमी संरक्षण, ईंधन लकड़ी बचाने के उपकरणों का वितरण आदि जैसे क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है।

दुकानों को उप-किरायेदारी पर देना

3169. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री 29, जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) के.लो.नि.वि. द्वारा बताये गये अनुसार विभिन्न मार्किटों में अनधिकृत निर्माण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। जहां तक दुकानों की उप-किरायेदारी का संबंध हैं, 14 मामलों में उप-किरायेदारी की शिकायतें मिली थी और कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात नियमानुसार आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है। इन 14 मामलों में से 3 मामलों में उप-किरायेदारी समाप्त कर दी गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	मार्किट	जहां अनधिकृत निर्माण की सूचना दी गयी थी उन मामलों की संख्या	जहां अनधिकृत निर्माण हटा दिये गये हैं उन मामलों की संख्या	जहां अनाधिकृत निर्माण अभी विद्यमान हैं उन मामलों की संख्या
1.	सैक्ट-1, आर.के.पुरम	22	16	6
2.	सैक्ट-2, आर.के.पुरम	3	1	2
3.	सैक्ट-3, आर.के.पुरम	2	–	2
4.	सैक्ट-4, आर.के.पुरम	9		9
5	पी.जी. मार्किट.	11	–	11
6.	कमला मार्किट	9	–	9
7.	नानक पुरा	23	20	3
8.	रिंग रोड	66	–	66
9.	सैक्ट-6, स्थल "डी" आर.के.पुरम (मोहन सिंह मार्किट)	23	–	23
10.	सैक्ट-12, आर.के.पुरम	9	4	5
11.	आई.एन.ए. (मोहन सिंह मार्किट)	28	–	28
12.	आई.एन.ए. मार्किट	27	4	23
13.	सैक्ट-6, आर.के.पुरम	3	–	3
14.	सैक्ट-8ए आर.के.पुरम	4	2	2

स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता

3170. **श्री राम कापसे :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वयंसेवी संगठनों को कल्याण योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उस वर्ष कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन मामलों का निपटारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो 1993-94 वित्तीय वर्ष के दौरान त्रैमासिक अवधि के समापन समय यथा जून, सितंबर, दिसंबर तथा मार्च के दौरान कितनी राशि वितरित की गई और ऐसे प्रत्येक वितरण में किन-किन गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3171. **श्री जी. गंगा रेड्डी :**

श्री के.टी. वान्डायार :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में गरीबी रेखा के बीच रह रहे अनुमानित कितने लोगों को इस रेखा के ऊपर लाया गया ; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन राज्यों में कुल कितने श्रम दिवस पैदा किए गए ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के संदर्भ में प्रमुख गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सर्जक कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपये में)

राज्य	सातवीं योजना	आठवीं योजना		
		1992-93	1993-94	1994-95
1. आंध्र प्रदेश	93929.19	28012.28	43779.84	41687.71
2. तमिलनाडु	82881.54	24932.48	34437.93	35295.94

(ख) सातवीं योजना और आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से घरेलू उपभोक्ता व्यय पर राज्यवार गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध नवीनतम अनुमान सिर्फ 1987-88 से सम्बधित है। योजना आयोग द्वारा इस आधार पर गरीबों की संख्या के संबंध में लगाए गए अनुमान 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 19.57 मिलियन तथा उसी वर्ष के दौरोन तमिलनाडु के संदर्भ में 17.69 मिलियन हैं।

(ग) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में सृजित मानव कार्य दिवसों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

	राज्य	सातवीं योजना	आठवीं योजना	
			1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	2913.43	677.93	1014.37
2.	तमिलनाडु	3537.59	767.86	892.06

बायो प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग

3172. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ऐसे बायो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों/उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; जिनका आगामी पांच वर्षों के दौरान सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित/स्थापित किए जाने के लिए चयन किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : सरकार ने ओरल पोलियो टीके का उत्पादन करने के लिए बुलन्दशहर (यू.पी) में मैसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है। कई गैर-सरकारी क्षेत्र की यूनिटों ने निम्नलिखित के उत्पादन के लिए क्षेत्रों का पता लगाया है : -

पुनर्योगज हेपाटाइटिस-बी टीका ; पुनर्योगज इटरफेरोन ; रिस्ट्रिक्शन एन्डोन्यूक्लिएस ; जैव उर्वरक ; जैवकीटनाशी ; सजावटी और बागवानी पादपों के ऊत्तक संवर्धन से उगाए गए पादपक ; संकर बीज ; किण्वन आधारित प्रतिजैविक ; कुक्कुट ; पशु और मानव टीक ; और विभिन्न बीमारियों के विरुद्ध नैदानिक।

रक्षा भूमि पर अवैध निर्माण

3173. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** 09 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2436 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कमान के अंतर्गत ''ए'' श्रेणी या श्रेणी 1 की छावनियां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में पुराने पट्टे पर चली आ रही उन छावनियों का ब्यौरा क्या है जहां बहुमंजिली इमारतों सहित अनुमोदित भवन योजना बनाई जा रही है / बनाई जा चुकी है ;

(ग) क्या सरकार को इन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के लिए भेजने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे और क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय कमान में श्रेणी - ''1'' की छावनियां इस प्रकार हैं (1) आगरा (2) इलाहाबाद (3) बबीना (4) बरेली (5) देहरादून (6) दानापुर (7) जबलपुर (8) झांसी (9) कानपुर (10) लखनऊ (11) मेरठ (12) महू (13) मोरार (14) रामगढ़ (15) रानीखेत (16) सागर (17) शाहजहांपुर (18) वाराणसी

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरारन ओल्ड ग्रान्ट और पट्टे वाली जमीन दोनों पर बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के दो मामलों सहित अनधिकृत निर्माण के कुल 3904 मामलों का पता लगाया गया था। दोषी पक्षों के विरुद्ध छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नीदरलैंड मैनेजमेंट कोआपरेशन प्रोग्राम

3174. श्री बापू हरि चौरे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सरकार द्वारा वित्त पोषित ''नीदरलैंड मैनेजमेंट को आपरेशन प्रोग्राम'' ने भारत के लघु और मध्यम उद्यमों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

3175. डा. वसंत पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ख) क्या इस संयंत्र को लेकर कर्नाटक सरकार के केन्द्रीय सरकार से कुछ मतभेद हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मतभेदों को समाप्त करने और संयंत्र की स्थापना कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जून, 1994 तक कैगा परमाणु विद्युत परियोजना पर 976.13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(ख) इस संयंत्र को लेकर भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास

3176. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कुल कितनी राशि आबंटित की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार ने कितनी राशि मांगी थी और योजना आयोग ने इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि मंजूर की ; और

(ग) मांगी गई राशि और स्वीकृत राशि में अत्यधिक अंतर होने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रति व्यक्ति तथा कुल आबंटन को नीचे दिया गया है : -

वर्ष	कुल आबंटन (लाख रुपये)	प्रति व्यक्ति (रु.)
1991-92	13336	20.1
1992-93	13347	20.1
1993-94	16284	24.6

(ख) योजना आयोग राज्यों को ब्लाक अनुदान के रूप में केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध कराता है ; वैयक्तिक सेक्टरों/कार्यक्रमों को सहायता के रूप में नहीं। क्षेत्रीय परिव्यय, वार्षिक योजनाओं के लिए निर्धारित समग्र आकार में से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन के मामलों का निबटाना

3177. श्री प्रमोथेस मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी अधिनियम 1942 के अंतर्गत कार्यरत रक्षा छावनी प्राधिकारी अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञान भवन का विकास

3179. श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विज्ञान भवन में और सुधार किया गया है : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. धुंगन) : (क) और (ख) विज्ञान भवन अप्रैल, 1990 में आग से क्षतिग्रस्त हुआ था। तत्पश्चात् इसका पुनरुद्धार किया गया तथा नवम्बर, 1993 से इसे इस्तेमाल में लाया गया। नवम्बर, 1993 के बाद और कोई सुधार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

3180. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के विकास के लिए इसमें भागीदार राज्यों ने भी अपने हिस्से की धनराशि का अंशदान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. धुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान एन.सी.आर.की परियोजनाओं के निष्पादन हेतु जून, 1994 तक निम्नलिखित अंशदान किया है : -

उत्तर प्रदेश	16.62 करोड़ रुपये
राजस्थान	9.75 करोड़ रुपये

हरियाणा की राज्य सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् हुडा को कोई अंशदान नहीं दिया है। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसी ने आठवीं योजना अवधि के दौरान दिसम्बर, 1993 तक अपनी निधियों में से 2.41 करोड़ रुपये व्यय का अंशदान दिया था।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उत्पाद

3181. श्री पी.सी. थॉमस : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उत्पादों की भारत और विदेशों में भारी मांग हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उत्पाद, इनका वार्षिक उत्पादन और इनके निर्यात हेतु कितनी मात्रा निर्यात की गई है ; और

(ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के सह उत्पाद जिप्सम का किस प्रकार उपयोग होता है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) विभिन्न उर्वरकों, रसायनों और पेट्रो रसायनों के निर्माण में रत है। 1993-94 के दौरान विभिन्न मदों का उत्पादन निम्न प्रकार था : -

क्रमांक	मद	उत्पादन (000 मी. टन में)
1.	अमोनिया सल्फेट	180.7
2.	यूरिया	242.3
3.	फैक्टमफोस (एनपी 20 : 20)	564.1
4.	कैप्रोलैक्टम	39.7
5.	नाइट्रिक एसिड	3.4
6.	सोडा ऐश	5

कैप्रोलैक्टम पेट्रो रसायन को छोड़कर, जिसका आंशिक रूप से निर्यात किया जाता है, अन्य सभी उत्पादन केवल स्वदेशी बाजार में बेचे जाते हैं। 1993-94 के दौरान फैक्ट ने 2804 टन कैप्रोलैक्टम का निर्यात किया। कम्पनी का 1994-95 के दौरान 6000 टन निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ग) फास्फोरिक एसिड के उत्पादन में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त फास्फोजिप्सम का फैक्ट में कोई उपयोग नहीं है और इसका केवल सीमित वाणिज्यिक महत्व है। अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए फास्फोजिप्सम का वृहत इस्तेमाल कर सकने योग्य आर्थिक रूप से आकर्षक प्रक्रिया का अभी विकास किया जाना है। तथापि, लघु मात्रा में फास्फोजिप्सम का विभाजक खण्ड, प्लास्टर बोर्ड तथा सीमेन्ट उत्पादन में मन्दक के रूप में उपयोग किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की इकाइयां

3182. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयां अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध न होने के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है तथा घाटे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों को कार्य न मिलने के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक कंपनी की वैगन उत्पादक इकाइयों में कितने वैगनों के लिए आपूर्ति आदेश दिए गए ; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की कुछ इकाइयां, वैगनों के, विशेषकर रेल मंत्रालय से, पर्याप्त क्रयादेश न मिलने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं।

(ग) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को वैगनों के लिए 1991-92 व उसके बाद मिले क्रयादेश इस प्रकार हैं : -

(चार चक्का यूनिटों में)

1991-92	11982.5
1992-93	12502.5
1993-94	9250
1994-95	4560

(घ) व्यवसायिक परिवेश में बदलाव के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कंपनियों को वैकल्पिक कार्यनीतियां अपनानी होंगी।

[अनुवाद]

बेरोजगारी का स्तर

3183. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष से वर्षवार और राज्यवार बेरोजगारी का स्तर कितना-कितना है ;

(ख) किन-किन राज्यों में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कुल कितने बेरोजगार लाभान्वित हुए ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के आरंभ में बेरोजगारी के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

वर्ष का आरंभ	अनुमानित बेरोजगारी (मिलियन में)
1992-93	17.0
1993-94	17.3 (अनंतिम)
1994-95	18.5 (अनंतिम)

ऐसे अनुमान राज्यवार नहीं लगाए गए हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें रोजगार चाहने वालों की कतिपय विशिष्ट श्रेणियों को भिन्न-भिन्न दरों पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कर रही हैं।

(ग) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण रोजगार सृजक स्कीमों के तहत वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाते हुए राज्यवार एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई आर डी पी सहायता दिए गये परिवारों की सं.		जे आर वाई प्रथम धारा सृजित किए गए रोजगार के मानव लाख दिवस		जे आर वाई द्वितीय धारा सृजित किए गए रोजगार मानव लाख दिवस	ई ए एस सृजित किए गए रोजगार मानव लाख दिवस
		1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	1993-94	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	179038	259697	677.93	903.06	125.84	62.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	13642	15207	6.52	4.85	-	3.64
3.	असम	40204	63381	109.72	273.24	-	31.75
4.	बिहार	264252	335908	1036.16	1321.04	153.21	31.44
5.	गोआ	2456	736	8.12	8.53	-	-
6.	गुजरात	61842	79725	235.03	210.55	22.09	6.75
7.	हरियाणा	23349	34026	32.63	33.29	-	15.20
8.	हिमाचल प्रदेश	6956	9128	26.16	34.54	-	0.05
9.	जम्मू व कश्मीर	7331	7408	43.01	27.60	3.44	3.46
10.	कर्नाटक	103856	132861	418.29	588.64	62.66	32.12
11.	केरल	50517	53698	134.54	120.43	-	2.60

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	184083	242673	709.66	769.25	एनआर	51.26
13.	महाराष्ट्र	177651	217671	823.53	1129.94	53.56	31.53
14.	मणिपुर	3158	6333	5.23	6.63	–	एन आर
15.	मेघालय	3011	2635	8.90	9.55	–	शून्य
16.	मिजोरम	3474	4684	4.78	6.32	–	8.52
17.	नागालैंड	3996	4368	15.47	16.02	–	33.92
18.	उड़ीसा	93226	16000	326.39	479.07	43.89	31.43
19.	पंजाब	25248	33736	31.79	38.57	–	–
20.	राजस्थान	101366	116567	339.09	403.13	47.24	50.00
21.	सिक्किम	1142	1218	13.42	10.14	–	0.82
22.	तमिलनाडु	144987	214888	767.86	855.02	26.08	10.96
23.	त्रिपुरा	11414	16297	13.94	23.41	–	16.14
24.	उत्तर प्रदेश	387961	445403	1496.29	1739.18	51.98	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	171695	73818	525.55	495.18	38.38	52.53
26.	अ.नि. द्वीप समूह	895	492	1.71	1.81	–	0.10
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	द. एंड न. हवेली	300	372	2.70	2.34	–	0.04
29.	दमन और दीव	524	507	0.12	0.59	–	शून्य
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	156	81	2.68	2.21	–	–
32.	पांडिचेरी	1043	1407	3.81	4.27	–	–
अखिल भारत		2068773	2534925	7821.02	9523.45	628.37	491.68

आई.आर.डी.पी. – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जे.आर.वाई – जवाहर रोजगार योजना

ई.ए.एस. – रोजगार आश्वासन स्कीम। यह स्कीम 1993–94 से आरम्भ हुई।

एन.आर. – रिपोर्ट नहीं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेहरू रोजगार योजना: सहायता दिए गये व्यक्तियों की संख्या (शहरी माइक्रो उद्यम)		नेहरू रोजगार योजना: लाख मानव दिवस (शहरी दिहाड़ी रोजगार)		एसईईयूवाई: ऋण स्वीकृत किए व्यक्तियों की संख्या		पी एम आरवाई: ऋण स्वीकृत किए गये व्यक्तियों की संख्या
		1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	1992-1993	1993-94*	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	25523	18175	22.75	11.35	5478	5105	3418
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	10	38	65
3.	असम	1822	1299	1.49	0.05	2470	2966	818
4.	बिहार	3732	1987	28.03	7.04	6475	4491	2015
5.	गोआ	–	440	–	–	60	–	86
6.	गुजरात	4765	2630	3.09	1.38	434	332	527
7.	हरियाणा	7435	800	0.96	0.66	1975	2251	702
8.	हिमाचल प्रदेश	190	–	2.29	0.16	850	691	201
9.	जम्मू व कश्मीर	1695	91	2.04	0.35	212	–	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक	14789	3345	21.16	13.12	804	112	1943
11.	केरल	4790	5202	10.18	26.74	2949	2209	1606
12.	मध्य प्रदेश	43787	32072	10.98	11.66	6173	94	2992
13.	महाराष्ट्र	18839	11917	5.20	–	8953	11283	4850
14.	मणिपुर	395	2745	1.13	1.88	600	–	211
15.	मेघालय	119	274	0.65	–	75	–	157
16.	मिजोरम	–	–	2.67	0.01	95	–	15
17.	नागालैंड	–	–	–	–	79	9	39
18.	उड़ीसा	4946	1214	2.58	2.02	3225	3142	842
19.	पंजाब	3985	3931	1.79	1.59	6096	–	1030
20.	राजस्थान	4594	11749	3.43	2.06	4470	5022	1252
21.	सिक्किम	182	16	0.70	0.03	18	–	–
22.	तमिलनाडु	19182	24418	32.92	14.08	6597	13326	2794
23.	त्रिपुरा	330	137	0.44	0.05	342	–	124
24.	उत्तर प्रदेश	59101	24813	28.09	28.48	10013	9132	3995
25.	पश्चिम बंगाल	15169	4368	39.28	–	1395	74	899

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अ.नि. द्वीप समूह	–	177	0.03	0.11	15	7	33
27.	चण्डीगढ़	178	–	0.16	0.04	89	–	81
28.	द. एंड न. हवेली	43	53	0.08	0.03	37	6	112
29.	दमन और दीव	–	–	0.80	0.07	18	14	10
30.	दिल्ली	1038	295	–	–	कार्यान्वित नहीं		622
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	14	–	–
32.	पांडिचेरी	226	160	0.05	0.71	214	175	162
अखिल भारत		236855	152308	140.49	123.67	73316	50603	31797

* अनंतिम

एस.ई.ई.यू.वाई - शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार की स्कीम्

पी.एम.आर.वाई. - प्रधानमंत्री की रोजगार योजना। यह योजना 1993-94 में आरम्भ हुई।

अनुषंगी नगरों का विकास

3184. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों के निकट अनुषंगी नगरों के विकास में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इनके विकास पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में उपग्रह नगरों का विकास सम्बन्धित महानगरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्रीय विकास के रूप में किया जाता है। चूंकि सम्बद्ध मामले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय योजना-2001 तथा क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीति तथा वित्त-पोषण पद्धति में विद्यमान 8 चुनींदा प्राथमिकता नगरों/परिसरों अर्थात मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर-खुर्जा कॉम्पलेक्स, पानीपत, रोहतक, भवाड़ी-धारुहेड़ा-रिवाड़ी काम्पलैक्स, पलवल और अलवर तथा बहादुरगढ़ व कौंडली नामक दो डी.एम.ए. नगरों के साथ-साथ नई शहरी-बस्तियों के विकास की सिफारिश की गई है। यह बताया गया है कि गत 4 वर्षों के दौरान परियोजनाओं पर 71.82 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे जिसमें 53.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अंश तथा 18.02 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के अंश के रूप में हैं।

छोटे तथा मझोले कस्बों के सघन विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित एक योजना 1979-80 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में संतुलित शहरी विकास करना, रोजगार उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों की सहायतार्थ अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना, सृजित अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए संसाधन जुटाने वाली योजनाएं शुरू करना, ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों की बेहतरी के लिए तथा बड़े नगरों की ओर ग्रामीण आबादी के आवसन को रोकने के लिए विकास केन्द्रों का विकास करना है। इस योजना में प्रमुख महानगरों के आसपास के उपग्रह नगर विशेष रूप से शामिल नहीं हैं। योजना की शुरूआत से आज की तारीख तक 645 नगरों को शामिल किया गया है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 208.37 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की खरीद

3185. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वायु सेना के लिए चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को विलम्ब से तथा दोषपूर्ण तरीके से खरीदने के कारण हुए करोड़ों रुपयों के नुकसान के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की अपनी 1994 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 में की गयी प्रतिकूल टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मार्च 1993 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष 1994 की रिपोर्ट संख्या 9 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि इंजनों की खरीदारी को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप 6.69 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

इंजनों की उपयोगिता अवधि बढ़ा दिए जाने के कारण इन इंजनों की आवश्यकता आस्थगित कर दी गई थी और इस प्रकार सरकार को कोई हानि नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

डी.डी. ए. की भूमि पर अवैध ढांचे

3186. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1994 के हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" में डी डी ए की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रकार के डी डी ए की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को गिराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। दि.वि.प्र. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रताप नगर में दि.वि.प्रा. की जमीन पर अतिक्रमण देखा गया है। दि.वि.प्रा. की जमीन के कुछ हिस्से पर अनाधिकृत रिहायशी और वाणिज्यिक निर्माण मौजूद हैं। वर्ष 1990 से मौजूद अनधिकृत रिहायशी निर्माण को न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण गिराया नहीं जा सका।

(ख) और (ग) कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार दि.वि.प्र. द्वारा अनाधिकृत निर्माण को गिराया जाता हैं।

[अनुवाद]

बल्क औषध मूल्य

3187. डा. सुधीर राय :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.पी.सी.ओ., 1987 के अंतर्गत आने वाले बल्क औषधों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक इनमें से कुछ औषधों का मूल्य घटा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इन औषधों का ब्यौरा क्या है और मूल्यों में कटौती के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और औषधों का मूल्य घटाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) वे प्रपुंज औषधें जो मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की अनुसूची-I और अनुसूची-II में दी गई हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। देश में उत्पादित अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्यों को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी आई सी पी) द्वारा प्रस्तुत लागत-सह-तकनीकी अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर और डी पी सी ओ, 1987 के उपबन्धों के अनुसार नियत/संशोधित किया जाता है। प्रपुंज औषधों के मूल्यों को संशोधित करके बढ़ाया और घटाया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है, और समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

आर्डनेंस फैक्ट्रियां

3188. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1994 के इकानामिक टाइम्स में आवादी स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री द्वारा फालतू क्षमता का अन्य कार्यों में उपयोग करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1993-94 में आयुध वस्त्र निर्माणी आवडी (ओ.सी.एफ) ने अमरीका को निर्यात किए जाने के लिए 5.45 और 5.78 अमरीकी डालरों के मूल्य पर दो अलग-अलग डिजाइनों के 53.652 स्पोर्ट्स कमीजों का उत्पादन किया। निर्यात कोटे की कमी के कारण 40,000 और कमीजों के आर्डर का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) चमड़े से बने वस्त्रों के निर्यात का आदेश मिला है तथा 1994-95 में दो लाख कपड़े के वस्त्रों के निर्यात का कोटा आयुध वस्त्र निर्माणियों को आबंटित किया गया है।

कम्पनी लॉ बोर्ड

3189. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी लॉ बोर्ड को नई दिशा देने तथा इसका पुनर्गठन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कम्पनी लॉ बोर्ड और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनान्स एंड रिकन्सट्रक्शन/सिक्योरिटी एण्ड एक्सचैंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्य में अति व्यापि दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक निकाय है तथा कम्पनी विधि बोर्ड एवं बी आई एफ आर/सेवी के कार्यों में कोई परस्पर-व्यापि नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों का आर्थिक विकास

3190. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की आर्थिक विकास दर का विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों के आर्थिक विकास की दर में कोई समरूपता नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के आर्थिक विकास की दर में समरूपता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकारें, राज्य के निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) तथा उसकी वृद्धि का अनुमान लगाती हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के आगे आने वाले वर्ष के लिए निवल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्यवार वार्षिक विकास दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) राज्यों के निवल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि में भिन्नता विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक असमान विकास, विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक [illegible] का विकास, वर्ष दर वर्ष वर्षा का अंतर तथा अनुवर्ती सूखा और बाढ़।

(ङ) राज्य सरकारें राज्य की आय तथा वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं को एक फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती है जिसमें न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है।

विवरण

पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर कीमतों (1980-81) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92 (पी.)	1992-93 (क्यू.)	1993-94 (ए)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.6	1.1	(-)0.7	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.5	4.9	-	-
3.	असम	4.8	7.0	5.4	-
4.	बिहार	8.9	(-)6.1	1.6	-
5.	गोआ	7.5	1.9	1.7	-
6.	गुजरात	0.8	(-)3.9	14.6	-
7.	हरियाणा	9.1	1.7	5.1	-
8.	हिमाचल प्रदेश	0.5	(-)9.7	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	3.0	3.7	4.1	-
10.	कर्नाटक	0.1	12.4	2.0	-
11.	केरल	7.7	6.4	7.4	7.7
12.	मध्य प्रदेश	19.2	(-)7.4	2.5	-
13.	महाराष्ट्र	5.3	(-)3.6	8.9	-
14.	मणिपुर	7.3	10.4	-	-
15.	मेघालय	11.8	11.4	7.5	-
16.	नागालैण्ड	(-)0.9	3.2	-	-
17.	उड़ीसा	(-)10.4	11.4	(-)2.8	-

1	2	3	4	5	6
18.	पंजाब	1.8	4.9	4.1	-
19.	राजस्थान	15.7	(-)8.9	11.8	(-)6.9
20.	सिक्किम	10.1	-	-	-
21.	तमिलनाडु	7.4	5.9	2.2	-
22.	त्रिपुरा	5.4	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	5.6	1.4	1.0	-
24.	पश्चिम बंगाल	2.9	5.9	4.3	-
25.	अ.म.नि. द्वीप समूह	(-)1.8	(-)8.8	-	-
26.	दिल्ली	5.4	7.3	-	-
27.	पांडिचेरी	3.1	3.4	2.0	-
कारक लागत पर अखिल भारत निवल घरेलू उत्पाद		4.7	0.5	3.8	3.6

पी. : अनंतिम क्यू : तुरंत अनुमान ए. : प्रत्याशित

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

हंस/सारस वायुयान

3191. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मंजय लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एअरोस्पेस लेबोरेटरी, बंगलूर हल्के वजन वाले फाइबर शीशे के दो सीटों वाले हंस वायुयान बनाने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वायुयान की अनुमानित लागत क्या है और कब तक इसके उपलब्ध हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इस वायुयान के निर्माण में किसी निजी कम्पनी से भी सहयोग मांगा गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा आठ से चौदह सीटों वाला "सारस" नामक वायुयान बनाने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) नेशनल एअरोस्पेस लेबोरेटरीज़ (एनएएल) ने हंस वायुयान के लिए डिजाइन की तकनीकी जानकारी विकसित कर ली है और इसका लाइसेंस निजी क्षेत्र की कम्पनी को दे दिया है।

(ख) निजी क्षेत्र की कम्पनी को इस वायुयान की कीमत 25 लाख रुपए होने की आशा है और इस वायुयान के प्रथम व्यावसायिक उत्पाद (वर्शन) का उड़ान परीक्षण जून, 1995 में किया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। हंस के निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी ने इस वायुयान के डिजाइन और विकास किए जाने में आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दी है।

(ङ) और (च) एनएएल, मैसिश्चेव डिजाइन ब्यूरो (एमडीबी) रूस के सहयोग से वर्कशेयरिंग आधार पर संयुक्त रूप से 8-14 सीटों वाला "सारस" नामक वायुयान का विकास कर रहा है। एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के स्वामित्व वाली मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, यूएसए, नामक कम्पनी वर्तमानतः सारस वायुयान के डिजाइन, विकास और आदि प्ररूप परीक्षण के लिए वित्तीय रूप से सम्मिलित होने के लिए एनएएल से बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

भारतीय फाऊंड्री उद्योग

3192. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फाऊंड्री उद्योग प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और विश्व बैंक की वित्त-पोषण योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र न होने के कारण कई फाऊंड्री इकाइयां बन्द हो गई है/बंद हो जायेंगी ; और

(घ) इन इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपस्करों की खरीद के लिए धन की आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2(ग) के अधीन आने वाले

सभी औद्योगिक एकक प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक योजना के अधीन सहायता पाने के पात्र हैं जिनमें फाउंड्री परियोजनाएं भी शामिल हैं। विश्व बैंक ऋण योजना के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने तरल और ठोस अवशिष्टों के उपचार और निपटान के लिए सामान्य रूप से अलग-2 परियोजनाओं के लिए और औद्योगिक बस्तियों/औद्योगिक झुण्डों में बहिःस्राव उपचार संयंत्रों के लिए सहायता की भी मंजूरी दी है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) उत्सर्जन मानकों को पूरा न कर पाने के कारण आगरा जैसे क्षेत्रों में कुछ फाउण्ड्री एकक बन्द हो गये हैं।

(घ) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है आवश्यक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

[हिन्दी]

फास्ट/प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ

3194. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने फास्ट/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग वाले संबंधी प्रस्ताव की जांच की है तथा अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक स्वीकृत प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी हां। अप्रैल, 1993 से जून, 1994 की अवधि के दौरान फास्ट/प्रसंस्कृत खाद्य के उत्पादन हेतु विदेशी निवेश के संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये मकान

3195. श्री के. मुरलीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को मकानों के निर्माण के लिये केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मकानों का निर्माण किए जाने का विचार किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत केरल राज्य को 1994-95 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए 529.61 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य 1994-95 में इन्दिरा आवास योजना के लिए 1324.02 लाख रुपए (दस लाख कुओं की योजना के लिए निधियों का दो तिहाई) इस्तेमाल कर सकता है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 12,570 मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है।

मधुमक्खी पालन

3197. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री के. प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में रोजगार तथा निर्यात की संभावनाओं का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मधुमक्खी पालन के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गयी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, मधुमक्खी पालन के लिए कोई व्यापक योजना विशेष रूप से नहीं बनाई गई है। तथापि, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को, जो अनुमोदित सहायता पैटर्न के अनुसार इस कार्यक्रम को शुरू करते है, वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान राज्यवार बजट आवंटन/वितरण

क्रम.सं.	राज्य	1990-91			1991-92			1992-93		
		अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.72	0.69	1.41	0.76	2.78	3.54	0.02	0.77	0.79
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	1.03	2.99	4.02	1.10	0.44	1.54	0.94	0.99	1.93
4.	बिहार	0.78	3.11	3.89	3.63	1.02	4.65	0.34	1.28	1.62
5.	गोवा-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	0.05	0.08	0.13
7.	हरियाणा	0.17	0.65	0.82	0.43	0.45	0.88	0.12	0.34	0.46
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	6.44	6.94	3.42	6.73	10.15	3.00	3.36	6.36
9.	जम्मू और कश्मीर	0.01	1.68	1.69	0.96	4.21	5.20	0.03	1.70	1.81

1	2	3	4	5	6	7
8.	चाकर एग्रो इंड.लि. 24/6, सुमंगल एपार्टमेंट, शिवाजी नगर आवेदन सं. 436 एफआईएन	अनिवासी भारतीय	सुखाया हुआ प्याज	83.00	25.00	27
9.	डेनकेक फूड सर्विसिज़ इंडिया प्रा. लि. 33, नत्थालाल पारिख आवेदन सं. 590 एफआईएन	श्री कांतिलाल जमनादास, अनिवासी भारतीय (मै. डेनकेक (पोर्टू एस.ए.)	केक, स्विल रोल्स, कप केक तथा रस्क	556.00	49.00	27
10.	पंजाब मीट्स लि. 80, हरद्वार रोड पी.ओ. आई. आई.पी., मोखमपुर, आवेदन सं. 723 एफआईएन	एशियन फाइनैन्स एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेट फिल्लिपीन्स	भैंस का हड्डीरहित मांस	340.00	23.60	27
11.	इंडो एटालियन फूड्स लि. एस सी ओ 94-95, तीसरा तल, चैम्बर नं. 43 सैक्टर आवेदन सं. 316 एफआईएन	एन्ड्रे एवं साईस, ए. स्विट्ज़रलैण्ड	सुखाया हुआ प्याज एवं अन्य सुखाई हुई सब्जियां	64.00	12.00	27

1	2	3	4	5	6	7
12.	केलॉग इंडिया लि., मेरिडियन कॉमर्शियल टावर्स आवेदन सं. 269 एफआईएन	मै. केलॉग कं., यू.एस.ए. 1, केलॉग स्क्वेअर, बैटल क्रीक	ब्रेकफास्ट सीरियल्स	6000.00	100.00	42
13.	पेप्सी फूड्स लि. एस सी ओ 315-316, सैक्टर चंडीगढ़-160 036 आवेदन सं. 287 एफआईएन	मै. पेप्सिको इंक. यू.एस.ए.	प्रसंस्कृत आलू/दानेदार खाद्य, मृदु पेय सांद्रण	4242.009	19.40	27

विवरण

अप्रैल 1993 से जून 1994 के दौरान एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहयोग के मामलों की सूची

क्रम सं.	भारतीय कंपनी का नाम/ आवेदन सं.	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद	धनराशि (रु. लाख में)	% इक्विटी	अनुसूचित उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	इक्विटोरियल प्रोवेडर्स प्रा.लि. यूनिट 105, मोता चाम्बे, 9/1 कुन्निघम रोड़, आवेदन सं0. 281 एफआईएन	डॉन हॉगसन एंड जेन हॉगसन आस्ट्रेलिया	टमाटर तथा अन्य सब्जियां (तैयार या)	5.00	50.00	27
2.	ओशिएनिक पेनिनसुला प्रा. लि., 303, एसएनएस आर्केड, एयरपोर्ट रोड़, आवेदन सं. 7 एफआईएन	श्री सुजेन वे 6, आस्ट्रेलिया सेन्ट : केम्परडाउन	प्रसंस्कृत तथा सुरक्षित छोटी ककड़ी (गेरकिन) तथा अन्य सब्जियां	11.50	50.00	27
3.	बालाजी फूडस् एंड फीडस् लि. वेंकटेश्वर हाउस, 3.5.808 एवं 808/1, आवेदन सं. 133 एफआईएन	डिवोटी इंटरनेशनल डेनमार्क	एग पाउडर	80.00	8.00	27

1	2	3	4	5	6	7
4.	प्रमोद लाथ फ्लैट नं. 1, बिल्डिंग नं. 1, नवरोजी मैन्शन आवेदन सं. 458 एफआईएन	हेन्सचल एक्सपोर्ट्स जीएम बीएच जर्मनी	सुखाया हुआ प्याज	47.50	10.00	27
5.	एशियन वेजप्रो इंडस्ट्री लि., 2, लाल बाजार स्ट्रीट टोडी चैम्बर्स आवेदन सं. 136, एफआईएन	हेन्सोहेल एक्सपोर्ट जर्मनी	सुखाया हुआ प्याज/ लहसुन/अदरक/अन्य सब्जियां	285.00	28.00	27
6.	सदर्न सीफूड्स लि., 64, मॉन्टियथ रोड़, एग्मोर आवेदन सं. 209 एफआईएन	मै. मोनार्क ट्रेडिंग कं. (जापान) लि. हीगाशी-इकेबुकुरू एचई नीबनकन कमरा सं. 60	झींगा तथा समुद्री केंकड़ा प्रसंस्कृत खाद्य तथा झींगा	110.00	16.17	27
7.	ग्रुमा एस.ए. एवी. पेसियो डी ला रीरेफ सं. 300 आवेदन सं. 369 एफआईएन	मै. ग्रुमा एस.ए. डी सी.वी. एवी. पेसियो डी ला रेफो सं. 300	चपाती, टारटिला तथा टारटिला का निर्माण	7897.50	100.00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	2.23	10.54	12.77	0.73	2.65	3.38	2.22	0.06	8.28
11.	केरल	2.12	16.59	18.71	0.52	7.57	8.09	5.17	9.94	15.11
12.	मध्य प्रदेश	0.01	–	0.01	0.24	0.08	0.38	–	0.10	0.10
13.	महाराष्ट्र	0.52	6.38	6.90	1.31	2.18	3.49	6.15	4.65	10.80
14.	मणिपुर	2.29	1.83	4.12	0.54	0.14	0.68	0.44	0.10	0.54
15.	मेघालय	1.96	0.40	2.36	0.98	0.25	1.23	0.76	0.02	0.78
16.	मिजोरम	0.26	0.13	0.39	0.25	0.05	0.30	0.20	0.11	0.31
17.	नागालैण्ड	–	–	–	2.37	5.44	7.81	4.04	1.95	5.99
18.	उड़ीसा	4.24	8.02	12.26	2.25	2.65	4.90	5.14	8.11	13.25
19.	पंजाब	0.08	2.10	2.18	0.32	0.93	1.25	0.06	0.10	0.16
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	1.48	0.44	1.92	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	0.75	9.29	10.04	1.90	4.15	6.05	1.09	1.02	2.11
23.	त्रिपुरा	0.30	–	0.30	0.52	–	0.52	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तर प्रदेश	2.14	5.57	7.89	-	0.72	0.72	1.18	1.13	2.31
25.	पश्चिम बंगाल	2.92	2.77	5.79	1.43	1.01	2.44	0.38	0.74	1.12
26.	अंदमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन	10.00	6.00
2.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	0.75	13.00
3.	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	0.50	2.00
4.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.	100.00	84.00
5.	एल्गिन मिल्स	17.15	12.00
6.	कानपुर टेक्सटाइल मिल्स	2.92	2.00
शहरी विकास तथा आवास मंत्रालय		6.42	0.00
1.	हिन्दुस्तान प्री-फैब. लि.	6.42	0.00
जल संसाधन मंत्रालय		12.00	0.00
1.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	12.00	0.00
परमाणु ऊर्जा विभाग		5.00	5.00
1.	इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	5.00	5.00
	कोयला मंत्रालय	120.00	0.00
1.	कोल इंडिया लि.	120.00	0.00
	योग :	790	500.00

मंत्रालय / सरकारी क्षेत्र के उपक्रम		संशोधित अनुमान 1993-94	बजट अनुमान 1994-95
ख.	**सार्वजनिक उद्यमों में निवेश**		
	वस्त्र मंत्रालय	61.00	0.00
1.	कानपुर टैक्सटाइल मिल्स	1.00	0.00
2.	एलगिन मिल्स	10.00	0.00
3.	एन.टी.सी.	50.00	0.00
	योग :	61.00	0.00

[अनुवाद]

औषधों का मूल्य नियंत्रण

3201. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनियां मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए अपने उत्पादों का बदले हुए नामों के अंतर्गत लघु क्षेत्र द्वारा निर्माण कराकर स्वयं इनकी बिक्री कर रही है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेनबेक्सी कंपनी मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए "रिवाइटल" दवा का लघु क्षेत्र में निर्माण करा कर इन दवाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से बहुत अधिक मूल्यों पर बेच रही है ;

(घ) यदि हां तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या साइप्रोफलोक्सिन और नारफ्लोक्सोसिन जैसे औषधों को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो इससे क्या कारण है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत श्रेणी II के अन्तर्गत सूचीबद्ध प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोंगों के संबंध में लघु इकाइयां मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं। तथापि, संगठित क्षेत्र की इकाइयों के साथ किसी प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था करने की स्थिति में लघु इकाइयों को यह छूट नहीं मिली हैं और इन उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश सरकार को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987/आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(ङ) और (च) औषध नीति, 1986 की समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत औषधों को शामिल करना/बाहर करना शामिल है और यह अन्तिम रूप दिए जाने की अग्रिम अवस्था में हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की मल-जल व्ययन योजनाएं

3203. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के बड़े शहरों में मल जल व्ययन योजनाओं में सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

विवरण

राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए निधियों का आबंटन

(रुपये करोड़ में)

		संशोधित अनुमान 1993-94	बजट अनुमान 1994-95
(क)	**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए**		
	रसायन तथा पेट्रो-रसायन मंत्रालय	92.00	107.00
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	42.00	27.00
1.	स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फारमास्यूटीकल्स लि.	1.50	1.00
2.	बंगाल कैमिकल्स एंड फारमास्यूटीकल्स लि.	2.00	2.00
3.	बंगाल इम्यूनिटी लि.	2.00	0.50
4.	इंडियन ड्रग्स एंड फारमास्यूटीकल्स लि.	34.00	21.00
5.	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि.	2.50	2.50
	उर्वरक विभाग	50.00	80.00
1.	हिन्दुस्तान फर्टि[illegible] कारपोरेशन लि.	15.00	34.00
2.	फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	20.00	34.00
3.	पाइराइट्स, फोस्फेटस एंड कैमिकल्स लि.	0.50	1.00
4.	प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	14.50	11.00
	नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्रालय	8.73	0.00
	पर्यटन विभाग	8.73	0.00
1.	इन्डियन टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन	8.73	0.00
	नागरिक आपूर्ति, कन्ज्यूमर एफेयर्स तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	12.00	5.00
1.	हिन्दुस्तान वैजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि.,	12.00	5.00

रक्षा मंत्रालय (गैर-योजनागत)		10.00	18.00
1.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	10.00	0.00
2.	वाइगॉन इंडस्ट्रीज लि. (बीईएमएल की सहायक)	0.00	5.00
3.	मजगांव डाक लि.	0.00	13.00
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2.00	1.00
	मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि.	2.00	1.00
	भारी उद्योग विभाग	191.00	107.00
1.	इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज		86.00
2.	कंजूमर इंडस्ट्रीज		16.50
3.	अन्य उद्योग		4.50
खान मंत्रालय		82.48	55.00
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	18.48	15.00
2.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	40.00	17.50
3.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	6.00	5.00
4.	भारत अल्यूमिनियम कंपनी लि.	8.00	7.50
5.	हिन्दुस्तान जिंग लि.	10.00	10.00
इस्पात मंत्रालय		36.00	28.00
1.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	30.00	20.00
2.	भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	2.00	3.00
3.	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	4.00	5.00
भूतल परिवहन मंत्रालय		70.00	49.00
1.	दिल्ली परिवहन निगम	60.00	40.00
2.	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कार्पो.	10.00	9.00
पत्तन, लाइटहाउस तथा शिपिंग मंत्रालय		12.00	6.00
1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	10.00	6.00
2.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	2.00	0.00
वस्त्र मंत्रालय		131.32	119.00

[हिन्दी]

सफाई कार्यक्रम हेतु "कापार्ट" द्वारा सहायता

3198. श्री मंजय लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम से संबंधित कुल कितनी परियोजनाओं का लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण औद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा वित्त पोषण किया गया ;

(ख) इस कार्यक्रम को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या मानदंड/नीति अपनाई गई है ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिये इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारवी भाई पटेल) : (क) 1991-92 से 1993-94 तक गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने 1122 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में स्वच्छ वातावरण बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कापार्ट स्वयं सेवी एजेंसियों को स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और लाभार्थियों में जागरूकता सृजन के लिए सहायता देता है। कार्यक्रम को और प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कार्यक्रम की विगत समीक्षा 1992 में की गई थी और कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता देने का मानदंड निम्नलिखित है :

(क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लोग लक्षित लाभार्थी समूह हैं।

(ख) कापार्ट से अनुदान परियोजना लागत का 80 प्रतिशत है।

(ग) लाभार्थियों का योगदान परियोजना लागत का 20 प्रतिशत है।

(घ) परियोजना एक गांव में कम से कम 20 शौचालयों का निर्माण करने के लिए होनी चाहिए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना की परियोजना के दौरान और परियोजना के पूरा होने पर किसी न किसी अवस्था में स्वतंत्र निगरानी-कर्ताओं द्वारा निगरानी करायी जाती है। कुल मिलाकर कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक है। लाभार्थी स्वच्छ शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें अपने घर और आसपास में सफाई रखने के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, चालू वर्ष (1994-95) के लिए कार्यक्रम का बजट प्रावधान 12 करोड़ रुपये हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद

3199. श्री धर्मण्णा मोडम्ब्रूम सादुल : क्या प्रधान मंत्री 10 मार्च 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2088 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में समन्वय स्थापित करने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक इनकी स्थापना की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

3200. श्री राघटइल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "राष्ट्रीय नवीकरण कोष" की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोष से वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) इस कोष से अब तक प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित अनुमान 1993-94 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए 1040.40 करोड़ रुपये की धनं राशि मुहैया की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए बजट अनुमान 700.00 करोड़ रुपया है।

(ग) उपक्रमवार मुहैया की गयी धन राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) चार प्रमुख कस्बों नामतः ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तथा शिवपुरी की सीवरेज तथा मल-जल व्ययन परियोजनाएं संघ सरकार को प्राप्त हुई हैं ग्वालियर सीवरेज तथा जल-मल व्ययन परियोजना की अनुमानित लागत 2730 लाख रुपये है। जबलपुर सीवरेज तथा मल-जल ट्रीटमेंट परियाजना की अनुमानित लागत चरण-1 के लिए 4557 लाख रुपये तथा चरण-2 के लिए 3240 लाख रुपये है। इंदौर सीवरेज परियोजना चरण-1 की अनुमानित लागत 5480 लाख रुपये तथा शिवपुरी सीवरेज परियोजना की अनुमानित लागत 18966 लाख रुपये है।

(ग) ग्वालियर तथा जबलपुर सीवरेज एवं मल-जल व्ययन परियोजनाएं संघ सरकार द्वारा तकनीकी दृष्टि से पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। इंदौर टाउन चरण-1 सीवरेज परियोजना के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि संघ सरकार द्वारा प्रस्तावों के परिशोधन हेतु परियोजना बाबत की गई टिप्पणियों/अभ्युक्तियों पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अधिकारी अभी नियुक्त किया जाता है। शिवपुरी टाउन सीवरेज परियोजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए परियोजना में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तथा इस बाबत राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

विदेशी पूंजी निवेश

3203. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों की तुलना में वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश केवल 5 प्रतिशत है जैसाकि 22 जुलाई, 1994 के जनसत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। 1991 से जून, 1994 तक 15735.69 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी विवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है जबकि देश में वास्तविक विदेशी निवेश अंतःप्रवाह 3943.10 करोड़ रुपये है। यह राशि इस अवधि के दौरान स्वीकृत कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 25.06 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) ये स्वीकृतियां हाल ही में दी गई हैं और इनमें पावर, तेलशोधक कारखानों इत्यादि की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं जिनकी फलन अवधि ज्यादा है।

भेल की क्षमता

3204. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि को 38,000 मेगावाट से घटाकर, 30,000 मेगावाट कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख). प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषित जल का शोधन

3205. श्री विलासराव भागन्नाथ राव गूंडेवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न शहरों के प्रदूषित जल के शोधन के लिए ''हुडकों'' से ऋण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1994-95 के दौरान ''हुडको'' द्वारा कितनी ऋण राशि जारी करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

3206. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास 1993-94 के दौरान सरकारी उपक्रमों और निजी फर्मों के कितने-कितने मामले लंबित थे ;

(ख) इन मामलों को निपटाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग सरकारी उपक्रमों व निजी फर्मों के विरुद्ध संस्थापित जांचों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखता। 30 जून, 1994 तक की स्थिति के अनुसार एम. आर टी पी आयोग के पास एकाधिकारिक व्यापार प्रथा के जांच के कुल 9 मामले, अवरोधक व्यापार प्रथा के जांच के 501 मामले, तथा अनुचित व्यापार प्रथा के जांच के 522 मामले लम्बित पड़े थे। जांच के ये मामले आयोग के पास विभिन्न चरणों में विचारार्थ हैं।

एम आर टी पी आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसमें की जानेवाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां मानी जाती हैं। इसके कार्यकलापों के संचालन के लिए आयोग को एम आर टी पी अधिनियम, 1969, एम आर टी पी सी विनियम, 1991, भारतीय दंड संहिता तथा फौजदारी दंड संहिता 1973 में निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाना अपेक्षित है। आवश्यक उपबन्धों के अनुपालन में अनिवार्यतः समय लगता ही है।

(ग) और (घ) यदि प्रतिवादी ने आदेश का उल्लंघन किया हो या उसने उस पर लगाई गई बाध्यताओं का अनुपालन न किया हो तो उस स्थिति में एम आर टी पी आयोग को सत्र न्यायालय में शिकायत दायर करने का अधिकार प्राप्त है। जब कभी इसके आदेशों का उल्लंघन किया जाना या गैर-अनुपालन देखने में आता है तो आयोग अधिनियम के अन्तर्गत यथाप्रस्तावित आवश्यक कार्रवाई करता है।

म्यूजिकल गार्डन

3207. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार राजधानी में एक म्यूजिकल गार्डन विकसित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ स्थानों का चयन किया गया है ;

(ग) इस गार्डन का निर्माण कार्य कब से शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रस्ताव विचार प्रक्रिया में हैं अतः समय सीमा एवं अनुमानित व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु तथा अतिलघु क्षेत्र

◆ **3208. श्री चित्त बसु :**

श्री एन. डेनिस :

श्री एम. कृष्ण स्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु तथा अतिलघु क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिये सरकार का एक मुश्त कार्यक्रम उपलब्ध करने का कोई विचार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) और (ख) सरकार लघु तथा अति लघु क्षेत्र के कार्यनिष्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की निरंतर निगरानी करती है। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु क्षेत्र का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात में प्रत्यक्ष निर्यात के रूप में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा होता है। वर्ष 1993-94 में लघु क्षेत्र का उत्पादन वर्तमान मूल्यों पर अंतिम रूप से 236525 करोड़ रुपया और 23.84 लाख लघु औद्योगिक एककों में 139.38 लाख रोजगार रहा है।

(ग) और (घ) भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में लघु क्षेत्र की भूमिका को सरकार द्वारा पूर्ण रूप से माना गया है। अत: लघु उद्योगों के विकास को देश के औद्योगिक विकास कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता मिलती रही है। और इस क्षेत्र के लिए सहायता में वृद्धि करना सरकार की नीति की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता रही है।

सरकार ने कई उपाय किये हैं जिनमें संस्थागत सहायता का प्रावधान और रियायती वित्त, उत्पाद शुल्क के लाभ, उत्पादन के लिए मदों के आरक्षण के जरिये विपणन सहायता, लघु एककों से खरीददारी के लिए मदों के आरक्षण, किराया-खरीद आधार पर मशीनें, तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं, परीक्षण सुविधा, सामान्य सुविधा सेवाएं, औद्योगिक स्थान का प्रावधान और अन्य आधार भूत सुविधा जैसे प्रोत्साहनों व रियायतों का पैकेज शामिल है।

प्रोत्साहनों तथा रियायतों के पैकेज की निरंतर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं जो परिस्थिति की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। उदारीकरण की नीति की घोषणा के आद अनेक उपाय किये गये हैं जैसे कि एकक का स्थापना स्थल कुछ भी होते हुए अति लघु एककों के मामले में संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, व्यवसाय तथा उद्योग सम्बन्धी सेवाओं को अति लघु एककों के रूप में शामिल करना। इसके अलावा, लघु औद्योगिक

बद्धक्षेत्र हेतु सामान्य उत्पाद शुल्क छूट योजना के अधीन रियायत का लाभ उठाने के प्रयोजन से पंजीकृत तथा अपंजीकृत एककों के बीच भेद को समाप्त कर दिया गया है। संसद में 6 अगस्त, 1991 को लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए रखे गये नीतिगत उपायों का उद्देश्यों लघु उद्योगों को अधिक जीव्यक्षम बनाने और विकास की गति बढ़ाने का है।

किन्तु, लघु तथा अति लघु क्षेत्र के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में केवल उनके प्रयासों में मदद करती है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जिनमें लघु तथा अति लघु क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन/सुविधाएं दी गयी हैं।

[हिन्दी]

मृतक रक्षा कार्मिकों के आश्रित

3209. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मृतक रक्षा कार्मिकों के आश्रित कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया ;

(ख) वर्तमान में कितने मामले लम्बित हैं और 1994-95 के दौरान कितने लोगों को रोजगार प्रदान किये जाने की संभावना है ; और

(ग) मृतक रक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्यों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

मृतक रक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्य निम्नलिखित लाभ पाने के हकदार है :-

I. युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवार

(क) पेंशन और उपदान

इन परिवारों को गणना की जा सकने वाली अन्तिम प्राप्त परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाती हैं। रैंक और सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित दरों पर उपदान दिया जाता है।

(ख) सेना सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ

मृत्यु होने पर परिवार निम्न दरों पर लाभ पाने के हकदार हैं :-

अफसर	-	3.85 लाख रुपये
जूनियर कमीशन अधिकारी/ अन्य रैंक	-	1.65 लाख रुपये

(ग) **अन्य लाभ**

नीचे दिए गए अनुसार आर्थिक सहायता ग्राह्य है।

सेना अफसर हितकारी निधि

मृतक अधिकारी का निकटतम संबंधी अधिकतम 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता पाने का हकदार है।

सैनिक पत्नी कल्याण संघ निधि

अफसर	-	5000 रुपय
जूनियर कमीशन अफसर	-	4000 रुपये
अन्य रैंक	-	3000 रुपये

अशक्त सेना कार्मिक, विधवा एवं अनाथ निधि

अफसर	-	2,000 रुपये
जूनियर कमीशन अफसर	-	1,500 रुपये
अन्य रैंक	-	1,000 रुपये

रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि तथा छुट्टी का नकदीकरण जैसा स्वीकार्य हो।

रोजगार सहायता

सैन्य कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से घायल सेना कार्मिकों के दो आश्रित रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार कार्यालयों द्वारा भरे जाने वाले समूह "ग" तथा "घ" के पदों में रोजगार के लिए II-ए प्राथमिकता पाने के हकदार हैं।

शैक्षिक रियायतें

सैन्य कार्रवाई में मारे गए या निशक्त हुए सेना कार्मिकों के बच्चे जो शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें पाने के हकदार हैं : -

(1) संबंधित शिक्षा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्कों से पूरी छूट ;

(2) बोर्डिंग स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे बच्चों के होस्टल प्रभारों को पूर्ण रूप से वहन करने के लिए अनुदान ;

(3) किताबों और लेखन सामग्री की पूरी कीमत ; और

(4) जहां पर वर्दी अनिवार्य है, वहां पर वर्दी की पूरी कीमत।

गृह निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को गृह निर्माण/मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की 50 प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है। जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये हैं।

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की पुत्री के विवाह के लिए 1000 रुपए का अनुदान देता है।

रेलयात्रा संबंधी रियायत

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को दूसरे दर्जे में यात्रा करने के लिए रेल किराए में 75 प्रतिशत की रियायत है।

पुनर्वास

पेट्रोलियम उत्पादों, सब्जी तथा दूध की बिक्री के लिए एजेंसियों का आबंटन।

II. उन रक्षा कार्मिकों के परिवारों को जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा से संबंधित कारणों से हो जाती है, निम्नलिखित दरों पर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है। ये परिवार दिवंगत रक्षा कार्मिक के रैंक तथा सेवा-अवधि के आधार पर उपदान पाने के हकदार भी होते हैं : -

(क) यदि वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी संतान रहित है तो :

	गणनीय परिलब्धियां	विशेष परिवार पेंशन की दरें
(1)	1,500/- रुपए से अधिक नहीं	वेतन का 50 प्रतिशत
(2)	1500/- रुपए से 3000/- रुपये के बीच	वेतन का 40 प्रतिशत किन्तु कम से कम 750/- रु.
(3)	3000/- रुपए से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु कम से कम 1200/- रुपए तथा अधिक से अधिक 1250/- रुपए

(ख) यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी का बच्चा या बच्चे हों तो : -

वेतन पर विचार किए बिना	वेतन का 60 प्रतिशत किन्तु कम से कम 750 /- रुपए तथा अधिक से अधिक 2,500/- रुपए।

III. उन रक्षा कार्मिकों जिनकी मृत्यु न तो सैन्य सेवा के कारण से संबंधित हो और न ही रोगादि जैसे ऐसे कारणों से हुई हो जिनमें सैन्य सेवा के कारण वृद्धि हुई हो, के परिवार निम्नलिखित दरों पर परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं। वे रैंक तथा सेवा अवधि के आधार पर उपदान पाने के भी हकदार हैं : -

	अंतिम प्राप्त वेतन	पेंशन की दरें
(1)	1,500/- रुपए से अधिक नहीं	वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु कम से कम 375/- रु.
(2)	1500/- रुपए से 3000/- रुपये के बीच	वेतन का 20 प्रतिशत किन्तु कम से कम 450/- रु.
(3)	3000/- रुपए से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु कम से कम 600/- रुपए तथा अधिक से अधिक 1250/- रुपए

4. अन्य लाभ : -

मृतक रक्षा कार्मिकों के परिवारों को जो परिवार पेंशन पा रहे हों, निम्नलिखित लाभ भी दिए जाते हैं : -

- रक्षा अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं ;
- निकट की कैंटीन में सी एस डी सुविधाएं ;
- मृतक रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को आर्थिक अभाव की स्थिति में कैंटीन सैनिक बोर्ड कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है ;
- बच्चों को शारीरिक मानदण्डों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए रियायत दी जाती है। प्राप्त सम्पूर्ण अंकों में 10 अंक की रियायत भी दी जाती है।
- परिवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यम चलाने में भी सहायता दी जाती है।

रूग्ण उपक्रमों के लिए स्वायत्त निकाय

3210. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए एक नया स्वायत्त निकाय बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो संबंन्धित तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड की वर्तमान कार्य शैली की समीक्षा का शीघ्र निपटारे की संभावनाओं को भी सुनिश्चित किया हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमत कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल अब पूरी सदस्य संख्या के साथ कार्य कर रहा इस समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में सभी मदस्यों और अध्यक्ष के पद उन अनुभवी व्यक्तियों नियुक्ति करक भर जा चुक हैं जिन्हें श्रमिक लेखांकन तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में विविध अनुभव है। आशा जाती है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल प्रत्येक मामले की जटिलताओं के अनुसार मामलों के बारे शीघ्र निर्णय लेवे की स्थिति में हो जाएगा।

महाराष्ट्र में जवाहर रोजगार योजना

3211. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों और शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये सुविधाएं कितने गांवों में उपलब्ध कराई जानी अभी शेष हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना को प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय के रोजगार सृजन करना है। कार्यान्वयन एजेंसियां अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद और ग्राम पंचायतें जवाहर रोजगार मैनुअल में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य शुरू कर सकती हैं। जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता हो। हालांकि, शौचालयों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण जवाहर रोजगार की गतिविधियों में अनुमेय है, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य को इस उद्देश्य के लिए अलग से निधियों का आबंटन नहीं किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी सुविधाएं कितने गांवों में उपलब्ध कराई गई हैं / कराई जानी है के बारे में अलग से कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

धनराशि का अन्यत्र प्रयोग किया जाना

3212. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसमें से अब तक कितनी धनराशि का वास्तविक खर्च हुआ है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि को अन्य परियोजनाओं हेतु खर्च करने की अनुमति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस संबंध में अनुमति कब तक दे दी जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आठवीं योजना (1992-97) तथा वार्षिक योजनाओं 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान सिंचाई हेतु मध्य प्रदेश को किए गए आबंटनों तथा 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान व्यय को नीचे दिया गया है :

मध्य प्रदेश

सिंचाई सेक्टर के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
आठवीं योजना (1992-97)	2656.24	-
1992-93	531.45	363.09
1993-94	543.03	383.09
1994-95	543.30	-

(ख) इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं से दूसरी परियोजनाओं को निधियां अंतरित करने की अनुमति देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा उपकरण

3213. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों में सौर ऊर्जा उपकरणों को बनाने के लिए किन एजेंसियों तथा फर्मों को लाइसेंस जारी किये गए हैं तथा उन्हें कितनी राज सहायता दी गई है ; और

(ग) सौर ऊर्जा तथा अन्य अपारंपरिक ऊर्जा संबंधी उपकरण बनाने हेतु उद्योगों की स्थापना करने वालों को क्या-क्या सुविधाएं तथा कितनी राज सहायता दी जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय पूरे देश में, जिसमें गुजरात राज्य शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए बहुत से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। घरेलू क्षेत्र में बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास आदि सहित विभिन्न ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना के अलावा गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान 14.48 मेवा की पवन विद्युत परियोजनएं, 10 कि.वा. के एस.पी. वी. विद्युत संयंत्र और 5,86,900 एल.पी.डी. औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां संस्थापित की गई है।

(ख) और (ग) सौर ऊर्जा उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त हैं और सरकार द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। तथापि राज्य में 33 कम्पनियां सौर जल तापन प्रणालियों, सौर स्टिल्स, सौर कूकर, सौर वायु

तापक और टिम्बर किल्न के विनिर्माताओं के रूप में पंजीकृत हैं। इसके अलावा, राज्य में 12 कम्पनियां सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं।

सौर ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा उपस्कर विनिर्माताओं को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं जिसमें पूंजीगत उपस्करों, कच्चा माल, उपभोज्यों और तैयार उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दरेंशामिल हैं। विनिर्माताओं के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण, तैयार उत्पादों की बिक्री पर उत्पाद शुल्क की छूट और शत-प्रतिशत मूल्यह्रास भी उपलब्ध हैं।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड

3214. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड भारतीय रेल को "एअर ब्रेक" प्रणाली के कुछ संघटकों के आपूर्तिकर्ता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार अब तक भारतीय रेल द्वारा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड को वेक्यूम एक्जाउस्टर के लिए किए गए क्रयादेश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) रेलवे द्वारा इन क्रयादेशों में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस मामले के संबंध में रेलवे से सम्पर्क किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) इस कंपनी का अब तक पुनरुद्धार न किए जाने के क्या कारण हैं, जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अन्तर्गत है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड भारतीय रेल को "एअर ब्रेक" प्रणालियां व हिस्से-पुर्जे सप्लाई करता है।

(ख). भारतीय रेल द्वारा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड को वैक्यूम एग्ज़ास्टर्स के लिए पिछले तीन वर्षों में तथा अब तक दिए गए कार्यादेशों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं : -

	(मूल्य, लाख रुपये में)
1991-92	351.92
1992-93	337.32
1993-94	369.00
1994-95 (जुलाई, 1994 तक)	146.30

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय ने वर्तमान दोहरी ब्रेक प्रणाली अर्थात् एअर ब्रेक्स तथा वेक्यूम ब्रेक्स् के स्थान

पर "एअर ब्रेक्स" नामक एकल ब्रेक प्रणाली अपनाने का नीतिगत निर्णय लिया है। अत: वेक्यूम ब्रेकों का स्थान एअर ब्रेक ले लेंगे और इसलिए रेलवे को एग्ज़ास्टर्स की अवश्यकता नहीं रहेगी।

(च) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड इस समय औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित है। भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लिमिटेड की जैव्यता का अंतिम निर्णय बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों पर निर्भर होगा।

शहद का उत्पादन

3215. श्री एन डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु और केरल में शहद उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन राज्यों में इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग तमिलनाडु और केरल में प्रत्यक्ष रूप से सहायता पाने वाले संस्थानों और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के जरिये मधु मक्खी पालन के सामान्य कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इसके अलावा के.वी.आई.सी. ने केरल राज्य और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 34.86 लाख रुपये की लागत से एक पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू किया है। के.वी.आई.सी. के अधिकार क्षेत्र में मधु मक्खी पालन उद्योग के विकास के लिए किए गए उपायों में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से मधु मक्खी पालन उद्योग का विकास करना, संभावनाओं का पता लगाना तथा वृक्षारोपण को भी शामिल करने का प्रयास करना, निहित है। के.वी.आई.सी. ने शहद के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के अधिकतर भागों में अधिक शहद निर्मित करने वाली मधुमक्खियों अर्थात् एपिस मैलिफेरा को लाया गया है।

(ख) केरल और तमिलनाडु को प्रदान की गई सहायता के जिलावार ब्यौरे के.वी.आई.सी. के केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई के पास तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों को पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई सहायता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(रुपये लाख में)

राज्य	1991-982			1992-93			1993-94		
केरल	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग
केरल	0.52	7.57	8.09	5.17	9.94	15.11	0.42	6.35	6.77
तमिलनाडु	1.90	4.15	6.05	1.09	1.02	2.11	1.07	3.09	4.16

उपर्युक्त के अलावा केरल और तमिलनाडु में पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए 34.88 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

किराया नियंत्रक

3216. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किराया नियंत्रकों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) किराया नियंत्रकों के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में किराया सम्बन्धी विवादों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने वाले हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) किराया राज्य का विषय हैं और संगत राज्य किराया अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किराया नियंत्रकों के नियुक्ति के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

(ख) और (ग) चूंकि यह राज्य का मामला है अतः केन्द्र सरकार द्वारा न तो ब्यौरे एकत्र किये जाते हैं और न ही रखे जाते हैं।

(घ) मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों में संतुलन बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार ने आदर्श किराया नियंत्रण कानून बनाया है जिसे राज्य सरकारों को भेजा है। यह आशा की जाती है कि इससे भविष्य में किराया विवादों की रोकथाम होगी।

मेगा सिटी योजना

3217. डा. असीम बाला : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से नगरों को मेगा सिटी के रूप में विकसित किया गया है या किया जाता है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) "मेगा सिटी स्कीम" के तहत विकास हेतु प्रस्तावित शहरों के राज्यवार नाम इस प्रकार हैं : –

महाराष्ट्र	-	बम्बई
पश्चिम बंगाल	-	कलकत्ता
तमिलनाडु	-	मद्रास
आन्ध्र प्रदेश	-	हैदराबाद
कर्नाटक	-	बंगलौर

(ख) और (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता मेगा शहर कार्यक्रम हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। मेगा शहर स्कीम हेतु वित्तीय व्यवस्था में 25 प्रतिशत केन्द्रीय अंश, 25 प्रतिशत राज्य अंश तथा 50 प्रतिशत संस्थागत वित्त शामिल हैं। प्रस्तावित नियतनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

(रुपये करोड़ में)

सेक्टर	वार्षिक फेजिंग			कुल
	1993-94 व 1994-95	1995-96	1996-97	
1. जलापूर्ति	36.30	36.30	48.40	121.00
2. जल निकासी एवं सफाई	24.30	24.30	32.40	81.00
3. कूड़ा-करकट नियतन	3.30	3.30	4.40	11.00
4. यातायात एवं परिवहन	32.40	32.40	43.20	108.00
5. बस्ती सुधार	3.30	3.30	4.40	11.00
6. आवास एवं नए क्षेत्र का विकास	51.00	51.00	68.00	170.00
7. व्यवसायिक विकास	29.70	29.70	39.60	99.00
8. पर्यावरण सुधार एवं पुनरूद्धार	2.10	2.10	2.80	7.00
कुल :	182.40	182.40	243.20	608.00

आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड से प्रभावित गांव

3218. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में फलोराइड से प्रभावित गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) फलोरोसिस पर नियंत्रण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उप-मिशन के अन्तर्गत, रंगारेड्डी जिले में 97 गांवों को कवर करने के लिए 377.60 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना संस्वीकृत की गई है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार से निम्नलिखित चार परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं और उनकी तकनीकी जांच हो रही है।

1. अनंतपुर जिले में 2821.473 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 1470 गांवों को कवर करने के लिए एकीकृत फलोरोसिस नियंत्रण परियोजना।

2. करीमनगर जिले में करीमनगर संसदीय चुनाव क्षेत्र के 82 गांवों को कवर करने के लिए 1006.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अत्यधिक फलोराइड से प्रभावित गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए परियोजना।

3. वारंगल जिले के हनुमाकोंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 24 गांवों को कवर करने के लिए 790.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अत्यधिक फलोराइड से प्रभावित गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए परियोजना।

4. गंटूर जिले के विनुकोंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 52 गांवों को कवर करने के लिए 480.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अत्यधिक फलोराइड से प्रभावित गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए परियोजना।

रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आर्डर

3219. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सुपुर्द किए गए उपक्रमों को आर्डर देने में कतरा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन रूग्ण उपक्रमों की समस्यायें बढ़ी हैं तथा उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और कठिन हो गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) इन रूग्ण उपक्रमों के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के किसी एक उद्यम द्वारा सरकारी क्षेत्र के ही किसी अन्य उद्यम को आर्डर देना, आवश्यक विशेषताओं वाले उत्पादों की आपूर्ति, उन उत्पादों का विशेष मानक और गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों इत्यादि पर निर्भर करता है। आपूर्ति करने वाले उद्यम को बी.आई.एफ.आर. को निर्दिष्ट किया गया है या नहीं, यह किसी उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को आर्डर देने के निर्णय में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनियन कारबाईड कंपनी

3220. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड कंपनी अपनी मशीनों को हटाना चाहती है ;

(ख) क्या यह कार्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा रहा है ;

(ग) क्या यूनियन कारबाइड कंपनी की फैक्टरी अभी भी सी.बी.आई. के नियंत्राणाधीन है और इसे न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त कर लिया गया था ;

(घ) क्या गैस पीड़ितों के किसी संगठन ने इन मशीनों को हटाए जाने से रोकने के लिए न्यायालय की शरण ली है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने युनियन कारबाइड कंपनी द्वारा मशीनों को हटाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यू.सी.आई.एल.) द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सूचित किया गया है कि निरीक्षण, सफाई और संयंत्र, उपस्करों, ढांचों, टैंकों, वेसलों आदि को तोड़ने का कार्य, एम.आई.सी. ढांचा, इसके भंण्डारण क्षेत्र और/अथवा सेविन/मिकु नियंत्रण कक्ष को छोड़कर, प्रगति पर था।

(ख), (ग) और (ङ) सी.बी.आई. ने सूचित किया है कि यू.सी.आई.एल., भोपाल के संयंत्र और उपस्कर जांच के दौरान जब्त नहीं किए गए थे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की ये सम्पत्ति नहीं है। फैक्टरी को किसी कोर्ट के आदेश से कुर्की घोषित नहीं की गई है। अतः सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी जाती है।

(घ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय होने से पहले अपनी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण करने से यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यू.सी.सी.) को रोका जाए।

बायो-गैस संयंत्र

3221. श्री थोटा सुब्बा राव :

डा. के.वी.आर. चौधरी :

डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 31, 1994 को देश में बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) 1994-95 के दौरान राज्यवार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या बायोगैस संयंत्रों के विकास के लिए तथा अनुसंधान कार्य के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय क्षेत्र की दो अलग-अलग योजनाओं के तहत वर्ष 1994-95 के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के साथ-साथ सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के संवर्धन और स्थापना के लिए राज्य सरकारों और नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि बायोगैस पर अनुसंधान और विकास के लिए राशियां प्रत्येक परियोजना के आधार पर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्वीकृत की जा रही है।

विवरण-I

31 मार्च, 1994 तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	152897	71
अरूणाचल प्रदेश	126	-
असम	13119	-
बिहार	80378	15
गोवा	2293	10
गुजरात	231400	96
हरियाणा	26324	12
हिमाचल प्रदेश	34150	3

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	1067	4
कर्नाटक	136835	16
केरल	40124	1
मध्य प्रदेश	71713	90
महाराष्ट्र	536533	197
मणिपुर	782	-
मेघालय	329	-
मिजोरम	1009	-
नागालैंड	194	-
उड़ीसा	94007	32
पंजाब	24306	205
राजस्थान	50086	43
सिक्किम	1215	-
तमिलनाडु	168266	76
त्रिपुरा	470	-
उत्तर प्रदेश	243128	268
पश्चिम बंगाल	73961	9
अंडमान व निकोबार	108	-
चंडीगढ़	82	-
दादर व नगर हवेली	159	-
दिल्ली	629	10
पाण्डिचेरी	530	1
जोड़ :	1986220	1159

विवरण - II

वर्ष 1994-95 के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित वास्तविक लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित वास्तविक लक्ष्य (संख्या)	
	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	20000	3
अरुणाचल प्रदेश	10	-
असम	1000	-
बिहार	3000	2
गोवा	200	-
गुजरात	38000	7
हरियाणा	2000	2
हिमाचल प्रदेश	1800	-
जम्मू और कश्मीर	50	-
कर्नाटक	18000	4
केरल	1500	1
मध्य प्रदेश	15000	10
महाराष्ट्र	20000	27
मणिपुर	150	-
मेघालय	100	-
मिजोरम	100	-
नागालैंड	100	-
उड़ीसा	12000	2

1	2	3
पंजाब	3000	20
राजस्थान	5000	1
सिक्किम	150	1
तमिलनाडु	8000	20
त्रिपुरा	50	--
उत्तर प्रदेश	10000	40
पश्चिम बंगाल	6000	5
अंडमान व निकोबार	5	-
चंडीगढ़	5	-
दादर व नगर हवेली	3	-
दमन और दीव	2	
दिल्ली	10	5
पांडिचेरी	15	-
अन्य *	34750	50
जोड़ :	200000	200

* खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, और स्वैच्छिक संगठन ।

सशस्त्र बलों के लिए पूंजीगत परिव्यय

3222. श्री अमल दत्ता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजीगत व्यय शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) 1993-94 के बजट प्राक्कलन से अधिक अतिरिक्त व्यय करने के क्या कारण हैं और उन मदों का क्या ब्यौरा है जिन पर उक्त व्यय किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत तीनों सेनाओं के संबंध में वर्ष 1993-94 के व्यय के अनन्तिम लेखाओं में निम्नलिखित राशियां दर्शायी गई हैं : -

सेना	2270.49 करोड़ रुपये
नौसेना	1381.32 करोड़ रुपये
वायुसेना	2633.10 करोड़ रुपये

सेनाओं पर किया गया व्यय, प्राप्त की गई अनुपूरक राशि सहित संस्वीकृत बजट प्राक्कलनों के भीतर ही है।

1993-94 के बजट प्राक्कलनों से अधिक और राशि व्यय होने के कारण विनिमय दरों का एकीकरण तथा संविदात्मक बाध्यताएं थीं। इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1388.38 करोड़ रुपये का दत्तमत अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। तीनों सेनाओं के संबंध में इस अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है : -

सेना	531.84 करोड़ रुपये
नौसेना	345.33 करोड़ रुपये
वायुसेना	511.21 करोड़ रुपये

यह अतिरिक्त व्यय मुख्यतः वायुयान और एयरोइंजन, नौसेना बेड़ा, अन्य उपस्कर तथा भारी एवं मध्यम वाहनों पर किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3223. डा. विश्वनाथ कैनिथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपनी वित्तीय और आर्थिक दशा में सुधार लाने वाले सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस दौरान पुनः चालू किए गए सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शेष रूग्ण उपक्रमों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन का उद्यम-वार ब्यौरा 23-2-1994 को संसद में रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-3 में लाभ तथा हानि खाता सारांश में दिया गया है जबकि वास्तविक कार्य निष्पादन का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण संख्या 23 के में विवरण पृष्ठ संख्या 147 से लेकर विवरण पृष्ठ संख्या 180 में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के 50 रूग्ण औद्योगिक उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिए पंजीकृत किया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ऐसे प्रत्येक रूग्ण उद्यम के लिये प्रचालन अभिकरण नियुक्त करता है जो उपचारी उपायों के बारे में सुझाव देता है। ऐसे उपचारी उपाय रूग्णता के कारणों के अनुसार उद्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। अब तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने अन्तिम रूप से कार्यान्वित करने के लिये इण्डियन एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. के सम्बन्ध में पुनरुद्धार सम्बन्धी योजना अनुमोदित की है।

आयातित प्रौद्योगिकी की सूची

3224. डा. खुशीराम डुंगरोमल बेस्वाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी /भारी उपकरणों की सूची बनाने का काम चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सभा पटल पर रखा जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख).यह कार्य किया जा रहा है और अगस्त, 1994 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

असंगठित क्षेत्र

3225. श्री शांताराम पोवदुखे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ग्रामीण श्रमिकों के लिये यह योजना कितनी लाभदायक है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा ग्रामीण श्रमिकों, जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषि और गैर-कृषि मजदूर शामिल हैं, के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को उत्पादक स्वरूप की आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिए सरकार द्वारा सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर जुटाना है। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेख से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित समूह हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को तरजीह दी जाती है। रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में, जिनमें सूखाग्रस्त, मरूस्थली क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं, 2 अक्तूबर, 1993 से सुनिश्चित रोजगार योजना भी शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को, जो काम की तलाश में हैं और काम करना चाहते हैं, 100 दिन का अकुशल श्रमिक रोजगार सुनिश्चित करना है।

(घ) 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के लिए निधियों का आबंटन निम्न प्रकार हैं : -

	कार्यक्रम	आबंटित राशि (करोड़ रुपये)
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1098.22
2.	जवाहर रोजगार योजना	3855.00
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	1200.00

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति

3226. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के विपणन हेतु भारतीय कम्पनियों के साथ समझौता करने की अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्हें किन-किन क्षेत्रों में भारतीय कम्पनियों के साथ समझौते करने की अनुमति प्रदान की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। नीति के बाद की अवधि (अगस्त, 1991 से जून, 1994 तक) के दौरान लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विपणन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ समझौतों हेतु मंजूर किये गये अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	विदेशी सहयोगी का नाम	भारतीय कंपनी का नाम	विनिर्माण की मद	राशि (मिलियन में)	% इक्विटी
1	2	3	4	5	6
1.	गिवउदान राउरे, स्विटजरलैंड		भारत से परफ्यूम/फलेवर कच्चे माल और तैयार परफ्यूमरी/फलेवर कंपाउंड का निर्यात और विपणन।	25.00	100.00
2.	बाटा (इंडिया) बीवी. नीदरलैंड	बाटा इंडिया लि. कलकत्ता	सभी प्रकार के फुटवीयर, फुटवीयर कंपाउंड्स, फुटवीयर से संबद्ध चमड़ा और उत्पाद तथा खेल का सामान, सहायक सामान, गारमेंटस और अन्य वस्तुएं।	131.00	51.00
3.	दि वाल्ट डिसनी के. यू.एस.ए.	इंडो-यूरो इंडस्ट्री लि. बंबई	वाल्ट डिसनी द्वारा विकसित अवधारणा और विचार के प्रयोग करके म्यूजिक कैसेट खिलौने , शिक्षा संबंधी उपकरण तथा विडियो उत्पादों सहित उत्पादों का विकास और विपणन करना।	5.10	51.00

1	2	3	4	5	6
4.	लेवीस स्ट्रॉउस एंड कं. हांगकांग		चुनिदा लघु औद्योगिक एककों में निर्मित गारमेंटों के विपणन, विज्ञापन और वितरण के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी की स्थापना करना।	94.77	100.00
5.	लिटिलवुड्स इंटरनेशनल लि. यू.के.	कूपर्स एंड लेब्रांड प्रा.लि. नई दिल्ली	भारत में निर्मित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन और विक्रेता विकास हेतु 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना करना।	473.25	100.00
6.	बैनिटोन ग्रुप एस.पी.ए. इटली	डी.सी.एम.लि. नई दिल्ली	निट फ्रैब्रिक क्षेत्र में कपड़ा क्षेत्र हेतु एकीकृत निर्माणकारी सुविधा। उद्यम लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किसी मद का सीधे निर्माण नहीं करेगा। किन्तु वह इनका लघु एककों में निर्माण कराएगा।	95.00	50.00

1	2	3	4	5	6
7.	डुंकिन डोन्ट्स इंक, यू.एस.ए.	क्वालिटी फ्रोजन फूड्स, बम्बई	डुंकिन डोन्ट्स इंक उत्पादों के विपणन हेतु बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करना।	0.25	50.00
8.	बास्किन रोबिन्स इंटरनेशनल लि. यू.एस.ए.	- वही -	प्रौद्योगिकीय सहयोग के स्वतंत्र लघु एककों द्वारा निर्मित आईसक्रीम के विशेषाधिकार और विपणन से संबंधित कार्यकलाप शुरू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करना। यह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं करेगा।	0.25	50.00

[अनुवाद]

प्रतिरक्षा भूमि नीति

3227. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी क्षेत्रों में पुराने भव्य बंगलों के मरम्मत और निर्माण सम्बन्धी प्रतिरक्षा नीति में उपयुक्त परिवर्तन करने के बारे में विभिन्न संगठनों इत्यादि से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अनिवार्य समझे जाने वाले इन परिवर्तनों को विधिवत् क्रियान्वित किया जाएगा।

भूमि सुधार कानून

3228. श्री ह्यराधन राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भूमि सुधार कानून को संविधान के नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार से संविधान की नौवीं अनुसूची में सात भूमि सुधार कानूनों को शामिल करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन कानूनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986
2. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986
3. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986
4. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1986
5. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989
6. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990
7. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार न्यायाधिकरण अधिनियम, 1991

पेट्रो-रसायन परियोजना

3229. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में एक पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी तथा इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इथाइलीन और अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण के लिए क्रैकर इकाइयां स्थापित करने के लिए पिछले दो वर्षों में सरकार ने में. रिलायंस इंड. लि. से दो प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	क्रैकर क्षमता	स्थान	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1.	प्रतिवर्ष 7.5 लाख टन इथालीन क्षमता (4 लाख टन प्रतिवर्ष से 7.5 लाख टन प्रतिवर्ष तक विस्तार)	हजीरा	621
2.	प्रतिवर्ष 8 लाख टन इथाइलीन	जामनगर	1732

उत्तर प्रदेश में आवास समितियां

3230. डा. साक्षी जी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन आवास समितियों को हुडको द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और ऐसी सहायता की राशि कितनी है ; और

(ख) शेष समितियों को कब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) उत्तर प्रदेश की आवास समितियों, जिनको हुडको ने 30.06.94 तक वित्तीय सहायता दी थी, के नाम तथा प्रत्येक समिति को दी गई सहायता राशि इस प्रकार है : –

क्र.सं.	आवास समिति का नाम	हुडको ऋण राशि (रुपये लाखों में)
1.	उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड	1000.00
2.	डी.सी.एम. कारपोरेटिव लिमिटेड	17.59
3.	अनुयोगी सहकारी आवास समिति लिमिटेड	23.64
	कुल :	1041.23

(ख) हुडको ने बताया है कि किसी भी सहकारी समिति का कोई भी प्रस्ताव हुडको में लम्बित नहीं है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3231. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है ; और

(ख) उनके पुनःप्रशिक्षण तथा पुनः रोजगार के लिए कौन सा वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के 131 उद्यमों ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 से लेकर वर्ष 1992-93 तक 98,513 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प चुना है। सरकारी क्षेत्र के 92 उद्यमों ने "शून्य" जानकारी भेजी है। राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं हैं।

(ख). अतिरिक्त कामगारों के पुनर्प्रशिक्षण तथा उन्हें सलाह देने हेतु मार्गदर्शी आधार पर कार्यान्वित करने के लिए पांच योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 31-5-1994 तक 266 अतिरिक्त कामगारों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विशेष श्रेणी के राज्य

3232. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों की वित्तीय समस्याओं का हल सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने कौन-कौन सी सिफारिशें का हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित कर लिया गया है, राज्यों से संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में राज्यों से अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों, अन्य केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित निगमों एवं संगठनों से संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में वित्त मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

स्थायी समाधान के लिए सिफारिशें :

विशेष श्रेणी के राज्यों की वित्तीय समस्याओं के स्थायीवत् समाधान खोजने के लिए जिन मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं : - (क) संघ राज्य क्षेत्र अवधि के कारण या उनके क्षेत्रों में केन्द्र निर्देशन/संबंधित व्यय से उत्पन्न राज्यों की पिछली वित्तीय देयताएं, (ख) सीमित संसाधन आधार तथा आवश्यक राज्य घटकों पर प्रशासनिक तथा अन्य बढ़ते हुए व्यय और (ग) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अंतरण के पश्चात् पैदा होने वाले योजना-भिन्न अंतर को कम करने की आवश्यकता। इन समस्याओं से निपटने के लिए सकारात्मक उपाय न केवल केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने हैं अपितु राज्य सरकार द्वारा स्वयं भी किए जाने हैं।

4.2 स्थायीवत् समाधान खोजने में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : -

(i) राज्य की पीछे से चली आ रही ऐसी देयताओं का पता लगाना जिनको पूरा करने में राज्य असमर्थ हों उनके सीमित संसाधनों तथा क्षमताओं को देखते हुए और जिनको बट्टे खाते में डाला जाना हैं ताकि राज्य नए सिरे से शुरुआत कर सके।

(ii) उनकी संसाधन जुटाने की क्षमता, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उपायों का पता लगाना और व्यय को कम करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

(iii) पिछली योजना स्कीमों के संबंध में आरक्षण देयताओं के कारण उत्पन्न होने वाले योजना-भिन्न अंतर को सीमित करने के उपायों पर विचार करना।

(iv) योजना तथा योजना-भिन्न व्यय के बीच की विभाजन रेखा की समीक्षा करना।

4.3 समिति ने ऊपर बताए गए अनुसार मामलों का अध्ययन करने के पश्चात् मध्य अवधि, अर्थात् आठवीं योजना 1992-97 की अवधि से संबंधित उपायों का एक पैकेज तैयार करने का प्रयास किया है। फिर भी ऐसा करने में समिति ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है कि विशिष्ट राज्यवार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपायों में सभी राज्यों के लिए एक जैसी रणनीति प्रतिबिम्बित हो। समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्नलिखित से संबंधित पहले के निर्णयों को भी ध्यान में रखा है। (क) अतिरिक्त वित्त पोषण, जो कि इन राज्यों द्वारा बाह्य सहायता का उपयोग करके जुटाया जा सकता है ; और (ख) योजना-भिन्न अंतर, जिसके लिए वर्तमान राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्णय सामान्य-केंद्रीय (निवल) सहायता का 10 प्रतिशत तक सीमित हैं, की पूर्ति करने के लिए योजना निधियों के अंतरण का विशिष्ट स्तर।

4.4 समिति यह महसूस करती है कि समग्र संसाधनों की कमी को देखते हुए अधिशासन के लिए

अपेक्षित कुछ सामान्य प्रशासनिक ऊपरि खर्चों को बांटने की संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन राज्यों के संबंध में जो कि भौगोलिक तौर पर एक-दूसरे से सटे हुए हैं और जिनका अतीत एक-जैसा था। इसके लिए राज्यों को स्वयं ही एक अलग अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुछ प्रशासनिक ऊपरी खर्चों को बांटने से व्यय में कमी होगी। उदाहरण के तौर पर सामान्य ऊपरी खर्चों में सांझा राज्यपाल, सांझा उच्च न्यायालय, सांझा विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान का सांझा संस्थान व अन्य बातें शामिल हैं। छोटे राज्यों में दो या तीन संबंधित विभागों को ही विभाग के लिए मिलाया जा सकता है।

4.5 इसके पश्चात समिति को उन सिफारिशों को, जो (1) केंद्रीय सरकार (2) राज्य सरकारों (3) वित्तीय पद्धति और (4) अन्य केंद्र द्वारा प्रायोजित/समर्थित संस्थानों से संबंधित हो, का खुलासा किया गया है।

4.6 विशेष श्रेणी के राज्यों के गठन की पृष्ठभूमि और पीछे से उनके ऊपर चली आ रही वित्तीय कठिनाइयों तथा वर्षों तक जमा हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है : -

(i) अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्यों के संबंध में, उनको संघ राज्य क्षेत्र की अवधि के दौरान दिए गए ऋण को, और उस पर ब्याज को बट्टे-खाते में डाला जाए ताकि ये राज्य नए सिरे से अपना लेखा आरंभ कर सकें। और नई व्यवस्था में अपने वित्त का प्रबंध कर सके। इसको 1992-93 से प्रभावी किया जाना चाहिए।

(ii) अरूणाचल प्रदेश के राज्य बनने से पूर्व के ऋण व उसके ब्याज, जो कि उसने हैलीकाप्टरों सहित उपकरणों की खरीद हेतु लिया था, जोकि सुरक्षा के लिए जरूरी था और जिसका फैसला भारत सरकार ने किया था, को बट्टे खाते में डाला जाए।

(iii) असम तथा जम्मू और कश्मीर का 90 प्रतिशत का अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण सहायता की संशोधित पद्धति को लागू करने की तारीख को 1.4.1990 से प्रभावी बनाया जाए। इससे 1992-93 में दोनों राज्यों को लगभग 85 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

(iv) राज्यों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उचित प्रतिफल मिलना चाहिए जोकि शेष राष्ट्र के उपयोग तथा विकास के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से जहां कहीं भी प्राकृतिक संसाधनों जिसमें पन-बिजली उत्पाद, गैस, तेल आदि शामिल हैं, पर देय रॉयल्टी है, इसे शीघ्रता से संशोधित किया जाना चाहिए।

ऊर्जा विभाग द्वारा नई केंद्रीय पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं के संबंध में तैयार किए गए सूत्र में "उस" राज्य को उत्पादन की गई बिजली का 12 प्रतिशत निःशुल्क देने की व्यवस्था है। यह "उस" राज्य को रॉयल्टी के रूप में लाभ देने के आशय से किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस राज्य में अवस्थित केंद्रीय क्षेत्र तथा अन्य राज्य क्षेत्रों के स्वामित्व वाले या चलायी जा रही सभी पन-बिजली योजनाओं के संबंध में जल पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए रायल्टी का दावा किया है। ऐसे प्रस्ताव के कई अंतराष्ट्रीय निहितार्थ है और कोई भी निर्णय लेने से पहले उस क्षेत्र के अन्य राज्यों से परामर्श करना होगा। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वर्तमान 1.5 पैसा प्रति यूनिट की रायल्टी के बदले में बैरा-स्यूल के मामले में 12 प्रतिशत निशुल्क विद्युत के लिए राज्य

सरकार के दावे पर ऊर्जा विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिवर्ष 6.5 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर उत्पन्न की जा रही विद्युत पर शुल्क लगाया है। राज्य सरकार एन.टी.पी.सी. के पावर स्टेशनों से शुल्क वसूल कर रही है। हालांकि क्षेत्र में अन्य राज्य महाराष्ट्र तथा गुजरात, जिनको इन पावरहाउसों से बिजली एन.टी.पी.सी. बेचता है, ने अतिरिक्त कर के लिए विरोध किया है। यदि मध्य प्रदेश की भांति ही हिमाचल प्रदेश भी 1.15 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क लगाता है तो उसको केंद्रीय विद्युत स्टेशनों से पैदा की गई बिजली से लगभग 85 करोड़ रुपये का कुल वार्षिक लाभ प्राप्त होगा। फिर भी भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र द्वारा उत्पादित विद्युत पर शुल्क लगाने के दीर्घ कालीन प्रभाव को ध्यान में रखे। भविष्य में अव्यवस्थित विद्युत शुल्क लगाने से अंतर्राज्यीय विद्युत परिचालन रोधक के रूप में कार्य करेगा। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का राज्य के रूप में राजस्व एकत्र करने के लिए मुख्य वास्तविक संसाधन विस्तृत पन-बिजली संभावना है जो कि राज्य में विद्यमान है।

असम राज्य कच्चे तेल पर रायल्टी संशोधित करने के लिए दबाव डालता रहा है। ज्ञात हुआ है कि पैट्रोलियम मंत्रालय ने रायल्टी का संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। रॉयल्टी संशोधन करने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाना चाहिए और चालू वर्ष (1992-93) के दौरान लिए गए निर्णय से अप्रैल, 1990 से देय बकाया के कारण असम को पर्याप्त लाभ होगा।

(v) संसाधनों की कमी तथा विकास की आवश्यकता के बावजूद भी पिछली योजनाओं की विकास स्कीमों के लिए अनुरक्षण व्यय के संबंध में बचनबद्ध देयताओं को इन राज्यों के संबंध में सतत विकास योजना देयता के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसी देयताओं पर योजना आयोग द्वारा वर्ष प्रति वर्ष से अनुमोदित योजना के एक भाग के रूप में, उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् विचार किया जाना चाहिए। इससे ये राज्य योजना भिन्न खाते में व्यय को काफी कम कर सकेंगे। जिसके परिणामस्वरूप योजना भिन्न संसाधन अंतर में कमी आएगी। सातवीं योजना स्कीमों के अनुरक्षण व्यय के संबंध में बचनबद्धता देयताओं जिनको योजना-भिन्न में अंतरण किया जाना है, का अनुमान 1992-93 के लिए 484 करोड़ रुपये हैं।

(vi) अक्तूबर, 1990 में राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा लिए गए फैसले के अनुसरण में योजना-भिन्न अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के प्रयोजन हेतु योजना के लिए आबंटित की गई केंद्रीय (निवल) सहायता का 10 प्रतिशत उपयोग करने के इन राज्यों के अनुरोध से योजना आयोग पहले से ही सहमत होता रहा है। सभी दस राज्यों ने इस विकल्प को नहीं अपनाया है। उनकी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय सहायता की पर्याप्त राशि की स्थिति में योजना भिन्न अंतर को काफी कम किया जा सकता है बशर्ते प्रावधान को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए और राज्य इस विकल्प को अपनाएं।

(vii) पहले ये राज्य औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिबंधों के कारण या परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में अपनी संस्थात्मक तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण बाह्य सहायता के उपयोग से संबंधित अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं कर सके थे। परियोजनाओं को तैयार करने में केंद्र इन राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करे जो बाह्य सहायता के लिए पात्र हो सकती हैं। इसी प्रकार बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए।

4.7 सिफारि (i), (ii), (iii), (vi), (v) तथा (vi) के कार्यान्वयन से इन राज्यों के योजना-भिन्न घाटे में 1992-93 में लगभग 1200 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त तेल की रायल्टी के संशोधन से असम राज्य को लाभ होगा। जबकि हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क लगाने से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 100 करोड़ रुपया जुटाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर इन राज्यों का योजना भिन्न घाटा काफी कम हो जाएगा। शेष बचे योजना भिन्न अंतर के संबंध में अंतर को कम करने के लिए राज्यों को राजस्व बढ़ाने तथा व्यय को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं।

जम्मू तथा कश्मीर का मामला स्वयं में अलग है और इसका समाधान अलग से ही किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारी कुछ सिफारिशों से राज्य को भी लाभ होगा तथापि राज्य को कुल निवल केंद्रीय सहायता विकास व्यय की पूर्ति हेतु दी जानी चाहिए। चाहे वह योजनागत व योजना भिन्न खाते में हो।

4.8 इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में, उनके बजट में असंतुलन को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमारी सिफारिश है कि 1992-93 के दौरान निवल सामान्य केंद्रीय सहायता का 10 प्रतिशत उनकी अनुमोदित पात्रता से अधिक अतिरिक्त राशि के रूप में दिया जाना चाहिए। यह सहायता 6 समान मासिक किस्तों में दी जानी चाहिए और उसकी शुरूआत अक्तूबर, 1992 से की जा सकती है और यह इस शर्त पर होगी कि वह राज्य पिछले महीने किसी भी दिन ओवरड्राफ्ट में नहीं रहेगा। कोई भी राज्य अगर बाद के माह में किसी भी एक दिन अगर ओवरड्राफ्ट में रहता है तो उसको अगले माह अतिरिक्त राशि का लाभ नहीं मिलेगा। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत्य अर्थोपाय सीमा की पूर्ण निकासी से यह सहमती बन्द नहीं होगी। हमारा विश्वास है कि सुधार की प्रक्रिया आरम्भ करने में इस उपाय से राज्यों को काफी सहायता मिलेगी। जम्मू कश्मीर तथा सिक्किम दो राज्य जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन देन नहीं करते हैं, उनके कार्य निष्पादन की जांच करने हेतु ओवरड्राफ्ट के वर्तमान स्तर को ही बैंच मार्क माना जायेगा। 1993-94 से सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की पात्रता के निर्धारण तथा वितरण में योजना आयोग को पर्याप्त राजकोषीय निष्पादन मानदण्ड तय करने चाहिएं।

4.9-राज्यों के संबंध में सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

(i) योजना भिन्न अन्तर को कम करने के लिए राज्यों का सबसे प्रमुख कार्य योजना भिन्न राजस्व व्यय में कटौती करना है। इस-उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिट उपाय करने की आवश्यकता है। आगामी कुछ वर्षों में औसतन कम से कम तीन प्रतिशत बिन्दु तक कुल राजस्व के योजना

भिन्न राजस्व के अनुपात में कमी करने की आवश्यकता है। परन्तु वर्तमान समस्याओं को देखते हुए अविलम्ब कुछ प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इससे इस वर्ष योजना भिन्न अन्तर में महत्वपूर्ण कटौती हो सके।

(ii) राज्य, मंत्रालय/विभागों की स्थापना की कुल संख्या तथा उनके वेतनों व भत्तों पर व्यय को केंद्रीय व्यय बजट की तरह ही अलग से दिखा सकते हैं। इससे उनको वेतन तथा भत्तों पर व्यय के अनुपात को कुल योजनाभिन्न व्यय के अनुपात में कम करने की संभावनाओं का निकटतः पता लगाने में मदद मिलेगी इस कारण से स्थापना की संख्या में सामान्य रुप से कोई विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। जैसाकि पहले अध्याय 3 (अनुबंध 3.8) में दिया गया है। सरकार के वेतनचिट्ठे पर कुल कर्मचारियों की संख्या जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार कर्मचारियों की अधिक संख्या को कम करके का भी मामला बनता है ताकि कुल कर्मचारियों की संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र के सापेक्ष आकार के अनुरूप हो सके। सरकारी नियोजन अत्यंत खर्चीला है और इसको रोजगार सृजन के उपाय के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार में रोजगार के विस्तार को उत्पादक योजना स्कीमों को साथ जोड़ा जाना चाहिए। उपलब्ध परिव्यय के आबंटनों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने की योजनागत स्कीमों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iii) राज्यों के छोटे आकार को देखते हुए उनके साझा प्रशासन तंत्र के सृजन या उच्च अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों जैसे विशेषज्ञ तथा महंगी प्रकृति की समझी सुविधाओं का मिलकर उपयोग करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। यह विशेषकर उन राज्यों में संभव है जोकि भौगोलिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

(vi) चूंकि पिछली योजना स्कीम के संबंध में अनुरक्षण व्यय की वचनबद्ध देयताएं इन राज्यों के व्यय में महत्वपूर्ण भाग हैं इसलिए उन्हें सामाजिक प्रयोजन की भारी रूप से प्रभावित किए बिना उनको छांटने के उद्देश्य से स्कीमों की निकटता से समीक्षा करनी चाहिए।

(v) इन राज्यों में पहले से ही आरंभ कर दी गई विकासात्मक प्रक्रिया बढ़ती हुई आय तथा सरकारी क्षेत्र में काफी व्यय को देखते हुए इन राज्यों के राजस्व आधार का विस्तार करने की गुंजाईश है। बिक्री-कर, कर राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसमें कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए समूह का पुनर्गठन करने, भारी रियायतों तथा छूटों को समाप्त करने के संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। यदि संभव हो तो वृक्षारोपण सहित कृषि व अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों से कुछ संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

(vi) कर-भिन्न राजस्व में, जहां कहीं भी सम्भव हों, वनारोपण का विस्तार करके वन तथा संबद्ध कार्यकलापों से और उपयुक्त फसल पद्धतियां लागू करके, महत्वहीन वनों में सुधार करके और शहर, जड़ी-बूटी की मदों तथा औषधीय महत्व के उत्पादनों के वन उत्पादों को प्राप्त करके संसाधन जुटाए जाने चाहिएं। पारिस्थतिकी तथा पर्यावरण के अनुरक्षण में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा और आने वाले समय में इससे अच्छा राजस्व प्राप्त होगा।

4.10 निम्नलिखित सुझावों की ओर वित्तीय संस्थानों तथा बैंकिंग पद्धति का विशेष ध्यान दिलाया जाना चाहिए।

(i) वर्धित स्वीकृतियों के लिए इन राज्यों से प्राप्त आवेदनों पर वित्तीय सस्थानों को सहानुभूतिपर्वूक विचार करना चाहिए।

(ii) बैंक पद्धति का लक्ष्य इन राज्यों में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाना होना चाहिए जिसके लिए राज्यों को भी कुछ कदम उठाने चाहिए ; और

(iii) यू.टी.आई. सहित पारस्परिक निधियों को राज्य के अनिवेश कार्यक्रम में, जिनको वे आरम्भ करें सहभागिता करनी चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि यदि वित्तीय संस्थानों की स्वीकृतियों को बढ़ाया जाता है। तो इन राज्यों के सरकारी परिव्यय पर दबाव कम हो जायेगा, उदाहरणार्थ यह बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वीकृत ऋण की राशि से उत्तरपूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासु, विशेषकर गैर-खेती गतिविधियों के काफी प्रगति हुई है। क्षेत्र के संसाधनों के व्यवस्थित ढंग से उपयोग से संस्थानों से वृधित ऋणों के समर्थन द्वारा राज्यों की वित्तीय समस्याओं के स्थाईवत समाधान खोजने में भी मदद मिलेगी।

4.11 ऐसे कई केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित निगम तथा संगठन हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक कार्यकलापों के लिए, विशेषकर अवसंरचना तथा सेवा क्षेत्रों के लिए धनराशियां उपलब्ध कराते हैं। इन निकायों को इन राज्यों की आवश्यकताओं तथा मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाना चाहिए। ऐसी सहायता से इन राज्यों को न केवल अपने व्यय देनदारियों को कम करने में मदद मिलेगी अपितु इससे इन राज्यों में अवसंचरनात्मक तथा सेवा क्षेत्रों की बेहतर कार्यकुशलता में भी सहयोग मिलेगा जिससे परिणामतः उत्पाद प्रक्रिया तेज होगी। पूर्वोत्तर परिषद् इस दिशा में परिषद के सदस्य-राज्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

4.12 विशेष श्रेणी के राज्यों की समस्याओं की ओर हमेशा ही विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। केन्द्रीय सहायता के वितरण में, क्षेत्र कार्यक्रमों तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान करने के बाद, कुल का 30 प्रतिशत इन राज्यों को आबंटित किया जाता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर परिषद् को अतिरिक्त आबंटन भी मिलता है। अब विशेष श्रेणी के सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। इन सभी विशेष सुविधाओं के बावजूद इन राज्यों की अभी भी कठिनाइयां हैं। समिति ने कुछ उपायों की सिफारिश की है जिससे उनकी वित्तीय कठिनाइयां कम हो सकती हैं। इस समिति ने कुछ ऋण तथा कर्ज सेवा भुगतानों का पता लगाया है जिन्हें बट्टे खाते में डाला जा सकता है। समिति ने इस बात की भी जोरदार सिफारिश की है कि, जहां कहीं भी देय हो, प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में रायल्टी संशोधन शीघ्रता से किया जाना चाहिए क्योंकि इन राज्यों का संसाधन आधार सीमित है। राजकोषीय असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, चालू वर्ष के लिए समिति ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सिंफारिश की है बशर्ते कि राजकोषीय प्रबन्ध के बारे में कुछ शर्तों को पूरा किया जाए। तथापि, आगामी वर्षों में सामान्य केन्द्रीय सहायता में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए राजकोषीय

कार्य-निष्पादन का एक मानदण्ड तैयार किया जाना आवश्यक है। इन सभी राज्यों द्वारा राजस्व व्यय में कटौती करने तथा राजस्व में वृद्धि करने हेतु कड़े प्रयास किए जाएं ताकि किसी भी शेष योजना-भिन्न के अन्तर को कम किया जा सके।

कानपुर में चमड़ा उद्योग

3233. श्री भगवतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इसके फलस्वरूप विदेशी निवेशक कानपुर में अपने उद्योग शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख). प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शाहपुर कांडी परियोजना

3234. श्री पवन कुमार बंसल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रावी नदी पर शाहपुर कांडी परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसे केन्द्रीय जल आयोग ने तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर अब तक कार्य शुरू हो गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कार्य कब से शुरू किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) योजना आयोग ने 5 जुलाई, 1993 को पंजाब में रावी नदी पर 895.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 153.36 करोड़ रुपये के निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) को मिलाकर 168 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना को निवेश स्वीकृति इस शर्त के अधीन दे दी थी कि परियोजना के चालू होने से पूर्व सभी संबंधित राज्यों के पारस्परिक संतोष से संबंधित अन्तर राज्यीय

पहलुओं को निर्णय लिया जाए। इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अगस्त, 1992 में तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी थी। चूंकि यह परियोजना बहु उद्देशीय नहीं है, अतः केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है। यह एक चालू परियोजना है और परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित निर्माण अनुसूची के अनुसार परियोजना का 5 वर्ष में पूरी होना प्रस्तावित है।

जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट

3235. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनसंख्या के संबंध में कोई सिफारिशें की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 23-24 दिसम्बर, 1991 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर गठित राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या संबंधी उपसमिति ने 14 नवम्बर, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की 18 सितम्बर, 1993 को हुई 46वीं बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनसंख्या संबंधी उपसमिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया तथा अगली कार्रवाई शुरू करने हेतु नोडल मंत्रालय अर्थात् परिवार कल्याण विभाग को निदेश दिया।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की प्रमुख सिफारिश राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निरूपण के संबंध में है। परिवार कल्याण विभाग ने नीति प्रारूप तैयार करने हेतु डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया। विशेषज्ञ दल ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। अन्य सिफारिशें, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, क्षेत्र विशिष्ट माइक्रो आयोजना, कार्मिक प्रशिक्षण, अंतर क्षेत्रकीय समन्वय, संगठित क्षेत्रक की भूमिका, अनुसंधान, प्रोत्साहन तथा अप्रोत्साहन, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि की वित्त व्यवस्था से संबंधित है। परिवार कल्याण विभाग उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर चुका है।

[हिन्दी]

भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण

3236. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अभी कितना कार्य और किया जाना है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1991-94 के दौरान भारत सरकार

द्वारा भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता वाली 41 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इसके लिए 8.96 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने भूमि धारकों को स्वामित्व के रिकार्ड की कम्प्यूटर प्रतियां वितरित कर दी हैं।

यह एक चल रहा कार्यक्रम है और इसको आने वाले वर्षों में विस्तार करके जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास प्रबंधन

3237. श्री के. प्रधानी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवास प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस संस्थान की कोई शाखाएं खोली गई हैं ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध नामक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध संस्थान (एन आई एच एम) नामक एक स्वायत्त संगठन उड़ीसा सरकार के आवास तथा नगर विकास विभाग के तत्वधान में भुवनेश्वर में कार्य कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान की वित्त व्यवस्था यूनिसेफ तथा उड़ीसा सरकार द्वारा की जा रही है। यह संस्थान एक बहु-विधाओं वाला निकाय है जो पर्यावास प्रणाली के विकास तथा उसके संरक्षण के माध्यम से सुस्थिर मानव बस्ती के सुधार में लगा है। यह संस्थान, पर्यावरण व पारिस्थितिकी प्रणाली, पर्यावास की सामाजिक व आर्थिक प्रणाली की आयोजना, विकास और प्रबन्ध पर केन्द्रित है। इसका लक्ष्य पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान, आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण, परामर्श तथा नीति के क्षेत्र में एक विशिष्ट संस्थान के रूप में कार्य करना तथा सस्ती पर्यावास प्रौद्योगिकी विकास करना है।

देश के किसी अन्य भाग में इस संस्थान की कोई शाखा नहीं है।

इस संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों (31.7.1994 तक) के दौरान किये गये विशिष्ट कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध द्वारा 1992-93, 1993-94, 1994-95 (31.7.1994 तक) किये गये विशिष्ट कार्य।

1. राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध संस्थान ने यूनिसेफ के सहयोग से 22 से 26 फरवरी 1993 तक निर्धनों

के लिये शहरी मूलभूत सेवाओं के तहत प्रशिक्षकों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

2. राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध संस्थान ने 20.4.1993 से 30.4.1993 के बीच नारेन गढ़ भवन निर्मित्ति केन्द्र में सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण पर एक एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

3. राष्ट्रीय पर्यावास प्रबन्ध संस्थान ने राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के लिये 7 तथा 8 के बीच और 13 तथा 14 मई, 1993 को दो बैचों में शहरी मूलभूत सेवा समर्थन पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह अपनी किस्म का प्रथम पाठ्यक्रम है जो एन आई एच एम में यूनिसेफ तथा आवास व नगर विकास विभाग के सहयोग से शुरू किया है।

4. एन आई एच एम ने 23.6.1993 से 28.6.1993 तक तथा 4.8.1993 से 7.8.1993 तक दो बैचों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक अधिकारियों के लिये शहरी मूलभूत सेवा ओरियन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया।

5. पर्यावास प्रबन्ध संस्थान ने स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए 23-8-1993 से 25-8-93 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

6. संस्थान ने क्रमशः 15-9-93 से 17-9-93 तथा 23-9-93 से 25-9-93 तक शहरी प्रबंध कार्यकम्र प्रशिक्षण का आयोजन किया।

7. एन आई एच एम ने 18.9.93 को नारेनगढ़ भवन निर्मित्ति केन्द्र में सस्ती प्रौद्योगिकी भवन निर्मित्ति केन्द्र पर एक संचार व्यवस्था कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में सी.बी. आर.आई. (रुड़की), बी. एम. पी. टी. सी., हुडको, आई आई टी (खडगपुर) के वैज्ञानिकों, राजनेताओं, प्रशासकों तथा प्रचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों ने भाग लिया।

उक्त कार्यशाला में सस्ती प्रौद्योगिकी विषय पर 25 महिला मेसनों को भी प्रशिक्षित किया गया।

8. 4.10.93 के अलावा, संस्थान में महिला और सुस्थिर विकास पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें केवल महिलाओं ने ही भाग लिया।

9. **मुख्य आर सी वी के लिये ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम**

आर सी वी रेजिडेंट कम्यूनिटी वालनटियरस् के लिये 18.1.1994 से 19.1.1994 तक तथा 21.1.1994 से 22.1.1994 तक दो आरियन्टेशन पाठ्यक्रम आयोजित किये जिनका उद्देश्य समग्र शहरी समस्याओं पर प्रकाश डालना था। इनमें 68 व्यक्तियों ने भाग लिया।

10. **12.1.94 से 13.1.94 तक आश्रय और कलिंग कुटीर पर ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम**

12.1.94 से 13.1.94 तक आश्रय और कलिंग कुटीर पर ओरियन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इसमें भाग लेने वालों को सस्ती प्रौद्योगिकी व ग्रामीण आवास की जानकारी देना था।

11. **राज्य प्रशिक्षण संस्थान, सुडा और विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिये ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम :**

एस टी आई, सुडा तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिये 8.4.94 को एक ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण, मूल्यांकन व अनुसंधान आदि के विषय में जानकारी देना था।

12. **प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना की जानकारी देने के लिये कार्यशाला।**

यह कार्यशाला 9.5.94, 16.5.94 तथा 17.5.94 को आयोजित की गई जिसमें अध्यक्षों, कार्यपालक अधिकारियों, इन्जीनियरों, पार्षदों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शहरी विकास क्षेत्र, 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम, विश्व बैंक परियोजना आदि बाबत सुधारों की जानकारी देना था।

13. **पुरी, भुवनेश्वर और बेहरामपुर नगर पालिकाओं के पार्षदों के लिये समर्थन पाठ्यक्रम**

एन आई एच एम ने भुवनेश्वर, पुरी और बेहरामपुर के पार्षदों के लिये दो-दो दिन के तीन समर्थन पाठ्यक्रम क्रमशः 3.7.1994 से 4.7.1994, 17.7.1994 से 18.7.1994 और 24.7.1994 से 25.7.1994 तक आयोजित किये। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यू बी एस पी उद्देश्यों, सामुदायिक सहभागिता और समाभिरूपता आदि बाबत जानकारी देना था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भाग लेना 14.11.1993 से 23.11.1993

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ने हुडको के माध्यम से नारेनगढ़ भवन निर्मित केन्द्र को 14.11.93 से 23.11.93 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में अपने कार्यों के प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया था।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14.10.93 से 24.10.93 तक चले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया।

अनुसंधान परियोजनाएं

1. संस्थान ने यूनिसेफ के सहयोग से भटके हुए बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) बाबत एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है।
2. उपरोक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त संस्थान आन्तरिक संकाय सदस्यों की सहायता से 13 यू बी एस पी कस्बों बाबत बैचमार्क सर्वे करने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है।

विद्यालयों के लिए स्थान का आबंटन

3238. डा. लाल बहादुर रावल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1987-90 के दौरान विभिन्न समितियों को कतिपय विद्यालयों के लिए स्थान आबंटित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विद्यालयों के स्थानों के भवन नक्शों को स्वीकृति दे दी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन भवन नक्शों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1987-90 के दौरान, विभिन्न समितियों/संस्थानों को 116 स्थलों का आबंटन किया गया था। इन आबंटनों के वर्षवार अलग-अलग ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

वर्ष	किये गए आबंटन
1987	36
1988	35
1989	33
1990	12
योग :	116

(ग) से (ङ) ये आम प्रश्न हैं और किसी मामले विशेष के लिए नहीं है। तथापि, जब कभी कोई समिति या संस्थान भवन नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन करता है तो इन पर भवन उप-नियमों तथा एम पी डी -2001 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। दिल्ली नगर कला आयोग तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, जहां कहीं उनका अनुमोदन अपेक्षित हो, द्वारा लिए गए समय के अलावा, नक्शों के अनुमोदन के लिए निर्धारित समय 60 दिन है।

ग्रामीण जल आपूर्ति

3239. श्री जे. चोक्का राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994- 95 के दौरान एस. एन. पी. और ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. योजनाओं के अंतर्गत समस्याग्रस्त गांवों में जल आपूर्ति हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दिए जाने का विचार किया गया है और इस योजना के अंतर्गत कितने गांव सम्मिलित किए जाएंगे;

(ख) क्या हालैण्ड सरकार आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में जल आपूर्ति योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना कितने गांवों में चलाई जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) 1994-95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 46.44 करोड़ रूपए का आबंटन (इसमें से 23.22 करोड़ रुपये रिलीज़ किये जा चुके हैं) तथा आंध्र प्रदेश में ग्रामीण जल आपूर्ति के

उद्देश्य से राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 46.44 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 1994-95 के लिए 4000 बसावटों की कवरेज का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) नीदरलैंड से सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत नालगोंडा जिले में 60 गांवो तथा 397 बसावटों (जिसमें रास्ते में आने वाली कतिपय बसावटें भी शामिल हैं) तथा रंगारेड्डी जिले के 25 गांवों को कवर करने के लिए ए.पी.-3 को द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 273.86 करोड़ रूपए के अनुमानित लागत से बनाया गया तथा नीदरलैंड सरकार को विचारार्थ भेजा गया।

संयुक्त उद्यम

3240. श्री ए. अशोक राव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृभकों, इफको और आर सी एफ का विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : भारत सरकार, कृभकों और आर सी एफ और सल्तनत आफ ओमान की सरकार तथा ओमान आयल कम्पनी के मध्य ओमान में संयुक्त उद्यम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 30.7.94 को हस्ताक्षर हुए।

विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट निम्नलिखित पूर्वानुमानों पर आधारित होगी:

(i)	क्षमता	3500 मी. टन प्रतिदिन (अमोनिया) 4400 मी. टन प्रतिदिन (यूरिया)
(ii)	अनुमानित लागत	819 मिलियन अमरीकी डालर 1 इसके अलावा लगभग 78 मिलियन अमरीकी डालर वित्तीय प्रभार होंगे।
(iii)	ऋण	साम्य अनुपात 3:1

भारत सरकार /इफको/कृभको ने इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान /केशम फ्री एरिया अथारिटी के साथ केशम ऑफ इरान में एक संयुक्त उद्यम नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए 6.3.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए । ब्यौरे और वित्तीय अनुमान पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् ही पता चलेगे।

उपक्रमों का विनिवेश

3241. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्याकारियों ने अक्षम और निरंतर घाटे में चलने वाले उपक्रमों के विनिपेश अथवा निजीकरण के लिए निर्णय लेने हेतु सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के चेयरमैन की अध्यक्षता वाले "पासमन प्रबंधन" संबंधी कार्यदल ने भी नियमों तथा प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार करने के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नमक बाजार

3242. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) विश्व नमक बाजार में भारतीय नमक उद्योग को प्रमुख भूमिका अदा करने से रोकने की प्रमुख बाधाएं क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नमक का निर्यात करने के लिए भारतीय नमक उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख रूकावटें ये हैं आयात करने वाले देशों द्वारा दिये गये विशिष्टीकरण संबंधी मानकों के अनुसार गुणवता वाले नमक की आपूर्ति करने में असमर्थता, भारतीय बन्दरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्ता के कारण धीमी ढुलाई, देश में बड़ी संख्या में लघु नमक कारखाने होने के कारण गुणवत्ता में अनियमितता होती है और गोदाम सुविधाएं स्थापित करने के लिए नमक निर्माताओं के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन ।

(ख) सरकार विदेशी खरीददारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमक की गुणवता की उन्नत बनाने हेतु नमक शोधक कारखानों की स्थापना को बढावा देती है । प्रस्तावित अन्य उपाय निम्नलिखित है:

(1) नमक की आपूर्ति के लिए अन्य देशों से द्विपक्षीय समझौते करना

(2) काउंटर व्यापार समझौतों में नमक को एक मद के रूप में शामिल करना, और

(3) भारतीय बंदरगाहों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करना ।

पुराने पानी के पाइपों को बदलना

3243. श्री अनादि चरण दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर तथा कटक में पानी के पुराने पाइपों को बदलने के लिए "हडको" से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. चुगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को "कापार्ट" द्वारा सहायता

3244. श्री एन.जे.राठवा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या गुजरात के स्वयंसेवी संगठनों को "कापार्ट" द्वारा कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में 30 जून, 1994 तक 111 स्वयंसेवी संगठनो को 1509.86 लाख रूपए की 328 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

[अनुवाद]

मानसून की स्थिति

3245. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाइ,1994 के "इकानोमिक टाइम्स " नई दिल्ली में "मैट्रोलाजिस्टस अपबीट ओवर मानसून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख)यदि हां, तो मौसम विभाग से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार मानसून की कैसी स्थिति रही है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के उप- हिमालय क्षेत्र जहां अन्य क्षेत्रों की तरह अच्छी वर्षा नहीं हुई थी, जैसे क्षेत्रों के लिए बनाई गई आकस्मिक का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) देश में मानसून वर्षा की प्रगति की मानीटरिंग मौसम वैज्ञानिक सब-डिविजनों तथा जिलों के संदर्भ में सामान्य वर्षा से कुल वर्षा में हुए अंतरो के मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन से लिए देश को 35 मौसम वैज्ञानिक सब-डिविजनों में बांटा गया है । सामान्य वर्षा से, हुई वर्षा के बीच के अंतर के प्रतिशत के अनुसार वर्षा का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे-' अधिक (+ 20 प्रतिशत या ज्यादा), सामान्य (+19प्रतिशत से 19 प्रतिशत) कम (- 20 प्रतिशत से 59 प्रतिशत) तथा बहुत कम (- 60 प्रतिशत अथवा कम)। कोष्ठकों में मानदण्ड दिये हैं।

1 जून से लेकर 10 अगस्त, 1994 की अवधि के दौरान देश के 35 मौसम वैज्ञानिक सब डिविजनों में से 28 तथा 71 प्रतिशत जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई । कम वर्षा वाले सब- डिविजन रहे उप- हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम (- 47 प्रतिशत), मराठवाडा (-43 प्रतिशत), बिहार के मैदान (-39 प्रतिशत), रायलसीमा (-34 प्रतिशत), अरूणाचल प्रदेश (-31 प्रतिशत) तमिलनाडु तथा पॉडिचेरी (-23 प्रतिशत), तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा और तमिलनाडु एवं पॉडिचेरी में कमी बहुत ही सीमांत किस्म की रही।इ

इस अवधि में उप- हिमालयी पश्चिमी बंगाल (उत्तरी बंगाल) तथा सिक्किम में 132.5 से.मी. इसके सामान्य की अपेक्षा 70.4 से.मी. वर्षा हुई । अवधि के इस दौरान (अर्थात 10 अगस्त 1994 तक) अतएव, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में यह कमी सर्वाधिक रही। उत्तरी बंगाल में 5 मौसम वैज्ञानिक जिले हैं। इन जिलों में 1 जून से लेकर 10 अगस्त 1994 की अवधि तक हुई वर्षा का सामान्य वर्षा से अंतर का प्रतिशत इस प्रकार रहा : - पश्चिमी दिनाजपुर (-69 प्रतिशत) कूच बिहार (-64 प्रतिशत), (जलपाइगुडि)-39 प्रतिशत), मालदह, (-33 प्रतिशत) तथा दार्जिलिंग (-32 प्रतिशत)।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान उत्तरी बंगाल के सभी जिलों में वर्षा या तो कम हुई अथवा बहुत कम रही ।यद्यपि, देश में कुल मिलाकर वर्षा की स्थिति एकदम संतोषजनक है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक आकस्मिक योजना सर्कुलेट की है जिसका उद्देश्य फसलों की उपयुक्त किस्मों एवं उत्पाद प्रौद्यौगिकियों का चुनाव करके प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण कृषि जिन्सों के उत्पादन में आई कमी को दूर करना है। यह योजना मानसून की अनिश्चितताओं, जैसे देर से शुरूआत, सूखे की अवधि का लम्बा अंतराल, उसका जल्दी समाप्त होना तथा भारी वर्षा के कारण बाढ आने आदि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इस योजना को आधार बनाकर राज्य सरकारें स्थान विशेष के अनुसार फसल उत्पादन संबंधी कार्यनीतियां बनाती है।

गर्भधारण का पता लगाया जाना

3246. श्री शिव शरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या गर्भधारण के एक सप्ताह के बाद घर में ही इसका पता लगाने के लिए जैव प्रौधौगिकी विभाग द्वारा विकसित एक सरल किट के शीघ्र ही बाजार में आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां तो उसकी विशेष बातों सहित संबंधित ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य

मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्राशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान ने गर्भधारण होने के एक सप्ताह के भीतर इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल में आसान, रंग परिवर्तन डिप्स्टिक आमापन विकसित किया है । इस प्रौद्योगिकी को मेसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया है। उन्होंने इस उत्पाद को ट्रेड मार्क "प्रिसाइज -100" से अंकित किया है। यह उत्पाद पहले ही बाजार में पहुंच चुका है।

[हिन्दी]

सतही जल स्तर

3247. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिग) के जी. ए. सतही जल के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूमिगत जल स्तर के तेजी से गिरने वाले ऐसे क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) देश के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां भूमिगत जल का स्तर सामान्य जल स्तर से नीचे चला गया है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) (क) जी, हां।

(ख) अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन के उपयोग से आयोजित प्रमुख अध्ययन निम्न प्रकार है:

राष्ट्रीय भूमि उपयोग / भू- आवरण मानचित्रण परियोजना के अंतर्गत अक्तूबर, 1988 और जनवरी / फरवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में सभी सतही जल - निकायों के वितरण और विस्तार (56 हैक्टेयर से अधिक) 1:250,000 के पैमाने पर मानचित्रण किया गया ।

1989 के मानसून -पूर्व और मानसून-पश्च मौसम में उपयुक्त जल कृषि स्थलों के निर्धारण के लिए आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सतही जलनिकायों का 1:250,000 के पैमाने पर मानचित्रण किया गया ।

-1992-93 के दौरान बहुतिथि वाले उपग्रह आंकडों का उपयोग करते हुए कर्नाटक राज्य में घटप्रभा, भद्रा,तुंगभद्रा, मालाप्रभा और कृष्णराजसागर जलाशयों के लिए भण्डारण क्षमता का मूल्यांकन किया गया ।

प्रमुख जलाशयों जैसे उकाई (गुजरात), रामगंगा, (उत्तर प्रदेश) और डल झील (जम्मू और काश्मीर) की जल गुणवत्ता का आकलन किया गया।

किये जा रहे अध्ययनों में राष्ट्रव्यापी नम- भूमि का मानचित्रण, 64 प्रमुख कमाण्ड क्षेत्रों की जलाशय

भण्डारण क्षमता का आकलन तथा दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन के अंतर्गत सतही जल निकायों का मानचित्रण कार्य शामिल है।

(ग) केन्द्रिय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें भूमि जल स्तर के गिरने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, के लिए भूमि जल के कृत्रिम रूप में रिचार्ज करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुछ जिलों के भागों में भूमि जल के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट को देखा गया है। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ड) सरकार ने भूमि जल के विकास के नियंत्रण और विनियमन को वैज्ञानिक आधार पर करने के लिए राज्यों में एक मांडल बिल परिचालित किया है। भूमिजल के रिचार्ज के संवर्धन में राज्यों की सहायता के लिए एक योजना भी तैयार की गई है।

विवरण

दीर्घकालीन आधार (मई 1981 से मई 1990) पर मानसून - पूर्व स्थिति में 4 मीटर से अधिक भूमिजल के स्तर में कमी वाले ब्लाकेटों सहित जिलों की सूची ।

राज्य	जिलों के नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	महबूबनगर, करनूल, प्रकाशम, चित्तूर
गुजरात	जूनागढ़, अमरेली, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, कच्छ, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदरा, गांधीनगर, साबरकांठा, मेहसाना, बनासकांठा
हरियाणा	फरीदाबाद, रिवाडी, हिसार, गुडगांव, महेन्द्रगढ़
कर्नाटक	तुमकर, हसन, मांडया, मैसूर, कोलार
मध्य प्रदेश	पश्चिमी निमार, सिहोर, राजगढ, होशंगाबाद, गुना, छिन्दवाड़ा, सियोनी, नरसिंहपुर, भिण्ड, बालाघाट, जबलपुर, रायपुर, बस्तर, धार, सागर, उज्जैन
महाराष्ट्र	धूले, जलगांव, बुल्डाना, अकोला, चन्द्रपुर
पंजाब	फरीदकोट, संगरूर
राजस्थान	सिरोही, बाडमेर, डूंगरपुर, राजसमंद, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, अलवर, झुनझुनु, दौसा

1	2
तमिलनाडु	धर्मपुरी, सेलम,तंजोवर,पशुपोन, मतुरामालिंगम, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, मदुरई
उत्तर प्रदेश	ललितपुर, आगरा, मथुरा, हरदोई, सीतापुर, अलीगंढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर,मुरादाबाद, लखिमपुर खेरी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, प्रतापगढ़
पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, पूर्लिया

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लीज पर देना

3249. श्री प्रमोथेस मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लीज पर देने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) क्या इन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का समुचित आकलन कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन उपक्रमों की बहुत कम लोज किराया राशि अथवा उनके बदले में निर्धारित भुगतान के संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कण्णा साही) : (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पेपर मिलें

3250. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री पेपर मिलों के बारे में 27, जुलाई, 1994 के अताराकित प्रश्न संख्या 522 के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के समक्ष गुणवत्ता अवरोध विभिन्न आवश्यकताओं, परिवहन समय अंतर जैसी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वह सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को अपने उत्पादों की आपूर्ति कर सके;

(ख) दिल्ली के उन डीलरों/भंडारकों/सरकारी निकायों/सामान्य ग्राहकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह कारपोरेशन अपने उत्पाद बेचती है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा उत्पादित पूरे उत्पाद हर महीने बिक जाते हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो अनबिके उत्पादों को किस तरह से निपटाया जाता है;

(ङ) क्या देश में एक या दो और सरकारी कागज मिलें लगाई जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के अनुसार,केन्द्रीय भंडार व सुपर बाजार विभिन्न सरकारी विभागों की टाइपिंग कागज, डुप्लीकेटिंग कागज व क्रीमवोव कागज संबंधी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करतें है। यह आवश्यकता इतनी कम होती है कि हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के लिए इन कागजों की, जो उनके उत्पादन क्षेत्र में आतें है, आपूर्ति करना किफायती नहीं हैं। असम से दिल्ली तक कागज की ढुलाई के लिए लगने वाले न्यूनतम एक से डेढ माह के समय को ध्यान में रखते हुए, अधिक मात्रा में, अर्थात एक बार में कम से कम एक ट्रक भर कागज की सुपुर्दगी दिए जाने के लिए केन्द्रीय भंडार व सुपर बाजार से आर्डर लेने हेतु हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा उनसे बातचीत की गई थी।

(ख) दिल्ली में , हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन निम्नलिखित भंडारकों को आपूर्ति कर रहा है:-

1. यूनिवर्सल ट्रेडर्स।
2. बी.एन. पेपर कम्पनी।
3. दिल्ली पेपर प्रोडक्ट्स।
4. अग्रवाल इंडस्ट्रीज ।
5. मित्तल ट्रेडर्स।

इन भंडारकों द्वारा विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त किए गए आर्डरों को भी कारपोरेशन की अनुमोदित नीति के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड स्वायत्त निकायों, संस्थानों आदि के साथ-साथ सीधे केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों को भी आपूर्ति कर रहा है। कुछ प्रमुख ग्राहक हैं - आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि।

(ग) और (घ) : हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के उत्पाद यथावधि में बिक जाते हैं।

(ङ) और (च) : केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा कागज की कोई नई मिल स्थापित करने कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

असम में वनीय और क्षारीय भूमि का सुधार

3251. श्री प्रवीन घेका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में परती भूमि अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में वनीय तथा क्षेत्रीय भूमि के सुधार हेतु कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इन योजनाओं हेतु चुने गए जिलों के नाम क्या है ;

(घ) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा ; और

(ङ) इन योजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को लाभ पहुंचने की संभावना हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाएं

3252. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कुल कितनी शाखाएं हैं; उनकी स्थापना कब की गयी थी और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक शाखावार में विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या कितनी है और कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) अब तक शाखावार-कितने मामले लंबित हैं ; और

(घ) रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे और लंबित मामलों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को न्यायपीठों के स्थान तथा उनकी स्थापना की तारीखों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों सहित, स्वीकृत पद संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण - II के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(घ) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके तथा उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के उपरान्त, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम तथा संगत नियमों के उपबंधों के अनुसार पद भरे जाते हैं। चूंकि यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा नयी रिक्तियां होती रहती हैं, इसलिए ऐसी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं हैं कि कब तक ये सभी पद भर लिए जाएंगे।

लम्बित मामलों को निपटाने पर लगने वाला समय न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

विवरण -I

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	स्थापित करने की तारीख	स्थान
1.	प्रधान न्यायपीठ	1.11.85	नई दिल्ली
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	30.6.86	अहमदाबाद
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	01.11.85	इलाहाबाद
4.	बंगलूर न्यायपीठ	03.3.86	बंगलूर
5.	बम्बई न्यायपीठ	01.11.85	बम्बई
6.	कलकत्ता न्यायपीठ	01.11.85	कलकत्ता
7.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	03.3.86	चण्डीगढ़
8.	कटक न्यायपीठ	30.6.86	कटक
9.	एर्नाकुलम न्यायपीठ	01.9.88	एर्नाकुलम
10.	गुवाहाटी न्यायपीठ	03.3.86	गुवाहाटी
11.	हैदराबाद न्यायपीठ	30.6.86	हैदराबाद
12.	जबलपुर न्यायपीठ	30.6.86	जबलपुर
13.	जयपुर न्यायपीठ	15.10.91	जयपुर
14.	जोधपुर न्यायपीठ	30.6.86	जोधपुर
15.	लखनऊ न्यायपीठ	15.10.91	लखनऊ
16.	मद्रास न्यायपीठ	01.11.85	मद्रास
17.	पटना न्यायपीठ	30.6.85	पटना

विवरण –II

क्र. सं.	पदनाम	प्र.न्या.		इला.		बंग.		बम्बई		कल.		चंडी.		गुवा.		मद्रास		एर्ना.		जबलपुर		जोधपुर		पटना		अहम.		कटक		हैद.		जयपुर		लखनऊ		कुल	
		स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	अध्यक्ष	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	उपाध्यक्ष	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	0
3.	सदस्य	7	0	5	0	3	0	3	0	.	0	3	0	1	0	3	0	3	0	1	0	3	0	3	*1	3	0	1	0	3	0	2	0	2	0	49	1
4.	रजि. (प्र. न्याय.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
5.	रजिस्ट्रार	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14	16	
6.	वित्त सला./ मु.प्र.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
7.	सं. रजिस्ट्रार	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		
8.	उप-रजिस्ट्रार	5	1	1	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	0	2	0	2	1	1	0	2	2	2	1	1	0	2	2	1	0	1	0	32	12
9.	उप निदेशक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
10.	लेखा उप नियंत्रक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
11.	अध्यक्ष के प्र. नि.म.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12.	लेखाधिकारी	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	3
13.	अनुभाग अधिकारी	12	2	4	1	4	1	4	0	4	0	4	0	3	1	4	1	4	0	3	3	4	3	4	3	4	1	3	1	4	0	3	1	3	3	71	21
14.	कोर्ट अधिकारी	5	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	1	2	0	1	1	2	2	2	0	2	1	1	1	2	0	1	0	1	1	33	7
15.	निजी सचिव	9	2	6	4	4	1	4	1	4	2	4	1	2	2	4	2	4	0	2	1	4	4	4	2	4	4	2	2	4	0	2	1	2	1	65	30
16.	ब.वे. सहायक	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	16	4
17.	क.लेखाधिकारी	4	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	20	5
18.	सहायक	11	0	5	2	3	0	3	0	4	1	3	0	4	3	3	0	3	0	2	0	4	1	3	2	3	3	2	0	3	0	2	0	2	0	60	12
19.	कोर्ट मास्टर	12	0	6	4	4	0	4	1	4	1	4	1	2	0	4	0	4	1	2	0	4	1	3	2	3	3	2	1	4	0	2	0	2	0	66	15
20.	हिन्दी अनुवादक	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	10	4
21.	क. लाइब्रेरियन	3	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	19	6
22.	केयरटेकर	3	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	19	5
23.	वरिष्ठ लेखाकार	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
24.	के.लेखा.	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	
25.	उच्च श्रेणी लिपिक	27	12	12	3	7	0	9	1	10	0	8	3	8	4	7	0	8	0	6	1	10	3	7	3	9	5	5	0	9	2	5	2	5	1	152	40
26.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	7	3	2	2	2	0	2	1	2	0	2	2	2	1	2	2	2	0	1	0	2	2	3	1	3	0	1	0	2	0	1	0	1	0	37	14
27.	अवर श्रेणी लिपिक	40	2	24	0	10	6	12	1	14	4	11	2	12	4	10	4	11	3	7	1	11	2	9	0	12	2	7	2	12	1	9	1	6	0	217	37
28.	हिन्दी टंकक	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0
29.	स्टाफ कार ड्राईवर	7	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	1	2	0	3	0	1	0	1	1	49	2
30.	फोटो कापियर	3	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	19	5
31.	डिस्पेंय राईडर	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	7	1
32.	जस्टेटनर आपरेटर	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12	2
33.	व.लाइब्रेरी अटेंडेंट	3	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
34.	क.लाईब्रेरी अटेंडेंट	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	3
35.	दफतरी	11	3	3	0	3	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	3	3	0	3	0	3	0	3	1	59	8
36.	जमादार	5	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	21	2
37.	चपरासी	46	0	20	0	15	0	18	1	15	0	18	0	14	0	15	0	15	1	14	1	18	0	15	1	15	1	9	0	15	0	9	0	9	0	280	5
38.	सफाईवाला	6	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	38	0
39.	चौकीदार	6	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	38	1
40.	माली	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2
कुल	1502 271	263	42	117	22	79	14	86	13	87	10	85	12	72	21	78	10	80	6	63	12	89	23	79	22	84	32	55	10	82	7	53	850	8			

(संकेताक्षर)

-स्वीकृत	-बम्बई	-एर्नाकुलम	-कटक
-रिक्त	-कलकत्ता	-जबलपुर	-हैदराबाद
-प्रधान न्यायपीठ	-चंडीगढ़	-जोधपुर	-जयपुर
-बंगलूर न्यायपीठ	-गुवाहाटी	-पटना	-लखनऊ
	-मद्रास	-अहमदाबाद	

* नियुक्ति प्रस्ताव जारी ; कार्य ग्रहण करना है।

विवरण - III

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	30.6.1994 को लंबित मामलों की संख्या
1.	प्रधान न्यायपीठ	6949
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	1661
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	6795
4.	लखनऊ न्यायपीठ	2260
5.	बंगलूर न्यायपीठ	889
6.	बम्बई न्यायपीठ	2664
7.	कलकत्ता न्यायपीठ	3492
8.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	3712
9.	कटक न्यायपीठ	1277
10.	गुवाहाटी न्यायपीठ	692
11.	हैदराबाद न्यायपीठ	2162
12.	जबलपुर न्यायपीठ	2217
13.	जोधपुर न्यायपीठ	484
14.	जयपुर न्यायपीठ	1216
15.	मद्रास न्यायपीठ	1744
16.	पटना न्यायपीठ	850
17.	एर्नाकुलम न्यायपीठ	1087
	कुल	40151

अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में संशोधन

3253. श्री बेल्लैया नंदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवर श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) वेतनमानों के संशोधन से संबंधित मामले, जिसमें अवर श्रेणी लिपिकों का मामला भी शामिल है, अब पांचवे वेतन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किन्तु उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान संशोधित करने का मामला मई, 1992 से विवाचन बोर्ड के पास है तथा बोर्ड का अधिनिर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

"रिफास" की आयात नीति

3255. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रिफास" की आयात नीति पर अंतिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष अपनाई गई नीति तथा प्रस्तावित नीति में मूलभूत अंतर क्या है ;

(घ) क्या नई नीति बनाने तथा उसे अंतिम रूप देते समय "रिफास के उपभोक्ताओं" रोगियों तथा देशी निर्माताओं के हित को महत्व दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क)से (ङ) जी, हां। रिफैम्पिसिन मध्यवर्तियों के लिए आयात नीति की घोषणा 26.7.94 की की गई थी। नीति के प्रयोजन से मैसर्स गुजरात थिमिस बायोसिन लि. (जी.टी.बी.एल.) और मैसर्स लुपिन केमिकल्स लि. को रिफैम्पिसिन के स्वदेशी निर्माता के रूप में माना गया है। उन इकाइयों के लिए जो अपनी जरूरत दो में से किसी भी निर्माता से उठाते हैं, को गतवर्ष के 1. (स्वदेशी) 2. (आयातित) के अनुपात के स्थान पर। (स्वदेशी) : 2 (आयातित) के अनुपात में आयात करने की अनुमति होगी। यह परिवर्तन इस बात पर विचार करके किया गया है कि यद्यपि स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो गई है और इसके 150 टन होने की संभावना है लेकिन वर्ष 1994-95 में मांग लगभग 300 टन होने का अनुमान है और शेष मात्रा का आयात करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश प्रस्ताव

3256. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण, कृषि पर आधारित उद्योगों तथा टेक्सटाइल के क्षेत्र में सरकार द्वारा जून, 1994 में स्वीकृत किये गये विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इनमें से निर्यातोन्मुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग तथा वस्त्र उद्योग के लिए जून, 1994 में अनुमोदित विदेशी निवेश के प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें निर्यातोन्मुख एकक भी शामिल हैं।

विवरण

जून, 1994 में अनुमोदित वित्तीय सहयोग के मामलों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद	राशि (रुपये लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्द इंडस्ट्रीज लि.	सीनेट प्रा.लि., आस्ट्रेलिया	हड्डी रहित मांस (भैंस) फ्रोजन मांस	150.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
2.	इन्टर फ्रेश फूड (इंडिया) प्रा. लि.	मि. अली मातिर मेकोन, आस्ट्रेलिया	फ्रोजन मांस	44.54	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
3.	ट्रेन्डी ट्रोपिकल फूड्स लि.	गौथियर सा, फ्रांस	सेमी कैन्डीड फल	41.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
4.	कुरीनजी ओरगानिक फूड्स इंडिया प्रा. लि.	मि. टुरजिन बेकर-स्पारेनबोर्ग, उलम्वाचस्ट्रेव-24, 35 ग्रीफेन्मटीन-यूएलएम	प्रसंस्करति फल जैसे आम, केले पीअर्स तथा पाइन	4.00	-
5.	एशियल वेजप्रो इंडस्ट्रीज लि.	होनसोहेल एक्सपोर्ट, जर्मनी	निर्जलीकृत प्याज/ लहसुन/अदरक/ अन्य वैजिटेबुल	285.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
6.	इंडो फ्रंच बायोटेक इन्टरप्राइजेज लि.	इम्पेन्टी ब्रेवेंटी सरविजी एस.आर.एल. इटली	अंगूर (ताजे)	100.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
7.	मै. जसमिन टावल्स प्रा. लि.	एन आर आई	टैक्सटाइल मेकअप (टैरी टावल)	40.00	-
8.	रूचि सोया इंडस्ट्रीज लि.	एन आर आई	सोया तेल रहित केक	300.00	-

1	2	3	4	5	6
9.	एनपाइन बायोटेक लि.	डालसेम वेकसीप बी.वी. एग्रो इंडस्ट्रीज, नीदरलैण्ड	बटन मशरूम निर्यातोन्मुख	53.56	100 प्रतिशत
10.	उथारा फैशन नेटवेयर लि.	मैं. टेरलिन्डन टैक्सटाइल वेरडलुंग एजी, स्वीटजरलैण्ड	निटेड तथा वुवन की बनाई, प्रसंस्करण, तैयार करना।	200.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख
11.	बी.एस. एक्वाटेक प्रा.लि.	लक्स इंटरप्राइजेज लि. 120-12 एचएसइन 1 रोड पिंग तुंग	श्रिम्प हैचरी तथा सिम्प तथा पशु चारा	132.00	-
12.	दिनेश एग्रो प्रोडक्स लि.	मैकोन एग्री लि. आयरलैण्ड और यू.के.	सफेद बटन मशरूम की खेती तथा प्रसंस्करण	70.00	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3257. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग मंत्रालयों/संबद्ध कार्यालयों के श्रेणी ''क'' और ''ख'' के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में मंत्रालयों/संबद्ध कार्यालयों के सतर्कता डिवीजनों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्राप्त शिकायतों के संबंध में मंत्रालयों के सतर्कता डिवीजनों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच/कार्यवाही की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य और कृषि मंत्रालयों के श्रेणी ''क'' और ''ख'' के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई, और

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया और कितने मामले सतर्कता अनुभागों और फिर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजे गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग मंत्रालयों में सतर्कता प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी अपने संबंधित मुख्य सर्तकता अधिकारियों के माध्यम से रखता है।

(ख) यह जानकारी निर्धारित तिमाही सांख्यिकी विवरणों के माध्यम से और किसी विशेष शिकायत के मामले में जहां अधिक विस्तृत जांच की अपेक्षा हो, विशेष रिपोर्ट मंगाकर प्राप्त की जाती है।

(ग) और (घ) मंत्रालयो/विभागों/कार्यालयों में अपने प्रशासनिक नियंत्राणाधीन कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में वर्ष 1991 में 19 शिकायतें, वर्ष 1992 में 27 शिकायतें तथा वर्ष 1993 में 14 शिकायतें प्राप्त हुईं। उस मंत्रालय द्वारा 1991 में 5 मामले, 1992 में 15 मामले तथा 1993 में 10 मामले निपटाए गए। उसी अवधि के दौरान कृषि मंत्रालय ने 14 फाईलें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी सलाह हेतु भेजी। खाद्य मंत्रालय में वर्ष 1991 में 3 शिकायतें, वर्ष 1992 में 10 शिकायतें तथा वर्ष 1993 में 8 शिकायतें प्राप्त हुई। इस अवधि के दौरान 9 मामले केन्द्रीय सकर्तकता आयोग को भेजे गए तथा 10 मामले नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निपटाए गए।

खाली पड़ी रक्षा भूमि का उपयोग

3558. श्री घोटा सुब्बा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाली पड़ी रक्षा भूमि का गैर-रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनुमति देने की क्या शर्त है ; और

(ग) कुल रक्षा भूमि में से कुल कितनी एकड़ भूमि गैर-रक्षा उपयोग के लिए छोडने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपयुक्त (क) के उतर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

महासागरीय अनुसंधान

3259. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु महासागरीय अनुसंधान क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न विश्वविधालयों के माध्यम से समुद्री विज्ञान में महासागरीय पैरामीटर तैयार करने और गहरे समुद्र में अन्वेषर्ण के लिए भी कोई पाठ्यक्रम शुरू कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारत द्वारा हस्ताक्षरित दो अन्तरराष्ट्रीय संधियों नामतः अंटार्कटिक संधि 1959 और समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1982 में, एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत द्वारा कुछ उत्तरदायित्वों को पूरा करने के संबंध में आदेश लागू किए गए हैं। अतः महासागर विकास विभाग ने निम्नलिखित दो प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं :-

(1) अंटार्कटिक अनुसंधान

(2) समुद्र संस्तर खनन कार्यक्रम

अंटार्कटिक भूविज्ञान, हिमनद विज्ञान, वायुमण्डलीय परिघटना, अंटार्कटिक जीवविज्ञान और मानव शरीरक्रिया विज्ञान जैसी अंटार्कटिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अंटार्कटिक अनुसंधान किया जाता है।

गहरा समुद्र संस्तर खनन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी विकास के लिए तीन क्षेत्रों को नामतः (1) सर्वेक्षण और अन्वेषण, (2) गहरा समुद्र संस्तर खनन और (3) मैंगनीज पिण्डिकाओं का धातुकर्म, को प्रारम्भ किया गया है।

(ग) महासागर विकास विभाग द्वारा महासागर वायुमंडल, युग्मन प्रतिरूपण और (कप्लिंग मॉडलिंग) हेतु अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षिण कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान,बंगलौर स्थित वायुमंडलीय विज्ञान केन्द्र को सुदृढ़ बनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा, अनुसंधान और विकास स्तर पर गहरा समुद्र अन्वेषण किया जा रहा हैं।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

3260 श्री फूलचंद वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं,

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार कुल कितना क्षेत्र शामिल करने का प्रस्ताव है, और

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कार्यक्रम को शुरू करने अर्थात 1977 78 से 1993 94 तक मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने के लिए पता लगाए गए राज्यवार क्षेत्र और प्रमुख तीन क्षेत्रों नामतः भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास और वन रोपण तथा चारागाह विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र निम्नानुसार है :-

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

राज्य	कवर किया जाने वाला कुल क्षेत्र	शामिल क्षेत्र		
		भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण तथा चारागाह विकास
1	2	3	4	5
शुष्क मरुस्थल				
1. गुजरात	9.37	0.09	0.07	0.33
2. हरियाणा	17.62	0.19	0.17	0.33
3. राजस्थान	208.75	1.01	0.29	1.66
शीत मरुस्थल				
1. जम्मू व कश्मीर	96.70	0.05	0.07	0.05
2. हिमाचल प्रदेश	29.70	0.04	0.03	0.08
कुल	362.14	1.38	0.63	2.45

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों द्वारा मरुभूमि विकास कार्यक्रम की प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए निश्चित किए गए क्षेत्र नीचे दिए गए है:-

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

राज्य	शामिल क्षेत्र		
	भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण तथा चारागाह विकास
1	2	3	4
शुष्क मरुस्थल			
1. गुजरात	1036	460	1535
2. हरियाणा	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त
3. राजस्थान	37014	2765	12418

शीत मरुस्थल			
1. जम्मू व कश्मीर*	524	857	181
2. हिमाचल प्रदेश	1180	146	1863
कुल :	39753	4228	15997

* मरुभूमि विकास कार्यक्रम के दो जिलों अर्थात लेह और कारगिल में से सूचना केवल लेह के लिए है।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1993-94 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार आबंटित और उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है:-

(रुपये लाख में)

राज्य	1992-93		1993-94		1994-95	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग*
1	2	3	4	5	6	7
1. गुजरात	225.00	208.82	337.50	374.93	382.00	76.36
2. हरियाणा	425.00	469.30	637.50	663.56	718.00	40.68
3. राजस्थान	3800.00	3650.47	5700.00	4679.77	6450.00	799.81
4. जम्मू व कश्मीर	300.00	294.45	450.00	388.23	510.00	21.40
5. हिमाचल प्रदेश	200.00	228.91	300.00	283.30	340.00	13.13
कुल	4950.00	4851.95	7425.00	6389.79	8400.00	951.38

* जून 1994 तक उपयोग

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण

3261. श्री एम. वी. एस. मूर्ति: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वृतिका के भुगतान के मानदंडों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस योजना का सफल कार्यान्वयन हुआ है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इससे राज्य-वार कितने ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) : जी हां। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसम) में शामिल आवर्ती खर्च के संबंध में वजीफे की दरों से संबंधित मानदंडों में 1.6.94 से संशोधन कर दिया गया है। संशोधित मानदंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाये गए हैं।

(ग) और (घ) : ट्राईसम योजना दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण II में दर्शायी गई है।

विवरण -I

मद	दर
प्रतिमाह/प्रति प्रशिक्षार्थी वजीफा	
(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक पालिटैक्निक, पालिटैक्निक इंजीनियरिंग कालेजों, टूल रूमों, टेक्नोलाजी पार्कों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाली संस्थाओं जिन्हें राज्य सरकार के अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के ग्रामीण विकास सचिव ने अनुमोदन दिया हो, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि कालेजों, विश्वविधालयों और अन्य संस्थाओं जिन्हें विशेषतः राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, में प्रशिक्षण ।	500/- रुपये तक
(ख) उपयुक्त (क) में शामिल संस्थाओं के अलावा अन्य मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत संस्थाओं में प्रशिक्षण	350/- रुपये तक
(ग) मास्टर कारीगर से प्रशिक्षण प्राप्त करना	200/-रुपये तक

ट्राईसम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18106	17340	18047
2.	अरूणाचल प्रदेश	221	487	886
3.	असम	9152	8026	9970

	1	2	3	4
4.	बिहार	32598	32649	28566
5.	गोवा	2578	2552	275
6.	गुजरात	24192	11209	12037
7.	हरियाणा	4402	7067	6536
8.	हिमाचल प्रदेश	1973	1581	810
9.	जम्मू व काश्मीर	2053	855	1469
10.	कर्नाटक	12956	13407	15271
11.	केरल	7362	7919	5549
12.	मध्य प्रदेश	28921	22156	54111
13.	महाराष्ट्र	17587	21418	23063
14.	मणिपुर	1438	218	617
15.	मेघालय	155	316	358
16.	मिजोरम	1713	1186	1348
17.	नागालैंड	738	247	596
18.	उड़ीसा	25194	15595	9985
19.	पंजाब	5003	4237	3870
20.	राजस्थान	9908	12549	10813
21.	सिक्किम	359	161	184
22.	तमिलनाडु	9233	18985	16082
23.	त्रिपुरा	1185	2502	1689
24.	उत्तर प्रदेश	70430	57645	63649
25.	पश्चिम बंगाल	17828	15223	17421
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	338	361	476
27.	दमन व द्वीप	123	00	30
28.	दादर व नागर हवेली	43	74	25
29.	लक्षद्वीप	38	28	4
30.	पॉडिचेरी	383	0	184
31.	दिल्ली	834	-	-
	कुल	3,02,044	2,75,993	3,03,821

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3262. श्री एम. एम. लालजान बाशा : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं से संबद्ध विदेशी एजेन्सियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार इनमें कितनी-कितनी विदेशी सहायता लगी हुई है; और

(ग) इनसे लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री ऊनमभाई हारबी भाई पटेल) : (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई. एफ. ए. डी.) महाराष्ट्र के ग्रामीण गरीबों को ऋण मुहैया कराने की एक परियोजना में सहायता दे रहा है । आरंभ में परियोजना यवतमाल, चंद्रपुर, नांदेड़, तथा पुणे में लागू की जाएगी ।

(ख) स्व-सहायता ग्रुपों को ऋण मुहैया कराने के लिए कुल 1,355,200 अमरिकी डालर की राशि का प्रस्तावं है।

(ग) व्यवसायिक बैंकों द्वारा परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में सुधार कर दिए जाने से लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है; तथा

(2) स्वंसहायता ग्रुपों के गठन और संचलन से परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को ऋण देने के आधार तैयार करने के लिए वक्त को बढ़ावा देना ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

3263. श्री खोलन राम जांगड़े : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड विद्युत उपकरणों के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बहुत पीछे है;

(ख) ! यदि हां, तो क्या 1993-94 और 1992-93 की तुलना में 1994-95 के दौरान इसकी क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ)सरकार द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क). जी, नहीं । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) वैद्युत साधनों का निर्माण नहीं करता।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भेल विद्युत और औद्योगिक उपकरणों का निर्माण करता है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में

अपने विभिन्न उपयोगकर्ताओं, केन्द्रीय उपक्रमों व निजी कंपनियों से क्रयादेश प्राप्त किए जाते है। भेल द्वारा 1992-93 से 1994-95 तक प्राप्त किए गए क्रयादेश निम्नवत् हैं :-

(करोड़ रुपयें में)

वर्ष	मूल्य
1992-93	3386
1993-94	3120
1994-95(अब तक)	2120

(ङ) कंपनी बिजली-उत्पादन का कार्य नहीं करती है। यह केवल विद्युत उत्पादक उपकरणों का निर्माण व उनकी आपूर्ति करती है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

3264. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, में क्रमशः केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया ;

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान इस निगम को कितना घाटा हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति ली;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच. ई. सी.) रांची में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निवेश के यथा 31.3.1994 को ब्यौरे निम्नवत हैं :-

	(करोड़ रुपये में)
शेयर पूंजी	286.00
सरकार से अनारक्षित ऋण	260.00
योग :	546.00

एच. ई. सी. में निजी क्षेत्र द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है।

(ख) एच. ई. सी. को 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में क्रमशः 99.51 करोड़ रुपये, 192.65 करोड़ रुपयें व 127.25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ ।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा अब तक 4461 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कुल 95.47 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

भारतीय श्रम शक्ति

3265. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न देशों में कुशल, अर्द्ध-कुशल और / उच्च कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता की पहचान करने और इसकी बढ़ती मांग का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन वर्गों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से परिवर्तित हो रही आवश्यकता के संदर्भ में कोई ऐसा प्रयास करने का प्रस्ताव दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क). जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि विभिन्न कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए मांग में प्रवृत्ति का विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों से मापा जा सकता है।

[हिन्दी]

आधारभूत सुविधाओं का विकास

3266. श्री सत्य देव सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आधारभूत सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपयुक्त माहौल तैयार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं/दी जायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। बिजली क्षेत्र की नीतिगत पैकेज में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं - आयात शुल्क में कमी करना, नयी बिजली परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष का करावकाश और इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभ । कोयला खानों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने हेतु सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में भी संशोधन किया है। ताकि वे अपने उपयोग के लिए तथा अभिसूचित किये जाने वाले अन्य अंत्य उपयोगों हेतु बिजली बना सकें । लोहा और इस्पात उद्योग के

लिए तो ऐसा प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। हाइड्रो-कार्बन तथा दूर संचार में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पानी में लवणता जांच के लिए उपकरण

3267. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भू-भौतिक अनसंधान संस्थान (एन. जी. आर. आई.) ने पानी में लवणता स्तर की जांच करने के लिए एक अनूठा उपकरण विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकरण का आंध्र प्रदेश में भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान परिसर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपकण का अन्य राज्यों में भी प्रयोग किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रलाय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :(क) तटिय क्षेत्रों में कार्यरत बिजली के पम्पों से पानी की निकासी में से खारेपन की मात्रा का पता लगाकर उस पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान ने एक यंत्र विकसित किया है। यदि पानी में खारेपन की मात्रा से अधिक खारा पानी आयेगा तो यह पम्प स्वतः बन्द हो जाएगा।

(ख) आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान के परिसर में इस यंत्र के प्रारंभिक परीक्षण किये गये थे ।

(ग) और (घ) : इस यंत्र के अभी व्यापक परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अनुरोध पर निरंतर कार्य के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थापना हेतु दो और यंत्र विकसित किए जा रहें है।

भूमि का अवक्रमण

3268. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवारक उपायों के द्वारा गैर-वन परती भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और भूमि अवक्रमण संबंधी प्रक्रिया को बदलने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने हेतु कोई कदम उठाया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) और (ख) जी हां, बंजर भूमि विकास विभाग द्वारा भूमि अवक्रमण संबंधी प्रक्रिया को बदलने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नलिखित उपाय शुरू किये हैं।

- बंजर भूमि विकास पर साहित्य, विभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, प्रौद्योगिकी बुलेटिन, विशिष्ट परियोजनाओं को दर्शाने के लिए पैम्पलेटों का प्रकाशन।

- चालू बंजर भूमि विकास परियोजनाओं पर अल्पावधि की फिल्में तैयार करना।

- गैर-सरकारी संगठनों, किसानो, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।

- गैर-वनेतर बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ठ कार्य के उद्देश्य से मान्यतास्वरूप एक राष्ट्रीय पुरस्कार नामतः राजीव गांधी परती भूमि मित्र अवार्ड स्थापित किया गया है।

-विभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और योजनाओं पर सेमिनार करना ।

- विभाग की विभिन्न योजनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना ।

- नये विभाग के सृजन के पश्चात् 'लोगो' प्रतियोगिता की गई।

- प्रिंट मीडीया के माध्यम से विभाग के नये कार्यकलापों, क्रियाकलापों, तथा योजनाओं पर प्रकाश डाला गया ।

- अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत दस प्रतिशत् धनराशि प्रशासन तथा जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों के लिए रखी गई है। इसी तरह समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत एक घटक जागरूकता पैदा करने तथा लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए रखा गया है । प्रौद्योगिकी विस्तार योजना के अंतर्गत किसानो के लिए प्रशिक्षण तथा 'किसान दिवस' आयोजित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम रखा गया है।

- विभाग की गतिविधियों की व्यापक कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बहु-मीडिया अभियान में भाग लेना ।

- जागरूकता पैदा करना एक चालू प्रक्रिया है। 1994-95 के दौरान इसके लिए 30 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है।

पीने के पानी की योजनाएं

3269. श्री काशी राम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या राज्य सरकारों ने वर्ष 1994 95 के दौरान पीने के पानी की योजनाओं हेतु विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां,तो राज्या-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1994-95 के दौरान - निम्नलिखित राज्य सरकारों ने पेयजल योजना के लिए विशेष सहायता देने का आग्रह किया है:-

(लाख रुपए में)

राज्य	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन	राज्य द्वारा मांगा गया आबंटन
मणिपुर	309.00	600.00
त्रिपुरा	350.00	899.00

(ग) मणिपुर की राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि 600.00 लाख रुपए के विशेष आबंटन की मांग पर राज्य सरकार द्वारा 309.00 लाख रुपये (सामान्य आबंटन) की 75 प्रतिशत राशि इस्तेमाल कर लिए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

त्रिपुरा की राज्य सरकार से कहा गया है कि वह अपूर्ण और नई योजनाओं के संबंध में देयता ब्यौरे भेजें ताकि केन्द्र सरकार 899.00 लाख रुपये के विशेष आबंटन की मांग पर विचार कर सके।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लघु पनबिजली परियोजनाएं

3270. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी लघु पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ऐसी कितनी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, उनके नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की क्षमता कितनी है उसमें कितनी धनराशि अंतग्रस्त है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 मेगा. स्टेशन क्षमता की पांच लघु जल विद्युत परियोजनाएं आरंभ की गई हैं जिसमें से एक परियोजना पूर्ण हो चुकी है । इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई/आरंभ की गई लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	संस्थापित क्षमता (कि.वा.)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	अवस्थिति/आरंभ करने की अनुसूची
1	2	3	4	5	6
1.	धोम	सतारा	2X1000	544.00*	मार्च, 1992 में आरंभ
2.	तेरवानमेद	सिंधुदुर्ग	1X200	38.05	1995-96
3.	सूर्या आर.बी.सी.	थाने	1X750	190.45	1995-96
4.	करंजवान	नासिक	1X3000	360.07	1995-96
5.	मालागाँव	बीड़	3X3750	488.60	1995-96

* मार्च, 1994 तक किया गया व्यय।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.

3271. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. बन्द होने के कगार पर है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. लाभ अर्जित कर रही है और पिछले अनेक वर्षों से लाभांश दे रही है। 1993-94 के दौरान कंपनी ने 21.36 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया। कंपनी अच्छी हालत में है और इसके बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्रोजगार

3272. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न रुग्ण एककों के बन्द होने के फलस्वरूप छंटनी किए हुए श्रमिकों और इससे प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्रोजगार के लिए कोई कैम्पस बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नवोकरण निधि की सहायता से 1993-94 में पायलट आधार पर भिन्न अभिकरणों द्वारा अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता, इंदौर और कानपुर में स्थित पांच केन्द्रों में युक्तियुक्त श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण शुरु किया गया है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में देश में 21 भिन्न एंडवांसड प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युक्तियुक्त श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नवोकरण निधि से सहायता भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

3273. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम लाभ अर्जित कर रहें हैं और इनमें से प्रत्येक ने वर्ष-वार कितना लाभ कमाया है;

(ख) सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान कौन-कौन से उपक्रमों के शेयरों को बेचा गया था ; और

(ग) सरकार ने इस शेयरों की बिक्री से कुल कितना धन अर्जित किया?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित वर्ष-वार लाभ का ब्यौरा 23-2-1994 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-1 के विवरण संख्या 7-क (पृष्ठ संख्या विवरण-42 से लेकर पृष्ठ संख्या विवरण 46 तक) में दिया गया है।

(ख) और (ग). मार्च/अप्रैल, 1994 में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि., भार अर्थमूवर्स लि. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि., महानगर टेलिफोन निगम लि. तथा नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. के शेयर बेचे गये थे और 2282 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भवनों को किराए पर उठाना

3274. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सांस्कृतिक संगठनों द्वारा निर्मित भवनों के उवयोग / दुरुपयोग संबंधी कोई नीति निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 21 मार्च, 1994

सेवा में,

भूमि एवं विकास अधिकारी,

निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय : विभिन्न संस्थाओं को भूमि का आबंटन परिसरों का प्रयोग

महोदय,

जैसा कि आपको मालूम है, विभिन्न सांस्थानिक उद्देश्य से आबंटित भूमि के उपयोग का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। ऐसे मामले भी मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं जहां विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्मित परिसरों को समतुल्य संस्थानों तथा यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिए गए हैं। सरकार द्वारा पूरे मामले की जांच कर यह निर्णय लिया गया है कि:-

i) आबंटी संस्थान अनुमेय एफ. ए. आर. का पूर्णरुपेण प्रयोग करते हुए भवन का निर्माण करें।

ii) संस्थान लाइसेंसधारी संस्थानों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र और संघ नियमावली की प्रति प्रस्तुत कर पट्टादाता की पूर्व अनुमति से निर्मित क्षेत्र का एक हिस्सा समान प्रकृति के संस्थानों का किराए पर दे सकता है;

iii) संस्थान पट्टादाता की पूर्व अनुमति से परिसर का 15प्रतिशत् तक निर्मित क्षेत्र , 25 प्रतिशत् प्राप्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर बैंक जैसे सेवा संगठनों को उप-किरायेदारी पर भी दे सकता है;

iv) संस्थान को परिसर के एक हिस्से का उपयोग संगठन के कार्यकर्ताओं के रिहायशी प्रयोजन में लाने की भी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार निर्मित क्षेत्र अधिकतम 150 वर्ग मीटर के अध्यधीन 15 प्रतिशत् से अधिक न हो; और

v) तथापि, उपयुक्त श्रेणियों के तहत उप-किरायेदारी पर दिया गया कुल क्षेत्रफल और रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत् से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. जिन संस्थानों ने परिसरों का हिस्सा पहले ही उप-किरायेदारी पर दे रखा है उनके मामले में उपर्युक्त दस्तावेज इन मामलों के नियमितीकरण हेतु छः माह की अवधि के भीतर भूमि तथा विकास कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ भूमि तथा विकास कार्यालय को सभी संस्थानों को एक आम नोटिस जारी करना चाहिए । तथापि पट्टादाता की पूर्व अनुमति के बिना उप-किरायेदारी पर दिए जाने वाले मामलों में उप-किरायेदारी पर दिए गए क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत् वाणिज्यिक भूमि दर का जुर्माना लगेगा ।

3. भवन निर्माण के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि -

(क) भवन नक्शों को भूमि के कब्जे की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय निकाय से मंजूर करवाना होगा;

(ख) कब्जा प्रमाण-पत्र भवन नक्शे की मंजूरी से तीन वर्ष के भीतर प्राप्त कर लिए जाएं और पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं नक्शे की मंजूरी की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के भीतर भूमि तथा विकास कार्यालय को प्रस्तुत कर दिए जाएं।

(ग) निर्माण अवधि के दौरान नामत: स्थानीय निकाय द्वारा कब्जा प्रमाण-पत्र की मंजूरी की तिथि तक भण्डारण तथा सुरक्षा आवश्यकता हेतु बनाए गए अस्थायी ढाँचों पर पट्टादाता द्वारा आपत्ति न की जाय और

(घ) यदि कोई संस्थान भवन निर्माण के लिए धनराशि के अभाव में वास्तविक कार्यकलापों के लिए अस्थायी निर्माण करता है और जब तक भवन निर्माण के विस्तार को मंजूरी नहीं मिलती तब तक ऐसे निर्माण कार्य पर आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि वह निर्मित क्षेत्र अनुमेय सीमा के भीतर हो।

4. उपर्युक्त निर्देश इस पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होंगे और पुराने मामलों को दुबारा खोले नहीं किया जाएगा बशर्ते की अन्यथा निर्णय न लिया जाय।

5. इसे वित्त प्रभाग के दिनांक 16.03.1994 की आई.डी.नोट सं. 469/एफ./94 की सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय

ह./

(वी. आर. मोहनन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 3019925।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय

2. अतिरिक्त प्रतियां-5

ह./

(वी. आर. मोहनन)

अवर सचिव, भारत सरकार

बाकीदार कम्पनियों के विरुद्ध मामले

3275. डा. बसंत रथार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाकीदार कम्पनियों के विरुद्ध गत दो वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया और बाकीदार कम्पनियों से धनराशि वसूल की गयी ?

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर भारद्वाज) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान चूक करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध शुरु किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित थी:-

1992-93	7120
1993-94	8780

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में शुरू किए गए मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान 3993 मामलों में 37,49,283 रुपये का और वर्ष 1993-94 के दौरान 4056 मामलों में 82,18,668 रुपये का जुर्माना लगाया गया है । लगाए गए जुर्माने की राशि न्यायालयों के जरिए वसूल की जाती है और उसे राज्यों के राजस्व में जमा किया जाता है । इस संबंध में वसूली के आंकडों का हिसाब केन्द्रीय सरकार के द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण I

क्र सं.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा या नियम	चूक का स्वरुप	दायर किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	17.	धारा 17 की गैर अनुपालना	3
2.	22(2)	कम्पनी के नाम में संशोधन के लिए कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 22 का गैर - अनुपालन	2
3.	58क	निक्षेपों की स्वीकृति एवं भागांकण बनाये गये नियमों की शर्तों आदि के अनुरूप न होना	40
4.	निक्षेप नियमावली का नियम 3(1) (क)	कम्पनियों द्वारा मांग या अल्प सूचना द्वारा निक्षेपों का प्रतिग्रहण	1
5.	निक्षेप नियमावली का नियम 4	रजिस्ट्रार को विज्ञापन की जगह एक विवरण की सुपुर्दगी न करना	1

1	2	3	4
6.	निक्षेप नियमावली के नियम 10/11	निक्षेपों आदि की वार्षिक विवरणियां दायर न करना (निक्षेप नियम,1975 की स्वीकृति)	13
7.	60	प्रकाशन से पूर्व विवरणिका के पंजीकरण से संबंधित अपेक्षाओं का उल्लंघन	3
8.	63	विवरणिका में गलत वक्तव्य प्रस्तुत करना	4
9.	68	धन- निवेश करने के लिए लोगों को कपट पूर्ण तरीके से शामिल करना	7
10.	73(2)(क)	निर्धारित सीमा के अंर्तगत शेयरों/ डिबेंचरों की अधिकतम राशि के अदायगी देने पर प्रतिबन्ध	2
11.	75	आबंटन विवरणी दायर करने पर कम्पनी अधिनियम की धारा 75 का अनुपालन न करना	4
12.	108	बिना उचित अंतरण लिखित के शेयरों का अंतरण किया जाना	1
13.	113	शेयर प्रमाण पत्रों के जारी करने हेतु समय सीमा	89
14.	142	कम्पनी द्वारा उपबंध आरोप या आरोप की संतुष्टि के विवरणों का पंजीकरण को रजिस्ट्रार के पास दायर करने में चूक	1
15.	146	कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को दुरुस्त न रखना	3
16.	149(2क)	विशेष संकल्प पारित किए बिना व्यापार करना	1
17.	150	सदस्यों के रजिस्टर का रख- रखाव न करना	1

1	2	3	4
18.	159/162	रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणी दायर न करना	2960
19.	165	कम्पनी का व्यापार आरंभ होने के बाद सांविधिक बैठक न करना	11
20.	166/168	सामान्य वार्षिक बैठक आयोजित न करना	221
21.	193	सामान्य बैठक और बोर्ड तथा अन्य बैठकों के कार्यवृत्त का गैर अनुपालन करना	2
22.	205(क)	अदत्त लाभांश को विशेष लेखा तथा सामान्य राजस्व लेखा में स्थानांतरित न करना	2
23.	209-क	लेखा वहियों को उचित रूप से निरीक्षकों को न दिखाना	12
24.	210(5)	वार्षिक साधारण बैठकों में वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत न करना	411
25.	211	कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास दायर किए गए तुलन पत्रों को विषय वस्तु तथा फार्म का सही व उपयुक्त न होना	8
26.	212	होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनियों में कतिपय विवरण को शामिल करना	1
27.	219	तुलन पत्र आदि की प्रतियों को शेयर-धारकों के मांगने पर ने देना	5
28.	220(3)	कम्पनी रजिस्ट्रार के पास तुलन पत्र दायर न करना	3014
29.	233(ख)	लागत लेखा परीक्षकों की गैर नियुक्ति या लागत लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	5
30.	260	अतिरिक्त निदेशक की अनियमित ढंग से नियुक्ति	1

1	2	3	4
31.	269	प्रबन्धकीय या पूर्वकालिक निदेशकों या प्रबंधकों के नियुक्ति के संबंध में अधिनियम उपबंधों का अनुपालन करना	1
32.	283	विधि में निर्धारित प्रक्रिया से निदेशक के पद पर नियुक्ति न करना	5
33.	286	निदेशक मंडल की बैठक की सूचना देना	1
33क	289	विधि द्वारा अपेक्षित परिपत्र संकल्प पारित न करना	1
34.	293	बोर्ड की शक्ति पर प्रतिबंध/अपेक्षित मामले शेयरधारकों की बैठक में पारित नहीं किए गए	1
35.	295	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना निदेशकों आदि को ऋण	9
36.	297	कतिपय संविदाओं में जिनमें निदेशक विशेष इच्छुक है के लिए बोर्ड की संम्वीकृति न लेना	5
37.	299(4)	निदेशकों द्वारा ब्याज का प्रकटीकरण न करना	4
38.	301(4)	संविदाओं के रजिस्टर के रख- रखाव न करना	3
39,	303(3)	निदेशकों के परिवर्तन की विवरणी दायर न करना	1
40.	314	निदेशकों आदि द्वारा लाभ पद या स्थान धारित न करना	1
41.	317	प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक के लिए न करना	1
42.	370	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कम्पनियों को किसी प्रबंधन के अन्तर्गत ऋण	3
43.	372	शेयरों की खरीद के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करना अन्य कम्पनियों में निवेश करना	6

1	2	3	4
44.	374	धारा 372 व 373 के उल्लंघन के लिए दंड	1
45.	383क	पूर्णकालिक सचिव के रखने में कम्पनी की विफलता	4
46.	614क	रजिस्ट्रार के पास दायर करने के लिए निदेश देने हेतु अधिनियम के अंतर्गत निर्णय लेने वाले न्यायालयों की शक्तियां	235
47.	628	किसी विवरणी, रिपोर्ट, तुलनपत्र, प्रोस्पेक्टस या अन्य दस्तावेजों में गलत वक्तव्य देना	1
48.	629क	अधिनियम में जहां या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 में दंड का प्रावधान नहीं हैं, वहां दंड का प्रावधान व्यवस्था करना	8
		कुल योग	7,120

विवरण -II

क्र सं.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा या नियमावली	चूक का स्वरूप	वर्ष के दौरान दायर किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	17.	धारा 17 की गैर अनुपालना	3
2.	22(2)	कम्पनी के नाम में संशोधन के लिए कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 22 का गैर-अनुपालन	1
3.	43 क	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 43क का अनुपालन न करना	2
4.	58क	निक्षेपों की स्वीकृति एवं आमंत्रण बनाये गये नियमों की शर्तों आदि के अनुरूप न होना	16

1	2	3	4
5.	निक्षेप नियमावली का नियम 4	रजिस्ट्रार को विज्ञापन की जगह एक विवरण की सुपुर्दगी न करना	1
6.	निक्षेप नियमावली के नियम 10/11	निक्षेपों आदि की वार्षिक विवरणियां दायर न करना (निक्षेप नियम,1975 की स्वीकृति)	10
7.	56	प्रोस्पेक्टस में उल्लेख किये जाने वाले मामले तथा रिपोर्ट तैयार करना	1
8.	60	प्रकाशन से पूर्व विवरणिका के पंजीकरण से संबंधित अपेक्षाओं का उल्लंघन	
9.	63	विवरणिका में गलत वक्तव्य प्रस्तुत करना	2
10.	68	धन निवेश करने के लिए लोगों को कपट पूर्ण तरीके से शामिल करना	3
11.	70	जब तक रजिस्ट्रार को बताई गई सम्पत्ति के बारे में वक्तव्य न दिया गया तब तक कतिपय मामलों में आबंटन वर्जित करना	1
12.	73(2)क	निर्धारित सीमा के अन्तर्गत शेयरों/डिबेंचरों की अधिकतम राशि के अदायगी देने पर प्रतिबन्ध	33
13.	75	आंबटन विवरणी दायर करने पर कम्पनी अधिनियम की धारा 75 का अनुपालन न करना	1
14.	84(4)	प्रमाणपत्रों को जारी करने या नवीनीकरण करने या प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने का तरीका	1
15.	113	शेयर प्रमाण पत्रों के जारी करने हेतु समय सीमा	39

1	2	3	4
16.	146	कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को दुरूस्त न रखना	2
17.	147	कम्पनी द्वारा नाम का प्रकाशन	2
18.	149 (2क)	विशेष संकल्प पारित किए बिना व्यापार आरंभ करना	2
19.	150	सदस्यों के रजिस्टर का रख-रखाव न करना	2
20.	153ख	न्यास द्वारा धारित शेयरों तथा ऋण पत्रों की घोषणा से संबंधित कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की गैर-अनुपालना	2
21.	159/162	रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणी दायर न करना	3723
22.	165	कम्पनी का व्यापार आरंभ होने के बाद सांविधिक बैठक न करना	8
23.	166/168	सामान्य वार्षिक बैठक आयोजित न करना	509
24.	193	सामान्य बैठक और बोर्ड तथा अन्य बैठकों के कार्यवृत्त का गैर अनुपालन	1
25.	205(क)	अदत्त लाभांश को विशेष लाभांश लेखा तथा सामान्य राजस्व लेखा में स्थानांतरित न करना	3
26.	209-क	लेखा बहियों को उचित रूप से निरीक्षकों को ना दिखाना	4
27.	210(5)	वार्षिक साधारण बैठकों में वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत न करना	669
28.	211	कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास जमा कराये गये तुलन पत्रों की विषय वस्तु तथा फार्म सही तथा अनुचित न होने पर	7

1	2	3	4
29.	217(2 क)	बोर्ड की रिपोर्ट में कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम दर्शाने वाले विवरण का होना	8
30.	220(3)	कम्पनी रजिस्ट्रार के पास तुलन पत्र दायर न करना	3542
31.	233 (ख)	लागत लेखा परीक्षकों की गैर नियुक्ति या लागत लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	3
32.	234 (4)	कम्पनी तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी होगा जो (यदि) किसी भी सूचना या स्पष्टीकरण को भेजने से मना करे या लापरवाही करे	3
33.	283 (2क)	कानून में किये गये प्रावधान के अनुरूप निदेशक का पद भार न छोड़ना	1
34.	292	बोर्ड द्वारा कतिपय शक्तियों का प्रयोग केवल बैठक में करना	3
35.	295	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना निदेशकों आदि को ऋण	3
36.	297	कतिपय संविदाओं में जिनमें निदेशक विशेष इच्छुक है के लिए बोर्ड की संस्वीकृति न लेना	5
37.	299(4)	निदेशकों दारा ब्याज का प्रकटीकरण न करना	1
38.	301(4)	संविदाओं के रजिस्टर के रख रखाव न करना	5
39,	370	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कम्पनियों को किसी प्रबन्धन के अन्तर्गत ऋण	2
40.	371	धारा 369ए, 370 व 370क के उल्लंघन के लिए दंड	1
41.	372	शेयरों की खरीद के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करना।	7

1	2	3	4
42.	374	धारा 372 व 373 के उल्लंघन के लिए दंड	4
43.	383 क	पूर्णकालिक सचिव के रखने में कम्पनी की विफलता	78 4
44.	614-क	रजिस्ट्रार के पास दायर करने के लिए निवेश हेतु अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय लेने वाले न्यायालयों की शक्तियां	145
45.	628	किसी विवरणी, रिपोर्ट, तुलनपत्र, प्रोस्पेक्टस या अन्य दस्तावेजों में गलत वक्तव्य देना	5
46.	629क	अधिनियम में जहां या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 में दंड के प्रावधान नहीं हैं, वहां दंड के प्रावधान की व्यवस्था करना	3
47.	631	"लिमिटेड" और "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों का गलत प्रयोग	2
		योग	8780

परमाणु विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा उपाय

3276. श्री शरद् चटर्जीवक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परमाणु विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा संबंधी उपायों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, नहीं । परमाणु विद्युत संयंत्रों में अपनाए जा रहे सुरक्षापायों को जांच करने के लिए अलग से कोई समिति गठित नहीं की गई है। सुरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा करना और सुरक्षा पर निगरानी रखना एक लगातार चलने

वाली प्रक्रिया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) जिसे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं में सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानदंडों को लागू करने का प्राधिकार सौंपा गया है, ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके आदेशों को कार्यान्वित करने के वास्ते बहु-सोपानी सुरक्षा पुनरीक्षा समितियां उपयुक्त हैं। विभिन्न संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन करने, डिजाइन तैयार करने, निर्माण करने, उन्हे चालू करने, उनका परिचालन करने और उन्हे अंतिम रूप से बन्द करने के दौरान सुरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और उस पर निगरानी रखी जाती है। स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और उसपर निगरानी रखी जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को मामले-दर-मामले के आधार पर किसी विशेष सुरक्षा संबंधी घटना अथवा मामले की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित करने का भी प्राधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक सुविधा से प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर सुरक्षा संबंधी सभी पहयलुओं की लगातार पुनरीक्षा करके तथा सुविधाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करके सुरक्षा लागू की जाती है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3277. श्री दत्ता मेघे :

श्री प्रवीन डेकाः

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और असम के पिछड़े ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष में कितना धन आबंटित किया गया; और

(घ) इस योजना से वर्ष वार और श्रेणीवार कितने लोगों को लाभ पहुंचा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजनार्थ विधियों का आबंटन मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द सरकार आदिवासी उपयोजना (टी एस पी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी) तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास में महाराष्ट्र तथा असम सहित राज्यों को सहायता देती है ।

कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:-

विवरण

राज्य	आबंटन (करोड़ रू.)			लाभ ग्राहियों की सं.		
कार्यक्रम	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
महाराष्ट्र						
डब्ल्यू जी डी पी	13.50	13.62	13.84		+	
टी एस पी	200.86	226.56.	265.00		+	
आई आर डी पी	55.46	52.28	91.74	197967**	177651**	217671**
जे आर वाई						
(प्रथम धारा)	204.25	258.52	268.39	771.64***	823.53***	1129.94***
(द्वितीय धारा)	-	-	102.18	-	-	58.56***
ई ए एस	-	-	33.06*	-	-	31.53***
असम						
एच ए डी पी	38.87	38.87	42.05		+	
टी एस पी	79.69	95.71	102.50		+	
आई आर डी पी	14.14	13.32	27.70	46416**	40204**	63031**
जे आर वाई						
(प्रथम धारा)	51.15	64.21	81.05	124.02***	109.72***	278.24***
(द्वितीय धारा)	-	-	-	-	-	-
ई ए एस	-	-	25.88*	-	-	31.75***

\+ लाभग्राहियों की संख्या के आकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

* जारी निधियां

** सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

*** लाख श्रम दिवस

औषध परामर्शदात्री समिति

3278. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध परामर्शदात्री समिति ने केन्द्रीय सरकार से कतिपय खतरनाक औषध फार्मूलेशन्स पर रोक लगाने हेतु सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ये फार्मूलेशन्स कौन-कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ख) जानकारी इकटठी की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में दुर्लभ मृद खनिज

3279. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटवर्ती गांवों में उपलब्ध दुर्लभ मृद खनिजों से कन्याकुमारी जिले में उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). इंडियन रेअर अर्थ्स के मानवला कुरूचि में स्थित जर्कोनियम संयंत्र का शुष्क फ्रिट और अन्य मूल्य-वर्धित जर्कोनियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, इंडियन रेअर अर्थ्स के मानवलाकुरूचि संयंत्र में गार्नेट पुनः प्राप्ति सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3280. डा. असीम बाला: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार धीरे-धीरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोतों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकस एजेंसी द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जाने की सम्भावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जहां कहीं संभव है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अनुपूरण की दृष्टि से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन और उपयोग के लिए कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है जिनमें बायोगैस, उन्नत चूल्हा, बायोमास, सौर ऊर्जा और सौर, पवन, बायोमास, लघु विद्युत से आदि विद्युत का उत्पादन करना शामिल है।

(ग) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा कई प्रकार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को रियायती वित्त और उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिनमें पवन, लघु जल विद्युत बायोमास सौर

ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना, औद्योगिक अवशिष्टों से बायोगैस का उत्पादन और बायोमास उपयोग आदि तथा अन्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

3281. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना के समय से अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इसमें से कितनी राशि श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः परिनियोजन और अन्य सुरक्षा नेटवर्क पर खर्च हुई; और

(ग) कितने लोगों को वास्तविक रूप में पुनः प्रशिक्षण दिया गया तथा पुनः परिनियोजित किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग)में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क). केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एककों के प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडों के अनुसार दो वर्षों अर्थात 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण निधि से खर्च की गई कुल राशि क्रमशः 650,24 करोड़ रुपये और 537.23 करोड़ रुपये है।

(ख) भिन्न-भिन्न कार्यकलापों पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है

	कार्यकलाप	1992-93	1993-94
		(रुपये करोड़ में)	
1.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	528.24	476.06
2.	सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	122.00	61.00
3.	कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति भुगतान, कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण इत्यादि के लिये		0.17
	कुलः	650.24	537.23

(ग) अहमदाबाद, इंदौर, कानपुर, कलकत्ता और बंबई में स्थित पांच केन्द्रों में 30.6.94 की स्थिति के अनुसार कुल 266 युक्तियुक्त कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत समान सुविधा सम्पन्न शहरों का विकास

3282. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत समान सुविधा

सम्पन्न शहरों के रूप में कुछ चनिन्दा शहरों के विकास हेतु प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ख) 1994-95 के दौरान इनके विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को बजटीय सहायता मुहैया कराने की स्कीम में सम-सुविधा सम्पन्न नगरों के लिए उनकी अनुदानों की मांग में केन्द्र सरकार नगरवार अलग नियतन नहीं करती है।

सम-सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान एन. सी. आर. योजना बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि इस प्रकार है

1991-92 2.00 करोड़ रुपये - मध्य प्रदेश में ग्वालियर के लिए 1.00 करोड़ रुपये और पंजाब में पटियाला के लिए 1.00 करोड़ रु.

1992-93 - शून्य

1993-94 - 2.00 करोड़ रुपये - राजस्थान में कोटा के लिए

(ख) एन.सी.आर. योजना बोर्ड द्वारा 1994-95 के लिए 5 सम-सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों के विकास हेतु 15.00 करोड़ रुपये का अनंतिम प्रावधान किया गया है । नगर-वार नियतन संबंधित राज्य सरकारों / क्षेत्र विकास प्राधिकारणों द्वारा प्रत्येक सम-सुविधा क्षेत्र के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक कार्रवाई योजनाओं पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करना

3283. श्री थोटा सुब्बाराव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की भीड़-भाड़ कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और किन-किन को स्थानान्तरित करने का विचार है ; और

(ग) शेष कार्यालयों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि वास्तविक स्थानान्तरण, भवनों के निर्माण/किराये पर लेना, भूमि के चुनाव आबंटन, भूमि की कीमत आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अतः सरकार द्वारा इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए जाने की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

क. दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यालयों का विवरण

क्रम सं.	कार्यालयों का नाम
1.	तटरक्षक मुख्यालय
2.	अनुसंधान और विकास केन्द्र, डाक विभाग
3.	जांच निदेशालय, उत्तरी जांच परिमंडल, पूर्ति विभाग।
4.	गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो।
5.	लाइट हाउस एवं लाइट शिपस् विभाग
6.	रोजगार सेवा में अनुसंधान और प्रशिक्षण का केन्द्रीय संस्थान, श्रम मंत्रालय।
7.	भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग।
8.	प्रकाशन विभाग।
9.	के.लो.नि.वि., प्रशिक्षण संस्थान
10.	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद ओर नशीले द्रव्यों की राष्ट्रीय अकादमी,
11.	अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग।
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड।

(ख) गत 4 वर्षों के दौरान स्थानान्तरित कार्यालय :

क्रम सं.	कार्यालयों का नाम
1.	पोस्टल स्टाफ कालेज।
2.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान।
3.	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड

3284. डा० विश्वनाथम कैनिथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम की वर्तमान वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह उपक्रम अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं को प्रचलित बाजार मूल्यों से कहीं कम मूल्यों पर स्वीकार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बी.एच.पी.वी.) एक लाभ कमाने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। गत तीन वर्षों का निवल लाभ नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभ
1991-92	1.56
1992-93	2.07
1993-94 (अनंतिम)	2.50

(ख) कंपनी के समग्र हित पर विचार करने के बाद, कंपनी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य हेतु निविदाओं में बोलियां प्रस्तुत करती रही है। इस दृष्टिकोण की सफलता कंपनी की बढ़ी हुई लाभप्रदता से स्पष्ट है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना में अधिकारियों की कमी

3285. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "दि ग्रेइंग ऑफ दि आर्मी: इण्डिया रन्स आउट ऑफिर्सस" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सेना में कमान अफसरों की औसत आयु 43 से 45 वर्ष तक है। कैप्टन और उसके नीचे के रैंक के अफसरों की संख्या में कुछ कमी है। तथापि, इसके कारण सेना की संक्रियात्मक क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) अफसर संवर्ग की संख्या में जो कमी है उसे दूर करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) लिखित परीक्षा में स्वीकार्य प्रतिशत को मामूली कम करके परन्तु सेना चयन बोर्ड के मानक न घटाते हुए संघ लोक सेवा आयोग से सफल उम्मीद्वारों का बड़ा पैनल बनाना;

(2) सेना कैडेट कालेज से सेना में प्रवेश पाने वाले उम्मीद्वारों की घटती संख्या की प्रतिपूर्ति के लिए सीधी भर्ती के लिए अतिरिक्त रिक्त पद उपलब्ध कराना;

(3) चयन आधार को व्यापक बनाने के लिए विश्वविद्याय प्रवेश योजना और अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रणाली को पुनः चालू करना। बटालियनों के कमान अफसरों की औसत आयु को कम करने की दिशा में किए गए उपायों में जो अफसर अगले रैंक में पदोन्नित के लिए अधिक्रमित हो गए हों, उनके मामले में समयपूर्व सेवानिवृत्ति संबंधी नीति को उदार बनाना शामिल है।

नौसेना के डॉकयार्डों में निजी पूंजी निवेश

3286. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना के डॉकयार्डों में निजी निवेशकों को पूंजी निवेश करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वस्त्र निगम को सहायता

3287. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजसत सरकार से गत दो वर्षों के दौरान राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की पुनर्संरचना तथा परिसमापन के अन्तर्गत बन्द मिलों के श्रमिकों के देयों के निपटान के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की सलाह पर एक संचालन समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या संचालन समिति ने अपने सुझाव दे दिये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से मंजूरी और सहायता कब तक मिल जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). मूल प्रस्ताव में छंटनी क्षतिपूर्ति और विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 115.14 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गयी थी।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है और राष्ट्रीय नवीकरण निधि से संशोधित आवश्यकता की राशि अब 96.83 करोड़ रुपये है।

(ङ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि के प्रयोग के तरीकों को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद प्रस्ताव पर कार्यवाही एवं निर्णय किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का कार्यदल

3288. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यदल ने सरकार से अपने कार्यों को सुगम व कारगर बनाने तथा जनशक्ति के विकास के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही). (क) भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यदल ने, उत्पादकता स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जनशक्ति में कटौती करने, कार्यों का पुनर्गठन व पुनः अभिकल्पना करने, बहुकौशल कार्यों को अपनाने तथा मानव संसाधन विकास के गहन प्रयासों की सिफारिश की है।

(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की गई अन्य सिफारिशों में, सरकारी उपक्रमों का आधुनिकीकरण व पुनर्गठन, रुग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी उपक्रमों को बाजार से निधियां जुटाने आदि की अनुमति देना शामिल हैं।

(ग) निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर लिया जाएगा।

जम्मू के निकट अनुषंगी नगर की स्थापना

3289. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू शहर के निकट एक अनुषंगी नगर स्थापित करने हेतु किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब शुरु होगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जम्मू के उपग्रह नगर (सैटलाइट टाऊनशिप) की स्थापना बाबत शहरी विकास मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त/अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का विकास

3290. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ नगरों में गन्दी बस्तियों के विकास हेतु द्विपक्षीय सहायता के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन गन्दी बस्तियों के विकास के लिए द्विपक्षीय सहायता की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कटक (कटक शहर में स्लम सुधार परियोजना)।

(ग) द्विपक्षीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव ब्रिटेन के ओवरसीज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। ओ०डी०ए० परियोजना प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमत हो गया है तथा कटक में प्रारम्भिक चरण में सात स्लमों पर कार्य करने के लिए भारत तथा ब्रिटिश सरकार के बीच एक अनुदान करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित टी०वी० सैट

3291. डा० साक्षीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष कितने टी०वी० सैटों का निर्माण किया गया और कितने टी०वी० सैट बेचे गए;

(ख) क्या निजी कम्पनियों की तुलना में इस उपक्रम द्वारा निर्मित टी०वी० सैटों की मांग में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस उपक्रम द्वारा निर्मित टी०वी० सैटों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए और बेचे गए टेलीविजन सेटों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	उत्पादन		बिक्री	
	रंगीन टेलीविजन	श्वेत-श्याम टेलीविजन	रंगीन टेलीविजन	श्वेत-श्याम टेलीविजन
1993-94	17105	29874	18598	32345
1992-93	14725	28446	15928	30269
1991-92	14738	27641	16892	30870

(ख) जी, नहीं। तथापि, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड देशभर के बाजार में महसूस किए गए बाजार के उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहा है। 1993-94 के दौरान, जब टेलीविजनों के लिए देशभर के बाजार में वृद्धि देखी गई तब इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने भी वर्ष 1992-93 की तुलना में अधिक बिक्री की।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है। तथापि, वृद्धि को बनाए रखने की दृष्टि से, सामान्य व्यापार प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित किए जाने वाले टेलीविजन सेटों को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उत्पाद की प्रौद्योगिकी आधारित इमेज उत्पादन का डिज़ाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने में हासिल 20 वर्ष की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ बनाना।

(2) खेल-कूद के बड़े समारोहों, उत्सवों के मौसम आदि के दौरान ग्राहकों को आकर्षक छूट प्रदान करने संबंधी बिक्री संवर्धन योजनाएं।

(3) पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन तथा ट्रेडमार्क सुदृढ़ता के निवेशन आदि द्वारा बिक्री नेटवर्क के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आधार पर समय-समय पर नए मॉडलों को शुरू करने संबंधी प्रचार-समारोहों का आयोजन।

(4) ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में लिए साक्षात्कारों को मार्किट नेटवर्क में प्रैस के माध्यम से सम्प्रेषित करके ई०सी० टेलीविजन को लोकप्रिय बनाने की ट्रेडमार्क संवर्धन नीति।

[अनुवाद]

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3292. श्री बापू हरि चौरे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन मासिक प्रबोधन हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए पता लगाई गई मदों के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है ।

(ख) महाराष्ट्र के लिए 1994-95 के वार्षिक लक्ष्य तथा अप्रैल-जून, 1994 के दौरान कार्यान्वयन की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

क्रम सं.	सूत्र कोड	मद का नाम	इकाई	1991-92			1992-93			1993-94		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01 क	ए०ग्रा०वि० कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	177472	177500	100	147906	164578	111	222394	217679	98
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	78733000	73852000	94	83877000	77767000	93	137828000	112994000	82
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	संख्या	11551	12218	106	12500	13940	112	13000	17870	137
4.	05 क	फालतू भूमि का वित०	एकड़	1400	954	68	8200	4420	54	29980	1715	6
5.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	1615	1631	101	818	664	81	1000	1343	134
6.	08 क	सा०स्व० केन्द्र	संख्या	–	–	–	5	2	40	5	2	40
7.	08 ख	प्रा०स्व० केन्द्र	संख्या	–	–	–	10	8	80	–	–	–
8.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, पोलियो	संख्या	1766966	2051887	116	2123489	2041579	96	2172573	2090505	96

तथा बी०सी०जी०)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	09 क	परिवार नियोजन नसबन्दी	संख्या	525000	535000	102	525000	551007	105	525000	539856	103
10.	09 ख	समतुल्य नसबन्दी – आई०यू०डी०, सी०सी० व ओ०पी०	संख्या	255833	253871	99	277333	246618	89	311000	212238	68
11.	09 ग	ए० बाल विकास सेवा खण्ड प्रचालन (संचयी)	संख्या	155	155	100	165	165	100	175	175	100
12.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	24026	24068	100	26227	25516	97	27522	25380	92
13.	11 क	सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	संख्या	125000	140094	112	130000	103047	79	132000	127222	96
14.	11 ख	सहायता प्राप्त अनु० जनजाति के परिवार	संख्या	80000	100061	125	100000	89360	89	100000	88282	88
15.	14 क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	1700	1700	100	1700	0	0	1700	0	0
16.	14 ख	निर्माण सहायता (प.)	संख्या	1700	1700	100	1700	0	0	1700	0	0
17.	14 ग	इं०आ० योजना (मकान)	संख्या	7651	9508	124	6974	6911	99	6974	18870	271
18.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	6800	7294	107	2000	10375	519	2000	5522	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	9500	18426	194	14300	16072	112	14300	18052	126
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	300000	401913	134	250000	237259	95	250000	225797	90
21 (1)	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	123000000	110161000	90	115000000	82497000	72	120000000	114125000	95
21 (2)	16 ख	शामिल क्षेत्र सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टे०	125000	151255	121	163000	153590	94	180000	100062	56
22.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	–	–	–	100	1921	1921	300	558	186
23.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	48300	86656	179	45000	56373	125	48000 अ	65088	136
24.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	130000	135000	104	120000	110000	92	170000	171516	101
25.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	25000	29600	118	25000	26225	105	22000	21145	96

विवरण-II

राज्य का नाम : महाराष्ट्र

क्रम संख्या	सूत्र कोड	मद का नाम	इकाई	अप्रैल-जून, 1994			वार्षिक लक्ष्य 1994-95
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	27289	1309	5	181926
2.	01 ख	जवाहर रोज़गार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	32373000	0	0	161864000
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	संख्या	5000	3240	65	20000
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	5998	124	2	29991
5.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	750	0	0	3000
6.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, पोलियो तथा बी०सी०जी०)	संख्या	307380	404160	131	2049200
7.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	9000	74000	822	60000
8.	09 ख	समतुल्य नसबंदी-आई०यू०डी० सी०सी० व ओ०पी०	संख्या	50600	127926	253	340188

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	206	175	85	206
10.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	31137	25359	81	31137
11.	11 क	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार	संख्या	22950	2462	11	153000
12.	11 ख	सहायता प्राप्त अनुसूचित जन-जाति के परिवार	संख्या	20000	314	2	100000
13.	14 क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	357	0	0	1700
14.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	357	0	0	1700
15.	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	4164	0	0	19827
16.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	450	533	118	4500
17.	14 ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	500	925	185	.5000
18.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	36800	39535	107	368000
19 क.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	3750000	0	0	125000000

1	2	3	4	5	6	7	8
19 ख.	16 ख	शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हेक्टे०	5700	0	0	190000
20.	19 ख	शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	5760	7603	132	48000
21.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	10000	1777	18	200000
22.	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3000	1647	55	20000

सैनिक स्कूल

3293. श्री पी०सी० थॉमस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूलों के कार्यनिष्पादन का आंकलन करने हेतु किए गए अद्यतन अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ख) सरकार द्वारा इन स्कूलों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने और इनमें कार्यरत कर्मचारियों और अध्यापकों को बेहतर सेवा-सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है और इसके लिए भूमि के अधिग्रहण के बाद से वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सैनिक स्कूल के छात्रों की 12वीं कक्षा की परीक्षा में तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वर्ष 1992-93 में दो अध्ययन किए गए थे। 1988 से 1992 की अवधि के दौरान स्कूलों का सम्मिलित शैक्षिक प्रर्दशन 48.6 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गया था। सैनिक स्कूलों ने अपनी शुरुआत से आज तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 4647 कैडिट भेजे हैं। उन्होंने पब्लिक स्कूल शिक्षा को सामान्य आदमी तक पहुंचाया है।

(ख) कैडेटों को सेवा चयन बोर्ड की अपेक्षा के अनुरूप एवं प्रेरणाप्रद प्रशिक्षण देने से सभी कर्मियों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण में सुधार हुआ है तथा स्कूलों का गहन पर्यवेक्षण का कार्य किया गया है। सैनिक स्कूलों का शैक्षिक और प्रशासनिक स्टाफ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त स्टाफ को मुफ्त आवास और प्रतिमाह प्रभार मुक्त 15 इकाई विद्युत की सुविधा दी गई है।

(ग) सैनिक स्कूल काजकाकोट्टम की स्थापना 1962 में की गई थी। 100 हेक्टेयर भूमि का कब्ज़ा 1961 में ले लिया गया था। वर्ष 1964-65 तक स्कूल के मुख्य भवन, सेवा अफसरों, अध्यापकों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए आवास कैडेटों के लिए शयनागार और स्कूल मेस भवन का निर्माण पूरा हो गया था। बाद में समय-समय पर अतिरिक्त निर्माण/सुधार किए गए हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य

3294. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार गरीबी उन्मूलन के मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इन लक्ष्यों को राज्य-वार किस सीमा तक प्राप्त किया गया;

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) : केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख दो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं - समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोज़गार योजना। पिछले दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। जैसा कि विवरण से देखा जा सकता है, प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हाल ही में सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इनमें शामिल हैं :- (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा कार्यक्रम में सुधार और उपयुक्त संशोधन करने के लिए सुझाव देने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना, (2) पारिवारिक ऋण योजना का विस्तार करना, (3) लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन का मूल्यांकन करने की विकास आडिट शुरु करना, (4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के स्तर में वृद्धि करने का पैकेज तथा (5) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आधारभूत ढांचे आदि के मानदण्डों में संशोधन करना।

इसी प्रकार जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत गहन रोज़गार योजना तथा सुनिश्चित रोज़गार योजना शुरु की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोज़गार और अल्परोज़गार वाले पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोज़गार सृजित हो सके। गहन जवाहर रोज़गार योजना देश के उन 120 पिछड़े जिलों, जिनमें अधिक बेरोज़गारी तथा अल्परोज़गारी है, में कार्यान्वित की जा रही है। सुनिश्चित रोज़गार योजना देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरुस्थली क्षेत्रों, आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले खंडों में 2 अक्तूबर, 1993 से चल रही है। यह योजना अब पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले 1778 खंडों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को अकुशल शारीरिक श्रमवाला 100 दिन का सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराना है, जो इसके जरुरतमंद हैं तथा जिन्हें इसकी तलाश है।

विवरण-I

1992-93 तथा 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(परिवारों की संख्या)

क्रमांक	राज्य	1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	138079	179038	204024	259697
2.	अरुणाचल प्रदेश	12512	13642	16630	15207
3.	असम	37711	40204	67158	63381

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	276337	264252	387248	335908
5.	गोआ	2608	2456	3446	736
6.	गुजरात	59861	61842	74909	79725
7.	हरियाणा	13606	23349	17989	34026
8.	हिमाचल प्रदेश	4871	6956	5863	9128
9.	जम्मू व कश्मीर	6803	7331	11193	7408
10.	कर्नाटक	86425	103856	136981	132861
11.	केरल	46950	50517	49836	53698
12.	मध्य प्रदेश	183097	184083	258521	242673
13.	महाराष्ट्र	147906	177651	222394	217671
14.	मणिपुर	1092	3158	4848	6333
15.	मेघालय	3275	3011	4655	2635
16.	मिज़ोरम	5216	3474	6971	4684
17.	नागालैंड	5477	3996	7273	4368
18.	उड़ीसा	90457	93226	165479	160000
19.	पंजाब	11507	25248	12792	33736
20.	राजस्थान	88189	101366	107400	116567
21.	सिक्किम	1043	1142	1352	1218
22.	तमिलनाडु	123969	144987	184436	214888
23.	त्रिपुरा	3863	11414	15000	16297
24.	उत्तर प्रदेश	369554	387961	416354	445403
25.	पश्चिम बंगाल	154457	171695	182836	73818
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1304	895	1726	492
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	261	300	372	372

1	2	3	4	5	6
29.	दिल्ली	-	-	-	-
30.	दमन और द्वीव	522	524	690	507
31.	लक्षद्वीप	133	156	159	81
32.	पांडिचेरी	1043	1043	1407	1407
	योग	1875135	2068773	2569942	2534925

विवरण-II

जवाहर रोज़गार योजना तथा सुनिश्चित रोज़गार योजना के अंतर्गत

1992-93 से 1993-94 तक रोज़गार के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(लाख श्रम दिन)

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 जवाहर रोज़गार योजना		1993-94 जवाहर रोज़गार योजना		1993-94 सुनिश्चित रोजगार योजना
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	659.76	677.93	1025.61	1028.90	62.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.01	6.52	10.01	4.85	3.64
3.	असम	119.72	109.72	228.90	278.24	31.75
4.	बिहार	937.94	1036.16	1467.71	1474.25	31.44
5.	गोआ	8.36	8.12	10.12	8.53	-
6.	गुजरात	236.73	235.03	211.40	232.64	6.75
7.	हरियाणा	33.71	32.63	38.64	33.29	15.20
8.	हिमाचल प्रदेश	29.77	26.16	33.73	34.54	0.05
9.	जम्मू व कश्मीर	62.87	43.01	72.75	31.04	3.46
10.	कर्नाटक	441.08	418.29	718.01	651.30	32.12
11.	केरल	138.63	134.54	113.47	120.43	2.60
12.	मध्य प्रदेश	643.77	709.66	766.00	769.25	51.26

1 2	3	4	5	6	7
13. महाराष्ट्र	838.77	823.53	1378.27	1188.50	31.53
14. मणिपुर	9.84	5.23	14.84	6.68	नगण्य
15. मेघालय	11.61	8.90	16.89	9.55	शून्य
16. मिज़ोरम	4.37	4.78	5.24	6.32	8.52
17. नागालैंड	20.74	15.47	14.74	16.02	33.92
18. उड़ीसा	306.52	326.39	557.70	522.96	31.43
19. पंजाब	24.67	31.78	29.93	38.57	-
20. राजस्थान	340.62	339.09	426.66	450.37	50.00
21. सिक्किम	6.66	13.42	8.19	10.14	0.82
22. तमिलनाडु	671.94	767.86	853.62	881.10	10.96
23. त्रिपुरा	18.10	13.94	22.04	23.41	16.14
24. उत्तर प्रदेश	389.00	1496.29	1779.57	1791.16	15.00
25. पश्चिम बंगाल	557.24	525.55	563.81	533.56	52.53
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4.47	1.71	3.27	1.81	0.10
27. दादर व नगर हवेली	3.55	2.70	2.73	2.34	0.04
28. दमन व द्वीव	1.63	0.12	1.63	0.59	शून्य
29. लक्षद्वीप	2.55	2.68	2.62	2.21	शून्य
30. पांडिचेरी	3.32	3.81	5.16	4.27	-
कुल	7537.95	7821.02	10383.26	10156.82	491.68

+ लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

विभिन्न समय-जोन

3295. श्री बे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत को विभिन्न समय-जोनों में बांटने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घड़ी उद्योग

3296. श्री गुरुदास कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय घड़ी उद्योग बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कारण संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम प्रस्तावित हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सोलर हीटिंग प्रणाली

3297. श्री के० प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में "सोलर हीटिंग" प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस संबंध में आठवीं योजना और नौवीं योजना के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गयी हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार विभिन्न संवर्द्धनात्मक उपायों के माध्यम से जल पम्पन, वायु तापन, निथरन और खाना पकाने के अनुप्रयोगों के लिए देश में सौर तापन प्रणालियों को लोकप्रिय बना रही है। सौर तापन प्रणालियों की स्थापना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न प्रचार उपायों द्वारा सौर तापीय प्रणालियों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान 2.75 लाख वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र की स्थापना किए जाने और 3 लाख सौर कुकर बेचे जाने की योजना बनाई है। आठवीं योजना में सौर तापीय कार्यक्रम के लिए 80 करोड़ रुपये निधार्रित किए गए हैं। नवीं योजना, जो अभी तैयार नहीं हुई है, के लिए कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान सौर जल तापन प्रणालियों और सौर कुकरों की,राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्ग मीटर)			सौर कुकर (संख्या)		
		91-92	92-93	93-94	91-92	92-93	93-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	292	1454	298	507	2309	3010
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	–	–	–	–	–
3.	असम	150	–	–	–	80	–
4.	बिहार	–	–	1004	–	730	–
5.	गोआ	–	44	199	–	–	35
6.	गुजरात	12994	2330	5531	2930	1893	1123
7.	हरियाणा	228	872	240	6449	3925	154
8.	हिमाचल प्रदेश	755	148	1430	4309	2867	5087
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	36	–	–	86
10.	कर्नाटक	3938	4920	3566	–	–	–
11.	केरल	216	190	588	–	22	17
12.	मध्य प्रदेश	7711	2211	3000	20,500	28805	29,000
13.	महाराष्ट्र	7612	3312	1902	5811	2526	3443
14.	मणिपुर	312	91	–	200	–	–
15.	मेघालय	30	–	–	–	–	–
16.	मिज़ोरम	–	–	33	–	–	48
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	60	45	190	–	–	222

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	685	1718	601	2056	2216	1000
20.	राजस्थान	300	1110	1252	2052	4094	882
21.	सिक्किम	–	132	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	2837	1608	1028	132	–	24
23.	त्रिपुरा	–	63	2	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	5998	2764	800	7000	1227	3400
25.	पश्चिम बंगाल	–	1156	1276	–	–	167
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	21
27.	चण्डीगढ़	683	32	61	–	350	240
28.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व द्वीव	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	3483	–	1314	2869	3820	3372
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
32.	पॉडिचेरी	–	245	326	–	–	–
33.	इरेडा	–	–	9953	–	–	–
34.	अन्य (बिना राज सहायता के)	–	–	5555	–	–	–
		48,362	24,595	40,198	54,815	51,877	51,331

ट्राइसेम

3298. श्री के० मुरलीधरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में ''ट्राइसेम'' (ग्रामीण युवकों को स्वरोज़गार हेतु प्रशिक्षण योजना) के अंतर्गत वर्षवार कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या की स्थिति, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य भी शामिल हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रशिक्षित युवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति युवाओं की संख्या	प्रशिक्षित युवाओं में महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित युवाओं में विकलांग युवाओं की संख्या
1991-92	7362	2779	4980	45
1992-93	7919	3043	5382	15
1993-94	5549	2384	3742	10
कुल	20830	8206	14104	70

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

3299. श्री एन०वे० राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, इस समय ग्रामीण और शहरी लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है; और

(ख) इनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी०एस०ओ०) केवल अखिल-भारत स्तर पर ही ग्रामीण-शहरी प्रति व्यक्ति आय के अनुमान लगाता है।

(ख) पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्यों में से एक गुजरात सहित देश में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है।

[अनुवाद]

स्थाई विकास हेतु समेकित प्रबन्ध व्यवस्था

3300. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक संसाधनों की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था हेतु देश भर के 157 जिलों में स्थाई विकास हेतु समेकित प्रबन्ध व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कोई कार्य योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार, कौन-कौन से जिले शामिल होंगे; और

(घ) इन जिलों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घकालीन विकास हेतु समेकित मिशन (आई०एम०एस०डी०) के अन्तर्गत अन्तरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों से व्युत्पन्न विविध प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सूचना के समाकलन और विश्लेषण द्वारा माइक्रो स्तर पर स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इस प्रक्रिया में भूमि-उपयोग/भू-आवरण, परती भूमि की किस्मों, वन आवरण/किस्मों, सतह जल संसाधनों, अपवहन, सम्भावित भूमिजल क्षेत्रों, भू-आकृति-विज्ञान तथा मृदा किस्मों पर उपग्रह आंकड़ों के उपयोग और इनके मौसम विज्ञानीय, समाजार्थिक तथा अन्य सम्बद्ध आंकड़ों के साथ समाकलन करते हुए थिमेटिक मानचित्र तैयार करना शामिल है। स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाएं वस्तुतः माइक्रो-स्तर पर दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने के लिए इष्टतमी भूमि और जल संसाधन पद्धतियों के उपयोग की सिफारिश करती हैं। इन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी चल रही विकासात्मक योजनाओं के साथ उपयुक्त रुप में समाकलन करते हुए सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) आई०एम०एस०डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल मिलाकर भारत के लगभग 45 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आवृत करते हुए देश में 157 जिलों को चुना गया है। इन जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इन जिलों के चयन का आधार यह है कि ये जिले सूखा अथवा बाढ़ अथवा रेगिस्तान द्वारा बारहमासी रुप में प्रभावित रहते हैं तथा इनमें परती भूमि का बृहत क्षेत्र शामिल होने के कारण ये सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी चल रही विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत आवृत हैं।

विवरण

दीर्घकालीन विकास हेतु समेकित मिशन (आई०एम०एस०डी०) के अन्तर्गत आवृत्त 157 जिलों की सूची।

क्रम संख्या	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	अनन्तपुर

1	2	3	4
			महबूबनगर
			करनूल
			चित्तूर
			रंगारेड्डी
			कड्डप्पा
			पूर्वी गोदावरी
			प्रकाशम
			नलगोंडा
			अदिलाबाद
			करीमनगर
			निजामाबाद
			वरंगल
			खम्मान
			मेडक
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	पूर्वी सियांग
3.	असम	02	कछिवांगलांग
			कामरूप
4.	बिहार	07	नवादा
			सिंहभूमि
			रोहितास
			धनबाद
			गोडा
			मुंगेर
			पलामू
5.	गोवा	01	गोवा
6.	गुजरात	10	कच्छ

1	2	3	4
			सुरेन्द्रनगर
			अमरेली
			बनासकांठा
			राजकोट
			मेहसाना
			अहमदाबाद
			जूनागढ़
			भावनगर
			पंचमहल
7.	हरियाणा	07	भिवानी
			हिसार
			महेन्द्रगढ़
			गुड़गांव
			सिरसा
			करनाल
			रिवाड़ी
8.	हिमाचल प्रदेश	05	चम्बा
			लाहोल और स्पीति
			किन्नूर
			कांगड़ा
			हमीरपुर
9.	जम्मू और कश्मीर	04	लेह
			कारगिल
			डोडा
			ऊधमपुर
10.	कर्नाटक	12	गुलबर्गा

1	2	3	4
			बिडार
			बेल्लरी
			रायचूर
			चित्रदुर्ग
			बेलगाम
			तुमकुर
			धारवाड़
			चिकमंगलूर
			बीजापुर
			कोलार
			हसन
11.	केरल	03	मालापुरम्
			कासरगोड़
			पलाक्कड़
12.	मध्य प्रदेश	10	दतिया
			रायपुर
			बेतुल
			मंदसौर
			शहडोल
			रायसेन
			धार
			खारगांव
			सिद्धी
			झाबुवा
13.	महाराष्ट्र	14	शोलापुर
			ऊस्मानाबाद

1	2	3	4
			बीड
			पुणे
			औरंगाबाद
			नासिक
			जालना
			सांगली
			सतारा
			रत्नगिरी
			धूलें
			जलगांव
			चन्द्रपुर
			अहमदनगर
14.	मणिपुर	01	इम्फाल
15.	मेघालय	01	पश्चिमी खासी
16.	मिज़ोरम	01	एजवाल
17.	नागालैण्ड	01	कोहिमा
18.	उड़ीसा	07	सुन्दरगढ़
			गंजम
			फूलबनी
			बोलनगिर
			सम्भलपुर
			केयोझरगड़
			कालाहाण्डी
19.	पंजाब	03	संगरूर
			होशियारपुर
			भटिंडा

1	2	3	4
20.	राजस्थान	19	सीकर
			डुंगरपुर
			गंगानगर
			जोधपुर
			बीकानेर
			अजमेर
			टोंक
			भरतपुर
			पाली
			बनासवाड़ा
			जयपुर
			जालोर
			जैसलमेर
			बाड़मेर
			दौसा
			सवाई माधोपुर
			चुरू
			झुन्झुनु
			नागौर
21.	सिक्किम	01	सम्पूर्ण सिक्किम
22.	तमिलनाडु	10	मदुरई
			चिदम्बरनगर
			रामनाथपुरम्
			पसूम्पोन
			पुडुकोट्टई
			कामराजर

1	2	3	4
			तिरूनलवेली
			उत्तरी आरकोट
			नीलगिरी
			धर्मपुरी
23.	त्रिपुरा	01	उत्तरी त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश	18	झांसी
			बांदा
			इलाहाबाद
			मैनपुरी
			बहराइच
			लखिमपुर खैरी
			सीतापुर
			टिहरी गढ़वाल
			अल्मोड़ा
			पिथौरागढ़
			पौड़ी गढ़वाल
			चमौली
			मिर्ज़ापुर
			हमीरपुर
			जालान
			गौंडा
			ललितपुर
25.	पश्चिमी बंगाल	03	पुरुलिया
			बांकुरा
			मिदनापुर

पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3301. श्री एन०के० राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य के उक्त क्षेत्रों के विकास हेतु, अध्ययन करने तथा सिफारिशें देने के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन करने का विचार है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए गुजरात हेतु वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों तथा आदिवासी उप योजना के तहत अनुमोदित योजना परिव्यय क्रमशः 1.23 करोड़ रुपये तथा 237.75 करोड़ रुपये है। गुजरात में कोई पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन

3302. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 3500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने वाले असैनिक पेंशनभोगियों के लिए जीवन निर्वाह लागत को मूल्य वृद्धि से 100 प्रतिशत निष्प्रभावी बनाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) : पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत विनियमित करने के प्रयोजन से उन्हें पहली जुलाई 1986 से औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 के बाद, मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के निष्प्रभावीकरण के लिए मूल पेंशन पर आधारित तीन श्रेणियों में बांटा गया है :-

(i) 1750/- रुपये तक की प्रति मास की पेंशन पर 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण की अनुमति दी जा रही है।

(ii) 1750/- रुपये तथा 3000/- रुपये प्रति मास के बीच की पेंशन पर 75 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण की अनुमति दी जा रही है।

(iii) 3000/- रुपये प्रति मास से ऊपर की पेंशन पर 65 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण की अनुमति दी जा रही है।

उपर्युक्त के अनुसार (i) श्रेणी में आने वाले ऐसे पेंशनभोगियों जो 3500/- रुपये प्रति मास से कम मूल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मूल्य वृद्धि पर 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण की अनुमति दी जा रही है। पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत प्रदान करने की विद्यमान योजना चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। सरकार का इस योजना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सशस्त्र बलों के लिए जूतों की मांग

3303. श्री प्रमोथेस मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्णय के अनुरूप सशस्त्र बल अपने लिए जूतों की आपूर्ति केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम से प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बी०आइ०सी०पी० से मूल्य संबंधी प्रश्न की जांच करवा ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) आयुध उपस्कर निर्माणी की क्षमता के लायक पूरा काम रखने के पश्चात् समय-समय पर लागू सरकारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं से बूट प्राप्त करने हेतु उन्हें आर्डर दिए जाते हैं। इस समय लागू आदेशों के अनुसार सर्वाजनिक क्षेत्र के उपक्रम मूल्य की दृष्टि से किसी तरह को प्राथमिकता पाने के हकदार नहीं हैं, किन्तु यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बताया गया मूल्य निम्नतम वैध बोली दर के 10 प्रतिशत के भीतर हो तो संबंधित सार्वजनिक उद्यम को खरीदारी करने में प्राथमिकता दी जाती है अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वह सप्लाई निम्नतम वैध बोली दर पर करनी होगी। इन आदेशों के अंतर्गत, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी०आई०सी०पी०) की राय जानना अपेक्षित नहीं है।

नगरों का "मैगनेट टाउन" के रूप में विकास

3304. श्री प्रबीन डेका : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में किन-किन शहरों और नगरों को मैगनेट टाउन के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस सम्बन्ध में बनाई जाने वाली योजना का नगर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ नगरवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (ग) सम-सुविधा सम्पन्न कस्बों के विकास की आयोजनाएं राज्य सरकारों में सम्बन्धित नगर

नियोजन प्राधिकरणों द्वारा तैयार की जाती है। स्थानीय तथा क्षेत्रीय परिस्थितियां अलग-अलग कस्बे में अलग-अलग होती हैं और सम-सुविधा सम्पन्न कस्बों के विकास के लिए आयोजनाओं में भी स्थानिक अन्तर होता है। भारत सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में सम-सुविधा सम्पन्न कस्बों के विकास के लिए कोई भौतिक अथवा आर्थिक बनाई गई अथवा बनाने के लिए प्रस्तावित कोई आयोजना प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, छोटे तथा मझौले कस्बों के सघन विकास की योजना (आई०डी०एस०एम०टी०) के तहत राज्य सरकारों द्वारा चयनित छोटे तथा मझौले कस्बों में कतिपय अवस्थापना विकास योजनाएं शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्यों से योजना प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। किसी नगर/कस्बे के लिए कोई विशिष्ट नियतन नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता का दिया जाना राज्य अंश और संस्थागत वित्त की उपलब्धता सहित आई०डी०एस०एम०टी० दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना रिपोर्टों पर निर्भर करता है।

योजना व्यय

3305. श्री सयैद शहाबुद्दीन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक योजना, 1993-94 के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक परिव्यय कितना था और इसमें राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय आबंटन का हिस्सा कितना-कितना था ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : वार्षिक योजना 1993-94 के संशोधित परिव्यय के लिए राज्यों के निजी संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता (राज्य-वार) के बीच ब्यौरों को दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1993-94 के संशोधित परिव्यय तथा केन्द्रीय सहायता एवं राज्यों के निजी संसाधनों के बीच इसके ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	1993-94		
		संशोधित परिव्यय जोड़	राज्य के निजी संसाधन	केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1851.00	329.79	1636.20
2.	अरुणाचल प्रदेश+	263.91	30.67	290.14
3.	असम +	872.00	-303.20	1171.48
4.	बिहार	750.00	-758.59	1783.57

1	2	3	4	5
5.	गोवा	144.50	82.39	62.11
6.	गुजरात	1900.00	1101.35	793.86
7.	हरियाणा	839.08	323.57	439.23
8.	हिमाचल प्रदेश +	562,82	-465.00	735.56
9.	जम्मू व कश्मीर +	684.00	-1290.58	1119.99
10.	कर्नाटक	3025.00	1725.40	1204.17
11.	केरल	1019.77	63.40	956.37
12.	मध्य प्रदेश	2018.21	602.45	1334.90
13.	महाराष्ट्र	3832.80	2641.14	1465.09
14.	मणिपुर +	174.84	-94.38	289.70
15.	मेघालय +	281.00	-51.18	309.76
16.	मिज़ोरम+	181.90	-71.76	215.91
17.	नागालैंड +	168.41	-259.34	296.84
18.	उड़ीसा	1095.19	60.28	994.72
19.	पंजाब	1140.00	-329.94	1400.34
20.	राजस्थान	1704.76	436.52	1157.86
21.	सिक्किम+	100.12	-42.98	118.35
22.	तमिलनाडु	2102.21	454.00	1539.64
23.	त्रिपुरा+	220.03	-47.92	275.92
24.	उत्तर प्रदेश	2800.00	-1041.34	3778.76
25.	पश्चिम बंगाल	1020.94	-348.74	1369.88

+ **विशेष श्रेणी राज्य :** केन्द्रीय सहायता संशोधित परिव्यय से अधिक है क्योंकि केन्द्रीय सहायता का एक भाग गैर योजना व्यय को कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी : सूचना राज्यों से प्राप्त संसाधन स्थिति संबंधी नवीनतम जानकारी पर आधारित है। अरूणाचल प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु के मामले में सूचना वार्षिक योजना 1994-95 को अंतिम रुप देते समय प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। केन्द्रीय सहायता तथा राज्यों के निजी संसाधन हमेशा संशोधित परिव्यय से मेल नहीं खाते, क्योंकि कुछ राज्य कमी के मामले में घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से अन्तर को पाटते हैं।

भारतीय मौसम विभाग का कार्य

3306. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम विभाग द्वारा जून, 1994 में अरब सागर की स्थिति के बारे में तूफानी मौसम और वर्षा के संबंध में लगातार गलत पूर्वानुमान दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) मौसम विभाग द्वारा कार्य में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन गलत पूर्वानुमानों के कारण प्रभावित हुए यूरब, अलीबाग, रत्नागिरि और मुम्बई के मछुआरों को क्षतिपूर्ति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जून, 1994 के महीने में जब कभी आवश्यकता पड़ी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा के तटों के साथ-साथ और थोड़ी दूरी पर क्षुब्ध सागर तथा खुले सागर के लिए चेतावनियां जारी कीं। उपर्युक्त अवधि में जब कभी ठीक समझा गया, संबंधित अधिकारियों को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा केरल, तटीय कर्नाटक तथा कोंकण और गोआ के लिए तेज हवाओं तथा भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गयीं। जांच करने पर तेज हवाओं और भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गयीं। जांच करने पर तेज हवाओं और भारी वर्षा की चेतावनियां खासी सही पायी गयीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियां

3307. श्री फूल चंद वर्मा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन दे रही है, जैसा कि 20 जुलाई, 1994 के हिन्दी दैनिक, "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिस्कुट और आइसक्रीम जैसी वस्तुओं को आरक्षित सूची से निकाल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु उद्योग के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी मद को केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित करने पर, किसी मझौले/बड़े उपक्रम को इन कार्यों को करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन, बहुराष्ट्रिक उपक्रमों सहित मझौले/बड़े उपक्रम 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्त पर उक्त आरक्षित मदों का निर्माण कर सकते हैं (निर्यातोन्मुख सिले-सिलाए वस्त्रों की इकाइयों के मामले में यह 50 प्रतिशत है जिसकी अधिकतम निवेश सीमा 3 करोड़ रुपये है)। यदि लघु औद्योगिक उपक्रम के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम उक्त मद के आरक्षण की तारीख से पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किसी मद का निर्माण कर रहा था तो वह सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करके उस मद का निर्माण जारी रख सकता है। इसी प्रकार, मझौले/बड़े उपक्रमों के रुप में परिवर्तित होने वाली लघु इकाइयां सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करके ऐसी मदों का निर्माण जारी रख सकती हैं।

75 प्रतिशत निर्यात दायित्व तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों सहित अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु क्षेत्र में 24 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रावधान लघु क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

3308. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची को कोल इंडिया लिमिटेड से शावलों एवं अन्य उपस्करों के लिए पर्याप्त क्रयादेश मिल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कारपोरेशन को दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० (एच०ई०सी०), रांची को कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) से मिलने वाले क्रयादेशों में गत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त कमी आई है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) द्वारा दी गई सूचनानुसार, निधियों की अपर्याप्तता के कारण 1992-93 और 1993-94 के लिए ई०के०जी० शावलों और 250 मि०मि० ड्रिलों की आवश्यकता की कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समीक्षा की गई थी और इन मशीनों की आवश्यकता को उपलब्ध मशीनों के पुनर्नियोजन से और एच०ई०सी० को जिन अन्य मशीनों के पहले से आर्डर दिए गए थे, उनसे पूरा किया गया था। अतः

1992-93 और 1993-94 के दौरान इन दो प्रकार की मशीनों के लिए सी०आई०एल० द्वारा कोई क्रयादेश नहीं दिया जा सका।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परिवार अदालतें

3309. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यों की परिवार अदालतों के काम न करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस बारे में कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का यह विचार है कि राज्यों में स्थापित कुटुंब न्यायालय समुचित रूप से कार्य नहीं करते रहे हैं और जिन राज्यों में कुटुंब न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, उन्हें और बिना किसी विलम्ब के राज्य और जिला दोनों स्तरों पर कुटुंब न्यायालय स्थापित करने चाहिए। आयोग का यह भी विचार था कि महिला वकीलों को अधिक से अधिक संख्या में कुटुंब न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है। ऐसा अध्ययन कर लिए जाने और कमियों का पता लगाने के पश्चात् आयोग का प्रस्ताव है कि आदर्श नियम बनाए जाएं और उन्हें राज्य सरकारों को अंगीकार किए जाने के लिए भेजा जाए।

जहां तक उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिनमें कुटुंब न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं, कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का संबंध है, उनसे इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ट्राइसेम

3310. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्व रोज़गार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) जून से अगस्त, 1993 के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोज़गार प्रशिक्षण योजना का एक

मूल्यांकन प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठनों द्वारा कराया गया था। इस मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष यह थे कि ट्राइसेम के लाभार्थियों में से तीन-चौथाई लाभार्थी उनको दिए गए प्रशिक्षण से संतुष्ट थे। लगभग 55 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी स्वरोज़गार अथवा मज़दूरी रोज़गार में लग गए। कार्यक्रम की मुख्य कमी यह बतलाई गई कि ऋण सम्पर्कों में ठीक तालमेल का न होना, ढांचे आदि का अभाव था। मूल्यांकन निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं :-

1. ट्राइसेम के प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों के चयन में सुधार।

2. प्रशिक्षण अवधि और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभिकल्पन की समीक्षा।

काकड़ापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

3311. **श्री शरद पटनायक :**

श्री छीतू भाई गामीत :

श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकड़ापुर परमाणु विद्युत संयंत्र के शुरू होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संयंत्र के विलम्ब से शुरू होने का देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यह संयंत्र किस तारीख तक शुरू हो जाएगा; और

(ङ) इस संयंत्र पर खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि और अभी तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना (के०ए०पी०पी०) में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिट हैं। पहले यूनिट को सितम्बर, 1992 में चालू किया गया था और इसने मई, 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरु किया था। दूसरा यूनिट चालू किए जाने के अंतिम चरण में है। दूसरे यूनिट को चालू करने में विलम्ब होने का मुख्य कारण परिचालन अनुभवों के आधार पर आवश्यक पाए अभियांत्रिकी संबंधी परिवर्तनों से संबंधित सुरक्षोपायों को समाविष्ट करना था जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई और कार्य जटिल हो गया।

(ग) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट को चालू करने में विलम्ब होने की वजह से अन्य विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य और अतः देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का कार्य प्रभावित नहीं होगा।

(घ) आशा है कि ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट सितम्बर, 1994 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा और 1994 के अंत तक वाणिज्यिक स्तर पर काम करना शुरू कर देगा।

(ङ) दोनों यूनिटों की अनुमोदित लागत 1335 करोड़ रुपए है जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज के रूप में 310 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। जून, 1994 के अंत तक 1233.00 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

परमाणु ईंधन परिसर

3312. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन परिसर ने अपने अपशिष्टों का परिशोधन करने तथा अपने श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कतिपय प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद ने अपने बहिःस्रावों को उनकी बिक्री होने अथवा उन्हें उन्मुक्त किए जाने से पहले संसाधित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अम्लीय और क्षारीय अपशिष्ट स्ट्रीमों को अलग-अलग संसाधित किया जाता है। यूरेनियम-लेश युक्त ठोस पदार्थों को एकत्रित किया जाता है और उनमें से यूरेनियम प्राप्त करने के लिए उन्हें जादूगुडा स्थित यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में वापिस भेज दिया जाता है। द्रव स्ट्रीमों को एक विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए सौर वाष्पन ताल में वाष्पित कर दिया जाता है। निःसादित और जम गए अवपंक/लवणों जिनमें कोई विकिरण सक्रिय पदार्थ मौजूद नहीं होता है, को रसायन संसाधन उद्योगों को बेच दिया जाता है।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० फ्लैट

3313. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०डी०ए० फ्लैट और भूमि के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या फ्लैटों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के सम्बन्ध में फ्लैट मालिकों की शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, फ्लैटों और भूमि की कीमत में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

1. भूमि के अधिग्रहण और विकास की लागत बढ़ गई है।

2. दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आदि द्वारा अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिए अपेक्षित भूमि 01.04.89 से मुफ्त दी जाती है।

3. वृहद् योजना (मास्टर प्लान) के अनुसार भूमि का पर्याप्त हिस्सा हरित पट्टी हेतु छोड़ा जाना अपेक्षित है। 20 से 25 प्रतिशत भूमि हरित क्षेत्र के लिए छोड़ी जाती है।

4. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के तार भूमिगत बिछाये जाने होते हैं।

5. सामग्री लागत और मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है।

6. पूंजीगत लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

7. डी०डी०ए० फ्लैटों के मानक अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं।

(ख) सरकार ने इस बाबत कोई पैनल नियुक्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी विकास परियोजनाएं

3314. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1994 तक गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य-वार कितनी शहरी विकास परियोजनाएं प्राप्त हुईं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं को अब तक राज्य-वार मंजूरी प्रदान की जा चुकी है;

(ग) ये योजनाएं राज्य-वार किन-किन स्थानों पर आरम्भ की जाएंगी; और

(घ) इन योजनाओं पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) : जून, 1994 तक गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से भारत सरकार को, अनुमोदन हेतु प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :-

1. छोटे तथा मझौले नगरों (आई०डी०एस०एम०टी०) की सघन विकास योजना	1991-92	1992-93	1993-94
प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	103	92	103
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	60	44	84

राज्य-वार ब्यौरे विवरण-। में दिए गए हैं।

2. मेगा सिटी योजना	1994 (जून तक)
प्राप्त परियोजना रिपोर्टों की संख्या	5
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	शून्य

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत जिन नगरों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है उनकी (राज्यवार) सूची विवरण-।। में दी गई है। मेगा सिटी योजना के अन्तर्गत, जिन शहरों/नगरों में परियोजना चलायी जानी है, वे शहर/नगर इस प्रकार हैं :-

राज्य का नाम	नगर का नाम
महाराष्ट्र	बम्बई
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
तमिलनाडु	मद्रास
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
कर्नाटक	बैंगलोर

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत दी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपये करोड़ में
1991-92	11.21
1992-93	9.44
1993-94	16.40

वर्ष 1994-95 के लिए, केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने हेतु नियत की गयी बजट (राशि) रुपये 25 करोड़ है। मेगा सिटी योजना, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है, के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के लिए नियतन रुपये 75 करोड़ हैं। स्वीकृत/स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं पर व्यय, राज्यों के हिस्से की राशि की उपलब्धता, संस्थागत वित्त तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों पर निर्भर करेगा।

विवरण-।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से गत तीन वर्षों के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० योजना के तहत प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		प्राप्त परि-योजना रिपोर्टों की सं.	योजना के तहत शामिल नगरों की सं.	प्राप्त परि-योजना रिपोर्टों की सं.	योजना के तहत शामिल नगरों की सं.	प्राप्त परि-योजना रिपोर्टों की सं.	योजना के तहत शामिल नगरों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6	5	5	4	28	14

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	–	–	1	–
3.	असम	4	1	–	–	3	–
4.	बिहार	1	1	–	–	2	–
5.	गोआ	1	1	3	–	3	1
6.	गुजरात	3	3	–	–	1	3
7.	हरियाणा	1	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	2	–	–	–	3	2
10.	कर्नाटक	9	5	17	7	12	12
11.	केरल	4	3	1	1	2	–
12.	मध्य प्रदेश	5	4	3	3	10	2
13.	महाराष्ट्र	13	6	14	9	5	10
14.	मणिपुर	3	1	2	3	–	–
15.	मेघालय	5	1	–	–	1	–
16.	मिज़ोरम	–	–	–	–	2	–
17.	नागालैंड	1	1	–	–	3	–
18.	उड़ीसा	8	3	7	4	3	–
19.	पंजाब	6	1	4	–	–	3
20.	राजस्थान	5	3	9	5	–	4
21.	सिक्किम	2	–	2	–	–	–
22.	तमिलनाडु	5	5	13	8	6	10
23.	त्रिपुरा	1	1	–	–	1	–
24.	उत्तर प्रदेश	7	7	–	–	5	5
25.	पश्चिम बंगाल	7	5	10	–	11	12
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान व निकोबार	–	–		–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	दादर व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
3.	दमन और द्वीव	-	-	2	-	-	-
4.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
5.	पांडिचेरी	2	1	-	-	1	1
	योग :	103	60	92	44	103	84

विवरण-।।

गत तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 और 1993-94) के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० योजना के तहत शामिल किये गये विभिन्न राज्यों के नगरों के नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम		
आन्ध्र प्रदेश			
1.	तन्कू	2.	धर्मावरम
3.	रामचन्द्रापुरम-।	4.	तंदूर
5.	सिद्धीपट-।	6.	वनापर्थी
7.	काकीनडा	8.	जग्गयापेटा
9.	कुरनूल	10.	कुडप्पा
11.	निद्दावोलू	12.	मदनापले
13.	चिर्ला	14.	रपला
15.	पोन्नूर	16.	नारायणपट
17.	जगीत्याल	18.	श्रीकलाहस्ती
19.	निजामाबाद	20.	अन्नतपुर
21.	विक्राबाद	22.	चिलाकलूरीपट
23.	अम्लापुरम्		
अरूणाचल प्रदेश		**असम**	
24.	तवांग	25.	नार्थ लखीमपुर
बिहार		**गोआ**	
26.	बंका	27.	मपूसा

28. कुरचोरम

गुजरात

29. सिद्धपुर
30. विरमगांव
31. केशोद
32. वधवां
33. भरूच
34. नडियाड

हिमाचल प्रदेश

35. हमीर पुर

जम्मू और कश्मीर

36. सम्बा
37. सोपोर

कर्नाटक

38. मलावल्ली
39. रबाकवि बनाहट्टी
40. दन्डेली
41. चिन्तामणि
42. चिकमंगलूर
43. तिप्तूर
44. खारीबिदनापुर
45. बदामी
46. गुरमित्कल
47. सौदत्ती
48. ब्यादगी
49. करवर
50. यीदर
51. हवेरी
52. बेलरी
53. मधुगीरी
54. के०आर० नगर
55. इल्कल
56. निप्पनी
57. डोडावल्लापुर
58. बेलग्रोंगल
59. मुदल्गी
60. मलबागल
61. लिंगासुगूर

केरल

62. शोरेनूर
63. चवक्कड़
64. पथनामथीत्ता
65. अल्लाप्पुलजा
66. कोल्लम

मध्य प्रदेश

67. दतिया
68. खरगोन

69. शिवपुरी
70. रायगढ़
71. सागर
72. मंदसौर
73. टीकमगढ़
74. मंडला
75. मुल्ताई

महाराष्ट्र

76. चालीसगांव
77. हिंगोली
78. बुलदना
79. नंनदेड़
80. सेवनेर
81. अचलपुर
82. जलगांव
83. श्रीरामपुर
84. श्रीपुर (वरवाडे)
85. वानी
86. अम्बड
87. अहमदनगर
88. कोपडगांव
89. लातूर
90. फालटन
91. संगमनर
92. संगली
93. धूले
94. मुखड
95. पचोरा
96. बड़ौदा
97. भूसावल
98. देगलूर
99. गांधीग्लाज
100. पारथर

मणिपुर

101. लमसांग
102. सिकमई
103. थोबल
104. नाम्बोल

मेघालय

105. बाधमरा

मिज़ोरम

106. सरचिप

नागालैण्ड

107. मोन

उड़ीसा

108. भदरक
109. सुन्दरगढ़
110. जगतसिंह पुर
111. जाजपुर
112. बासुदेव पुर

113. अथागढ़
114. झारसुगुडा
115. दिगापहंडी

पंजाब

116. फिरोज़पुर
117. राजपुरा
118. मलेरकोटला
119. फरीदकोट

राजस्थान

120. दौसा
121. धौलपुर
122. सवाई माधोपुर
123. निम्बेहरा
124. राजसंनड
125. झुनझुनु
126. रतनगढ़
127. देयोली
128. बिजयनगर
129. चक्सू
130. देवगढ़
131. फतेहनगर

सिक्किम

132. रंगपो

तमिलनाडु

133. पेरम्बदूर
134. कांचीपुरम
135. कृष्णागिरी
136. विल्लूपुरम
137. त्रिरुतनी
138. बरगर
139. इडापडी
140. तेनकसी
141. कुद्दालूर
142. भवानी
143. कोमारापलयम
144. कुरुची
145. थीरुथंगल
146. अविनाशी
147. अधीरामपत्तीनम
148. सुलूर
149. सथुवचारी
150. उसीलमपट्टी
151. मंमादुरई
152. कोठागिरी
153. तीरुवल्लूर
154. पोन्नेरी
155. पल्लादम

त्रिपुरा

156. बेलोनिया
157. खोवई

उत्तर प्रदेश

158.	मवाना	159.	कोसीकलां
160.	सिकन्दराबाद	161.	बिलासपुर
162.	मुरैनीपुर	163.	चूनार
164.	मुजफ्फरनगर	165.	पिलखुवा
166.	थाना भवन	167.	कोटद्वार
168.	खंडला	169.	सिरसगंज

पश्चिम बंगाल

170.	घाटल	171.	इस्लामपुर
172.	सान्तीपुर	173.	मुर्शिदाबाद
174.	कुर्शियांग	175.	झालदा
176.	मल	177.	मिरिक
178.	चाकदा	179.	रामपुरहट
180.	डायमंड हर्बर	181.	नवद्वीप
182.	तमलुक	183.	सोनामुखी
184.	माथभांगा	185.	अशोकनगर-कल्याणगढ़
186.	ओल्ड मालदा		

पांडिचेरी

187.	विलियनूर	188.	अरियंकुप्पम

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विविधीकरण

3315. डा० असीम बाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई परियोजनाओं के साथ विविधीकरण कार्यक्रम शुरू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों का विविधीकरण किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : जी, हां। विविधीकरण उपाय के रुप में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी०एच०ई०एल०) सिमुलेटरों, दूर संचार प्रणालियों, विंड इलेक्ट्रिक जनरेटरों, सौर ऊर्जा जनित्रक उपकरण, सर्कुलेटिंग फल्यूडाइज्ड बेड बायलरों और रक्षा मदों जैसे नए उत्पादों/प्रणालियों पर जोर दे रही है। भेल ने

विद्युत संयंत्र उपकरणों के आधुनिकीकरण और संयंत्र निष्पादन में सुधार का काम भी शुरु किया है। यह वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने पर भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० फ्लैटों के आबंटनों का परिवर्तन

3316. श्री थोटा सुब्बा राव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ही इलाके के भीतर फ्लैटों के आबंटनों के परिवर्तन के असली मामलों को भी स्वीकृति नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति को एक बार आबंटित किए गए डी०डी०ए० फ्लैट के इलाके में परिवर्तन पर पूर्ण रोक है। तथापि अपरिहार्य कारणों से, जैसे तल में परिवर्तन अथवा कुछ अन्य मजबूर हालातों में परिवर्तन आवश्यक होने पर मामले के गुण-दोष के आधार पर उसी इलाके में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है।

डाउन्स सिंड्रोम

3317. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्वाय स्थित इंडियर रेअर अर्थ्स प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों में डाउन्स सिंड्रोम का विस्तार अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) श्रमिकों और उनके बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स के पास एक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संयंत्र के सभी कर्मचारियों की जांच एक ऐसे योग्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी की सहायता से नियमित रूप से की जाती है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित हैं।

द्वारका में उत्खनन

3318. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वारका में उत्खनन कार्य शुरु करने हेतु कार्य-योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस उत्खनन कार्य में यूनेस्को से उनकी विशेषज्ञता संबंधी सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) : जी नहीं। यह परियोजना अभी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर

3319. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए अपने शेयरों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा पेशकश किए गए शेयरों को केवल कुछ कर्मचारियों ने ही खरीदा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : सरकार के निर्णयानुसार मार्च, 1994 में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा 1.4.1992 को धारित भेल के शेयर, जो प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने थे, भेल के कर्मचारियों को देने की पेशकश की गई थी। इस पेशकश के ब्यौरो निम्न प्रकार हैं :-

- शेयरों की कुल पेशकश भेल की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी।

- पेशकश केवल उन नियमित कर्मचारियों को की गई थी जो यथा 1.4.1992 और 17.3.1994 को भी भेल की नामावली में थे। यह पेशकश पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित ऐसे कार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी उपलब्ध थी जो यथा 1.4.1992 को कंपनी की नामावली में थे।

- यह पेशकश प्रति व्यक्ति अधिकतम 200 शेयरों तक थी। उपर्युक्त 5 प्रतिशत को निदेशकों और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी पात्र कर्मचारियों में बराबर-बराबर बांटा जाना था। यदि ऐसे वितरण से 200 से कम शेयर मिलते हैं, तो घटे हुए शेयरों की समान संख्या में इस प्रकार पेशकश की जाएगी

और उनका समायोजन इस प्रकार किया जाएगा कि इनकी संख्या दस के गुणकों में हो।

- कर्मचारियों को 62 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों की पेशकश की गई थी।

- कर्मचारियों को शेयरों के हस्तांतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक, उन्हें शेयर बेचने या हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) भेल के लगभग 72,000 कर्मचारियों में से, केवल 17,000 कर्मचारियों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं।

(घ) और (ङ) : किसी कर्मचारी द्वारा भेल के शेयरों की खरीद उसका स्वयं का निवेश निर्णय है।

फ्रांसीसी कार निर्माता

3320. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने केन्द्रीय सरकार से किसी फ्रांसीसी कार निर्माता कम्पनी के सहयोग से कारों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। सरकार को मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा से किसी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी के सहयोग से भारत में कारों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में बेरोज़गारी

3321. श्री प्रवीन डेका : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या पर काबू पाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त राज्य को कितनी धनराशि निर्धारित और जारी की गई है; और

(घ) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) असम में रोज़गार सृजन, दूसरे राज्यों की तरह, राज्य में विकास की गति तथा पैटर्न पर निर्भर करता है, जिसके लिए राज्य सरकार मुख्य रुप से उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्रीय सेक्टर तथा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों की पूर्ती करती है। तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर सृजित करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं, वे हैं - जवाहर रोज़गार योजना (जे०आर०वाइ०), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(आई०आर०डी०पी०)/जे०आर०वाई० तथा ई०ए०एस० दैनिक वेतन रोज़गार कार्यक्रम हैं, जबकि आई०आर०डी०पी०, एक स्व-रोज़गार कार्यक्रम है। ई०ए०एस० असम के ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है। चालू वर्ष 1994-95 से प्रधान मंत्री की रोज़गार योजना (पी०एम०आर०वाई०), शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए स्व-रोज़गार, केन्द्रीय सेक्टर स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त प्रमुख ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों के संबंध में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए सुसंगत ब्यौरों को दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण विशेष रोज़गार स्कीमों की वास्तविक उपलब्धियां तथा जारी की गई निधियां

	1992-93	1993-94
1. आई०आर०डी०पी०		
(क) जारी निधियां (लाख रुपये)	1,423.82	2,220.04
(ख) सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	40,209	63,381
2. जे०आर०वाई०		
(क) जारी निधियां (लाख रुपये)	6,194.14	8,971.90
(ख) सृजित रोज़गार (लाख श्रम दिवस)	109.72	278.24
3. ई०ए०एस० (अक्तूबर, 1993 में आरम्भ की गई)		
(क) जारी निधियां (लाख रुपये)	-	2587.50
(ख) सृजित रोज़गार (लाख श्रम दिवस)	-	31.75
4. पी०एम०आर०वाई०		
ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1994-95 से क्रियान्वित।		

+ ई०ए०एस० के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं। आरम्भ में राज्यों को संबंधित ब्लाकों के लिए कुछ निधियां जारी की जाती हैं और बाद में उपलब्ध निधियों से 50 प्रतिशत खर्च करने के पश्चात् जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाकी किश्तें जारी की जाती हैं (अर्थात् अप्रयुक्त शेष तथा राज्य में आनुपातिक हिस्से को मिलाकर जारी निधियां)।

उर्वरक एकक

3322. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उर्वरक एकक विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त/मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं तथा उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) गैस पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने वाले कितने संयंत्र लगाए जा रहे हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस समय 48 बड़े उर्वरक एकक नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त मिश्रित उर्वरकों का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 9 एकक अमोनियम सल्फेट का उप-उत्पादक के रूप में उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा, मध्यम और लघु सैक्टर के लगभग 80 एकक सिंगल सुपर फास्फेट्स (एस०एस०पी०) का उत्पादन कर रहे हैं। 1.4.1994 को देश में उर्वरक पौधकों की कुल अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार थी :-

पोषक	क्षमता (लाख टन)
नाइट्रोजन	86.30
फास्फेट	28.22

(ख) इस समय गैस पर आधारित चार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उर्वरक परियोजनाओं के पूर्ण होने की सम्भवाना है:-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रूपए में)
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1.	नेशनल फर्टिलाजर्स लि० की विजयपुर विस्तार परियोजना, जिला गुना (मध्य प्रदेश)	987.30
	सहकारी क्षेत्र	
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड की आंवला विस्तार परियोजना, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश)	960.00
	निजी क्षेत्र	
3.	टाटा कैमिकल्स लिमिटेड की बबराला परियोजना, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश)	1250.00
4.	बिन्दल एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड की शाहजहांपुर परियोजना, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)	1250.00

(घ) और (ङ) : 1993-94 में पोषक उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे :-

न्यूट्रिएन्ट	लक्ष्य (लाख मी० टन)
नाइट्रोजन	78.00
फास्फेट	22.00

[हिन्दी]

शहरी गरीबों को सुविधाएं

3323. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराने हेतु किन्ही योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वास्तविक उपलब्धियों के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) : सरकार द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, यूनिसेफ योजनाओं की गुणवत्ता और संपोषण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चुनिन्दा क्षेत्रों अर्थात् प्रशिक्षण क्षमता सृजन, प्रबन्ध क्षमता सृजन, सूचना/दूर संचार, शहरी गरीबी अध्ययन, नीतिगत अनुसंधान, गैर सरकारी संगठनों और सघन कार्यक्रम जिलों को धनराशि प्रदान कर संलग्न विवरण में दिए गए 15 मुख्य और 9 गौंण राज्यों में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं की केन्द्र प्रवर्तित योजना को सहायता दे रहा है।

(ग) और (घ) यूनिसेफ सहायता से 14 मुख्य राज्यों की फील्ड प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को प्रचालनात्मक बनाने में मदद मिली है। राज्यों को प्रचालनात्मक सहयोग देने के लिए दो राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली तथा शहरी तथा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद को सुदृढ़ किया गया है। 4400 समुदायिक स्वयं सेवकों का निर्धारण किया गया है ताकि उन्हें कार्यक्रम, इसके लक्ष्यों और कार्यान्वयन संबंधी दायित्वों से परिचित कराया जा सके। एक तिमाही न्यूज़ लैटर सहित हिन्दी में बहुत सी सूचना सामग्री छापी गयी है।

विवरण

मुख्य राज्यों/गौण राज्यों की सूची

मुख्य राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. राजस्थान
13. तमिलनाडु
14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिम बंगाल

गौण राज्य

1. पंजाब
2. हिमाचल प्रदेश
3. नागालैण्ड
4. मेघालय
5. त्रिपुरा
6. मिज़ोरम
7. मणिपुर
8. सिक्किम
9. अरुणाचल प्रदेश

[अनुवाद]

लोकपाल द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

3324. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने लोक सभा में 28 जुलाई, 1993 को यह आश्वासन दिया है कि वे मंत्रियों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासकों द्वारा भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग आदि करने के आरोपों के बारे में जांच के लिए लोकपाल की स्थापना के लिए संसद में विधान लाने की संभावना के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे;

(ख) क्या इसके बाद ऐसे परामर्श किए गए हैं। यदि हां, तो कब किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) किन राज्यों में लोकपाल की व्यवस्था पहले से ही चल रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) दिनांक 28.7.93 को प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग की जांच करने के लिए औम्बड्समैन स्वरुप के प्राधिकरण की स्थापना संबंधी विषय पर विधान को अंतिम रुप दिये जाने से पहले, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तथा आम सहमति की आवश्यकता है, वे पार्टी नेताओं से परामर्श करना चाहेंगे।

(घ) निम्नलिखित 11 राज्यों ने अभी तक लोक आयुक्त अधिनियम बना दिए हैं तथा ऐसी संस्थाओं की स्थापना कर दी है :-

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा जिसने इस संस्था को अब समाप्त कर दिया है।

नेवल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली

3325. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1993 की अपनी रिपोर्ट संख्या 9 में नेवल पब्लिक स्कूलों को चलाने के सरकारी भवनों के अनाधिकृत प्रयोग पर टिप्पणी की है;

(ख) क्या नई दिल्ली में नेवल स्कूल के लिए किसी भवन का अधिग्रहण किया गया था और पुनः 1985 में ऐसे ही भवन का निर्माण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं.

(घ) सरकारी भवनों के ऐसे अनाधिकृत उपयोग में कुल कितनी राशि निहित है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1951 में निर्मित एक छोटा भवन आवासीय स्थान की भारी कमी के कारण अविवाहित नाविकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1972-73 में नौसेना को अंतरित किया गया था। तथापि, उपयोग करने पर यह भवन उक्त कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया और इसीलिए इस संबंध में जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार इस अतिरिक्त आवास का उपयोग स्कूल के रूप में करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अविवाहित नाविकों के लिए उपयुक्त स्थाई आवास का निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1985 में किया गया था।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकारी भवन का अनाधिकृत रुप से उपयोग नहीं किया गया है।

वैक्सीनों का परीक्षण

3326. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री बी० देवराजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं पर एक ऐसी गर्भनिरोधक वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है जिससे टेटनस और कॉलरा से भी बचाव हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) (क) और (ख) जी हां, महिलाओं में प्रजननक्षमता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन (बी०एच०सी०जी०) पर आधारित एक टीके की क्लीनिकीय जांच की जा रही है। यह टीक टिटनेस टॉक्सायड, डिप्थीरिया टॉक्सायड और कॉलरा टॉक्सीन श्रृंखला बी का वाहकों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अतः, यह टीका गर्भावस्था हार्मोन (सच०सी०जी०) तथा एक साथ, टिटनेस, डिप्थीरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों, इन दोनों के विरुद्ध प्रतिरक्षी पैदा करता है।

(ग) टीके ने भारत में 5 केन्द्रों पर चरण-। के क्लीनिकीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। प्राप्त परिणामों से टीके के किसी पार्श्व प्रभाव का पता नहीं चला है। इसे सुरक्षित तथा प्रतिवर्ती पाया गया है। चरण-।। के क्लीनिकीय परीक्षणों से पता चला है कि यह टीका 50 एन०जी०/एम०एल० के ऊपर प्रतिरक्षी टाइटरों में प्रभावी है (पिछले तीन वर्षों के दौरान)।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्ला (कोट्टायम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में वैक्कम सत्याग्रह एक अद्भुत घटना थी। इसका महत्व इस तथ्य से विदित है कि इसके लिए महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में अछूतों के सामाजिक उद्धार के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा आन्दोलन चलाया।

12.01 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस आन्दोलन में केरल और आस-पास के राज्यों से स्वतंत्रता संग्राम के सभी महान नेताओं ने भाग लिया था। महात्मा गांधी स्वयं वैक्कम आए और उन्होंने सत्याग्रहियों को आशीर्वाद दिया। यह आन्दोलन एक युगान्तरकारी घटना साबित हुई क्योंकि इसके पश्चात् अछूतों के लिए हिन्दू मंदिरों के दरवाजे खोलने संबंधी मंदिर उद्घोषणा हुई थी।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस आन्दोलन के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने वैक्कम में एक उपयुक्त स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1977 में इसकी नींव रखी। तथापि, वहां अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

यह उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले महान नेताओं की स्मृति के प्रति अपमान है। अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह वैक्कम में एक उपयुक्त स्मारक के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कुछ अनुदानों की व्यवस्था करे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रूप से खाद की कमी किये जाने के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर फर्टिलाईज़र कारपोरेशन कुछ खास डीलर्स को खाद आबंटित कर रहा है और वे डीलर्स आवश्यकता अनुरूप वहां पर खाद नहीं भेजकर दूसरे स्थानों पर खाद भेज रहे हैं। इस मामले में बहुत बड़ी धांधली हो रही है और इससे किसान परेशान हैं। इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि खाद का मूल्य एक ब्लाक में कुछ है और दूसरे ब्लाक में कुछ और है। इस प्रकार विभिन्न ब्लाकों में खाद के मूल्य में विसंगति है। इस कमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30-35 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं।

उपाध्यक्ष जी, संयोग से फर्टिलाईज़र के मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तत्काल वहां पर फर्टिलाईज़र भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे किसानों को राहत मिले।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमराव सिंह - उपस्थित नहीं हैं

श्री पी०जी० नारायण (गोबिचेट्टिपालयम्) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ द्वारा कल इस सभा में दिए गए उत्तर से तमिलनाडु के लोगों को घोर निराशा हुई है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में धन के अभाव में कई रेल परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। रेल मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जारी करने के मामले में तमिलनाडु की पूर्ण रुप से अनदेखी कर रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि मद्रास शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए त्वरित परिवहन प्रणाली की प्रगति अत्यन्त धीमी है। परियोजना पर जो कार्य 1983 में आरम्भ किया गया था वह अभी तक चल ही रहा है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले ग्यारह वर्षों में रेलवे ने कुल 8 किलोमीटर पर ही कार्य पूरा किया है।

दूसरे, रेलवे ने सवारी डिब्बा कारखाने में डिब्बों के निर्माण में भारी कटौती की है तथा कपूरथला इकाई को अधिक क्रयादेश दिए गए हैं। क्या यह रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास को पहले कार्य से वंचित करके और अंततः बंद कर देने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास तो नहीं है।

तीसरे, डिंडिगुल और मद्रास को जोड़ने वाली एक गेज वाली परियोजना के लिए आबंटित धनराशि को रेल मंत्री के गृह राज्य में खर्च किया जा रहा है। मैं कर्नाटक में विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ करने के मामले में रेल मंत्री की राजनीतिक जरूरत की प्रशंसा करता हूं किन्तु उन्हें धन को इस तरह अन्यत्र खर्च करने का अधिकार नहीं है। तमिलनाडु में मेटूपालयम से सत्यमंगलम जैसी कई नई रेल लाइनों का निर्माण भी किया जाना है। ये लम्बे समय से लंबित पड़ी हैं। कम से कम इस नई रेल लाइन का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरु किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से हस्तक्षेप करने और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के लिए 1994-95 हेतु एक गेज वाली परियोजना के लिए आबंटित राशि और इन दोनों राज्यों में अब तक खर्च की गई राशि के संबंध में सभा में एक वक्तव्य देने के लिए निदेश दें। मंत्री महोदय को इस आधार पर इस प्रश्न को नहीं टालना चाहिए कि दोनों राज्य उसी मंडल अर्थात् दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं। यह वक्तव्य इसलिए जरूरी है कि चूंकि रेल मंत्री के विरुद्ध व्यापक शिकायतें मिल रही हैं कि वे इस समस्त धनराशि को कर्नाटक में खर्च कर रहे हैं। केरल के सदस्यों ने भी इसी प्रकार के आरोप मंत्री महोदय के विरुद्ध लगाए हैं।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से एक बार यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि तमिलनाडु के लोगों को न्याय मिले।... **(व्यवधान)**

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : हम सभी उनका समर्थन करते हैं। यह रेल मंत्री द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। कल भी जिन चार परियोजनाओं की घोषणा की गई है उनमें से तीन कर्नाटक के लिए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

श्री पी०जी० नारायणन : महोदय, यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। सरकार की तरफ से कुछ तो उत्तर आना चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० थामस महोदय, आप भी बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता से संबंधित एक मामले को उठाना चाहते थे। मैं आपको यह बता दूं कि बाढ़ की स्थिति के बारे में 2 अगस्त, 1994 को एक वक्तव्य दिया गया था। इसी विषय पर तीन दिनों तक अर्थात् 2, 3 और 4 अगस्त, 1994 को भी चर्चा हुई थी। अतः मेरे विचार से आप पूर्व में कही गई बातों को ही दोहराएंगे।

(व्यवधान)

प्रो० के०वी० थॉमस (एर्नाकुलम) : महोदय, आपने इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य देने के लिए सरकार को निर्देश दिया था। आपने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए केरल राज्य को दी जाने वाली सहायता पर सभा में एक वक्तव्य देने के लिए वित्त मंत्री को निर्देश दिया था। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमें कम से कम यह तो पता चले कि सरकार इस मामले पर कब कार्यवाही करेगी।...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्ला (कोट्टायम) : महोदय, आपने सरकार को एक वक्तव्य देने का निर्देश दिया था। एक सप्ताह पहले ही बीत चुका है। अब तक कोई वक्तव्य नहीं आया है।...**(व्यवधान)**

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर आरोप है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय खड़े हुए हैं।

श्री पी०सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा) : मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। अब हम यह चाहते हैं कि वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री में से कोई भी एक वक्तव्य जरूर दे।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह नहीं सुना कि मंत्री महोदय ने क्या कहा है। उनकी बात दोबारा फिर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्ला (कोट्टायम) : महोदय, हम यह चाहते हैं कि वित्त मंत्री एक वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। यदि आप माननीय मंत्री महोदय की बात दोबारा सुनना चाहते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपनी बात पुनः दोहराएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी लोगों के लिए खड़े रहना ठीक है। जब माननीय मंत्री महोदय आपको उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं ? हम पहले उनकी बात सुनें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हालांकि अभी शून्यकाल है, पर हम देख लें कि उनका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि रेलवे का सारा पैसा कर्नाटक में लगा दिया जाता है और बिहार की उपेक्षा की जाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, हम वित्त मंत्री जी का ब्यान चाहते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, उसे हम सुनें। क्या हम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? श्री थॉमस, क्या उस समय बोलना सही है जिस समय माननीय मंत्री जी बोल रहे हों ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सब कुछ नहीं। कृपया सहयोग करें और अपना स्थान ग्रहण करें। सभा में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है।

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन केरल के माननीय सदस्यों ने इस सम्मानित सदन में अपनी जो भावनाएं अभिव्यक्त की थीं, उन्हें वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दिया गया है। अब वित्त मंत्री जी को तय करना है कि वे बयान कब दें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं और आपको सरकार से विशिष्ट उत्तर चाहिए, तो क्या आपके पास कोई विकल्प नहीं है ? आज सत्र का अंतिम दिन भी नहीं है। नियमों के अंतर्गत प्रावधान हैं। आप उनका प्रयोग कर इस मामले को सभा में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम दूसरे विषय पर चर्चा आरम्भ करें।

श्री पी०सी० चाको (त्रिचूर): हम जानना चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी कब बयान देने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, यदि आप सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नियमों में इसका विशेष प्रावधान है। आप उन प्रावधानों का प्रयोग कर मामले को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। संबद्ध मंत्री निश्चित रूप से आकर उत्तर देंगे।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, वित्त मंत्री जी को बयान देने के लिए कहा गया था। हमें जानने का अधिकार है और महोदय, हम आपसे केवल इतना ही जानने का अनुरोध कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी अपना बयान कब देने जा रहे हैं। कम से कम वे इतना तो बताएं कि वित्त मंत्री जी सदन में कब बयान देने जा रहे हैं। इतना तो स्पष्ट हो।...**(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद : महोदय, आप वित्त मंत्री को निदेश दें। उन्हें निदेश देने का आपको पूरा अधिकार है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, दसियों बार यही बात कही गई है। मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : एक बार पुनः मैं वित्त मंत्री जी को इस बात से अवगत करा सकता हूं कि केरल के संसद सदस्यों की मांग है कि वह आएं और शीघ्रातिशीघ्र बयान दें।

श्री ई० अहमद : ऐसी प्रबल भावना को इस तरह टाला नहीं जाना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में, विशेषतः ग्रामीण जबलपुर में, पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट होने की खबरें अखबारों में भरी पड़ी हैं। इसके कारण वाहनों को भारी क्षति तो हो ही रही है, इससे पर्यावरण और वायु प्रदूषण भी फैल रहा है क्योंकि इस मिलावट के कारण वाहनों से बहुत ही अधिक मात्रा में काला धुआँ निकलता है। अक्सर कारों और अन्य पेट्रोल वाहनों के कार्ब्यूरेटर चोक हो जाते हैं जिसके कारण ये वाहन चालक बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। यह सब पेट्रोल विक्रेताओं और वितरकों द्वारा जनता की कीमत पर भारी मुनाफा कमाने के अत्यधिक लालच के कारण हो रहा है।

अतः महोदय, मैं सरकार से, विशेषतः पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करूँगा कि कठोर जाँच की व्यवस्था की जाए और बड़े पैमान पर मिट्टी के तेल के साथ पेट्रोल की मिलावट रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्बरासु, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अभी उत्तर की उम्मीद नहीं कर सकते। आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते ? कृपया बैठ जाएं। कृपया सदन के नियमों का उल्लंघन न करें। कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री विजय राघवन को बोलने की अनुमति दी है।

***श्री वी०एस० विजयराघवन (पालघाट) :** केरल का कालीकट जिला 'व्हियल्स' नामक एक महामारी की चपेट में है। यह चूहों से फैलता है। अभी तक इस रोग से 9 व्यक्ति मर चुक हैं और सैकड़ों का इलाज सिर्फ कालीकट मेडिकल कालेज में ही हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह रोग मालापुरम् जैसे आस-पास के जिलों में फैल रहा है। पहले यह रोग तिरूअनंतपुरम् और एर्नाकुलम जिलों में अपना आतंक फैला चुका है जिसमें कई जानें चली गई थीं। यह बीमारी मानसून के दौरान फैलती है। यह रोग चूहों के मूत्र से संदूषित होने वाले जल के पीने अथवा ऐसे जल के सम्पर्क में आने से होता है। इसके पहले कि इस महामारी के अन्य व्यक्ति शिकार हों, इस महामारी को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। इसकी जाँच करने के लिए वहाँ एक केन्द्रीय दल भेजें।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहाण्डी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उड़ीसा के शिक्षा विभाग के लिए कुछ कहना चाहता हूं।

उड़ीसा में हाई सकूल बहुत कम थे। अब सरकार ने आदेश दिया है कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। हमारी कोरापुट, कालाहाण्डी, बोलंगीर, ढेंकानाल, सम्भलपुर, सुन्दरगढ़ और फूलबनी की जो पश्चिम उड़ीसा है, यहां के लोग कृषि के ऊपर गुजर करते हैं। आज वहां सरकार ने हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोलने

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लिए आदेश दिया है। हमारे यहां अच्छी कृषि नहीं होती, क्योंकि जल्द से जल्द सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है और न वहाँ पर कोई कल-कारखाना है, न ही आमदनी की कोई दूसरी व्यवस्था है। वहां हाई स्कूल की आवश्यकता बहुत अधिक है।

आज हमारे प्रधान मंत्री जी की तरफ से हर सांसद को एक-एक करोड़ रुपया मिला है। उसमें से हमने सरकार के नियम के मुताबिक हर स्कूल को एक-एक लाख रुपया देने के लिए लिखकर दिया तो कलैक्टर जवाब देता है कि सरकारी स्कूल को ही एक लाख रुपया मिलेगा और गैरसरकारी स्कूल को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए, तो हर जिले में तीन-चार हाई स्कूल थे और अब जितने हाई स्कूल हैं, वे गैर सरकारी हैं।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी, मानव संसाधन विकास मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो एक करोड़ रुपया दिया गया है, वह हर एक को मिलना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, राला ए०टी० हाई स्कूल में फुटबाल खेलने के लिए स्थान था, उस ज़मीन को रानी साहिबा ने 2.3.1951 को दान कर दिया था। उस ज़मीन को 3खेलपुड़िया का नाम दिया था। मेजर सैटलमेंट हाई स्कूल के नाम में 21.6.1957 को हो गया था और 26.8.1965 को पट्टा मिल गया था। अब स्थिति यह है कि उड़ीसा सरकार ने उस स्थान पर बस-स्टाप बनवा दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बस-स्टॉप को कहीं और बनवाने के लिए आदेश दें और स्टेडियम को बनवाने की दिशा में कदम उठायें।

[अनुवाद]

श्री पाला के०एम० मैथ्यू (इदुक्की) : मैं तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूँ जिसमें गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इदुक्की जिले में कोमाली के निकट तमिलनाडु-केरल सीमा पर संबंधित सरकार द्वारा किसानों को बलपूर्वक बेदखल किये जाने के कारण अत्यधिक तनावपूर्ण और विस्फोटक स्थिति चल रही है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है और दोनों राज्य सरकारों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसके कारण सैंकड़ों लोग बेघर, भूमिहीन और धनहीन हो गये हैं। वे बेसहारा हो गये हैं। उनकी दशा शोचनीय और निराशाजनक है। मैं सरकार से इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नवरंगपुर में 6 महीने पहले एक ट्रंक बुकिंग बोर्ड की स्थापना की गयी थी। 100 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें एस०टी०डी० सुविधा नहीं है। परन्तु इस बोर्ड को कोरापुत स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पर वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे उन उपभोक्ताओं के लिये बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं जिन्हें सुदूरवर्ती स्थानों के लिये कॉल बुक करनी पड़ती है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि बोर्ड को ठीक कराकर उसे चालू करवाएं।

श्री आर० प्रभु (नीलगिरिस) : आज के समाचार पत्र में यह लिखा है कि राजीव गाँधी हत्याकाण्ड का मुकद्दमा नहीं चल रहा है। बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा आँख मिचौली का खेल खेले जाने के कारण इसमें विलम्ब हो रहा है। महोदय, जैसा आप जानते हैं कि बचाव पक्ष के वकीलों ने इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना लिया था कि उनके वेतन पर्याप्त नहीं हैं तथा उनकी समुचित रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है। अब, यद्यपि भुगतान संबंधी निर्णय कर लिया गया है परन्तु फिर भी कुछ वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिये

मुकद्दमे में विलम्ब हो रहा है। पिछले वर्ष अगस्त, 1993 में मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उसके बाद उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था जिसे सभी साप्ताहिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि खुफिया एजेंसियों ने किसी सूचना को छिपाया और उसे तमिलनाडु सरकार तक नहीं पहुँचाया, जब श्री राजीव गाँधी वहाँ जाने वाले थे।

उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे को इस प्रकार उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने हमसे नोटिस देने को कहा और इस पर पूरी चर्चा कराने की बात कही।

मैंने सरकार से एक वक्तव्य देने को कहा। एक वर्ष बीत गया है परन्तु सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। हम जानते हैं कि जैन आयोग और सरकार के बीच कैसी कशमकश चल रही है। जैन आयोग की नियुक्ति ढाई वर्ष पूर्व की गयी थी और एक अर्थ में उसने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है क्योंकि उनके पास बैठने तक का स्थान नहीं है, उनका स्थायी पता नहीं है; उनका पता विज्ञान भवन है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। परन्तु अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं।

श्री आर० प्रभु : आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये नियमों में प्रावधान हैं।

श्री आर० प्रभु : मैंने इसके लिए नोटिस दिया है। मैं इस मामले के महत्व को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। नोटिस की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ढाई वर्ष बीत गये हैं और हम षडयंत्र का पता नहीं लगा सके हैं। वह मनुष्य जो अगले कुछ दिनों में प्रधान मंत्री बन सकता था उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या हो गयी और हम अभी भी जैन आयोग के साथ कशमकश कर रहे हैं।

गृहमंत्री अथवा सरकार की ओर से उत्तरदायी व्यक्ति को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें जैन आयोग, मद्रास में हुए हत्याकाण्ड के मुकद्दमे तथा वर्मा आयोग के निष्कर्षों पर स्टेट्स रिपोर्ट संबंधी तथ्य दिये जाएं। जब वर्मा आयोग ने खुफिया एजेंसियों पर अभ्यारोपण किये हैं तो सरकार ने उसके कतिपय निष्कर्षों को स्वीकार क्यों नहीं किया है ?

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीक्कारा) : हम भी उनका समर्थन करते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री आर० प्रभु : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा की माँग करते हैं। हमने इसके लिए नोटिस दिया है। हमने ध्यानाकर्षण हेतु भी नोटिस दिया है।...**(व्यवधान)**

श्री आर० अन्बारासु : मैं भी यह चाहता हूँ कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर सभा में पूरी चर्चा की गयी थी। जब इसके लिये प्रावधान हैं तो आप इनका उपयोग क्यों नहीं करते ?

श्री आर० प्रभु : अध्यक्ष पीठ को चाहिये कि इसे तुरन्त तथा शीघ्रता से उठा कर सरकार को निदेश दें। इस मामले पर सभा में इसी सप्ताह चर्चा होनी चाहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है। **(व्यवधान)**

प्रो० पी०जे० कुरियन : वह ठीक कह रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों के संबंधित प्रावधानों से परिचित हैं। आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते ? आपको ऐसे ही बातें नहीं कहनी चाहियें। क्या यह शून्यकाल है जिसमें आप यह मामला उठा रहे हैं?

श्री आर० प्रभु : आप सरकार को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का निदेश दे सकते हैं।

श्री आर० अन्बारासु : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुश्री उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईदगाह मैदान, जो विवादग्रस्त है पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया जिससे वहां पर अनावश्यक तनाव पैदा हो गया और जिसके कारण गोली चली। मुझे पता चला है कि गोली चलने से पाँच व्यक्ति मारे गये और 86 घायल हुए।

मुझे नहीं मालूम क्यों भाजपा की रुचि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगे कराने में है। मैं नहीं जानता। प्रमुख विरोधी दल, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सम्मानित नेता हैं, ऐसा आचरण क्यों करता है जिससे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो जायें ?

हुबली शहर साम्प्रदायिक सौहार्द और शान्तिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है और अब उसे ज्वालामुखी बना दिया गया है और पूरे शहर में तनाव है जिसके परिणामस्वरुप पूरे राज्य में सतर्क रहने के आदेश दिये गये हैं।

मुझे बताया गया था कि हुबली में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च किये जाने का अनुमान है जबकि शहर को व्यापार और व्यवसाय में 8 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक घाटा हो रहा है।

इसलिए, यह अति गम्भीर घटना है और सरकार को सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

मैं गृहमंत्री महोदय से वास्तविक घटना, मारे गए व्यक्तियों की संख्या तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ। यह दो धर्मों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करने का अत्यंत राष्ट्र-विरोधी कार्य है। जो लोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलने का अवसर चाहते थे, परन्तु अब आप अपने अन्य साथियों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री आर० अन्बारासु : मैं गृहमंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों को पहले बोलने का अवसर मिला है यह उनका सौभाग्य है।

[हिन्दी]

श्री भवानीलाल वर्मा (जांजगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हसदेव नदी के तट पर स्थित औद्योगिक नगर कोरबा न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि देश में इने गिने बृहद् औद्योगिक केन्द्रों में से एक है, जहां दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र की 12 खदानें, एन०पी०सी०, एन०पी०ई०बी० के 5 संयंत्र तथा सैकड़ों सहायक उद्योग स्थापित हैं। उक्त नगर जिसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख है। वायु एवं जल प्रदूषण की

दृष्टि से देश के दस बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। कोयला खानों की ब्लास्टिंग, कोयला तोड़ने एवं कूटने तथा कंवेयर बेल्टों द्वारा कोयले के परिवहन से उठे कणों का सामान्य रूप से सुबह एवं शाम अवलोकन किया जा सकता है एवं कोयले की पतली परत पेड़-पौधों के पत्तों पर तथा घर की छतों पर देखी जा सकती है। विद्युत संयंत्रों द्वारा निकला धुँआ सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पूर्व पूरे वायुमण्डल में इतना व्याप्त हो जाता है कि सूर्य की चमक फीकी पड़ जाती है, अँधेरा सा हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव पानी पर भी पड़ता है। कारखानों से निकलापानी हसदेव नदी में डाल दिया जाता है जहाँ से पूरे नगर की आबादी को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। हसदेव नदी का जल ऐसा दिखता है मानो उसमें रासायनिक द्रव्य डाल दिया गया हो। पीने के पानी की जो आपूर्ति होती है वह फीका एवं मोटा होता है। इन सबके कुप्रभावों से वहाँ के नागरिकों को पेट एवं श्वास की अनेक बीमारियां हो रही हैं। इसका दुष्परिणाम गर्भवती महिलाओं एवं गर्भ में पलने वाले शिशुओं पर पड़ने की शिकायत भी है। जल एवं वायु के प्रदूषण से वहाँ के नागरिकों में अत्यधिक चिन्ता है तथा उनका जीवन खतरे से खाली नहीं है। उक्त नगर को प्रदूषणमुक्त करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, पर इस गम्भीर समस्या के निराकरण के लिए वे उपाय कतई सार्थक नहीं हुए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में ज्यादा गम्भीर होने की आवश्यकता है तथा कुछ कड़े एवं ठोस निर्णय लेने की जरूरत है।

अतएव शासन से अनुरोध है कि उक्त नगर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कुछ कड़े एवं ठोस निर्णय लेकर शीघ्र स्थायी उपाय किये जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैं प्रत्येक सप्ताह सूचना देता हूँ परन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं जानता हूँ ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप यहाँ हैं और आपने सभा की कार्यवाही देखी है। यदि प्रत्येक वक्ता अपने भाषण में एक मिनट कम कर दें तो मैं समझता हूँ कि चार-पाँच और सदस्यों को बोलने का मौका मिल सकता है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, आप दो-तीन सदस्यों को बोलने का मौका दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह जानते हैं कि 12.00 बजे प्रश्न काल समाप्त हो जाता है और उस प्रकार शून्य काल 12.30 बजे समाप्त होता है।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : शून्य काल नियम में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल नियमों में कहीं नहीं है।

(व्यवधान)

12.32 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6288/94}

इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड आदि और इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के बीच वर्ष 1994-95 के समझौते ज्ञापन

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैकनालॉजी डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और इलैक्ट्रानिकी विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6289/94}

(2) कम्प्यूटर मेंटिनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड और इलैक्ट्रानिकी विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल०टी० 6290/94}

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश

(संशोधन) नियम, 1994, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 558 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6291/94}

भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा, और वार्षिक प्रतिवेदन आदि ।

[हिन्दी]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीखक की टिप्पणियां।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6292/94}

(ख) (एक) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड, कलकत्त के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1991-1992 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6293/94}

[अनुवाद]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

{ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6294/94}

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियत, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्त तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 7 जून, 1994 के भारत क राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 500 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1994 जो 7 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 564 (ब) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6295/94]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1994 जो 25 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 297 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1994 जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 308 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम,1994, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 309 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 1994, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 310 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1994, जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 1994 जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 437 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 1994, जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6296/94]

12.33 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री सूरजभानु सोलंकी (धार) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.34 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वर्गीय राजीव गाँधी के नाम पर तीन पीठों का सृजन

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी की स्मृति में विश्वविद्यालय पीठों के सृजन के लिए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। सरकार ने उन क्षेत्रों में, जिनमें उन्हें गहरी रुचि थी, उत्कृष्टता छात्रवृत्ति के समर्थन में निम्नलिखित पीठों का सृजन करने का निर्णय किया है।

(1) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में "शान्ति और निरस्त्रीकरण संबंधी अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ"

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्म संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ।

(3) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में संरक्षणात्मक विभेदीकरण संबंधी अध्ययन के लिए राजीव गाँधी पीठ।

तीनों में से प्रत्येक पीठ के लिए 8000/- रुपये के साथ-साथ सामान्य भत्ता देय होगा। इस प्रकार, पीठासीन व्यक्ति का स्थान देश में अधिकतम भुगतान पाने वाले प्रोफेसरों में होगा तथा वह राष्ट्रीय प्रोफेसर के समकक्ष होगा।

प्रत्येक पीठ पर नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि की लिए की जाएगी तथा यह नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, विधानों और अध्यादेशों के प्रासंगिक खण्डों के अंतर्गत की जाएगी।

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रत्येक पीठ के लिए 45 लाख रुपये के विशेष एक-कालिक अक्षय निधि अनुदान के रुप में इस योजना के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इस राशि के ब्याज से, संबंधित विश्वविद्यालय पीठ पर होने वाला सारा व्यय पूरा करेगा।

पीठों की अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी, जिसमें इसके अध्यक्ष के रुप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति, राजीव गाँधी प्रतिष्ठान के एक प्रतिनिधि और इसके सदस्यों के रुप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा तैयार किये गये नामों के एक पेनल में से सरकार द्वारा नामजद तीन विख्यात विशेषज्ञ शामिल होंगे।

महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन पीठों के संस्थापन से अध्ययन के चयनित क्षेत्रों में शैक्षिक कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति निर्धारण का आधार बनेंगे। यह श्री राजीव गाँधी की स्मृति में उपयुक्त चिरस्थायी श्रृद्धांजलि होगी, जो अंतिम क्षण तक इन बातों के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे।

12.36 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पिछड़े समुदायों के लोगों को निर्दिष्ट आवास योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मकान उपलब्ध कराने के लिए और अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता

डा० विश्वानाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम) : प्रत्येक परिवार के लिए मकान एक आधारभूत आवश्यकता है। लोगों की आर्थिक स्थिति में विषमता होने के कारण अधिसंख्यक लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनकी छतें घास-फूस अथवा ताड़ के पत्तों से बनाई जाती हैं। यह घास-फूस तथा ताड़ के पत्ते अस्थाई, बदले जाने योग्य, नवीकरण की लागत बढ़ाने वाली, आँधी, वर्षा तथा आग से नष्ट होने वाले होते हैं जिस कारण सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है। सभी किसानों, विशेष तौर पर निर्धन तथा सीमान्त किसानों, दस्तकारों, कृषि मजदूरों तथा श्रमिकों के पास छप्पर बनाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहता है। अतः इन लोगों को आग, वर्षा आदि के कारण कठिनाई होती है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। यह नुकसान सामान्यतः अपूरणीय है। निर्धन व्यक्ति का आश्रय स्थल जब अग्निकांड में जल जाता है, तो उसकी सारी घरेलू वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इस घटना के बाद सरकार और सामान्य बीमा निगम 500 रुपये तत्काल तथा 1000 रुपये कई महीनों या वर्षों के बाद देती है।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास नीति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी परिवारों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को छोटा सा हिस्सा अर्द्ध स्थाई और स्थाई ग्रामीण आवास के लिए पात्र हैं। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मकान सुधार कार्यक्रम भी हैं। इन कार्यक्रमों का विस्तार और अधिक धनराशि का आबंटन करके ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाये, ताकि जिले में और अधिक परिवारों को इनमें शामिल किया जा सके।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इंदिरा आवास योजना तथा मकान सुधार कार्यक्रमों के

अन्तर्गत और अधिक धनराशि आबंटित करे, ताकि इस जिले के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लगभग दो लाख परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

(दो) हरियाणा को रियायती दर पर बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जंगवीर सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा का सारे देश में अन्न उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश के किसानों को बिजली व नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण वर्षों से खटाई में पड़ा है, जिससे हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

दक्षिणी हरियाणा, विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र भिवानी का क्षेत्र रेतीला है। हरियाणा से सटे अलवर के पहाड़ी इलाके से बरसात में जो पानी हरियाणा के क्षेत्र में जाता था, उसको भी राजस्थान सरकार ने गत वर्ष रोक दिया है जिससे भूमिगत जलस्तर प्रतिवर्ष नीचे गिरता जा रहा है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल मीठा एवं कृषि योग्य होने के कारण नलकूपों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं जिससे किसानों का कर्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है।

हरियाणा की सरकार भरसक प्रयास करके किसानों की मदद तो कर रही है लेकिन साधनों की कमी के कारण पूरा नहीं कर पा रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हरियाणा को पर्याप्त बिजली कम मूल्य पर दी जाये तथा बिजली पैदा करने के लिये संयंत्र स्थापित करने हेतु पर्याप्त केन्द्रीय सहायता मिले और एस०वाई०एल० नहर का निर्माण जल्दी करवाया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) बेलवगाडी (कर्नाटक) में टीपू सुल्तान के किले के पुनरुद्धार और समुचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ (चिकमंगलूर) : महोदय, मैं कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में बेलवगाड़ी तालुक में स्थित ऐतिहासिक महत्व के जमलाबाई गदई किले की जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और यह स्थान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चिकमंगलूर में पड़ता है।

जमला बाई मैसूर के पूर्व महाराजा टीपू सुल्तान की माँ थी। उन्होंने यह किला एक भारी शिला पत्थर पर बनाया और अपनी माँ के नाम पर इसका नाम रखा। यह पर्यटकों का एक आकर्षण स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। किन्तु, अब यह जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस किले का पुनरुद्धार कार्य शुरु करने तथा नियमित रख-रखाव करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निदेश दे।

(चार) महाराष्ट्र में नासिक में आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र शुरु करने की आवश्यकता

डा० वसंत पवार (नासिक) : महोदय, यह पता चला है कि नासिक आकाशवाणी केन्द्र तकनीकी रुप से तैयार हो गया है। तथापि, इस समय वहाँ कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि नासिक में कई शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त, यह उद्योग और कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इस कारण किसानों, उद्योगपतियों और छात्रों के लिए यह आकाशवाणी केन्द्र अत्यधिक उपयोगी होगा। इस आकाशवाणी केन्द्र को शुरू करने में विलम्ब इस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं होगा और इससे वहाँ के विकास कार्य प्रभावित होंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नासिक में आकाशवाणी केन्द्र को शीघ्र शुरु किया जाये तथा वहां अपेक्षित संख्या में कर्मचारी भर्ती किये जायें।

(पाँच) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने और गोदामों से खरीदे गये खाद्यान्नों की समय पर ढुलाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : महोदय, मैं खरीदे गये चावल और अन्य खरीफ खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने में भारतीय खाद्य निगम की अक्षमता की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भंडारण क्षमता में कमी के कारण किसानों को मजबूरी में खाद्यान्नों की बिक्री करनी पड़ी। चावल और खरीफ खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खरीदे गए गेहूँ की धीमी ढुलाई हुई है और इस कारण विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता राज्यों द्वारा कम खाद्यान्न उठाए जाने तथा रेलवे द्वारा ढुलाई की कठिनाइयों के कारण खाद्यान्नों को अपने गोदामों से बाहर निकालने में असमर्थ है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खरीदे गए खाद्यान्नों की ढुलाई तथा अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए योजनाएं बनाई जायें ताकि किसान मजबूरी में खाद्यान्न न बेचें ।

(छः) पंजाब में फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों के उन कपास उत्पादकों को, जिनकी फसलें पर्ण-कुंचन रोग (लीफ कर्ल) से क्षतिग्रस्त हो गई हैं; को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बराड़ : महोदय, यह ज्ञात हुआ है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के कृषि विशेषज्ञों को फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों में कपास की फसलों का खेतों में जाकर परीक्षण करने पर यह पता चला है कि पर्ण-कुंचन (लीफ कर्ल) नाम की एक महामारी फैल गई है जिसका रोगग्रस्त पौधों को जमीन में दबा कर फसलों को नष्ट करने के अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं है। सरकार को इन जिलों के किसानों को बचाने के लिए मुआवजा देने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस महामारी के कारण किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ेगी।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से इन जिलों के किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए इस मामले पर तुरन्त ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

12.46 म०प०

राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करने संबंधी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय आवास नीति पर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण बोल रहे थे। वे अब शुरु कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या !

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण बोल रहे थे।

श्री जिय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे चर्चा को शुरु करते हुए मैं पुनः कहता हूँ कि राष्ट्रीय आवास नीति अपने सारे उद्देश्यों, सही नीतियों और शुभ इच्छाओं के बावजूद गृह निर्माण के वर्तमान जर्जर परिदृश्य में प्रतिकूत परिस्थितियों को देखते हुए कोई राहत प्रदान नहीं करती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि राष्ट्रीय आवास नीति में कोई कमी है। बल्कि ऐसा इस नीति की पुरानी असफलताओं और वर्तमान निराशाजनक स्थिति के कारण है।

खाना और कपड़ा भी आधारभूत आवश्यकता के बाद और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी होने के कारण आवास कुछ ऐसे लक्ष्यों में से एक है जो हमने वर्ष 2001 के लिए निर्धारित किए हैं लेकिन मुझे संदेह है कि अगली शताब्दी के दो दशकों तक भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवम्बर, 1988 में पारित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय रणनीति संबंधी संकल्प में विभिन्न सरकारों से 'सन् 2000 तक सबके लिए मकान' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का आग्रह किया गया है। अनेक विकासशील देशों के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना असम्भव है और इस संबंध में भारत कोई अपवाद नहीं है। निःसन्देह इसका कारण जनसंख्या विस्फोट है जिसके कारण गत तीन दशकों के दौरान हमारा नियोजन परिदृश्य सदैव गड़बड़ाया है। और साथ ही, इसका कारण जनसंख्या का सही ढंग से आकलन करने में हमारी असफलता भी है और आज स्थिति यह है कि मकान कम और लोग अधिक हैं और शायद इस स्थिति का संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प में भी सही आकलन नहीं किया गया है। इस माँग को पूरा करने के लिए भारत को सन् 2001 में वर्तमान 15 मिलियन आवास एककों की तुलना में 41 मिलियन आवास एककों की आवश्यकता होगी। आगामी सात वर्षों में आवास पर 1,800 बिलियन रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी जरुरत और खर्च को देखकर मुझे आशंका है कि बड़े से बड़े आशावादी का धैर्य टूट जाएगा। तथापि राजनैतिक इच्छा और विश्वास के साथ इस समस्या से निपटा जाए। देर आए, दुरुस्त आए । इसमें कुछ तो प्रगति होनी चाहिए। इस समस्या का मुकाबला दीर्घकालीन कार्य योजनाओं के माध्यम से किया जाए। मेरा यह कहना है कि इसकी शुरुआत गंदी बस्तियों से की जानी चाहिए। कमज़ोर वर्गों को, चाहे वे शहरी क्षेत्रों में हों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आवास नीति में सरकार की भूमिका में बड़ा परिवर्तन आया है अब उसकी भूमिका मकान उपलब्ध कराने के स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की हो गई है। परन्तु कुछ मामलों में अपवाद हो सकते हैं। यदि अपवाद हों तो वे गंदी बस्तियों के मामलों में होने चाहिए। सरकार को गंदी बस्तियों के सुधार का कार्य अपने हाथों में लेना

चाहिए। भारत में गंदी बस्तियों के हालातों के बारे में पूरा विश्व जानता है। इस विषय पर लीपा-पोती करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व को भारतीय गंदी बस्तियों के संबंध में डोमनिक लैपिअर ने नहीं बताया है। इसलिए उनकी पुस्तक "सिटी ऑफ जॉय" पर बन रही फिल्म पर आपत्ति करने का कोई आधार नहीं है। पूरा विश्व भारतीय गंदी बस्तियों के बारे में जानता है। यह पुस्तक केवल मानवीय अंतरात्मा को ही नहीं बल्कि हमारी और राष्ट्र की अंतरात्मा को भी चुनौती देती है। गंदी बस्तियों में स्वार्थ निहित तत्वों का शासन होता है इसलिए मैं सरकार से इन बस्तियों के सुधार और मानव जीवन के अनुकूल उनमें हालात पैदा करने का कार्य अपने हाथों में लेने का अनुरोध कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप मुझे इस शब्द का - मैं यह नहीं जानता कि यह संसदीय है अथवा नहीं - प्रयोग करने की अनुमति दें तो वहाँ दादगिरी चलती है। राष्ट्रीय आवास नीति के कार्यान्वयन के लिए यह पहली शर्त है। सरकार को गंदी बस्तियों में कार्य शुरु करना चाहिए तथा पेयजल, सफाई और सामुदायिक स्वास्थ्य आदि जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध करा कर वहाँ बेहतर हालात पैदा करने चाहिए। इससे हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे लोग बसे हुए हैं - इससे कोई मतलब नहीं चाहे वे कानूनी अथवा गैर-कानूनी हैं - जिनके पास कम से कम रहने की जगह तो है। यह एक जाना पहचाना वर्ग है। इसलिए हम उन्हें सीधे कब्ज़ा देकर सुधार कार्य शुरु कर सकते हैं। अवैध आवास कालोनियों को भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। एक बार सरकार का नियंत्रण हो जाए तो मुझे सरकार की भूमिका मकान उपलब्ध कराने के स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु इन निर्धारित कार्यों के बिना सरकार माफिया गिरोहों का समर्थन प्राप्त स्वार्थ निहित तत्वों के विरोध के कारण सुविधाएं उपलब्ध कराने की भूमिका भी नहीं निभा सकेगी।

इसके बाद दूसरे इस बात पर ध्यान दिया जाए कि गरीबों को किस प्रकार भूमि उपलब्ध करायी जाए। भूमि की भारी कमी है और यह आम आदमी की पहुँच से बाहर है। परन्तु गरीबों और बेघर लोगों को बाज़ार की अर्थव्यवस्था के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि भूमि अधिग्रहण के अधिनियम से न तो भूमि जल्दी से राज्यों को ही दी जाती है और न ही इससे समय पर मुआवजा मिल पाता है। इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कारगरता पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आवास और आधारभूत विकास के लिए भूमि की उपलब्धता प्रमुख आदान है और मकानों तथा एपार्टमेंटों की 75 प्रतिशत लागत भूमि पर आती है। इसलिए भूमि बाजारों के सुचारू रूप से कार्य किए बिना आवास विकास के द्वारा गरीबों की आवश्यकताएं पूरी होने की आशा नहीं की जा सकती है। ये गरीब लोग कौन हैं ? अधिकांशतः ये लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हैं और ऐसे लोग हैं जो गरीबी के पर्याय हैं।

यद्यपि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण गरीबों के हित में नीति में प्रस्तावित कुछ खास उपाय उत्साहजनक हैं। इन उपायों में आदिवासी क्षेत्रों में बसी बस्तियों को उजाड़ने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सुविधा वंचित लोगों की आवश्यकताओं की तरफ विशेष ध्यान देने और विकास परियोजनाओं के कारण ग्रामीण बस्तियों के अनावश्यक विस्थापन पर रोक लगाना शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : हान्डिक जी, समय बहुत कम है। प्रत्येक सदस्य को 8-10 मिनट का समय दिया जाएगा। अन्यथा इस चर्चा को पूरा करना कठिन हो जाएगा।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, कृपया मुझे कुछ और मिनट का समय दीजिए।

इसके बाद मैं किराया नियंत्रण अधिनियम का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह किराए के प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले नए आवासों के लिए एक प्रमुख बाधा बना हुआ है।

12.55 म०प०

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}

इसका आवास के क्षेत्र में पूँजी निवेश करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किराये पर उठाए हुए मकान पर मालिक का कोई अधिकार नहीं रहता है। एक बार जो किराया निर्धारित हो जाता है उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है और किराया बढ़ाने हेतु मालिक को न्यायालय की लम्बी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने किराया नियंत्रण कानून में इस ढंग से संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे कि मकान मालिकों और किराएदारों के हितों के बीच संतुलन बना रहे। इस संबंध में मैं यह मानता हूँ कि 1994 के 77 वें संशोधन में राज्य स्तर पर किराया न्यायाधिकरणों द्वारा किराये और किराएदारी विनियमन से संबंधित सभी मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई है वह वास्तव में पूर्व स्थिति से बेहतर है।

महोदय, इसके पश्चात् मैं निजीकरण और आवास क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सीमा का उल्लेख करना चाहता हूँ। आवासों की उपलब्धता बढ़ाने और आसान ऋण सुविधाओं के द्वारा इनकी प्राप्ति को सुलभ बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। आवासों की माँग और पूर्ति के अंतर से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय के वर्गों के लिए आवास एककों की आपूर्ति बहुत कम है। यह भी देखा गया है कि निम्न मध्यम वर्ग और कमजोर वर्गों के लोगों पर बढ़ती हुई निर्माण लागत का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जबकि अधिक क्रयशक्ति वाले लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। अतः सिर्फ आवास उपलब्ध कराने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि इसकी लागत सहनीय होनी चाहिए। यदि इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र की भागेदारी हो केवल तभी इस स्थिति से निपटने के लिए आवास वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार की अनेक नीतियों और प्रतिबंधकारी प्रक्रियाओं के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के समक्ष बाध्यताएं हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि आवास और अचल भू-सम्पदा कारोबार को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र को रियायती दरों पर उपलब्ध ऋण और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र को भी ठीक ढंग से कार्य करना चाहिए। निर्देशित शहरी विकास के अन्तर्गत यह माना गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को निम्न आय आवास हेतु विकसित भू-खंड देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम और क्षेत्र विनियमन से प्रभावित भूमि के विकास हेतु यह प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक आवास एजेंसी के कार्य करने का तरीका राष्ट्रीय आवास नीति के उद्देश्यों का खुले तौर पर उल्लंघन रहा है। सार्वजनिक आवास एजेंसी नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रोत्साहक और सुविधाएं जुटाने की भूमिका निभाने के बजाए उपलब्धकर्ता, प्रोमोटर और बिल्डर का कार्य कर रही है। अनेक मामलों में हमने देखा है कि गंदी बस्तियों के लोगों को उन मकानों और भू-खंडों को, जिन्हें उनको कम कीमत

पर दिया जाता है, और भू-खण्डों को बेचकर अन्यत्र बसने का लालच दिया जाता है और इसके लिए उन पर दबाव डाला जाता है।

अध्यक्ष महोदय : हान्डिक जी, क्या आपको अधिक समय चाहिए।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : अवकाश के बाद आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सभा में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए दलों के नेताओं में समझौता हो गया है। समझौते का ब्यौरा मैं 2.30 म०प० पर पढ़ूंगा। मेरा विपक्षी दलों के सदस्यों से अनुरोध है कि वे 2.30 म०प० पर सभा में उपस्थित रहें और सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने विपक्ष के सहयोगियों का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहें।

(व्यवधान)

प्रो०पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, इस समझौते से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हम सरकार और अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने इस समझौते के लिए कदम उठाए, बधाई देते हैं। इन दिनों के दौरान हम अपने विपक्षी सहयोगियों से विमुख रहे। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने ऐसा सकारात्मक कदम उठाया है। हम अध्यक्ष महोदय को भी इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं समझता हूँ कि यह वास्तव में हमारे प्रजातंत्र के लिए एक गौरव की बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि हम लोग इस तरफ बैठे अपने साथियों का सही ढंग से स्वागत करेंगे।

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, क्या हम लोग उन्हें माल्यार्पण करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह काम सदन के बाहर कर सकते हैं।

सभा 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.30 म०प०

मध्याह्न भोजन के बाद लोक सभा 2.30 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का संशोधित रुप में प्रस्तुत किया जाना।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट तथा सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट पर विपक्ष तथा सत्तापक्ष के सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका उद्देश्य एक सही निर्णय तथा मामले की सच्चाई पर पहुँचना था।

प्रजातंत्र तथा संसदीय व्यवस्था में नियम, विधान, व्यवस्था तथा परम्पराओं के अनुसार सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रदर्शन व बहस की जाती है तथा निर्णय लिए जाते हैं। तात्कालिक महत्व के विषय पर भी इन सभी उपायों तथा तरीकों का प्रयोग किया गया ताकि विभिन्न दलों के सदस्यों का विचार जाना जा सके। साथ ही, सभी सम्बद्ध लोगों तथा संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रतिमानों के पालन किए जाने का भी ध्यान रखा गया तथा व्यवस्थाओं पर आँच नहीं आने दी गयी जिसके फलस्वरूप विभिन्न दलों के बीच सहमति संभव हो सकी।

यह वास्तव में संतोषप्रद तथा उत्साहवर्द्धक बात है कि सभी दलों के नेताओं ने पुरजोर ढंग से अपने-अपने विचारों को प्रकट किया तथा इस बात का ख्याल रखा कि स्थापित प्रणाली की प्रतिष्ठा, मान, प्रभावोत्पादकता जीवंत एवं प्रभावी बनी रहे।

मैं सभी वरिष्ठ नेताओं, अन्य नेताओं तथा उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सम्बन्ध में काफी समझदारी का प्रदर्शन किया तथा अपनी तरफ से अधिकतम योगदान किया। लेकिन उद्देश्य एवं प्रणाली के प्रति उनकी समझदारी तथा उनके कर्तव्यबोध के बिना उनके बीच यह वर्तमान सहमति संभव नहीं थी और इसके लिए वैसे लोग जो प्रणाली तथा इस उद्देश्य को महत्व देते हैं कृतज्ञ रहेंगे। कार्यवाही रिपोर्ट के बारे में जो सभी दलों के बीच सहमति हुई है वह निम्नलिखित है :

वे विषय जिन पर कार्यवाही नहीं हुई, जिन पर कार्यवाही आंशिक रूप से हुई तथा वे विषय जिन पर विरोधी दल के लोगों ने आपत्ति जतायी, उन पर सरकार पुनः विचार करेगी तथा संशोधित एवं परिमार्जित रिपोर्ट यथाशीघ्र सदन में पेश करेगी।

2.36 म०प०

माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं शुगर स्कैंडल के संबंध में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कल से।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं आपके द्वारा किए गए सद् प्रयासों के लिए आपको, विपक्षी दलों के अनेक नेताओं, सरकार तथा प्रधान मंत्री जी को इस सहमति पर पहुँचने तथा प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें। सभी ने योगदान दिया है और हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिसने इस सहमति पर पहुँचने में योगदान दिया है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : इस प्रकरण के एकमात्र हीरो अध्यक्ष महोदय हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि सभी लोग पीठासीन अधिकारी को बधाई दे रहे हैं। महोदय, केवल पीठासीन अधिकारी से यह संभव नहीं था। इसमें सभी ने योगदान दिया है जिसमें आप, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जसवंत जी, शरद जी, रामविलास जी, सोमनाथ जी, इन्द्रजीत जी, सैफ्फुद्दीन जी, चन्द्रजीत जी, शुक्ल जी तथा अन्य लोग शामिल हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, गोल हमेश कोई एक खिलाड़ी ही करता है।

2.38 म०प०

राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन संबंधी संकल्प-जारी

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य का तीसरा चरण शुरू करता हूँ। आवास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विशिष्ठ संस्थाओं का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है। यह मात्र दस प्रतिशत है। शेष 90 प्रतिशत के लिए लोगों को हमेशा अपनी बचत राशि अथवा मित्रों व सम्बन्धियों से उधार लेने पर आश्रित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 44वें सर्वेक्षण दौर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने हेतु कुल वित्त का केवल 5.18 प्रतिशत ही अन्य एजेन्सियों से आता है। बैंक क्षेत्र द्वारा आवास हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के मामले में वृद्धि संबंधी जमाराशि का करीब 11.5 प्रतिशत ही आबंटित किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं के बराबर आबंटन किया जाता है। शीर्ष सहकारी आवास समितियों तथा प्राथमिक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास संबंधी आधारभूत समस्याओं को छुआ तक नहीं है। जहाँ तक हुडको संसाधनों का संबंध है, इसमें से केवल 15 प्रतिशत संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किये गए हैं।

महोदय, भारत में दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय आवास नीति में वकालत किए जाने के बावजूद भी, कम कीमत वाले आवास का अभिप्राय घटिया किस्म के आवास से है और इसे गरीबों का आवास कहा जाता है। इस अवधारणा में परिवर्तन होना चाहिए। सरकार को सस्ती तथा वैकल्पिक भवन सामग्रियों का उपयोग कर सस्ते मूल्यों पर बनाए जाने वाले मकानों को लोकप्रिय बनाना चाहिए।

एक आकलन के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 95,000 मिलियन ईंटों की कमी होने की शंका है जिसमें से 55,000 मिलियन ईंटें आवास निर्माण के लिए थीं। अतः हमें विकल्पों की खोज करनी है। हालांकि इसकी आवश्यकता एक चुनौती है। देश में 70 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा 45 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है तथा 13 उर्वरक संयंत्रों द्वारा 10 मिलियन टन कास्को जिप्सम का संचित भण्डार है। अतः इस अपशिष्ट को सस्ती भवन निर्माण सामग्री के रूप में परिवर्तित करना बी०एम०टी०पी०सी० (बिल्डिंग मेटीरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल) और सरकार की लिए एक चुनौती है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मुझे यह कहना पड़ता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवास को प्राथमिकता क्षेत्र में रखने और यह मूल आवश्यकता और अच्छे रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाला एक श्रम प्रधान कार्य दोनों ही होने के साथ-साथ वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दो उत्तरोत्तर बजटों में सरकार की सामाजिक-आर्थिक दायित्वों में आवास संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने की घोषणा के बावजूद, आवास संबंधी कार्यक्रम की उपेक्षा का इस तथ्य से पता चलता है कि भारत में प्रतिवर्ष प्रति हजार लोगों के लिए चार रिहायशी मकान निर्मित हो रहे हैं। परन्तु, इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश को पहले से विद्यमान भीषण आवास समस्या को और बिगड़ने से रोकने के लिए आगामी 20 से 30 वर्षों में प्रतिवर्ष प्रति एक हजार व्यक्ति कम से कम आठ से दस रिहायशी मकान निर्मित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि राष्ट्रीय आवास नीति स्वागत योग्य है परन्तु, इसके लिए सही नीति तैयार की जानी चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा साहसिक कदम उठाने और राजनीतिक संकल्प लेने की आवश्यकता है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं संसद के समक्ष 9 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करना चाहूँगा।

यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि दो वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई नीति को इस समय लगभग दो वर्ष की अवधि के पश्चात् सभा के समक्ष चर्चा के लिए रखा गया है। हम यह कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं। रोटी और कपड़ा के बाद मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता मकान ही है।

राष्ट्रीय आवास नीति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आज हमारे देश में 30 मिलियन से भी अधिक रिहायशी मकानों की कमी है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 मिलियन से भी अधिक मकान और शहरी क्षेत्रों में 10.5 मिलियन से अधिक मकान शामिल हैं। **(व्यवधान)** श्री सोमनाथ चटर्जी हमेशा व्यवधान पैदा करते रहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं भारत में आवास व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूँ।

श्री मुरली देवड़ा : यहाँ आवास मंत्री को परेशान करने की बजाय आप कलकत्ता में इससे संबंधित किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कीजिए।

सरकार इस मूल बात के बारे में यह दलील पेश कर रही है कि सरकार की भूमिका मात्र मकान निर्मित करना ही नहीं है, अपितु इसके लिए पर्याप्त निवेश करना और उपयुक्त माहोल पैदा करना है ताकि लोगों को उचित मकान मिल सकें और आवास संबंधी कार्यों में अड़चनें दूर की जा सकें। दुर्भाग्य से, आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति इतनी खराब है कि विशेषतः शहरी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना असम्भव हो गया है। मैं मुम्बई का निवासी हूँ और इस सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि मुम्बई में गत तीन वर्षों में एपार्टमेंट की कीमतों में दस गुना वृद्धि हुई है। तीन साल पहले जिसकी कीमत 100/- रुपये थी आज उसकी कीमत 1000/- रुपये हो गई है। मैं मुम्बई के मध्य व्यापारिक केन्द्र में रहता हूँ और वहाँ रहने वाले लोगों को बोरीवेली और दहीसर तक जाने के लिए डेढ़ घंटे का सफर तय करना पड़ता है और इस तरह से किसी व्यक्ति को अपने कार्यालय तक के एक तरफा सफर में औसतन डेढ़ घंटा लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कार्यालय में पहुँचकर

काम करना बिल्कुल असम्भव है। इस मामले में शहरी अधिकतम भूमि सीमा आड़े आ रहा है। सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम लाने की बात कर रही है और 1976 में शहरी भूमि परिसीमन व्यवस्था लागू करते समय यह कहा गया था और इसका उद्धरण इस प्रकार है:-

"इस विधेयक का उद्देश्य शहरी भूमि के समान वितरण की दृष्टि से इसका स्वामित्व कुछ लोगों के पास होने से रोकना और दुर्लभ एवं महंगी शहरी भूमि से संबंधित सट्टेबाजी के संव्यवहार को रोकना है।"

परन्तु दुर्भाग्य से यह अधिनियम शहरी अधिकतम भूमि के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। आज जब सरकार आर्थिक उदारीकरण की बात कर रही है तो दुर्भाग्य से, ऐसी स्थिति में उसने आवास क्षेत्र में कोई भी कदम नहीं उठाया है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस केन्द्रीय अधिनियम शहरी अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम को या तो रद्द करे अथवा इसमें इस तरह से संशोधन करे जिससे राज्य सरकारों को उपलब्ध खाली भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी जाये। कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, मद्रास जैसे बड़े शहरों में बड़े-बड़े भूमि खंड अभी भी उपलब्ध हैं। परन्तु, दुर्भाग्य से इसके लिए शहरी अधिकतम भूमि अधिनियम की धारा 70 और 21 के अंतर्गत उन्हें अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार उनको अनुमति दे नहीं पाती है। इसके लिए मार्ग-निर्देश जारी नहीं करने के लिए राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस नीति के बारे में चर्चा करते समय केन्द्रीय सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को सुनिर्दिष्ट और समान मार्ग-निर्देश जारी किए जाने चाहिए जिससे भूमि की कीमतों की सट्टेबाजी रुकेगी और अधिक भूमि उपलब्ध होगी। मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि जैसे बड़े शहरों में भूमि के कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए बिल्डर एकजुट हो गए हैं। इन लोगों ने शहर के कुछ हिस्सों में कुछ भूमि ले ली है और उन्होंने आवास के लिए भूमि की कमी की स्थिति पैदा की है। इस कमी के कारण अपार्टमेंट की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शहरी भूमि अधिकतिक सीमा अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने 2.17 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि का पता लगाया है। परन्तु, इसमें से एक प्रतिशत भूमि भी अधिग्रहित नहीं की जा सकी। यह अधिनियम 1976 में पारित हुआ था और अब तक एक प्रतिशत भूमि भी अधिग्रहित नहीं हुई। इस तरह के अधिनियम को लागू करने का क्या प्रयोजन है जब 18 वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद भी इसका रत्ती भर भी कार्यान्वयन नहीं हो पाया ? अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाए और यह सुनिश्चित करे कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम या तो रद्द किया जाये अथवा उसमें संशोधन हो।

नेशनल बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार इस शताब्दी के अंत अर्थात् 2001 तक देश में 64.4 मिलियन से भी अधिक रिहायशी मकानों की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक योजना राशि की आवश्यकता होगी और सरकार के पास यह राशि नहीं है। अतः, इसका वास्तविक हल यही होगा कि लोगों को निजी तौर पर अपने मकान निर्मित करने की अनुमति दे दी जाए और उन्हें अधिकाधिक वित्त देने के लिए सहायता की जाए। यद्यपि सरकार ने नेशनल हाऊसिंग बैंक और अन्य संस्थान स्थापित किए हैं जो इसके लिए राशि उपलब्ध करा रहे हैं तथापि आवास क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि

उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, अमरीका जैसे विकसित देशों में किसी परिवार को मकान खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि कर मुक्त होती है। परन्तु, भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। भारत जैसे निर्धन देश में मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा लिए गए कर्ज की राशि पर लगने वाले ब्याज पर कर मुक्ति की सुविधा नहीं है। मैं आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। परन्तु, मैं यह अनुरोध करूंगा कि आयकर की संगत धाराओं में संशोधन किया जाए। इससे मकान निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अधिकाधिक मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इससे मकान खरीदने के कार्यक्रमों, जिनकी अनुमति दी गई है, को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि कर के रूप में देय समग्र ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है तो हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होगी। हुडको, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरह बहुत थोड़े संस्थान हैं। परन्तु, लघु हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों के पास धनराशि नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन संस्थानों को अधिक राशि प्रदान की जाये। यह व्यवस्था आयकर अधिनियम की धारा 54 (ङ) में संशोधन करके ही की जा सकती है जिसमें लोगों को इन संस्थानों के अधीन बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इन संस्थानों में जमा राशि पर कर से छूट प्रदान की जाती है तो इससे अधिक से अधिक धनराशि जुटाने में बढ़ावा मिलेगा। इससे आवास क्षेत्र को अधिकाधिक राशि उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

एक सर्वेक्षण किया गया था तथा उस सर्वेक्षण के अनुसार गृह निर्माण कार्य में कम से कम धनराशि से अधिकतम रोज़गार उत्पन्न किया जा सकता है। एक करोड़ रुपये के निवेश से 923 श्रम वर्ष से अधिक रोज़गार उत्पन्न किया जा सकता है। इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जब आप एक घर बनाते हैं तब केवल आप सीमेंट और इस्पात उद्योगों को ही बढ़ावा नहीं देते हैं बल्कि बढ़ई, ईंट बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले तथा कालीन निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं। कई अन्य अनुसांगिक इकाइयों को भी बढ़ावा मिलता है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों की जमींदारी व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जाए ताकि जमीन की ऊँची कीमत जो जनसामान्य को देनी पड़ती है, उसमें कमी लाई जा सके। आज, निर्माण की कीमत उतनी नहीं है लेकिन जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में पूरे देश में यह धांधलीबाजी चलती रहती है। ये प्रस्ताव काफी अधिक सहायक सिद्ध होंगे और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

2.52 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रमेश चेन्नित्ला (कोट्टायम) : प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे घर का सपना देखता है। एक घर न केवल रहने के लिए जगह प्रदान करता है बल्कि यह सामाजिक दर्जा भी प्रदान करता है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर हमारी सारी योजनाओं और कार्यक्रमों में वास्तविकता का अभाव है। सरकार ने शुरूआत से ही आवास को गम्भीर समस्या के रूप में नहीं लिया है। सरकार ने इस पर केवल आठवीं योजना

से ही ध्यान देना शुरू किया। आठवीं योजना तक सरकार ने इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया। सातवीं योजना में गृह निर्माण कार्य के लिए आबंटित राशि 2,424 करोड़ रुपये थी जो कि आठवीं योजना में बढ़ाकर 6,377 करोड़ रुपये कर दी गई। अतएव, आबंटन के संदर्भ में देखें तो गृह निर्माण कार्य को केवल आठवीं योजना के दौरान ही पूरी मान्यता मिल पाई है। यह भी निःसन्देह राष्ट्रीय आवास नीति का ही एक भाग है जिसमें पुनः सरकार की चिंता अभिव्यक्त होती है। मैं इस नीति का स्वागत करता हूँ क्योंकि अब सरकार ने इस मूलभूत समस्या पर पर्याप्त ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैसा कि श्री मुरली देवरा ने सही कहा है कि यदि हम ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो हम स्वतंत्रता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्त से यदि आपने इस आवास संबंधी समस्या पर उचित ध्यान दिया होता तो हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते।

राष्ट्रीय आवास नीति इस गंभीर समस्या को परिभाषित करने तथा इसका समाधान खोजने का एक प्रयास है। यह समस्या कितनी गंभीर है ? राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि 31 मिलियन घरों की कमी है। एन् 2001 तक हमें 64.4 मिलियन घरों की जरुरत पड़ेगी। इसके लिए हमें कितने धन की आवश्यकता होगी ? 1992-93 में किये गये अध्ययन के अनुसार, 21 मिलियन घरों के निर्माण के लिए 97530 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। इतनी ज्यादा आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी।

महोदय, आठवीं योजना के दौरान गृह निर्माण के लिए कुल परिव्यय 6,377 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये के बराबर संस्थागत वित्त पोषण किया जाएगा। इस योजना अवधि के दौरान 97,530 करोड़ रुपए की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में 31,477 करोड़ रुपए लगाए गए। इसमें 66,153 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा अन्तर रहा। अतः हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम अपनी आवश्यकतानुसार कुल कितनी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए संसाधन कैसे जुटायें ? गृह निर्माण के लिए वास्तव में बजट सहायता देने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वित्तीय संकट होने की वजह से सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह हमारी आवश्यकतानुसार आवासीय इकाइयों के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि हम इस संबंध में निजी निवेश को प्रोत्साहित क्यों नहीं करें। उदाहरण के लिए अनिवासी भारतीयों को लें। जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए। अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धन का उपयोग गृह निर्माण के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अनिवासी भारतीयों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये योगदान से इस महत्वपूर्ण तथा बहुत गंभीर समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। इन धनराशियों का उपयोग मध्यम वर्ग तथा उच्चमध्य वर्गीय लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में उच्च लागत आवासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। जबकि संस्थागत वित्त का एक बड़ा भाग देश में शहरी गरीब, झुग्गी-झोपड़ी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए कम लागत वाले घरों के निर्माण हेतु किया जा सकता है।

इस नीति का एक उद्देश्य जमीन तथा मकान बनाने में सट्टेबाजी को रोकना है। जैसा कि श्री मुरली देवरा ने ठीक ही कहा है कि बम्बई तथा दिल्ली जैसे महानगरों में जमीन के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि मुख्य समस्या है ।

जमीन के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि तथा मकान के मूल्य में वृद्धि चिंताजनक बात है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अधिकतम काला धन सृजित होता है। मेरे विचार से इससे कड़ाई से निपटना चाहिए तथा इस संबंध में पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इसने जमीन तथा घर दोनों को आम आदमी की पहुँच से बाहर कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति तथा गरीब लोग पीड़ित हैं। मेरे विचार से सरकार को शहरीं इलाकों में तथा विशेष रुप से महानगरों में जमीन की बेतहाशा मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। उन्हें छोटे से मकान के लिए दिल्ली या बम्बई में 1000 रुपये से 1500 रुपये तक देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इस राशि को देने के लिए तैयार होता है, तब भी उसे समुचित आवास नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अकुशल कारीगर के लिए 900 रुपए तथा कुशल के लिए 1500 रुपये है। एक साधारण व्यक्ति अपनी निम्न आय में इस तरह की सुविधा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? यह एक गम्भीर समस्या है। सरकार ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है तथा इस दिशा में पर्याप्त कार्य भी नहीं किया है।

अधिक ध्यान कम लागत वाले ज्यादा मकान बनाने पर दिया जाना चाहिए। जिसके पास काफी ज्यादा पैसे होंगे वे अपने लिए खुद घर बना लेंगे। लेकिन सरकार को गरीबों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, आज बोलने का मूड नहीं है - इसलिए आज हाउस खत्म कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : रमेश, एक मिनट। नीतिश जी का सजेशन आया है कि जबरदस्ती से बोलना पड़ता है, इसलिए बोलिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्ला : इस संबंध में सबसे पहले उचित लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। शहरों की विकास एजेंसियां अधिक लागत वाले मकान बनाने को प्राथमिकता देती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ही लें। जहाँ तक नीति का संबंध है यह कम लागत वाले तथा स्वदेशी तकनीक वाले मकानों के निर्माण पर जोर देती है। लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज किया गया है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इस संबंध में उचित लक्ष्य की आवश्यकता है। कई संगठन तथा शोध केन्द्रों ने कम लागत वाली भवन निर्माण तकनीक का विकास किया है। उदाहरण के लिए केरल की निर्मिती केन्द्र कम लागत वाले भवन निर्माण के क्षेत्र में अनूठा उदाहरण है। स्थानीय रुप से उपलब्ध वस्तुओं से खूबसूरत ढंग के मकान बनाए जा सकते हैं जो कि पर्यावरण के भी अनुरूप हों। इनकी कीमत भी बहुत कम है और देखने में भी बहुत सुन्दर हैं। लोग भी इसकी सराहना करेंगे क्योंकि वे पर्यावरणीय स्थिति के अनुरूप सिद्ध होंगे। लेकिन हम लोग इन 'मॉडलों' को लोकप्रिय नहीं बना पाये हैं।

3.00 म०प०

हमारा स्वभाविक रूप से बड़े घरों की ओर झुकाव है। इससे आवासीय समस्या में समाधान में सहायता नहीं मिलेगी।

आवास निर्माण के संख्यात्मक पहलू पर किये गये ताजा विश्लेषण के अनुसार यदि हम 3.50 लाख रुपये प्रति गाँव प्रति वर्ष इकट्ठा कर सकें तो हम प्रत्येक गाँव में 50,000 रुपये की औसत लागत से सात आवासीय इकाइयाँ बना सकेंगे जिससे आठवीं योजना के दौरान हमारी सभी आवासीय आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी। इसी प्रकार आठवीं योजना के अंतर्गत आवश्यक शहरी आवास के अनुमानों के अनुसार, एक लाख रुपए प्रति इकाई की औसत लागत वाली 7.8 मिलियन इकाइयों की आवश्यकता होगी। महोदय, यदि हम प्रतिवर्ष 33.3 लाख रुपये प्रति कस्बे के हिसाब से धन संग्रह कर सकें तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति पूर्णतः कर सकते हैं। हमारे समक्ष यही नवीनतम विश्लेषण आया है। यह विश्लेषण यही दर्शाता है कि लक्ष्य को हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसमें मूलभूत दृष्टिकोण और उपयुक्त नियोजन की आवश्यकता है। इस योजना को गाँवों और कस्बों से आरम्भ किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से सरकार को सर्वप्रथम लक्ष्य समूहों का अभिनिर्धारण करना चाहिए। कठिनाइयों का सामना कर रहे निम्न आय वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। सरकार ने प्राथमिकता वाले लक्ष्य समूहों की पहचान नहीं की है। मेरे हिसाब से तीन लक्ष्य समूह अधिक महत्वपूर्ण हैं - पहले तो गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जिनकी संख्या 48 मिलियन है, दूसरे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी और तीसरे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे भूमिहीन लोग हैं। मैं इस समस्या को इस ढंग से देखता हूँ। हमें अपने समाज के इन तीन तबकों को प्राथमिकता देनी है। उनमें एक गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जिनकी संख्या 48 मिलियन है। दूसरे कम आय वाले कर्मचारी हैं। तीसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोग हैं। समाज में यही तीन वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपने लिए आवास प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

चूंकि इन वर्गों के लिए आवश्यक इकाइयों की संख्या दर्शाने वाले कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस संबंध में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि इन तीनों वर्गों के लिए कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। सरकार को इन वर्गों के लिए आवास इकाइयों की वास्तविक आवश्यकता के बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए और आवास हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए। इससे गरीब तथा कम आय वाले लोगों को आवास के लाभ मिल पाएंगे। गृह निर्माण गतिविधियों से रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे निश्चित रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होंगे। इस प्रकार से हम अधिक इकाइयों के निर्माण से अधिक रोज़गार भी पैदा करेंगे। अतः यह स्वागत योग्य अध्ययन है। अनुमान यह है कि आवास गतिविधियों से रोज़गार में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसलिए मैं इस नीति के अनुक्रम में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि सरकार को गन्दी बस्तियों में दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे गरीब लोगों, कम आय वाले उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें अपने लिए मकान ढूंढने के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन लोगों की समस्याओं के बारे में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कराना चाहिए।

मेरे विचार से आठवीं योजनावधि में सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए अत्यधिक रुचि दिखाई है और इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा यह विचार है कि इस क्षेत्र में सहयोग कर पाने में समर्थ गैर-सरकारी पार्टियों और अनिवासी भारतीयों तथा अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री रमेश चेन्निल्ला ने आंकड़ों के आधार पर इस समस्या का जो मैग्निट्यूड या परिमाण बताने का प्रयास किया है, मैं उन आंकड़ों को फिर से यहां दोहराकर अपने भाषण को बोझिल नहीं करना चाहता। समस्या के परिमाण का ज्ञान तो उन्होंने करा ही दिया है लेकिन मैं मोटे तौर पर कहना चाहूँगा कि इस समस्या के कई स्वरूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की बड़ी समस्या है। फिर जो शहरी अर्बन काम्पलैक्सेस छोटे-छोटे हैं वहां पर अलग समस्या है और जो महानगरीय क्षेत्र हैं वहां पर मिडिल क्लास के लोगों की और अन्य सामान्य लोगों के रहने की समस्या का स्वरूप अलग है और महानगरों में जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गियों की बहुतायत होती जा रही है, उनकी एक अलग समस्या है। इस प्रकार से इन चारों स्वरूपों पर हमें चिन्तन करना होगा और एक सटीक पॉलिसी बनानी होगी। तभी जाकर समस्या का निदान होगा।

मुझे याद है जब हम छोटे थे और स्वतंत्रता का आन्दोलन चल रहा था और 1947 के बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे थे। ये हमारे आन्दोलन का मूल हिस्सा हुआ करती थीं। यह हमारा प्रमुख नारा था, लेकिन आज हम तीनों को भूल चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मकान की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कभी सटीक और सुनियोजित ढंग से गम्भीर चिन्तन के साथ प्रयास नहीं किया और किया भी तो इस प्रकार का परीक्षण किया और परीक्षणों या समाजवाद के नारों ने इस समस्या को और उलझा दिया। उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि हाउस एलोटमेंट की एक पालिसी बनाई गई। रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया। उसके माध्यम से शासकीय लोग और वे लोग जो प्रिवलेज्ड क्लास के लोग थे, उन्होंने शासन तंत्र का दुरुपयोग करके, लोगों के मकानों पर कब्जा किया और इस प्रकार की नीति बनाई गई जिसके कारण लोगों ने सोचा जिनके मकान थे, उनको बेच दो। उसकी परवाह मत करो। उसकी रिपेयर मत करवाओ। उसकी मेंटिनेंस मत करो। मकान रखना गुनाह हो गया। उस पर टैक्स ज्यादा लग जाता था जितना कि रेंट कंट्रोल एक्ट के माध्यम से किराया नहीं मिलता था। मकान मालिक और किराएदार के सम्बन्ध बिगड़ गए। बेईमानी सिखाई जाती थी। बेईमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। भ्रष्टाचार चलता था। उसके कारण नये मकानों के निर्माण की गतिविधि समाप्त हो गई या फिर वह रुक गई।

उसके बाद एक नारा और दिया समाजवाद का और जब आपात्कालीन स्थिति देश में चल रही थी तब बड़े जोर शोर के साथ हम अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आए। उस अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट ने इस देश की आवासीय समस्या का सत्यानाश कर दिया और पूरी तरह से उलझा दिया और उसके कारण यह हुआ कि किसानों की जमीन जिसे किसान खुशी से बेचना चाहते थे कोलोनाइजेशन के लिए, उसको उस जमीन के मूल्य तो कम मिले और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत परमीशन प्राप्त करने के लिए, हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार तो पहले

से ही बहुत चल रहा है, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उसको जबर्दस्त डाइमेंशन मिला और जो रिश्वत पहले बीघों में मांगी जाती थी वहां अब रिश्वत लेने वाले अर्बन लैंड सीलिंग आफीसर गजों में रिश्वत मांगने लगे। कितने गज का प्लाट आप छुड़वाना चाहते हैं उतने गज के हिसाब से रिश्वत दे दीजिए। इससे एक ओर तो जमीन की प्राइसेस एकदम बहुत बढ़ गईं और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर आने पर हजारों झूठे अफैडेविट और रिश्वत देने के बाद, जो मूल्य पहले 100 रुपए था वह कई गुना बढ़ गया। यदि सरकार में और मंत्री महोदय में हिम्मत है, तो वे प्रदेशों में महानगरों की जांच करवा लें कितने नक्शे ऐसे होंगे जहाँ झोंपड़ियां दिखाई गई होंगी और बाद में वहाँ मकान बनाने की परमीशन दे दी गई है और वहां पर कोई भी झोपड़ी कभी नहीं रही।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा। यह जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है। इसने किसानों को भी मार दिया। उसमें लिख दिया कि 5 रुपये गज से ज्यादा मुआवजा नहीं देंगे। डेढ़ रुपए से पांच रुपए गज तक का मुआवजा देने की बात थी वह भी नकद नहीं देंगे। इससे किसान पूरी तरह लुट गया। अपने घर में बेहाल हो गया। विस्थापित बन गया। इसलिए उस अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। एक ओर प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर सब छोड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की गर्दन पर कुल्हाड़ा चला रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो नैशनल हाउसिंग पालिसी तय हो, उसमें इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस देश के अंदर मकानों का जो निर्माण होता है वह बहुत कास्टली होता है। अभी मैं आगरा डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा हुडको से लोन लेकर बनाए जाने वाले मकानों को देख रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आपके एम.आई.जी. मकान की क्या कास्ट है। उन्होंने मुझको जो कास्ट बताई कि 5 साल के अंदर आपको इतनी इन्सटालमेंट देनी होगी। डी.डी.ए. की भी यही स्थिति है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जो टैक्स पेयर्स हैं, वित्त मंत्री जी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, जो इंकम टैक्स ईमानदारी से देना चाहता है, वह साल भर कमाता है। उसके हिसाब से कोई खर्च न करके व पेट पर पट्टी बाँध ले या हवा से पेट भर ले तो भी अपनी सारी आमदनी से मकान की किश्त नहीं चुका सकता। यह तो आप हमें सीधा ईमानदार न बनना सिखा रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिसने धोखे से वहाँ फार्म भर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे से पैनल्टी ले लो और मेरा पैसा वापिस कर दो। मैं ईमानदारी से टैक्स पे करना हूँ इसलिए मैं मकान नहीं ले सकता। हम जो पालिसी बना रहे हैं, क्या उस पालिसी के इम्प्लीमेंटेशन से वास्तव में ईमानदार टैक्स पेयर्स इस तरह से मकान ले भी सकता है या नहीं ? मैं यह डाकूमेंटरी प्रूफ दे रहा हूँ, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उसकी इलजीबिलटी है या नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मकान बनाने की जो टैक्नालाजी है, वह ऐसे डेवलप की जाये जिससे सस्ते मकान बन सकें। इस तरह के उपाय किये जाने चाहिए जिससे जमीन की कीमतें कम हों और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को हटा दिया जाये जिससे इसकी कीमतें अपने आप गिर जायेंगी। इसके साथ ही मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि विदेशों में बड़ी प्रगति हुई है। प्राईवेट सैक्टर के लोग टैक्नालाजी डेवलेप नहीं कर पायेंगे। उसमें सरकार को भी मदद करनी पड़ेगी जिससे इसमें सस्ते और अच्छे मकान बन सकें। इसके साथ एक चीज यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र ने जो अनिवासी भारतीयों की बात कही, मैं उस बात से सहमत हूँ कि बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए

आनिवासी भारतीयों का उपयोग किस-किस क्षेत्र में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आनिवासी भारतीयों इसमें इतना पैसा लगा देंगे और वह एक्नामिक रिटर्न देगा। वे इसमें लगना पसंद नहीं करेंगे कि हमारे देश की आवासीय समस्या को कोई प्रभावी ढंग से सोल्व कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने यह छूट दे दी है कि काला धन बाहर से जितना चाहे लाओ और उसको यहां आकर सफेद कर डालो। मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए उपाय खोजने चाहिए जिसके माध्यम से ब्लैक मनी का उपयोग बिल्डिंग निर्माण की एक्टीविटी में लगा सकें, परन्तु यह कह देना सरल है।

जो मौडेलटीज़ हैं, उसको बनाने में बड़ा परिश्रम करना होगा। वह इसलिये करना होगा जिससे ब्लैक मनी के नाम पर हम एक और छूट उनको दे दें और प्राइसेस इतनी हाईजेक हो जायें जिससे जो कानून पसंद टैक्स पेयर्स हैं, वह गरीब न लुट जायें। जहां पर ब्लैक मनी का उपयोग हो सकता है वहां पर इस तरह की स्थितियां बनानी होंगी, कुछ शर्तें रखनी होंगी कुछ क्षेत्रीय मार्क करने होंगे जिससे मकान भी बन सकें और सामान्य व्यक्ति जो अपना मकान बनाना चाहता है, प्राइसेस हाईजेक होने के कारण उसकी जेब पर डकैती न पड़े। सरकारी कानून के माध्यम से इस बात का ध्यान रखना होगा।

दूसरी बात मैं बिल्डिंग मेटीरियल के बारे में कहना चाहूंगा। जो सस्ते मकान की टैक्नोलॉजी की बात मैं कह रहा था। इसके बारे में सरकार को एक कम्प्रेहेंसिव पालिसी बनानी होगी जिसमें बिल्डिंग मेटीरियल जितना भी लगता है, चाहे ईंट लगती है, चाहे चूना लगता है, चाहे सीमेंट लगता हो या लेबर लगती हो। अभी तक सरकार की कम्प्रेहेंसिव पालिसी नहीं है। उसका दुष्परिणाम यह है कि जिस स्टेट में ईंटों के भट्टे चलते हैं, उन पर दुनिया भर की रोक लगा दी जाती है। उनका जो एक बार रिश्वत देने का गोरखधंधा चल गया तो ईंटों के दाम भी दुगुने हो गये। भट्टों के लिए उन लोगों को कोयला नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि ईंट भट्टों के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार को ईंटों व भट्टों के बारे में नियोजित नीति अपनानी होगी और यह भी आग्रह करना होगा कि सस्ती ईंटें किस तरह से उपलब्ध हों। भवन निर्माण की जो सामग्री है, उसकी सुलभता, गुणवत्ता और मूल्य इन तीनों चारों चीजों को देखना होगा। मैं दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

3.14 म.प.

(श्री पी०सी० चाको पीठासीन हुए)

सरकार ने अभी तक डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनायी हैं। उन एजेंसियों ने स्वयं कॉलोनाइजर और बिल्डर के रुप में काम करना शुरु किया है। इसमें कोई एक-आध अपवाद हो सकते हैं, मैं उनको नहीं जानता लेकिन देश भर में यह स्थिति है कि वे लाखों रुपये लूट रहे हैं। सरकार को चाहिये कि जो डेवलपमैंट अथॉरिटी बन रही हैं, उनके माध्यम से ब्लैकमनी वालों के रुपये का उपयोग हो सके। डैवलपमैंट के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये, उसमें इस पैसे का उपयोग किया जाये। उसके बाद ब्लैकमनी वालों को कुछ छूट दी जाये कि इतने पोरशन को मार्किट प्राइस पर बेच सकते हैं, बाकी के गरीब लोगों के मकानों के लिए सरेंडर करने होंगे या एक निश्चित इन्कम वालों को मकान देने होंगे।

आज स्लम डवैलर्स की भी प्राबलम है। केन्द्र सरकार को यह भी देखना होगा। सोशल एजुकेशन देनी

होगी। इससे अनऑथोराइज्ड मोहल्ले नहीं बनेंगे। इन मोहल्लों को बनाने में सरकारी अधिकारियों का हाथ होता है। ऐसे मकान तोड़ने का हर स्टेट में अभियान चलता है। मिनिस्टर सीना चौड़ा करके भाषण देकर, फोटो छपवा कर अखबारों के माध्यम से बयान देते हैं कि हमारा बुलडोजर घूम रहा है, हम बड़े स्ट्रौंग आदमी हैं, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। जो अधिकारी पैसा लेकर उन पर मकान बनवा देते हैं, उनको पीनालाइज किया जाना चाहिए। जिन के सहयोग से इस प्रकार के मकान बनते हैं, वे गरीब आदमियों को लूटते हैं। नैशनल हाउसिंग पॉलिसी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक स्लम इम्प्रूवमैंट की बात आप नहीं सोचेंगे। स्लम कंडिशन को इम्प्रूव करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि पहले सारे स्लम के मुहल्लों पर बुलडोजर चला दिये जायें और फिर उस पर नये मकान बना दिये जायें। इसके लिए उनका विकास कर उन मकानों में सीवर की व्यवस्था की जाये, पेय जल की व्यवस्था की जाए और दूसरी प्रकार की नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। इस प्रकार के सुधार किये जायेंगे तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। यह सही है कि रसोई में कुछ बर्तन चमकीले होते हैं, कुछ काले भी होते हैं और उनमें तवा और कड़ाई भी होते हैं लेकिन वे हेय नहीं होते हैं। इसलिये स्लम कॉलोनियों में बेसिक सुविधाएं प्रदान की जायें। अभी तक सरकार की सोच इस प्रकार की रही है कि स्लम इम्प्रूवमैंट के नाम पर पहले उसको ढाह दो, फिर नये मकान बनाओ। ... **(व्यवधान)** आगरा में ऐसा हुआ है। ऐसे में मजबूर होकर मुझे इसका विरोध भी करना पड़ा। सौन्दर्याकरण के नाम पर मकान तोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर मकान तोड़े जायें तो उन बेदखल हुए लोगों को मकान उपलब्ध कराये जायें। सौन्दर्य बनाने के लिए मकानों को न तोड़ जाये। यह देखा जाये कि जितने भी मकान अवैध कालोनियों में बनते हैं, उनको किस प्रकार एडजस्ट किया जा सकता है। अवैध कालोनियों व बस्तियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए।

झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिये सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिन के माध्यम से उनको सामाजिक न्याय भी मिल सके और लोगों की जमीनों पर जो अनावश्यक कब्जा हो जाता है और परेशानी खड़ी हो जाती है, वह न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नक्शे पास करने के जो नियम बना रखे हैं वे बड़े कड़े हैं। आज आम आदमी यह सोचता है कि नक्शे पास कराने के लिये चक्कर लगायेंगे तो बहुत समय खराब होगा और रिश्वत दिये बिना नक्शे पास नहीं होंगे, इसलिए सुविधा शुल्क देकर नक्शा पास करा लिया जाये। आप इसके लिये सिम्पल प्रोसिजर बनायें। 40 साल पहले लोकल बॉडी जो नक्शे पास करती थी, उनमें केवल लकीरें होती थीं और एक डायग्राम सा होता था, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद धीरे-धीरे इंजीनियर्स का प्रकोप बढ़ा, उसमें टैक्नीकलटीज़ बढ़ती गईं और आज तो टैक्नीकलटीज़ इस प्रकार की बन गईं कि जितनी मकान की कास्ट आती है, उससे कुछ की कम पैसा इंजीनियर, आर्कीटेक्ट, एडवाइजर, ब्यूटीफिकेशन करने वाले, सब को देना पड़ता है। जो एफोर्ड कर सकते हैं, वह जरूर करें लेकिन उसके साथ इस तरह का सिम्प्लीफाई प्रोसीजर हो, हर शहर के अन्दर कुछ एप्रूव्ड नक्शे हों, सरकार की ओर से बन जायें कि 50 गज, 100 गज या 200 गज के प्लाट में इस प्रकार का मकान बनाना चाहते हैं तो उन एप्रूव्ड नक्शों के अनुसार बिना नक्शा पास कराये मकान बना सकते हैं, इसमें सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी। केवल उसकी फीस जमा करानी होगी।

इसके साथ अन्तिम बात यह और भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की मुझे विशेष रुप से जानकारी है कि वहां बड़ा भारी कण्ट्राडिकशन पालिसी के अन्दर है। वहां 100 गज, 120 गज की न्यूनतम सीमा दी हुई है, वह कहते हैं कि उससे कम में हम नक्शा पास नहीं करेंगे जबकि वहां की डवलपमेंट अथॉरिटीज़ 45 वर्ग गज में मकान बना देती है। जब वह गरीब यह कहता है कि अब इसके ऊपर मैं एक कमरा और बना लूं तो उसको वह परमीशन नहीं देते। इससे बड़ा बेसिक कण्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता कि सरकारी मकान तो उस कानून में बन जाये और सरकार बनाने के बाद बेच दे तो ऊपर की मंजिल के लिए वह कानून उसमें बाधा बन जाये। इस तरह के कण्ट्राडिक्ट्री कानून के बारे में भी समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा करने के बाद इसे ठीक किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, यह जो पालिसी हमारे सामने है, इसको हमारी मंत्री, शीला कौल जी ने यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिन्दुस्तान में एक नारा गूंजता था, ''मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान।'' 1947 के बाद जिस तरह से शहरों में मकान बनाये गये हैं, वह सारे बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने बनाये हैं। शहरों में बड़ी-बड़ी जगह पूंजीपतियों ने हथिया ली और सरकार भी इसको देखती रही। आज जब हम किसी शहर में या उसके किसी हिस्से में जाते हैं, वह चाहे कनाट प्लेस हो, शिमला का माल रोड हो या बम्बई, कलकत्त जैसे शहर हों, वहां किसी गरीब, हरिजन और आदिवासी को कोई जगह नहीं दी गई है। यह बात यहीं खत्म नहीं होती है बल्कि जब हम गांवों में जाते हैं तो गांवों में भी इन्दिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना के तहत बहुत सा पैसा गांव के विकास के लिए दिया जाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें 12,000 रुपये एक प्लाट पर मकान बनाने के लिए इन्दिरा आवास योजना में दिया जाता है और एक विकास खण्ड में 8-9 घर बनाये जाते हैं। वहां की आबादी के हिसाब से जो मकान के जरूरतमंद लोग हैं, वह अभी तक मकान से महरूम हैं। जैसा मुरली देवड़ा जी ने कहा था कि यहां पर करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं।

मैं उस बिरादरी से, उस कैटेगरी से आता हूं, जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति कहा जाता है। मैं जब गांवों के दौरे पर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी बहुत बुरी दशा है। जो आदिवासी बगैर मकान के जंगलों में रहते थे, उनके वह जंगल डिस्ट्राय हो गये और उन्हें उनमें भी रहने का अधिकार नहीं रहा।

जहां तक इस देश की आर्थिक स्थिति का हाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें हमारी सरकार तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि आप शहरी मिल्कियत को खुद अपनी प्रापर्टी में नहीं लेंगे। सरकार को चाहिए कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि वहां जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं या जागीरदार हैं, वह वहां पर बहुत सी जमीन खरीद लेते हैं और उस पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें तामीर करते हैं और उनको किराये पर दे देते हैं और इस तरह से वह लाभान्वित होते हैं। वहां किसी गरीब को एक गज जमीन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जमीन के दाम वहां बहुत बढ़ गये हैं। हैरान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से इन गरीब लोगों को मकान दे पायेंगे। जहां तक गरीबों का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। आज सुबह ही एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि हमने जमीनें दी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि असल में गरीब लोगों को जमीनें नहीं मिली हैं

और न ही वे मकान बना पाए हैं। हजारों केसेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, जहां पर समय की कोई सीमा नहीं है कि इतने दिनों के अन्दर केस फाइनल हो जायेंगे और हम गरीब लोगों को मकान दे पायेंगे। आज गांवों में एक तरह से आग सी लग रही है। गरीब आदमी चाहता है कि उसको मकान मिले और जमीन मिले। जो हिन्दुस्तान का वासी है, हिन्दुस्तान का रहने वाला है, उसको अधिकार नहीं है कि वह अपने लिए मकान बना सके। इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम लोग संसद में चुनकर आए हैं, हमको सोचना चाहिए कि राष्ट्र किस तरफ जा रहा है और राष्ट्र के ऐसे कौन से लोग हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो राष्ट्र का करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स खा जाते हैं और दूसरी तरफ जिनकी आमदनी निश्चित है, तनख्वाह लेते हैं, उनसे वास्तव में टैक्स का पैसा आता है। ऐसे लोग जो टैक्स का पैसा नहीं देते हैं, नम्बर-दो का काम करते हैं, वे इस देश को गरीब बना रहे हैं और देश को निर्धनता की ओर ले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि वह देखे कि ये लोग टैक्स दें और इन पैसों को लेकर सरकार मकान बनाए। यह भी होता है कि करोड़ों रुपया टैक्स का बकाया है और लोग ट्रिब्युनल में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाते हैं और मामला लटक जाता है।

मैं दो-चार शब्द और कहना चाहता हूं। मंत्राणी जी आपको बहुत अच्छा महकमा मिला हुआ है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो बेमकान रह रही हैं, इनको भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। अभी मेरे साथ यहां पंजाब के मंत्री, श्री उमराव सिंह जी बैठे हुए थे, वे कह रहे थे कि हम एम०पी० हैं, लेकिन हमारे पास कोई मकान नहीं है। इनका उस वक्त का राज अच्छा था, इन्होंने अपने आदमियों को मकान दे दिया। हमारी सरकार ने हम लोगों को कोई सोसायटी भी नहीं बनाने दी और बहुत से ऐसे एम०पी० हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं। एमपीज के पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, जो यह कहते हैं कि वैस्टर्न कोर्ट में जगह दिलवा दीजिए कुछ दिनों के लिए और जब वे छोड़ कर जाते हैं तो किराया हमको देना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्युरोक्रेट्स फायदा उठाते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके घरों को जाकर देखें, सफाई करने वाला तक नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी मोनिटरिंग करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने हरिजन-आदिवासियों के लिए करोड़ों रुपया दिया है, जिनके पास मकान नहीं हैं, उनको आपको सुविधा देनी चाहिए। आप दिल्ली के रेवले स्टेशन पर जा कर देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए आपको मकान बनाना चाहिए। सराकर को चाहिए कि वह इस तरह का कानून बनाए, जिससे गरीब आदमी को फायदा हो। एक कानून यह भी होना चाहिए कि गरीब आदमी को मकान मिलने के बाद वह उसको बेच नहीं सके। होता यह है कि मकान तो मिल गया लेकिन बीच में लोग खरीद लेते हैं। यदि ऐसा हो, तो उस आदमी को पनिश किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा, तब ही जाकर गरीबी खत्म होगी। तो इस तरह से इस पर पाबंदी होनी चाहिए और इसके लिए सख्ती से काम होना चाहिये। आज यह भी देखने में आया है कि सरकार के जो आवास बोर्ड हैं, जैसे अभी हमारे भाई रावत जी और दूसरे लोगों ने भी कहा कि आवास बोर्ड भी अब जैसे बड़े-बड़े भूपति जमीन खरीदते हैं इसी तरह से आज ये किसानों की जमीन को करने लगे हैं। गांवों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यह पता ही नहीं है कि कहां से क्या होना है। यहां हरियाणा के बहुत लोग हैं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का इलाका लगता है जो बड़े-बड़े लोगों को पैसा देकर छोटे गरीब लोगों से जमीन खरीद लेते हैं, वहां बड़े-बड़े मकान बना करके उनको

बेच देते हैं और करोड़ों रुपए में उनकी वह बैलेंसशीट चली जाती है। आज 115 रुपए का सीमेंट का कट्टा हो गया है और ईंट का रेट चार गुना हो गया है, इस तरह से जो गरीब आदमी है वह अपना मकान पक्का नहीं बना सकता। उसके लिए तो है मेटीरियल ढूंढो और वहीं मकान खड़ा कर दो।

महोदय, अब मैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में अभी जब वर्षा हुई तो वहां जितने कच्चे मकान थे वे सब ढह गये। वहां हजारों मकान गिर गए हैं। कल मेरे क्षेत्र सोलन में, कुल्लू में, धूमाल जी के ऐरिया में वे सब मकान आते हैं, सारे के सारे मकान खत्म हो गए। इस तरह से मकान खत्म हो गए कि आदमी भी नहीं बचे। उस समय हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट गए हुए थे उनकी गाड़ियां भी बह गईं और उनमें से कई आदमी मर गए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में मकानों की बहुत भारी समस्या है। आपको राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करना चाहिए। अगर किसी के पास नम्बर दो का पैसा है उसको यदि खुली छूट दी जाए, इनकम टैक्स से छूट हो तो अपने मकान बनाते जाओ और फिर बाद में उसको नेशनलाइज़ कर दो। ऐसे लोगों से यदि आप पैसा इकट्ठा करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमको भी कुछ अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि इस समाज को हमने उठाना है, गरीब लोगों को उठाना है और यह जिम्मेवादी हम सब के ऊपर आती है कि हम सब इसको समझें और इनको उठाने के लिये प्रयत्न करें। अगर हम सब मिल कर इसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो वक्त हाथ से चला जाएगा, फिर न कोई एम०पी० बचेगा, न एम०एल०ए० बचेगा और न ही कोई प्रधान बचेगा।

महोदय, मेरा कहना यह है कि आप कानून कोई भी बनाते रहो लेकिन जब तक उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश को अगर हमें आगे ले जाने की कोशिश करनी है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे कि जो हमारे लोग हैं उनको मकान मिलें, खाने के लिए रोटी मिले। जो बेबस आदिवासी लोग हैं उनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, मकान बनाने वाले ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। वे उनको रात के 12-12 बजे तक मकान बनाने के लिए रखते हैं और जब मकान बन जाता है तो उनको कहते हैं कि आप बाहर जाओ। आप आदिवासी, हरिजन हैं, आप बाहर जाओ क्योंकि उससे फिर घृणा हो जाती है। मैं यहां आदर से कहना चाहता हूं कि ये बातें हमको राष्ट्र में नहीं फैलानी चाहिए। हमको चाहिए कि हम लोग गरीबों की तरफ जाएं और उनको ऊपर उठाएं तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह पॉलिसी बहुत अच्छी है जो आप यहां लाए हैं लेकिन मैं यहां यह अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आप गरीब आदमी को, उनमें चाहे हरिजन हों या आदिवासी हों, चाहे किसी भी कास्ट का हो इन सबके लिए 12 हजार रुपए का क्राइटेरिया खत्म होना चाहिए। उसका कम से कम मकान तो बन जाए। ये जो मकान के लिए पैसा गांवो में देते हैं, गांवो में आप देखते हैं कि जो नक्शा बनाते हैं वे इस तरह से बनाते हैं कि उनका पैसा खा जाते हैं। अब एक बात मैं और आपके सामने केंटोनमेंट की कहना चाहूंगा। इसकी बड़ी कठिनाई है। हमारी आजादी के बाद हमारे केंटोनमेंट हैं छावनियां, मेरे हल्के में भी चार छावनियां हैं। मेरे यहां पर चार छावनियां हैं, लेकिन वहां पर अंग्रेजों के जमाने का 1924 का एक्ट लागू है। यदि कोई मकान गिर जाए तो बिना केंटोनमेंट की अनुमति के वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि

जहां-जहां पर भी छावनियां हैं, वहां पर जो आम जनता रहती है, उनको मकान आदि बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आज यदि कोई मकान गिरता है तो केंटोनमेंट की अनुमति मिलने में महीनों, सालों लग जाते हैं, जिससे वहां के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शहर की खूबसूरती का भी ध्यान रखना चाहिए और लोगों की समस्या का भी समाधान करना चाहिए। मेरा तो यह कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में छोटे-मोटे उद्योग लगाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

इसी तरह से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो रेलवे की सरप्लस भूमि है, जो आज हजारों एकड़ बेकार पड़ी हुई है, हमारे यहां पोंग डैम के पास भी रेलवे की बहुत जमीन सरप्लस पड़ी हुई है, जहां-जहां भी इस तरह की जमीन उपलब्ध है, इसको गरीबों को मकान बनाने के लिए अलाट करना चाहिए।

आशा है सरकार मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करेगी। इन शब्दों के साथ में हाउसिंग पालिसी का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा एक अनुरोध है। कुल 33 सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है और हमारे पास केवल तीन घंटे का समय है। अतः माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपना भाषण दस मिनट के भीतर तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा हो रही है। भोजन और कपड़े के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आवास है, लेकिन आज देश के अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। यह समस्या दो प्रकार की है, शहरी आवास समस्या और ग्रामीण आवास समस्या। यदि दुनिया के सब लोगों के रहने के लिए ईंटों के पक्के मकान बना दिए जाएं तो एक विश्लेषण के मुताबिक जितनी टॉप सायल है, जिस पर अनाज पैदा किया जाता है, सारी समाप्त हो जाएगी।

आज आधुनिक जगत में जहां कच्चे मकानों का स्थान पक्के मकान ले रहे हैं वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी एक खास स्थिति पैदा होने वाली है। जब भी कोई आवास नीति बने तो इस पक्ष का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आज लोग देखादेखी पक्के मकान बनाने लगे हैं, गांवों में भी पक्के मकान बनने लग गए हैं, जहां पर बिजली की सुविधा नहीं होती। हमें अच्छी तरह याद है कि गांवों में लोग गर्मियों के दिनों में भी कच्चे मकानों में रह लेते थे, लेकिन आज पक्के मकानों में उनका रहना मुश्किल हो रहा है, खासकर महिलाओं को, जिनको कि घर के अंदर जीवन गुजारना होता है, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है।

सभापति महोदय, बिल्डिंग मेटीरियल पर भी शोध करने की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में कौन सा बिल्डिंग मेटीरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा मेटीरियल ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भी मेटीरियल का ध्यान रखा जाना चाहिए और मकानों के नाम पर जो टॉप सायल नष्ट होती जा रही है, उसको रोकने का भी उपाय किया जाना चाहिए।

शहरों में मकान बनाने की समस्या अलग किस्म की है। अभी मुरली देवड़ा जी बता रहे थे कि बंबई में

किस तरह से डेढ़ घंटा चल कर लोग काम पर जाते हैं, जबकि वहां पर जमीन है और मकान बनाए जा सकते हैं। दिल्ली शहन में जहां हम नई दिल्ली में रहते हैं, यहां एक-एक बंगला कितनी जमीन अनावश्यक रुप से अपने में समेटे हुए है। इसको हमने अपनी आंखों से देखा है। एक-एक बंगले ने 6-6, 10-10 एकड़ जमीन घेरी हुई है और दूसरी तरफ लोगों को रहने के लिए घर नहीं हैं। इसीलिए झोपड़ियां बनती चली जा रही हैं, स्लम बनते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े-बड़े बंगले पड़े हुए हैं। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर सरकार सचमुच सभी को आवास देना चाहती है तो कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो मंत्री हैं, सांसद हैं या अधिकारी हैं, इनकी केटेगरी बनी हुई है कि किस को कैसा मकान मिलेगा। किसी को टाइप फाइव मिलेगा तो किसी को टाइप नाइन मिलेगा। पद के हिसाब से चाहे मंत्री हो, सांसद हो या अधिकारी हो इनको बड़े-बड़े बंगले मिलते हैं। आप अकबर रोड पर या अन्य किसी जगह पर देखें कि जो बंगले बने हुए हैं कितनी जगह घेरे हुए हैं। इन चार-पांच मकानों को तोड़कर वहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। सभी मंत्री उसमें रह सकते हैं, सांसद भी एक ही जगह रह सकते हैं। इससे सिक्योरिटी पर जो इतना पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि आज एक फैशन सा चल पड़ा है कि जितंनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी किसी मकान के सामने तो वह उतना ही बड़ा आदमी होगा। ठीक है किसी को वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है तो उसे दी जाये। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सब लोग इकट्ठे रह सकते हैं और इससे लाइट्स, नियोन लाइट्स पर और जो सिक्योरिटी पर खर्च आता है वह कम होगा। वैसे भी हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। इससे बिजली की भी बचत होगी।

कुछ दिन हुए मैं बम्बई में अपने दल के एक साथी से मिलने गया था। वह बता रहे थे कि उन्होंने यह फ्लैट आज से 20 साल पहले 80,000 रुपये में खरीदा था और आज इसके उनको 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के लिए, नौकरी-पेशा व्यक्ति के लिए अगर वह मकान खरीदना चाहे तो कितना मुश्किल है। अब वह फुटपाथ पर तो रह नहीं सकता। आप बम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों की बात तो छोड़ दें, कस्बों की और राज्यों की राजधानियों की बात को ही ले लें। हमारे राज्य की राजधानी पटना में ही आप देख लें। उसमें आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि एक-एक मकान की कीमत बीस से पच्चीस लाख रुपये तक है। आपको पचास लाख रुपये का भी मकान मिल जाएगा। मैं शीला कौल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह वहां जाएं तो देखेंगी कि उनकी गाड़ी नहीं जा सकती जहां बीस से पच्चीस लाख रुपये तक के मकान हैं। मुझे एक बार वहां ऐसी ही जगह जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि ट्यूब लाइट लगी हुई है, स्विच भी लगा हुआ है। मैंने कहा कि बहुत गर्मी है जरा पंखा तो चलाओ, इस पर घर के लोगों ने जवाब दिया कि लाइन नहीं है। गली में दो मकानों के बीच में पोल कैसे गाड़ा जाये इसकी भी लोगों ने नहीं सोची और जगह नहीं छोड़ी, मतलब यह है कि इतना भी रास्ता नहीं छोड़ गया।

सरकार को इसका रास्ता निकालना चाहिए और वह शहरों में नियोजित रूप से मकान बनाये। सरकार को मकान बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम दिल्ली में डी०डी०ए० का हाल देख चुके हैं कि यह कैसे मकान बनाती है, यह हमें मालूम है। कुल लागत का ये लोग कम से कम 75 प्रतिशत भी नहीं लगाते हैं। क्वालिटी नाम की कोई चीज इनके मकानों में नहीं है। ऐसी ही हालत अन्य जगहों पर हाउसिंग बोर्ड्स की है। जबकि आज के

युग में जो कि कम्पीटीशन का युग है, अच्छे मकान होने चाहिए। लेकिन इन संस्थाओं का सरकारीकरण कर दिये जाने के कारण डी०डी०ए० या हाउसिंग बोर्ड ही मकान बनाये, यह हमारा सुझाव नहीं है। सरकार मकान बनाये, यह नियोजित कर दे कि इस जगह पर इतने मकान बनने हैं और इतनी जगह सड़क आदि के लिए छोड़नी अनिवार्य है। जो भी मकान बनाकर देना चाहे, वह दे। अगर कोई प्राइवेट बिल्डर मकान बनाना चाहता है तो उसके लिए यह शर्त लगा दी जाये कि आप जो मकान बनाना चाहते हैं तो आपको निम्न आय वालों के लिए भी इतने प्रतिशत मकान बनाने पड़ेंगे। लेकिन नेशनल हाउसिंग पालिसी में इसका कोई जिक्र नहीं है। गफूर साहब यहां पर बैठे हुए हैं जो पहले अरबन डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रह चुक हैं। उनका कहना है कि जिनके पास नम्बर दो का पैसा है, वह रीयल एस्टेट में लगाते हैं लेकिन इस प्रकार से छूट हो जाये जोकि सच्चाई है तो उस सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए कि इनको मकान बनाने में छूट दे दी जाए ? जब मकान बनकर तैयार हो जाये तो किस प्रकार से मकान बनें, किस कैटेगरी के लोग कितने मकान बनायें, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे। उस आधार पर जो जितने मकान बनाना चाहता है, बनाये। उसके लिये कोई राशि निर्धारित की जानी चाहिये और उसकी कोई नीति होनी चाहिए। यह रेगुलेशन बना दो कि जब वह मकान बेचे तो उसके मकान पर कोई न कोई टैक्स लगना चाहिए ताकि सरकारी खजाने में पैसा आये।

दूसरी बात यह है कि अरबन डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री ने एन०बी०ओ० नाम की एक संस्था बना रखी थी जो बहुत अच्छा कमा कर रही थी। इसका काम यह था कि किस प्रकार के मकान बनने चाहिए, उनका क्या डिज़ाइन होना चाहिये और उसमें किस प्रकार का बिल्डिंग मैटिरियल होना चाहिए। मेरी जानकारी में उस संस्था को कई पुरस्कार भी मिले हैं। उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही थी लेकिन पता नहीं श्रीमती शीला कौल को क्या लगा कि इस एन०बी०ओ० को किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गयी। जो सरकार नौकरियों में लगे हुए और खासकर बड़े अधिकारी हैं, उनको खुश करने के लिये एक नयी संस्था का गठन कर दिया गया। अब नेशनल हाउसिंग पॉलिसी में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। एन०बी०ओ० की चर्चा अवश्य की गयी है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय इन बातों का जवाब दें तो यह बतायें कि एन०बी०ओ० का रोल क्या रहा है और जब उसका काम काबिले तारीफ रहा है तो उसको संरक्षण दिया जाना चाहिये ताकि इस देश के सामने मकान बनाने की जो चुनौती है, उसका सामना किया जा सके।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि लातूर में कितना बड़ा भूकम्प आया और यहां दिल्ली में भी पिछले 4-5 सालों से छोटे-बड़े 15 झटके मैंने महसूस किये हैं। उस स्थिति में किस प्रकार के मकान बने जो इन झटकों को सह सकें। अब एन०बी०ओ० ने इस सब के बारे में रिसर्च वर्क किया था और उसे हतोत्साहित किया गया और उसे समाप्त करने की कोशिश की गयी। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है कि एक नयी निजी संस्था को सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है ?

सभापति महोदय, अंत में एक बात यह कहकर समाप्त करूंगा कि यदि सरकार देश में रहने वाले लोगों को आवास मुहैया कराना चाहती है तो इस शहर में ही रहने वाले लोगों के लिये इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है जैसे सड़क नहीं

है। उन लोगों के लिये इन्दिरा आवास योजना क तहत मकान बनाकर दिये गये लेकिन आज 5-8 साल के बाद उन मकानों की यह हालत है कि वे रहने लायक नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि इन्दिरा आवास योजना में कुछ फेर-बदल करना जरूरी है और जो लाभान्वित हों, उनको मकान बनाने के लिये पैसा दिया जाना चाहिये। इसका फल यह होगा कि वे गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। अतः इन सब चीजों को सामने रखते हुए कोई राष्ट्रीय आवास नीति बननी चाहिए। निश्चित रुप से इस प्रकार का नियोजन होना चाहिए, इस प्रकार की योजना बननी चाहिए कि कितने दिनों में हम कितने मकान बनायेंगे।

जहां तक इक्वैल्यूएशन का सवाल है, किस सीमा तक जाकर हम हिन्दुस्तान के हर परिवार को आवास दे पायेंगे, उसका निश्चित लक्ष्य सामने रखकर, हर 5 वर्ष के अन्दर आवास के बारे में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये कि हमारा लक्ष्य इतने मकान बनाने का है, जिसमें से सरकार इतने मकान बनायेगी, सरकार द्वारा संरक्षित या मदद में कितने मकान बनाये जायेंगे और कितने प्राईवेट लोगों को प्रोमोट किया जायेगा। इसके अलावा जो और लोग मकान बनायेंगे उन्हें किस प्रकार प्रश्रय दिया जायेगा। आज जिस तरह मिट्टी को पकाकर ईंट बनायी जाती है, उसके स्थान पर कौन से बिल्डिंग मैटीरियल का इस्तेमाल हो क्योंकि पर्यावरण की रक्षा के लिये जो चीजें आवश्यक हैं, लकड़ी और मिट्टी को छोड़कर, मिट्टी को पकाकर ईंट बनाने की विधि के स्थान पर दूसरे बिल्डिंग मैटीरियल कौन से डैवलप किये जा सकते हैं, उसकी लगातार खोज और शोध होती रहना चाहिये ताकि आगे आने वाले दिनों में, बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों को खिलाना भी है, उसके साथ-साथ जमीन की सुरक्षा भी करनी है, पर्यावरण की दृष्टि से हमें जंगलों और पेड़ों को बचाना है, इन सब चीजों को सामने रखकर कोई नया बिल्डिंग मैटीरियल बनाने पर हमें ध्यान देना होगा। यही कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हारबर) : राष्ट्रीय आवास नीति पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है किन्तु इस सभा में इसके लिए बहुत ही कम समय दिया गया है। सम्भवतः अब तक तो बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि पूर्व में 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति तैयार की गई थी और इसे राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, किंतु सम्भवतः इस पर इस सभा में चर्चा नहीं की गई थी। अतः शायद आज पहली बार ही आवास नीति पर चर्चा की जा रही है अब इसमें सरकार की रुचि का इस बात से ही पता चलता है कि ऐसा शायद मेरे विचार से संयुक्त राष्ट्र संघ के उस संकल्प के अनुक्रम में किया गया है जिसे नवम्बर, 1988 में भी पारित किया गया था। अब अगस्त, 1994 में इस नीति को चर्चा हेतु इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 6 वर्ष पहले ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह संकल्प पारित किया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आवास नीति होनी चाहिए। नवम्बर, 1988 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय आवास नीति में इस बात की मांग की गई है कि विभिन्न सरकारों को नीति के लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति बनाने हेतु कदम उठाने चाहिए। अतः सरकार ने इस प्रकार से इस मामले की महत्ता को दर्शाया है।

दूसरा तथ्य यह है कि यह नीति संबंधित मंत्रालय द्वारा शायद दो वर्ष पूर्व तैयार की गई थी। मंत्रालय द्वारा

चर्चा के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया था और चर्चा के दौरान, विशेष रुप से हम विपक्षी सदस्यों द्वारा जिन कमियों की ओर संकेत किया गया था वे कमियां इसमें अभी भी हैं। जिस चर्चा में हमने भाग लिया और जिसमें दो-तीन घंटे के लगभग समय लगा था उसके अनुक्रम में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। इस प्रकार से सरकार पर अन्य लोगों के विचार जानने के मामले में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और वह उसी ढंग से कार्य कर रही है जैसा स्वयं चाहती है। मेरे समझ से तो यह अत्यंत अत्याचारपूर्ण है। महोदय, फिर भी यह नीति दस्तावेज वास्तव में एक अच्छा सांविधिक दस्तावेज है और इसमें अच्छी बातों का समावेश किया गया है कि क्या किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज प्रभावी हो जाएगा और यह भारत, चीन अथवा बर्मा, श्रीलंका अथवा दक्षिण अमेरिका किसी का भी दस्तावेज हो सकता है। कोई भी विकसित देश इसे प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ? इस दस्तावेज में यह बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि उन गरीब लोगों को देने के लिए भारतीय आवास नीति को किस प्रकार से विकसित करके मकान दिए जाएंगे जिनके पास पर्याप्त आवास सुविधा नहीं है ? क्षेत्रों के आधार पर इसमें क्या भिन्नता है ? भारत एक विशाल देश है जिसमें जलवायु संबंधी अनेक भिन्नताएं हैं। इस प्रकार नीति कैसे बनाई जाएगी ? क्या कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश में उसी प्रकार के आवास हो सकते हैं जैसे बंगाल अथवा उड़ीसा में होते हैं ? यह बात संभव नहीं है। किसी ने भी इस बात पर विचार नहीं किया है और मैंने मंत्री जी द्वारा आयोजित की गई उस चर्चा में बार-बार यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर विचार नहीं किया है। आज भी वही स्थिति है और यह सरकार इस बारे में सोच विचार नहीं कर पाई है। उसने कुछ अंश यहां से ग्रहण किए और कुछ वहां से तथा इन सभी को मिलाकर एक नीति तैयार कर दी।

अत: हमें इस नीति पर विचार करना है। यह कोई नीति ही नहीं है। सरकार की सदिच्छा यह है कि वह सभी को आवास उपलब्ध कराएगी। यह बहुत अच्छी बात है। 31 मिलियन आवास एककों के आबंटन का पिछला कार्य अभी शेष है। जिसमें आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक दस मिलियन आवास एककों के आबंटन का लक्ष्य और जुड़ जाएगा। हो सकता है यह लक्ष्य दस मिलियन से अधिक अथवा 20 मिलियन हो जाए। इस प्रकार, लोगों को 51 मिलियन आवास उपलब्ध कराए जाएंगे अथवा लोगों को 51 मिलियन आवास एकक प्राप्त करने के लिए सहायता दी जायेगी। यह संख्या 5 करोड़ से अधिक है और यह कार्य किस प्रकार किया जायेगा, कब तक किया जाएगा, इस संबंध में क्या किया जाएगा, इन सबके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस नीति का कार्यान्वयन कितने समय में करने की योजना है ? क्या हमारी नीति अगली शताब्दी के लिए है अथवा एक दशक के लिए ? भारी अन्तर है। क्या इस नीति से हम उन सभी लोगों को आवास सुविधा प्रदान कर सकेंगे जिन्हें इसके आज अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शुरूआत में आवश्यकता है और इसके साथ ही क्या उन लोगों को आवास सुविधा प्रदान कर सकेंगे जिन्हें आठवीं योजनावधि की समाप्ति के बाद आवास की आवश्यकता पड़ेगी ? यदि केवल इतने ही लोग हैं तो 51 मिलियन आवास एककों की आवश्यकता है। सरकार इन 51 मिलियन आवास एककों को कब तक पूरा कर देगी ? यदि इसमें एक अथवा दो दशक लग जाते हैं, तो दो, तीन अथवा चार योजनावधियां और बीत जायेंगी। अत:, यदि प्रत्येक योजना में आपको 20 मिलियन आवास एककों की और आवश्यकता पड़े तो कुल मिलाकर स्थिति क्या होगी ? यह समझ से बाहर है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

सरकार कहती है कि प्रौद्योगिकी का विकास किया जायेगा। वह प्रौद्योगिकी क्या है ? इसे कहाँ से प्राप्त किया जाएगा ? आज यह कहाँ उपलब्ध है ? क्या हम लोगों को अनुसंधान में लगाकर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रौद्योगिकी का विकास न हो जाए ? क्या वह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है ? यदि वह उपलब्ध है, तो उसे आज ही उपयोग में क्यों नहीं लाया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : इसको प्रयोग में लाया जा रहा है।

श्री अमल दत्त : इसको कहाँ प्रयोग में लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता हुई कि इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। यदि मंत्री जी ऐसा कहती हैं, तो मुझे यह मानकर चलना चाहिए। लेकिन इसे कहाँ पर प्रयुक्त किया जा रहा है ? इसका किस हद तक प्रयोग किया जा रहा है - उस स्थिति में - इसको ज्यादा प्रयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है ? इस प्रौद्योगिकी का स्तर ऊपर उठाने में, इसे लोगों तक पहुंचाने में सरकार की क्या भूमिका होगी और यह कैसे किया जाएगा ? क्या इसे राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायतों के सहयोग से किया जाएगा और फिर वह सम्पर्क सूत्र कैसे स्थापित किया जाएगा ? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आजकल सरकार का ग्राम स्तर की संस्थाओं के साथ तो कोई सम्पर्क ही नहीं है। वास्तव में, अधिकाँश राज्यों में ग्राम स्तर की कोई प्रभावी संस्थाएं ही नहीं हैं।

सरकार ने कुछ ऐसी ही बात कही है कि यह सब राज्यों और कतिपय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से - शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। सरकार ने यही बताया है। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से मंत्रालय प्रभावी रुप में कार्य कर सकते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और रहने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाकर रह सकें। यह नीति विभिन्न मंत्रालयों, ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे-सीधे कार्य करने वाले मंत्रालयों कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई जानी चाहिए। प्रतीत होता है इन मंत्रालयों का इस नीति से कोई संबंध ही नहीं है। इनमें से कोई मंत्रालय भी इससे नहीं जुड़ा है। सरकार कह रही है कि उसका मॉडल ग्रामीण घर 85 वर्ग मीटर का होगा जिसमें से 20 वर्ग मीटर जमीन ख़ाली छोड़ी जायेगी। यह लगभग 850 अथवा 900 वर्ग फीट है।

4.00 म०प०

घर का कुर्सी क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) लगभग 20 वर्ग मीटर अर्थात् लगभग 200 वर्ग फीट होगा। अतः गृह स्वामी के पास लगभग 700 वर्ग फीट अथवा कम क्षेत्र रहता है जो अन्य प्रयोजनों जैसे घूमने-फिरने आदि के लिए होगा। उनके पास कुछ उगाने के लिए कोई भूमि नहीं रहेगी। भारत सरकार ने अनुग्रहपूर्वक हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान नामक एक संस्था स्थापित की है और यदि शहरी विकास मंत्रालय को इस संस्थान की जानकारी है तो उसने इस संस्थान की सिफारिशों का अध्ययन कर लिया होता। उनका कहना है कि उचित पोषण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में एक पोषण वाटिका होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सभी घरों में जड़ी बूटी वाली औषधियों को उगाने के लिए एक छोटा सा भूभाग रखना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यकता है ? उस आवश्यकता को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। मेरे विचार से यह कल्पनाशीलता के नितान्त अभाव और निपट अज्ञानता के कारण है।

यह मेरे लिए बड़ी विचित्र बात है कि आज मैं जो बातें कह रहा हूं उनमें से कई बातों का उल्लेख दो वर्ष पूर्व उस बैठक में किया गया था और सरकार ने उन बातों की परवाह ही नहीं की। यदि सरकार अधिक जानकारी चाहती थी, तो मैं निश्चित रुप से यह प्रदान कर देता। लेकिन इस संबंध में सुधार हेतु कुछ भी नहीं किया गया है। समय सीमा क्या रखी गई है ? सरकार कह रही है कि ग्रामीण आवास-व्यवस्था के लिए अपेक्षित समस्त संसाधनों का 20 प्रतिशत संस्थागत वित्त से प्राप्त किया जायेगा। 20 प्रतिशत कितना होता है ? सरकार इस हेतु कुल कितना आबंटन करेगी और उस आबंटन राशि का 20 प्रतिशत कितनी राशि होती है ? जिन दो या तीन आंकड़ों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्हें छोड़कर कोई आंकड़े अथवा रुपरेखा नहीं बनाई गई है। कोई आंकड़े नहीं हैं और कोई ऐसी परिकल्पना भी नहीं है कि हम सभी देशवासियों को कब तक आवास उपलब्ध करा देंगे, देश में प्रत्येक व्यक्ति को आवास दे देंगे और यदि सभी व्यक्तियों को भी नहीं, तो कम से कम 90 प्रतिशत लोगों को ही कब तक आवास सुविधा उपलब्ध करा देंगे। यह हम कब सुनिश्चित करेंगे ? इस नीति को अपनाकर हम किस शताब्दी में उस स्थिति में पहुँचेंगे? हमारी रुचि तो इसी बात में है । हमें इन नीरस बातों, इन सभी तालिकाओं अथवा अच्छे इरादों से कोई लेना-देना नहीं है। क्या किया जा सकता है, अथवा किया जाना चाहिए, ये सब बातें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित विभिन्न दस्तावेजों में मिल जायेंगी। सरकार ने ये सभी बातें वहाँ से लेकर यहाँ रख दी हैं। इसमें कोई भारतीयता, स्वदेशी विचार, कोई रुपरेखा अथवा कल्पनाशीलता नहीं है।

4.02 म०प०

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं)

सरकार कैसे राष्ट्रीय आवास बोर्ड को वित्त उपलब्ध कराने जा रही है ? उस संस्था के पास इतना अधिक पैसा उपलब्ध है, कि यह उसका उपयोग नहीं कर पाई अथवा उसने उसका उपयोग नहीं किया और उस पैसे का काफी अंश उसने ऋण के रुप में देकर घोटाले में योगदान दिया। मेरे विचार से राष्ट्रीय आवास बोर्ड से 300 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न माध्यमों के द्वारा शेयर बाजार में लगाई गई। अब यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि जिस देश में आवास की कमी मानी जाती है और यह कमी भी दीर्घावधि की है वहाँ सरकार ने आवास वित्तपोषण के लिए एक ऐसी संस्था बनाई है जिसके पास धनराशि है लेकिन वह आवास निर्माण के लिए उसका उपयोग नहीं करती। यह संस्था अन्य प्रयोजनों, सट्टेबाजी आदि के लिए इस निधि का उपयोग करती है। यदि हमारी सरकार इस प्रकार की है, तो कोई नीति बनाने की आवश्यकता ही क्या है ? चाहे जो नीति अपनायी जाये, उसका उपयोग विभिन्न संदिग्ध उद्देश्यों, व्यक्तिगत फायदों आदि के लिए सरकारी राजकोष से धन निकालने के उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह नीतिगत दस्तावेज कोई नीतिगत दस्तावेज है ही नहीं। यह तो इस बात का विवरण भर है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या करना आवश्यक है और क्या किया जाना चाहिए था जैसाकि अन्य लोगों ने सुझाव दिया है। इन सभी बातों को मिलाकर सरकारी नीति बना दी गई है।

किन्हीं बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या हम निर्धनतम व्यक्ति, सबसे कम आय वाले लोगों के लिए ही सरकारी संसाधनों का उपयोग करेंगे ? तब आपके कहने का अर्थ यह है कि ठीक है आप मध्य वर्गीय

और सम्पन्न लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे और उन्हें स्वयं ही अपने हितों की देखभाल करनी चाहिए। आपका कहना यह है कि ये इस तरह की संस्थाएँ हैं कि इनके लिए आप बाधा नहीं बनेंगे और उन्हें ऐसी संस्थाएँ बनाने की अनुमति देंगे।

आज यह सरकार कह रही है कि वह यह नीति बना रही है, उसने दिल्ली में काफी समय से निजी आवास व्यवस्था पर रोक लगा दी है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में केवल दो तरह के आवास होते हैं। एक तो सहकारी समितियों द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरी तरह के दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा। मेरे विचार से यह सहकारी समितियां 1977 अथवा 1978 तक पंजीकृत हुई थीं और उसके बाद पाँच वर्ष तक कोई भी पंजीकरण नहीं हुआ। तत्पश्चात्, थोड़े से समय अर्थात् एक वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण हुए थे। अभी तक 1978 में सहकारी समितियों के रुप में पंजीकृत हुई सभी समितियों को भूमि नहीं मिली है। इसके पाँच वर्ष पश्चात् 1983-84 में पंजीकृत हुई समितियों में से केवल कुछ समितियों को ही भवन निर्माण हेतु भूमि मिली है। इसलिये लोगों को भूमि प्राप्त करने हेतु सहकारी समितियों के गठन के बाद भी दस-पन्द्रह वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यह सरकार की आवास नीति है। नीति यह है कि केवल सहकारी समितियों को ही भूमि मिलेगी परन्तु इसके बाद आप भूमि को अनुपलभ्य बना देते हैं, उन्हें भूमि नहीं खरीदने देते, किसी को भी भूमि नहीं खरीदने दी जाती और लोग सहकारी समितियों के पंजीकरण के पश्चात् पन्द्रह-पन्द्रह वर्षों तक प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। यह एक पहलू है।

अन्य पहलू डी०डी०ए० है। डी०डी०ए० ने लोगों के स्व-वित्त पोषित आवासों के लिये धनराशि ली है यहाँ तक कि जिन लोगों ने पन्द्रह वर्ष अथवा बारह वर्ष पूर्व भुगतान किया था उन्हें अभी तक मकान नहीं मिले हैं। वे प्रत्येक चीज पर नियंत्रण और पकड़ इसी प्रकार रखना चाहते हैं। यही कारण है कि आवास संबंधी क्षेत्र अवरुद्ध हो गया है। मकानों और जमीन-जायदाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार की नीति आवासीय भूमि तथा मकान देने पर रोक लगाने की रही है। परन्तु वही सरकार अब तक सदिच्छा प्रकट करने वाले और सुन्दर पदावली युक्त प्रलेख में कह रही है कि वह भूमि आबंटन में वृद्धि करने की इच्छुक है। यह सदिच्छा पहले घर में ही क्यों नहीं दिखायी जाती ? केन्द्रीय सरकार का घर दिल्ली है, और यहाँ क्या हो रहा है ? मुझे पता चला है कि शहरी विकास मंत्रालय ने एक वर्ष से भी पूर्व एक नीतिगत दस्तावेज तैयार किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में आवास के प्रयोजनार्थ और अधिक भूमि उपलब्ध की जायेगी। वह नीतिगत प्रलेख या तो मंत्रालय में अथवा कहीं और - प्रधान मंत्री कार्यालय में अथवा केबिनेट के पास - पड़ा है। वह बाहर नहीं आया है। इसे स्वीकृति नहीं दी गई है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कई ओर से यह दबाव पड़ा था कि लोग आवासीय भूमि अथवा फ्लैटों के लिये दस से पन्द्रह वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। तो, कहीं से कोई दबाव पड़ा था और कोई प्रलेख तैयार किया गया था। अतः इस नीतिगत प्रलेख से कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक बात तो यह है कि यह कोई नीति है ही नहीं। इसमें कोई फोकस नहीं है। यदि सरकार बेघर लोगों को घर देना चाहती है तो उसे कहना चाहिये कि इस हेतु वह कुछ करेगी और सब कुछ करेगी; इस हेतु वह जो भी संसाधन जुटा सकते हैं उन्हें वह बेघर लोगों को घर देने में लगाएगी, और जहाँ तक अन्य लोगों का संबंध है, अन्य लोग अपनी चिन्ता स्वयं करें। गाँवों की आवासीय और भूमि संबंधी आवश्यकता

क्या है, यह जानने के लिये उन्हें कृषि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। अब ऐसा नहीं रहा कि केवल मकान दीजिये और बस। वह अवधारणा अब समाप्त हो चुकी है। अब नयी अवधारणाएं आ गयी हैं - पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकता कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक घर के लिये प्रत्येक व्यक्ति को एक तिहाई एकड़ भूमि देने के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। यदि डेढ़ करोड़ घर बनाये जायें और यह मान कर चला जाये कि वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो इसका अर्थ होगा कि इस कार्य के लिए लगभग 16 मिलियन एकड़ अर्थात् सात या आठ मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। परन्तु इतनी भूमि को इस कार्य हेतु देना समुचित ही है क्योंकि यदि हम अपनी कृषि का केवल 10 प्रतिशत ही उन्नयन कर लें - और आज यह संभव है - और यदि हम इतनी कृषि योग्य भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित कर सकें तो हम कृषि उत्पादन में कमी की भरपाई कर सकते हैं। और फिर आवास हेतु दी जाने वाली सारी भूमि कृषि के अयोग्य नहीं हो जायेगी क्योंकि जो सुझाव मैं दे रहा हूं, वही प्रस्ताव राष्ट्रीय सुपोषण संस्थान का भी है और वह यह है कि वे वहाँ अपने खाद्यान्न अभी से उगाना शुरु कर देंगे। तब घरेलू ऊर्जा से ही अपने लिये अन्न उगाये जा सकेंगे और इससे उन्हें वह पोषक आहार प्राप्त होगा जो उन्हें गाँवों से नहीं मिलता।

महोदया, आपको एक बात जान कर आश्चर्य होगा। अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मैं गाँवों में जाता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सात भागों में से छह भाग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। शहर में हमें जो सब्जियां मिलती हैं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक खराब किस्म की सब्जियां उन्हें प्राप्त होती हैं। गाँवों में उगायी गयी सभी सब्जियों की खपत अथवा विक्रय उन्हीं गाँवों में नहीं होता है। सबसे पहले तो उन्हें शहरों के व्यापारी खरीदते हैं। वे उन्हें शहरों के बाजार में ले जाते हैं। वहाँ से ये सब्जियां फिर वापस लायी जाती हैं। जब तक वे वापस आती हें तब तक उनके सारे मूल्यवान गुण नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों की दृष्टि से ताजा सब्जी सात दिन पुरानी अथवा कुछ मामलों में तीन दिन अथवा दो ही दिन पुरानी सब्जी की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम होती है। ग्रामीण या उनके पड़ोसी जो फल पैदा करते हैं, उसके घटिया किस्म के फल उनके पास बच जाते हैं। यदि वे पैदा करते हैं तो वे ही खा सकते हैं। यदि उनके पड़ोसी पैदा करते हैं तो वे फल नहीं खा सकते। वह फल पहले शहर के बाजार में जाएगा और इसके बाद उनके पास आएगा। यही हो रहा है।

मैं केवल एक ही उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं।

क्या उन्होंने भवन निर्माण वाली संस्थाओं के लोगों से इस बात के संबंध में परामर्श किया है कि भवनों का स्तर कैसे ऊंचा किया जाए या उन्हें क्या बताया जाए ? यदि ग्रामीणों से अपने घर बनाना सिखा दिया जाए, तो घर बनाना कठिन नहीं है। अपने घरों में गाँव वाले क्या करेंगे ? उनमें कुछ लोग विशेषज्ञता प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोग अधिक विशेषज्ञता प्राप्त हो सकते हैं। यदि सरकार केवल भवन निर्माण सामग्री ही नहीं बल्कि कुछ मुख्य भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दे, तो इससे काफी सुविधा मिलेगी। मैंने यह बात बैठक में भी कही थी। आप पूरा घर उपलब्ध कराने का भी प्रयास न करें। उसकी आवश्यकता नहीं भवन निर्माण के लिए श्रम घटक तो ग्रामीणों से ही मिल जाएगी यह कार्य वे स्वयं काम करें। आप केवल गृह निर्माण की मूल बातें उन्हें बता दें जिन्हें वे स्वयं समझ लेंगे। आप उन्हें केवल मुख्य भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दें। यदि आप उन्हें बाँस या निर्माण सामग्री के रुप में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के पेड़ लगाना और ईंटों के भट्ठे लगाना भी

सिखा दें, तो इतना ही पर्याप्त होगा। वे यह कार्य कर सकते हैं। आपको केवल उन्हें सिखाना है। आप उन तक प्रौद्योगिकी पहुंचाएं। उन्हें अपनी कुशलता विकसित करने और प्रक्रिया को समझने का थोड़ा समय दें।

महोदय, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका कभी उपयोग किया गया तो इसका उपयोग केवल वित्तीय संस्थानों के गठन, उन संस्थानों को धन उपलब्ध कराने और निजी फायदों के लिए उस धन का उपयोग करने में होगा।

अतः मेरी राय में यह नीति कोई नीति ही नहीं है। अतः मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

डा० एस०पी० यादव (सम्भल) : माननीय सभापति महोदया, राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा हो रही है। अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार मकान आवश्यक आवश्यकताओं के अन्तर्गत आता है। इसके अलावा दो आवश्यक आवश्यकताएं और हैं और वह रोटी और कपड़ा हैं लेकिन भारत सरकार की नीति न तो रोटी के बारे में है, और न कपड़े के बारे में है और न आवास के बारे में है। सरकार की इच्छा शक्ति भी उन नीतियों को लागू करने की नहीं है। वह मात्र नीतियां बना कर कागजों पर रखना चाहती है। इससे कोई काम चलने वाला नहीं है।

आज देश की बढ़ती हुई आबादी और गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन इस बात के लिए हम को सशंकित करते हैं कि शहरों में आबादी का जो एक माइग्रेशन हो रहा है, उसको किस प्रकार से छोटे या बड़े शहर अपने में संजो पाएंगे।

आज जो आवास नीति है, इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक शहरी आवास नीति ओर दूसरी ग्रामीण आवास नीति। शहरों और गांवों की समस्याओं में बहुत बड़ा अन्तर है। जो शहरों की आवास नीति है, उसमें अभी हमारे सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट के मैम्बर सरदार उमराव सिंह जी बैठे हैं, उनके लिए भी अब तक मकान नहीं मिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मैम्बरों के लिए जो मकानों का एलाटमेंट होता है, उसमें लोक सभा का आवास अध्यक्ष होता है, वह मकान एलाट करा सकते हैं। आज आप नोर्थ एवेन्यू में चले जाइये तो आप देखेंगे कि वहां लोग अवैध रुप से मकानों में रह रहे हैं। जो कभी एम०पी० रहे थे लेकिन आज नहीं हैं, वह उन मकानों में रह रहे हैं लेकिन सरकार के अन्दर कोई ऐसी इच्छाशक्ति नहीं है कि उन लोगों से मकान खाली कराये और उन लोगों को एलाट करे जो हाउस के सदस्य हैं, उनको वह मकान दिये जायें। जब मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कोई न्याय नहीं हो सकता या उनके लिए आवास नहीं मिल सकता तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

मैं समझता हूं कि शहरों के अन्दर जो चलती हुई आवास नीति है, उसके अन्दर भू-माफियाओं ने जी. डी.ए. और डी.डी.ए. की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। जी.डी.ए. और डी.डी.ए. के द्वारा यह पता चल सकता है कि कितनी भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया है लेकिन सरकार अक्षम है, पंगु है और सरकार में दम नहीं है कि वह भू-माफियाओं से उस जमीन को मुक्त करा सके। मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि उन भू-माफियाओं को बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वह किसी वर्ग के हों। इसी के कारण आज दिल्ली और गाजियाबाद के आस-पास स्पष्ट देखने को मिलता है कि किस तरह किडनैपिंग के केसेज हो रहे हैं। यह सब

भू-माफियाओं के द्वारा हो रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास एक तरह से आतंक मचाये हुए हैं और सरकार उनपर कण्ट्रोल नहीं कर सकती, उसके बारे में बोल नहीं सकती।

मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में जनपद बदायूं के अन्दर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा महिला को घर से निकालकर उसका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो सत्तारुढ़ दल है, जो समाजवादी पार्टी है, उसके कार्यालय के लिए बदायूं जनपद के डी०एम० ने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा महिला का मकान एलाट कर दिया। वह उस घर में रह रही थी, लेकिन उनका सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया और समाजवादी पार्टी का कार्यालय बदायूं जनपद के अन्दर खुलवा दिया। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार की क्या नीति है और कौन सी नीति पर विचार इस सदन में किया जा रहा है ? मैं कहना चाहूंगा कि आपके अन्दर कार्य करने की शक्ति नहीं है, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है तो इस पार्लियामेंट के अन्दर बैठकर बातें करने मे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों ने कस्बों में अतिक्रमण किये हैं। सरकार का आदेश जाता है कि अतिक्रमण हटाने हैं। वहां पर जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, उन्होंने अगर अतिक्रमण कर रखा है तो एस०डी०एम०, कोतवाल वगैरह जाते हैं और उसको हटा दिया जाता है लेकिन जब किसी बड़े पूंजीपति का नम्बर आता है तो वहां अतिक्रमण हटाने का मामला रुक जाता है तो कितना बड़ा पक्षपात आज प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। आप केवल आवास नीति को तो छोड़ दीजिए, आवास तो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसी कारण 1-1 मकान 2-2, 3-3 लोगों को बिक रहा है। आज जी.डी.ए. और डी.डी.ए. की क्या हालत है। आज जी.डी.ए. और डी.डी.ए. के मकान बनते हैं, लोगों की एप्लीकेशन्स आती हैं, उनकी लाटरी सिस्टम से लाटरियां निकाली जाती हैं और उन्हें मकान का नम्बर दे दिया जाता है। उसके बाद बरसों तक उनको मकान नहीं मिलता है लेकिन उस पर इण्टरैस्ट और लगाया जाता है। जी.डी.ए. का एक मकान हमारे एक साथी के लिए एलाट हुआ, उस साथी के लिए समय सीमा दी गई थी कि इतने साल में 2.75 लाख रुपये में मकान मिलेगा लेकिन आज तक वह मकान नहीं मिला लेकिन उसकी कास्ट बढ़ाकर 3.25 लाख रुपये कर दी गई है। आप अपना तो इन्टरैस्ट लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कस्टमर है, जो मकान को लेने वाला है, उसके पैसे की कोई वैल्यु नहीं है। उनको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई भी पकड़ उन कर्मचारियों पर नहीं रह गई है, जो कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं या जिनको वहां पर डैप्यूट किया गया है। अभी मुरादाबाद में एक हादसा हुआ। एक स्कूल में चार-पौंच सौ बच्चे पढ़ते थे। तिमंजले की छत दुमंजले पर गिरी और दुमंजले की एक मंजले पर गिरी और तीन-चार सौ बच्चे नीचे दब गए। कुछ मर गए, कुछ लंगड़े-लूले हो गए। सरकार की कैसा नीति है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। आम आदमियों के बारे में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए सरकार में कोई तैयार नहीं है। एक लम्बे समय के बाद आज सदन में राष्ट्रीय नीति पर बात हो रही है। हम नहीं समझते हैं कि इस नीति के पास होने के बाद इसका इम्पलीमेंटेशन किस तरह से होगा।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि इस आवास नीति के तहत ग्रामीण लोगों के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनके लिए किस प्रकार के आवास होंगे, उनके लिए किस प्रकार के आवास बन सकेंगे, इतने प्रश्न एक साथ खड़े हुए हैं। अभी हमारे साथी बतला रहे थे कि इंदिरा आवास के लिए 12 हजार रुपये रखे

गए हैं। क्या सरकार इतनी मंहगाई में 12 हजार रुपये में कोई मकान दे सकती है ? सरकार ने लाल-किले से एलान किया कि हम सौ दिन में मंहगाई को कम करके दिखायेंगे। मंहगाई तो सौ दिनों से कम नहीं हुई, तो क्या आवास का जो मैटिरियल है और बनाने की जो प्रक्रिया है, वह सस्ती हो गई है और इस मंहगाई को देखते हुए 12 हजार में कोई मकान बन कर तैयार हो सकता है ? बहार हजार रुपए में तो एक लैट्रिन भी नहीं बन सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप 12 हजार में कौन सा आवास बना कर दे रहे हैं। देहातों में, गाँवों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास अधिकांश गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो मकानों के लिए सरकार के पास आता है। हम लोग जब सत्त में थे, तो हमने कहा था कि पचास प्रतिशत हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए देंगे। कांग्रेस सरकार तो कुछ बोली नहीं कि ग्रामीण विकास के लिए क्या देंगे। सांसदों के अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपया दिया गया और कहा गया कि सांसद खर्च करेंगे। सन् 1993 में 5-5 लाख रुपया तो दिया गया, लेकिन 1994 में कोई भी पैसा किसी सांसद के क्षेत्र के विकास के लिए अभी तक नहीं दिया गया। अब तो उसकी कोई बात ही नहीं है। मैं पूछता हूं, इस पवित्र सदन के अन्दर कौन सी आप नीति बना रहे हैं। जिन चीजों को आप यहां पास करते हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप स्वयं अन्तर दृश्य में इसको झांककर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। मैं चाहूंगा, इस आवास नीति को बनाने वाली मंत्री महोदया ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को जाकर स्वयं देखें। गांवों में जहां बाढ़ के कारण तबाही हो गई है - बाढ़ के ऊपर चर्चा होने वाली थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, क्योंकि हम लोग तो काफी दिनों के बाद लौटकर आए हैं - वहां की स्थिति को देखें।...**(व्यवधान)** लोगों की स्थिति को भी जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आप हमारी बात जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में गंगा नदी के द्वारा दसियों गांव कट गए हैं। वहां बाढ़ का पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। जो गांव कट गए हैं, उन गांवों की जनता के सिर पर फूस का छप्पर तक नहीं है, जिसमे वे अपने सिर को भी ढक सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आवास नीति आप बनाने जा रहे हैं, उस आवास नीति में आप उन सब लोगों के लिए प्रावधान करें, जो गरीब हैं, हरिजन-आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं और पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है। शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में आप देख लीजिए, झुग्गी-झोंपड़ी वालों की हालत क्या है। एक तरफ तो 5-5, 6-6 मंजिले भवन हैं, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने ग्रामीण भूमि का सीमांकन भी किया था। लेकिन शहरी संपत्ति के सीमांकन करने का प्रयास नहीं किया। क्या यह सरकार का देश की जनता के साथ भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव है तो जिन लोगों के पास संपत्तियां हैं, जिनके पास तमाम मकान खड़े हुए हैं उनसे छीनने का प्रयास कीजिए। मंत्री महोदया उठ कर चली गई हैं। हमारे कांग्रेस के एक भाई रमेश चेन्नित्ला जी ने हमसे सिगनेचर करवाए थे कि सभी माननीय सदस्यों के लिए, जो नये माननीय सदस्य आए हैं उनके लिए दिल्ली में कहीं डी.डी.ए. के फ्लैट्स या प्लाट मिलें ताकि वे रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रह सकें। मकानों का एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र मंत्री महोदया को दिया गया था परन्तु आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, जब सांसदों के सामूहिक मत्रों के जवाब नहीं मिलते हैं तो एक आम आदमी की चर्चा करना हमारे लिए व्यर्थ है कि कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से कस्बे में क्या नियम होना चाहिए।

महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आपके अलाटमेंट के नियम क्या हैं ? आपने अलाटमेंट का एक्ट बना

रखा है लेकिन क्या वह यही कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मकान एलाट करके सरकार का दफ्तर बना दिया जाए, यह अलाटमेंट का नियम कभी नहीं कहता। क्या आप आई०एस० लॉबी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं कि उन्होंने डी०एम०, बदायूं ने किस प्रकार से यह मकान एलाट किया ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अंदर यदि कोई काम करने की इच्छाशक्ति है तो आप बदायूं के इस मकान के एलाटमेंट के खिलाफ एक्शन लीजिए। मैंने आपको बताया कि बदायूं जनपद के अंदर गंगा की बाढ़ में कई गांव घिरे हुए हैं।... **(व्यवधान)** ... उत्तर प्रदेश देश के बाहर नहीं है वह भी देश के अंदर है। दिल्ली भी देश के अंदर है। हम यह जो बात कर रहे हैं यह दिल्ली की आवास नीति पर नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आवास नीति पर बात कर रहे हैं। इसलिए एक झोंपड़ी से लेकर एक बड़े महल तक की हरेक पर चर्चा करने का हक हमको इस सदन के अंदर है और हम कर सकते हैं। आपको हम राय दे सकते हैं, अगर आपको पसंद न आए तो उसको आप चाहे छोड़ दें। वे गांव के लोग तो अपने जीवन और मौत से संघर्ष करते रहे हैं, आज तक किया है और करते रहेंगे। उनके बारे में कोई नीति आप लोग न बनाएंगे और न बनाने की इच्छाशक्ति रखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप सुनने की भी शक्ति नहीं रखते हैं लेकिन हमको तो कहना है कि बदायूं जनपद में जिन लोगों के मकान कट गए हैं। 2-3 गांव गंगा नदी के कटाव से कटे हैं - सिंघोल पुख्ता, रूखड़ा और बजांगी। आप अनी टीम को वहां भेंजिये। हमारे कई भाई भी कांग्रेस में पहुंच गए हैं आप उनको कहिए कि वे उस क्षेत्र का दौरा करें और बताएं कि किस तरीके से वे लोग जीवन जी रहे हैं। वे लोग किस तरह से आज सड़क पर पड़े हुए हैं। क्या उनके लिए सरकार कोई मुआवजा नहीं दे सकती है ? कहीं पर अगर कोई दंगा हो जाता है तो तुरंत मुआवजा दिया जाता है लेकिन इन लोगों के ऊपर आज एक दैवी आपदा है इस कारण से वे लोग बेघरबार हो गए हैं, क्या उनके लिए खाने के लिए रोटी या रहने के लिए मकान की कोई सहायता सरकार नहीं दे सकती है ?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये जो तीनों गांव कटे हैं, जनपद बदायूं की तहसील गुन्नोर में उन तीनों गांवों का सर्वे माननीय मंत्री जी या सरकार कराए और उनके जो आवास उजड़ गए हैं उनके लिए कोई मुआवजा दीजिये। इसके साथ ही मैं 1-2 बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मकान बनाने के लिए कोई ऐसी सुविधा ग्रामीण लोगों को दीजिए, जैसे कि लोन की सुविधा दीजिए जिससे वे अपने मकान अपनी इच्छानुसार बना सकें। न कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, क्योंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनते हैं, वे सरकार के माध्यम से बनते हैं और जिस तरह से उन मकानों को अलाट किया जाता है, उसमें भी नंबर दो का धंधा होता है। खण्ड विकास अधिकारी जिसको चाहता है अलाट कर देता है और गरीब रोता रह जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : सभापति महोदया, मैं शहरी विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

मानवाधिकार घोषण, 1948 के अनुच्छेद 25 (1) में रोटी, कपड़ा और मकान सहित जीवन स्तर के अधिकार का उल्लेख किया गया है। सभी प्रकार के जातीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के

अनुच्छेद 5 (ङ) में पर्याप्त आवासीय सुविधा के अधिकार पर विचार किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 में भी आवास सुविधा के अधिकार पर विचार किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश संख्या 115 में भी कामगारों की आवास सुविधा का उल्लेख है।

आजादी के बाद से ही देश और सरकार के समक्ष आवास एक भारी चुनौती है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण गत दो दशकों में यह स्थिति बदतर हुई है। हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों के इर्द-गिर्द गंदी बस्तियों, झुग्गियों और अवैध कालोनियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और आज जो स्थिति है, उससे लगता है कि वर्ष 2000 तक भारत में 41 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं होगा। इस आंकड़े से ही हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों में हमारे देश को कितनी जटिल समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः इस समस्या का समाधान अनेक प्रकार से करने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद विकास के आरम्भिक वर्षों में हम ग्रामीण लोगों को बेहतर जीविका की खोज में महानगरों की ओर पलायन करते देखते थे। पर मेरी राय में अब स्थिति बदल गई है। इसने एक नया आयाम धारण कर लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ते शहर आस-पास के गांवों को अपने में समेटते जा रहे हैं। जिसके कारण गरीब किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जमीन सस्ते मूल्यों पर हथियाई जा रही है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान भूमि कानूनों में विशेषतः नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम और सम्पत्ति अंतरण अधिनियम में संशोधन करके सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में, विशेषतः नई उदारीकरण नीति को ध्यान में रखते हुए इन अधिनियमों में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है।

जबकि एक ओर शहरी क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं की भारी कमी है जहां लाखों लोग बिना समुचित आवास के रहते हैं और दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि बहुत से मकान, और मैं तो यह कहूंगा कि हजारों लाखों मकान किराएदारों के उसमें जमे रहने के भय से मकान मालिक उन्हें खाली रखता है। मकान मालिक और किराएदारों दोनों ही के अधिकारों तथा उनके हितों के बीच संतुलन होना चाहिए। अतिरिक्त संसाधनों को जुटा करके, पूंजी बाजार का लाभ लेकर तथा बचत को बढ़ावा देकर ऋण में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए और साथ ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लिया जाना चाहिए।

लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए और सरकार को कम लागत के आवासों के विचार को लोकप्रिय बनाना चाहिए जिससे निर्माण लागत में जबर्दस्त कमी आएगी।

भारत में विशेषकर लातूर और उस्मानाबाद क्षेत्र में भूकम्प आये थे जहां 25,000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः सरकार को आवास के तरीके सामने रखने चाहिए विशेषकर भूकम्प, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए।

निजी निर्माताओं की कानूनी अड़चनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि भवन निर्माण की गतिविधियों में अधिक धन लगाया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके ताकि गरीबों को बेईमान निर्माता

धोखा न दे सकें। सरकार समाज के गरीब वर्गों विशेषकर विधवाओं, अकेली महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों, अल्पसंख्यकों तथा प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को आवास के लिए ऋण पर कम ब्याज देने तथा निर्माण संबंधी वस्तुओं पर राज सहायता देने के रुप में सहायता देने हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार कर सकती है।

तत्पश्चात् धनराशि प्राप्त करने बीमा सहित भविष्य निधि, पेंशन निधि प्राप्त करने हेतु बंधक बाजार तैयार करना मेरे विचार में अच्छी बात होगी।

आवास इकाइयों के साथ-साथ मौलिक सेवाएं जैसे पेयजल, निकास व्यवस्था, बिजली और सफाई उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है।

वास्तव में यह खेद की बात है कि आदमी के चाँद पर पहुँचने के बावजूद भी भारत में पचास प्रतिशत से अधिक लोग खुले में ही शौच आदि कर्मों से निवृत होते हैं और विशेषकर यह और भी दुःख की बात है कि यहाँ की महिलाओं को भी खुले में ही शौच आदि से निवृत होना पड़ता है।

जहाँ तक ग्रामीण आवास का संबंध है इन्दिरा आवास योजना जोकि केन्द्रीय योजना है उसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों जो सबसे गरीब लोग हैं, उनके लिए आवास निर्माण का कार्य अब तक तेजी से शुरु नहीं हो पाया है। सभा में कई सदस्यों ने इन्दिरा आवास योजना में जो खामी देखी है उसका उल्लेख किया है।

राष्ट्रीय आवास नीति के दीर्घकालीन उद्देश्य वास्तव में सराहनीय है इसका उद्देश्य आवासहीनता को दूर करना और देश की जनता को मौलिक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। फिर भी भूमि की अनुपलब्धता, निर्माण लागत में वृद्धि, अपर्याप्त संस्थागत वित्त, वहन योग्य दर पर निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता और लोगों की कम आय मूलरुप से भारत आवास की असंतोषजनक उपलब्धता के लिए मूल रुप से जिम्मेदार है।

कल जब शहरी विकास मंत्री संकल्प प्रस्तुत कर रहे थे तब उन्होंने जो शब्द कहे थे वह मुझे अब भी याद हैं। उन्होंने कहा था कि आवास हमारे देश की "वृद्धि और विकास का प्रेरक है।" मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिन मामलों का मैंने अभी उल्लेख किया है उन पर आवास मंत्रालय ध्यान देगा। उन्होंने कल कहा था कि नई आवास नीति का उद्देश्य आवासहीनता को दूर करना है। साथ ही इस कार्य से देश की जनता को रोज़गार मिलेगा, बचत को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश की जनता को एक बेहतर जीवन देने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा।

ये सभी बातें निश्चित तौर पर प्रशंसनीय हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार जिस उद्देश्य से नई आवास नीति तैयार कर रही है वह उसे प्राप्त करेगी। मैं इस संकल्प और नई आवास नीति का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : सभापति महोदया, अपने देश में मकानों की अत्यधिक कमी है। आज भी करोड़ों लोगों को अपने देश में रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं हैं। यह देश के सामने बड़ी समस्या है। मकानों की कमी की वजह से लोगों का जो रहन-सहन है उसका स्तर नही उठ पा रहा है। हमारे देश में बड़े

शहरों में मकानों की अलग समस्या है, छोटे शहरों में मकानों की अलग समस्या है और गांवों में मकानों की अलग समस्या है। आज बड़े शहरों में सभी को मकान उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो लोग नौकरी करते हैं, वे लोग 100-150 किलोमीटर और इससे भी ज्यादा दूरी से सरकारी दफ्तरों में काम करने आते हैं। यदि इन लोगों को मकान उपलब्ध करा दिये जायें तो वे लोग यहां रहकर आसानी से अपना काम कर सकते हैं। रोजाना इतना लम्बा सफर करके आते हैं तो उनकी एफिशियंसी कितनी रह जाती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। उनके आने जाने में ही बहुत घंटे बर्बाद होते हैं, यहां पर मकान मिल जाने से वे पूरी क्षमता से अपने दफ्तरों का काम कर सकेंगे।

सभापति महोदया, जो नयी मध्यम श्रेणी की बस्तियां बन रहीं हैं इनके लिये कोई योजना नहीं है। जिन किसानों के खेत होते हैं, वे अपनी जमीन को प्लाट में बदलकर बेच तो देते हैं लेकिन गलियों के नाम पर कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बरसात के दिनों में लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़कें नाम के लिये नहीं होती हैं और बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। फिर जब लोग पैसा लगाकर अपना मकान बना भी लेते हैं तो उनको जीवन की सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं और वे नारकीय जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते हैं। बीमारियां वहां पर घर कर जाती हैं। इसलिये मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार किसान प्लाट मकान बनाने के लिये बेचने का काम कर रहे हैं, उनपर नियंत्रण रखा जाए। उनके लिये कानून बना दिया जाये कि रास्ता ज्यादा छोड़ना है और नालियां ठीक से बन सकें। इस बारे में सरकार को देखना होगा।

आज मकान बनाने के लिये नये-नये डिज़ाईन उपलब्ध नहीं है जिसमें कि कम कीमत पर लोग अपना मकान बना सकें। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह कम कीमत पर मकान बनाने के डिज़ाईन उपलब्ध करें। इस कम कीमत पर लोग सुविधाजनक मकान बना सकें। ऐसा कोई डिज़ाईन न होने से मध्यम श्रेणी के लोग मकान बनाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को अपने मकान बनाने के लिये जो नक्शा पास कराना होता है तो उन दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और वह नक्शा पास नहीं होता है और कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार के जरिये वह नक्शा पास करने की कोशिश में लग रहते हैं। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि इस कार्य के लिये नक्शा विभाग अलग से काम करे ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले।

सभापति महोदया, गांवों में जो मकान बन रहे हैं, उसके लिये कोई योजना नहीं है। न तो कोई सड़क उपलब्ध है और न गलियों का ठीक प्रकार से प्रबंध किया जाता है। इतनी संकरी गलियां होती हैं कि लोगों का वहां से निकलना मुश्किल होता है। गांवों में रास्तों को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं। गांवों में जो मकान पहले से बने हुये हैं, उनके अलावा जो लोग नये मकान बना रहे हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उनके बारे में कोई योजना बनायी जाये ताकि अंधाधुंध मकान ही गांवों में न बनते चले जाएं बल्कि चौड़े रास्ते भी बन सकें और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त हो सकें। आज हालत यह है कि गांवों में जो लोग मकान बनाते हैं न तो उनमें शौचालय की व्यवस्था होती है और न पानी के निकास का समुचित प्रबंध होता है जिसके परिणामस्वरूप घरों का गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा होता रहता है जिससे वहां गंदगी और बीमारियां फैलती हैं और लोगों को बाहर निकलने और बैठने में काफी असुविधा रहती है। इसको लेकर गांवों में आये दिन झगड़े-फसाद होते रहते हैं और कभी-कभी बड़े अपराध भी हो जाया करते हैं तथा कत्ल तक हो जाते हैं। इसको देखने की जरुरत है।

गांवों में जो लोग मकान बनाते हैं, उन्हें मकान बनाने की डिजाइनों के संबंध में सलाह देने की आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज मकान बनाने में लोग पैसा तो काफी खर्च करते हैं लेकिन डिज़ाइन के मामले में उचित सलाह न मिलने के कारण उनमें किसी तरह की सुविधा नहीं होती, जैसे कहां रोशनदान लगना चाहिए, कितनी खिड़कियां लगाई जानी चाहिये, कितना बड़ा दरवाजा लगना चाहिए, इन मामलों में उनको सलाह देने वाला वहां कोई नहीं होता। मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक जूनियर इंजीनियर की सेवायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये जो गांव वालों को मकान बनाने में सलाह दे सके कि मकान का डिज़ाइन कैसा होना चाहिये, कैसी दीवारें होनी चाहिए। आज यह देखा जाता है कि लोग दो या ढाई फीट चौड़ी दीवारें बनाते हैं, 3-3 या 4-4 ईंटों की दीवारें बनाते हैं जिसमें व्यर्थ ज्यादा ईंटें लगती हैं जबकि कम चौड़ी दीवारें बनाकर भी काम चल सकता है। दूसरी बात यह है कि मकानों की ऊंचाई भी कम रखी जाती है, उनमें जो स्लैब डाले जाते हैं, कुछ समय बाद वे गिर जाते हैं। मेरा मतलब है कि मकान बनाने की तकनीक का गांवों में बिल्कुल अभाव है। जिस तरह गांव में लोगों को राज या कारीगर बताते हैं उनके कहने पर ही लोग मकान बनाने के लिए मजबूर हैं। मेरा सुझाव है कि गांवों के राज और कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उनके द्वारा लोगों को मकान बनाने के बारे में सही ढंग से सलाह दी जा सके और इससे लागत भी कम आयेगी, मकान मजबूत बनेंगे और उनमें मौलिक सुविधायें भी उपलब्ध होंगी। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ सरकार ध्यान दे।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आज जितने लोगों को मकान बनाकर दिये जा रहे हैं, मेरा सुझाव है कि वैसे मकान न बनाये जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे कुछ ऐसे लोगों को केवल कहने को मकान जरूर मिल जाता है जिनके पास रहने के लिये कोई झोंपड़ी नहीं होती लेकिन उन मकानों में न तो शौचालय की कोई व्यवस्था है न कोई दूसरा इंतजाम है। मात्र एक छोटा सा कमरा बनाकर दे दिया जाता है और उनका केवल पोस्टल एड्रैस जरूर हो जाता है जबकि उसमें रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता, कोई रोशनदान नहीं होता। मैं समझता हूं कि ऐसे मकान बनाना देश के धन को बर्बाद करने के समान है। यदि कुछ पैसा बढ़ाकर इन मकानों में शौचालय आदि की सुविधा दी जा सके, रसोईघर उपलब्ध कराया जा सके तो रहने लायक मकान कहा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लोगों को रहने लायक मकान बनाकर देने का इंतजाम करना चाहिये।

आजकल जो लोग मकान बनाते हैं, देखने में आता है कि आयकर विभाग के लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ढ़ाई-तीन लाख रुपये खर्च करके मकान बनाये तो आयकर वाले उससे पूछते हैं कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया और बिलावजह उन्हें परेशान किया जाता है। मैं चाहूंगा कि मकान बनाने में जो लोग पैसा लगाते हैं, उनसे आयकर विभाग के लोग कोई पूछताछ न करें जिससे लोग खुले तौर पर पैसा लगाकर रहने योग्य मकान बना सकें और लोगों के पास जो कालाधन है, शायद उसका इस्तेमाल मकान बनाने के काम में हो सके।

सभापति महोदया, इस तरह से देश में काले धन की समस्या हल हो सकेगी और दूसरी तरफ लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध हो सकेंगे। इसके ऊपर भी आज सोचने की आवश्यकता है कि जो काला धन है

उसको अगर मकान बनाने में उपयोग किया जाए, तो काले धन की भी समस्या हल हो जाएगी और लोगों को रहने के लिए मकान भी उपलब्ध हो सकेंगे।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तीन-तीन और चार-चार लाख रुपए में मकान बनते हैं उनके निर्माताओं को आयकर के इंस्पैक्टर बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको इनसे दूर रखा जाए क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि तीन-चार लाख रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही है। आज तो गरीब आदमी भी इतना पैसा लगाकर मकान बना सकता है। जो आयकर के इंस्पैक्टर हैं वे छोटे-छोटे शहरों में लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, बैंक और हुडको वगैरह वित्तीय संस्थाओं से मकान बनाने के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है उसमें मेरा सुझाव है कि वह कम ब्याज दर पर और आसानी से उपलब्ध करवाया जाए। इससे मकान बनाने में बढ़ोतरी होगी। ऋण मिलने में काफी समय लग जाता है। जब कोई मकान बनाने का एस्टीमेट बनाता है और जब ऋण उपलब्ध होता है उस समय मकान की एस्टीमेट से काफी ज्यादा लागत बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई मकान बनाने का एस्टीमेट दो लाख का बनाया है और जब तक ऋण मिलता है वह दो की बजाय बढ़कर ढाई लाख रूपया हो जाता है जिससे उसका एस्टीमेट गड़बड़ा जाता है और उसको इससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम ब्याज दर के साथ-साथ ऋण शीघ्र उपलब्ध हों, ऐसे प्रयास किए जाएं।

सभापति महोदया, यह जो आवास नीति बनी है इसमें थोड़ा और संशोधन किया जाए, तो हम समझते हैं कि देश में जो रहने की समस्या है उसका कुछ निराकरण हो सकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के०टी० वान्डायार (थंजावुर) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करता हूं। आवास देश और नीति नियोजनाकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। आवास के आभाव में प्रमुख शहरों में गंदी बस्तियों और पटरियों पर रहने वालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मोटे अनुमान के अनुसार 41 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर और आम सुविधाएं नहीं हैं।

आवास बिल की कठिनइयों को दूर करने के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार को कम लागत की आवास योजना की धारणा को लोकप्रिय बनाना चाहिए और भवन सामग्री के कम खर्चीले विकल्प को, जिससे निर्माण लागत कम हो सकती है, बढ़ावा देना चाहिए। निर्माण प्रौद्योगिकी के द्वारा जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि नीति दस्तावेज में कहा गया है कि फ्लाई ऐश, रेड मड, फोस्फो-जिपस्म जैसे औद्योगिक अपशिष्टों तथा कृषि अपशिष्टों का प्रयोग करके नई सामग्री का व्यावसायिक उत्पादन किया जाना चाहिए। पूर्व निर्मित ढाँचे के लिए लकड़ी से बनी वस्तुओं के स्थान पर कालम, बीम और पूर्ण रुप से तैयार फर्श स्लैब जैसे कांक्रीट के पूर्व निर्मित संघटकों के प्रयोग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है। पूर्व निर्मित ढाँचे का रुस और अन्य दूसरे देशों में पहले से ही प्रयोग हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विश्व आवास नीति में, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, विभिन्न सरकारों से राष्ट्रीय आवास नीति तैयार करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

हमारी सरकार ने सभी लोगों विशेषतः गृहविहीनों, अपर्याप्त आवास वालों और कमजोर वर्गों की विकसित भूमि, भवन सामग्री, वित्त और प्रौद्योगिकी के द्वारा कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु राष्ट्रीय आवास नीति बनायी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों जैसे, झोपड़ियों की संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही है इनमें जल, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क सम्पर्क जैसी मूल सुविधाएं नहीं हैं। प्रमुख शहरों और नगरों में इन गंदी बस्तियों से छुटकारा पाने के लिए सरकार को ऐसे श्रमिकों के लिए शयनशाला किस्म के आवासों का निर्माण करना चाहिए जो आवासों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इन शयनशालाओं में सांझा रसोईघर, स्नानगृह और शौचालय होने चाहिए ताकि श्रमिक वहां अपनी रात व्यतीत कर सकें और अपना भोजन बना सकें क्योंकि वे होटलों के भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार बड़े-बड़े शहरों और शहरी कस्बों में नगरपालिकाओं और सरकारों को रैन-बसेरा बनाने चाहिए जिससे काम की तलाश में शहर आने वाले ग्रामीण और श्रमिक बहुत कम शुल्क देकर इन रैन-बसेरों में रात व्यतीत कर सकें।

मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जिन वृद्धों की उनके घरों में उपेक्षा की जाती है, उनकी देखभाल नहीं की जाती है उनके लिए होस्टलों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से पेंशनभोगी हैं जो अपने सगे-सम्बन्धियों से अलग रहना चाहते हैं तथा सशुल्क भोजी बनना चाहते हैं उनके लिए सरकार को मॉडल के रुप में उपयुक्त आवास का निर्माण करना चाहिए ताकि सामाजिक कल्याणकारी संगठन उसका अनुसरण कर सकें।

अब मैं वर्तमान आवास वित्तीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय आवास वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम का गृह ऋण खाता और ऐसी ही अन्य संस्थाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। आवास निर्माण के लिए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा सामग्री आसान शर्तों पर मिलने चाहिए। जैसा कि नीति दस्तावेज में कहा गया है कि ग्रामीण आवास और उससे संबंधित भू-सम्पदा और रोज़गार सृजन अन्य कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ग्रामीण आवास को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोज़गार योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

बीमा अथवा भविष्य निधि एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण लेने के लिए गौण बन्धक बाजार बनाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो भवन निर्माण ऋण दिया जा रहा है वह कुल आवास लागत के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस राशि में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी हैसियत और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आवास बना सकें। उन्हें सहकारी आवास समितियों के गठन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा सरकार को फ्लैटों के निर्माण के लिए रियायती मूल्य पर भूमि उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए सरकारी क्वार्टरों से उनकी थोड़ी सी भी आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जरुरतमंद लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों का मुख्य गांव से अलग स्थित होने के कारण उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है और हरिजन, अन्य समुदाय के लोगों के साथ घुलमिल नहीं पाते हैं। अतः हरिजन आवास कालोनियों का विकास गांव के भीतर ही किया जाये तथा उन कालोनियों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।

इसके बाद मकान निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देना, भवन मानक के सुरक्षा मानदंड अपनाना बहुत आवश्यक है।

5.00 म०प०

जब सरकार आम जनता के लिए मकानों और फ्लैटों के निर्माण की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को देती है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मकानों के निर्माण पर निगरानी रखनी चाहिए कि निर्माण में अच्छे किस्म की सामग्री का उपयोग किया जाता है या नहीं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और पर्यावरण संबंधी मानकों को बनाया रखा जा सके। इस समय भवन निर्माण योजना की मंजूरी प्राप्त करने में स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरणों में काफी समय लगता है। योजना की मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने, तथा भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ प्लाटों और भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाये जाने की आवश्यकता है। कृपया आवास समस्या के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर कुछ कीजिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् राष्ट्रीय आवास नीति पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सच बात तो यह है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति का संशोधित प्रारूप लाये जाने के बाद दो वर्षों से अधिक का समय बीत गया है - इसे 1992 में प्रस्तुत किया गया था - किन्तु राष्ट्रीय आवास नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की उदासीनता तथा अनिच्छा दिखाई देती है।

आपको मालूम होगा, 1991 में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अनुमानतः 31 मिलियन मकानों की कमी थी। आठवीं योजनावधि के दौरान पुनः यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12.2 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 9.5 मिलियन मकानों की कमी होगी, इस प्रकार कुल 21.7 मिलियन मकानों की कमी होगी। वस्तुतः, आठवीं योजनावधि के दौरान आवास संख्या संबंधी उप समिति ने बताया कि सन् 2001 तक 64 मिलियन मकानों की कमी होगी। यहीं पर मुख्य समस्या है। इसी समिति ने अनुमान लगाया था कि 21 मिलियन मकानों के निर्माण के लिए 1991-92 की लागत पर 97,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। यदि ऐसी बात है, तो सरकार का विचार आवास समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है ?

माननीय शहरी विकास मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। कल इस नीति को पेश करते समय हमारे एक साथी ने कहा था कि आवास विकास की कूंजी है। यह बात सही है। हम इसे स्वीकार करते हैं। किन्तु सरकार ने क्या किया है ? सरकार ने इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय का केवल 25 प्रतिशत ही मंजूर किया है। इस गति से समस्या का समाधान कब होगा ? यही मुख्य समस्या है। आवास निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने की मुख्य समस्या पूंजी निवेश है। आपको मालूम होगा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों

की सहायता नहीं कर रही है। उनके पास निवेश के लिए बहुत कम बचत है। अब, सरकार भी यह स्वीकार कर रही है। आवास पर खर्च की गयी धनराशि में से केवल 16 प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र अर्थात् वित्तीय समर्थन अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम या हुडको अथवा किसी अन्य स्त्रोत से आता है और 84 प्रतिशत आम लोगों की बचतों से प्राप्त होता है। यह उपयुक्त समय है जब सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं नीति के बारे में विवाद नहीं करना चाहता हूं। नीति बुरी नहीं है लेकिन आपके गम्भीर प्रयास अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं संविधान का प्रारुप तैयार होने और अनुमोदित होने के बाद स्वर्गीय बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण करना चाहता हूं। मुझे याद है कि वे भारतीय संविधान को विश्व का सर्वोत्म संविधान कहा करते थें। यदि राष्ट्र तेजी से प्रगति नहीं करता है और लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता है तो यह संविधान में किसी त्रुटि के कारण नहीं बल्कि उन लोगों के कारण है जो संविधान को लागू करते हैं। राष्ट्रीय आवास नीति का भी ऐसा ही मामला है। मैं इसके बारे में भी कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन इसके प्रति आपकी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है ? मेरा सरकार को सुझाव है कि इसमें पूंजी निवेश बढ़ाया जाये। यह बताया गया है कि 1960 में सकल घरेलू उत्पाद में आवास के लिए पूंजी निवेश 5 प्रतिशत से घटकर 1980 में तीन प्रतिशत रह गया है। प्रथम परियोजना में आवास का कुल परिव्यय 34 प्रतिशत था जो सातवीं योजना में घटकर 9.6 प्रतिशत रह गया है।

5.06 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकार कहती है कि इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बात योजना दस्तावेज में कही गई है। अन्ततः इस प्रयोजनार्थ आप कितना आबंटन कर रहे हैं, और वास्तव में कितना व्यय किया जा रहा है, यह एक अलग मामला है।

भूमि की उपलब्धता आवास गतिविधियों के लिए एक प्रमुख बाधा है।

महोदय, नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को कृषि-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के तुरंत बाद लाया गया था क्योंकि भूमि की अधिकतम सीमाओं को लागू किया जा रहा था। इसको लाकर सरकार यह दर्शाना चाहती थी कि उसकी मंशा शहरी भूमि की अधिकतम सीमा का भी निर्धारित करने की है। इस अधिनियम में भी, भूमिधारकों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति 10 सिनेमाघरों अथवा 10 या 100 मकानों का मालिक है तो उसके लिए किसी प्रकार की अधिकतम सीमा नहीं है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है। केवल खाली पड़ी भूमि के लिए सीमा निर्धारित की गई है। अतिरिक्त भूमि के रुप में पड़ी कई लाखों हेक्टेयर भूमि में से 33,970 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि सरकार ने 54230 हेक्टेयर भूमि को शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम से मुक्त कर दिया है। आपको इसकी भलीभांति जानकारी है। सरकार पर बहुत से दायित्व हैं। मैं किसी दल विशेष जो सत्ता में है, पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। राज्य सरकारें इस अधिनियम को लागू करने में असफल रही हैं। एक तरफ तो वे भूमि का अधिग्रहण नहीं करती हैं। वह व्यक्ति

जिसके पास बहुत सी अतिरिक्त भूमि है, सक्षम अधिकारी को लिखता है कि मेरे पास बहुत अधिक अतिरिक्त भूमि है, कृपया इसे बेचने की अनुमति दें। वे अनुमति नहीं देते हैं। अनुमति तब दी जाती है जब राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों और जिन लोगों के पास अधिकार है, को बड़ी धनराशि धूस में खिलाई जाती है।

दुर्भाग्य से, शहरी भूमि की अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान का दुरुपयोग किया गया था। मैं नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम से एक प्रावधान उद्धृत करूंगा। निम्न आय वर्ग के लोगों, गरीब लोगों और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास एककों की व्यवस्था की गई है। धारा 21, उपधारा (1) में यह कहा गया है कि-

"इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा के आधिक्य में कोई रिक्त भूमि धारण करता है और ऐसा व्यक्ति ऐसे समय के भीतर ऐसे प्रारुप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह घोषित करता है कि ऐसी भूमि ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा; इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुमोदित स्कीम के अनुसार समाज के दुर्बल वर्गों के आवास के लिए निवास एककों के सन्निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली है (ऐसे प्रत्येक निवास-एकक का कुर्सी क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा) वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए यह घोषित कर सकता है कि ऐसी भूमि आधिक्य भूमि नहीं है और ऐसे व्यक्ति को पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि धारण करते रहने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, जिनके अन्तर्गत वह समय की परिसीमा के बारे में शर्त भी है जिसके भीतर ऐसे भवन का सन्निर्माण किया जाएगा, अनुज्ञा दे सकता है।" इस प्रकार का उपबन्ध है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत कम मामलों में अनुमति प्रदान की जाती है और इन मामलों में भी अनुमति भारी घूस देने के बाद ही प्रदान की जाती है।

यदि सरकार कमजोर वर्गों के लोगों को आवास प्रदान करने के बारे में वास्तविकता से गम्भीर रही होती तो उसने कुछ उचित कदम उठाए होते। मैं ये सभी बातें इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये सभी उपबंध अधिनियम में ही हैं। इस अधिनियम में काफी हद तक इस संबंध में सरकारी जिम्मेवारी की बात स्वतः स्पष्ट है, परन्तु सरकार ने इस अधिनियम में किए गए उपबंध का उपयोग नहीं किया है।

इसके बाद, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने देशभर का दौरा किया और उसने शहरीकरण और आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की है। इस आयोग ने आठवीं लोक सभा की अवधि के दौरान एक बहुत ही अच्छी और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आवास नीति, वर्ष 1988 में पहली बार तैयार की गई थी। परन्तु, सभा में इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद लम्बी अवधि बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं राष्ट्रीय आवास नीति की पृष्ठ संख्या 9 का उद्धरण देता हूं। जो इस प्रकार है :

"राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पार्टियों जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए सुझावों को देखते हुए कार्यान्वित किए जाने वाले कई उपायों को देखते हुए नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम में संशोधन पुनःस्थापित किये जाएंगे।"

अब कहां गए वे संशोधन ? दो वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है। परन्तु, आप कोई संशोधन नहीं ला पाए हैं।

किराया नियंत्रण अधिनियम के बारे में भी हमारा यही अनुभव रहा है। महोदय, आप तो यह जानते हैं कि किराया नियंत्रण अधिनियम विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। इसमें अधिकांश उपबंध सरकार के पक्ष में थे जो भवनों को अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता के अनुसार बनाए गए थे। एक लम्बे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंध, जो काफी समय पहले बनाए गए थे, किराये के उद्देश्य से मकानों के निर्माण में बाधा डालने वाले ही हैं। यदि कोई व्यक्ति मकान का निर्माण कराकर उसे किराये पर देता है तो उसे मकान को खाली कराने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए यदि वह न्यायालय की शरण लेता है तो यह मामला कई वर्षों तक लटकता रहता है। अतः, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने यह सुझाव दिया है कि किराया नियंत्रण अधिनियम में इस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि इसमें किरायदारों के हितों की उचित सुरक्षा के साथ-साथ महंगाई, आदि में वृद्धि के अनुसार किराये में भी वृद्धि की जाए।

इस नीति दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 11 में भी इस प्रकार बताया गया है :

"विशेषतः, निचले और मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए किराये पर चढ़ाने के उद्देश्य से आवास हेतु निवेश को आदर्श किराया नियंत्रण कानून के आधार पर राज्य सरकारों के किराया नियंत्रण कानून में उपयुक्त संशोधनों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।"

हम इस वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत हैं। परन्तु, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार द्वारा उपयुक्त संशोधन क्यों नहीं लाए गए हैं। इस सरकार द्वारा बड़े उद्योग, विशेषतः हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने के लिए वर्तमान कानून में इतने अधिक संशोधन लाए गए हैं। कुछ मामलों में जहां आपने अनेक कानून हटा दिए हैं ऐसी स्थिति में किराये के लिए मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम में आवश्यक संशोधन क्यों नहीं करते ? यदि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां मकान निर्मित करना चाहेंगी तो निस्संदेह मेरा यह मानना है कि सरकार इस संबंध में उपयुक्त संशोधन लाएगी।

मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण निर्धन लोगों के आवास की बात आती है, तो सरकार इतनी कठोरता क्यों दिखाती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों के आवास की स्थिति देखेंगे तो आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। वहां कमजोर वर्गों के रिहायशी एककों की हालत सुअरबाड़ों से बेहतर नहीं है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। और आप उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? निस्संदेह आप थोड़ी बहुत कार्यवाही तो कर ही रहे हैं और मैं इससे इन्कार नहीं करता। परन्तु, इस मामले में कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस गति से आप एक शताब्दी के बाद भी बेघर लोगों को आवास उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। अतः, सरकार के लिए मेरा यही सुझाव है कि कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों के बारे में विचार कीजिए। 5,000 से 8,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से पांच अथवा छः प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर मकान बनाने के लिए ऋण दिए जाते हैं। परन्तु, आप ग्रामीण निर्धन लोगों को क्या दे रहे हैं ? यहां तक कि भारतीय जीवन बीमा निगम भी इस मामले में भेदभाव कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बड़े शहरों में रहने वाले बीमा धारकों को मकान बनाने के लिए ऋण दिए जाते

हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इसी तरह के बीमा धारकों को इस तरह के ऋण नहीं दिये जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों है ? जब आपने कई आप्राकृतिक अथवा अप्रत्याशित प्रतिबंधों तथा विनियमों को हटा दिया है तो इस सम्बन्ध में भी आप उसी ढंग से क्यों नहीं सोचते और ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में सहायता क्यों नहीं करते ?

महोदय, शहरी क्षेत्रों में 'हाउसिंग एण्ड शेल्टर अपग्रेडेशन' (एस०चस०ए०एच०ए०एस०यू०) योजना एक अच्छी योजना है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन सरकार को इसके लिए और अधिक राशि उपलब्ध करानी चाहिए। कुछ समितियों में हमने महसूस किया कि आबंटित राशि में कमी कर दी गई है। कृपया ऐसा न करें और इसमें वृद्धि करें।

इसी तरह यह सच है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता की जा रही है। इन दो वर्गों के लोगों को कुछ लाख आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत कुछ लघु राशि राज सहायता के रूप में दी जाती है और शेष राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को उनके द्वारा कोई राशि दिए बिना ही आवास उपलब्ध करा दिया जाता है और उन्हें इसके लिए कोई राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। जिन लोगों को ऋण राशि मिलती है वे भी यह महसूस करते हैं कि "हमें धनराशि नहीं लौटानी है"। मेरा सुझाव है कि राज सहायता की राशि को यह ख्याल किए बिना कि यह शहरी क्षेत्र से जुड़ा है अथवा ग्रामीण क्षेत्र से, निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक राज सहायता दी जानी चाहिए तथा पिछड़े वर्गों को कम राज सहायता दी जानी चाहि और समाज के अन्य वर्गों को मात्र ऋण देकर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें राजसहायता की जगह ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी की आवश्यकता है। जब तक आप यह नहीं करते तब तक आवास की समस्या हल नहीं होगी।

मुझे खुशी है कि ओवरसीज़ डिवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने विजयवाड़ा शहर में एक योजना शुरू की है। यह एक अत्यंत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन इस ओवरसीज़ डिवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रमों के बिना विशेषकर वैसे इलाकों में जहां कमजोर वर्गों के लोग निवास करते हैं - उनका भाग्य क्या होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस योजना के अन्तर्गत सुन्दर ठोस सीमेंट वाली सड़कों तथा मकानों का निर्माण कराया गया है। काफी विकास हो रहा है और इसे अन्य भागों में भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के लिए कुछ और राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मेरा सरकार को यही सुझाव है कि कृपया उपयुक्त संशोधन किया जाए। आपने स्वयं यह आवश्वासन दिया था लेकिन आप इसे पूरा नहीं कर रहे हैं। कृपया संशोधन करें ताकि मकानों के निर्माण हेतु और अधिक भूमि उपलब्ध कराई जा सके। आप छूट दें। वस्तुतः ऐसी व्यवस्था हो कि किसी को राजनीतिज्ञों अथवा सत्ताधारी दल को पैसा न देना पड़े। अधिनियम में ही यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, निर्धारित प्रतिपूर्ति बहुत ही मामूली है। यह ठीक नहीं है। रुग्ण एककों के लिए भी सरकार काफी प्रतिपूर्ति दे रही है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब भी काफी प्रतिपूर्ति दी गई। लेकिन जब आप इतनी संख्या में भवनों का अधिग्रहण कर रहे हैं तब भी आप उतनी ही प्रतिपूर्ति दे रहे हैं। आप मकान मालिकों के प्रति

भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? वह एक बड़ा मकान-मालिक नहीं हो सकता है। उसकी भूमि उसे अपने पिता अथवा दादा अथवा किसी अन्य पैतृक स्त्रोतों से मिली हो सकती है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सट्टेबाजी के इरादे से भूमि खरीदी होगी।

महोदय, मैं भवन सामग्री के बारे में एक सुझाव भी देना चाहूंगा। अब, फ्लाइंग राख, ईंट बनाई जा रही है। ये बहुत उपयोगी हैं। केन्द्र सरकार ने सभी तापीय विद्युत केन्द्रों को फ्लांइग राख निःशल्क उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अनेक राज्य सरकारों तथा विद्युत बोर्डों ने निर्देशों का पालन नहीं किया है। अन्यथा, अभी तक काफी प्रगति हो गई होती। न केवल मकान निर्माण प्रयोजनों के लिए ही अपितु सड़कों की पटरियों के निर्माण के लिए भी इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। मैं इसे ईंट उत्पादकों को उपलब्ध कराए जाने का सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि वे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकें और ईंट बनाने के लिए बहुमूल्य भूमि को खोदना न पड़े। फ्लाइंग राख द्वारा ईंट के उत्पादन से ऐसे एकक हमारे वृक्षों, टीक वुड तथा वनों में पाई जाने वाली अन्य कीमती लकड़ी की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सरकार को इन निर्माताओं को पूरी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

महोदय, मैं अंत में रुग्ण एककों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बड़े शहरों में कुछ रुग्ण एकक हैं जिन्हें काफी पहले स्थापित किया गया था। इन इकाइयों के पास अत्यधिक भूमि है। इन रुग्ण इकाइयों को लागत मूल्य पर खरीदने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि के अच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव दूंगा कि इस प्रकार की भूमि की सार्वजनिक रूप से बोली की जानी चाहिए, जिससे अधिक धन प्राप्त किया जा सके और इस धन का इकाई द्वारा जिस वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है उसे दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सके। इस संबंध में कुछ सिफ़ारिशें भी की गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय से मेरा यही अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान लाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम राष्ट्रीय आवास नीति पर विचार करते हैं तो हमारे सामने कई बातें आती हैं। पहली बात तो यह है कि कितने लोगों को आवास की जरूरत है ? हमारे पास कितनी जमीन है, हमारी आबाद कितनी है और हमारे पास साधन क्या हैं। हम दूसरे मुल्कों की नकल नहीं करें। हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जमीन कम है। हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर का है और हमारी आबादी 90 करोड़ के आस-पास है, दूसरे देशें में ऐसी बात नहीं है।

महोदय, रूस का क्षेत्रफल 224 लाख वर्ग किलोमीटर है और रुस की जनसंख्या सिर्फ 29 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है और अमेरिका की आबादी सिर्फ 25 करोड़ है। उन देशों में जमीन ज्यादा है, आबादी कम है लेकिन हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में आबादी ज्यादा है, जमीन कम है। उन देशों में जहां जमीन ज्यादा है, खास कर रूस में। वहां मनमाने ढंग से जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम मकान बना रहे हैं तो उसमें 10-15 एकड़ जमीन बाउंडरी के अंदर लाएं, ऐसा नहीं

हो पाता है लेकिन हमारे देश में छूट है। हमारे पास साधन हैं तो हम जितनी चाहें जमीन घेर लेते हैं, मकान बना लेते हैं। जमीन तो रबड़ नहीं है कि इसको हम बढ़ा सकें। जमीन सीमित है और इस बात को सामने रख कर जब हम आवास नीति बनाते हैं तब हम कुछ सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि बड़े-बड़े शहरों की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। जिस शहर की आबादी 30 लाख थी आज वह 90 लाख हो गई है और जहां 50 लाख थी वहां आज 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। चाहे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली हो, चाहे और कोई शहर हो। इन शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जब आबादी बढ़ती है तो बढ़ती हुई आबादी के साथ आवास की समस्या भी बढ़ती है, पेयजल की समस्या भी आती है। इसके साथ शिक्षा की समस्या आती है, स्वास्थ की समस्या आती है तथा और भी अनेक समस्याएं आती हैं। मैंने प्लानिंग कमीशन की एक बैठक में कहा था कि आखिर आपने कभी यह सोचा कि शहरों को कितना बड़ा बनाइएगा ? आज तक प्लानिंग कमीशन ने इस पर विचार नहीं किया कि हम अपने शहर को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे कुछ मित्रों, सम्मानित सदस्यों ने कहा कि गांवों से लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ दौड़ते हैं, यह बात सही है, लेकिन हम गांवों में रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप गांवों से शहरों की ओर आने वाले लोगों को रोक सकते हैं, यदि एक वाक्य के प्रस्ताव पर अमल करें कि गांव की उपज से संबंधित कल-कारखाने गांवों में ही खुलेंगे। गांव में धान पैदा होता है, लेकिन राइस मिल शहर में है। गांव में गेहूं पैदा होता है, लेकिन आटा मिल शहर में है। गांव में रूई पैदा होती है, लेकिन काटन मिल शहर में है। जानवर गांव में है, लेकिन डेरी शहर में है। यदि यह व्यवस्था गांवों में ही हो जाए, जैसे जापान, चीन, कोरिया और थाईलैंड आदि में है, गांवों में ही रोज़गार की व्यवस्था करें तो वहां की आबादी शहरों में आने से रुकेगी, उसमें कमी आएगी। आज आप रॉ मेटीरियल गांवों से मंगाते हैं, उसको शहरों तक लाने का खर्च भी बचेगा तथा नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार इस काम में असफल साबित हो रही है। सरकार का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। जब हमारे लोग विदेशों में जाते हैं, अमरीका में बड़े-बड़े महलों को देखते हैं, तो उनकी लार टपकती है, वे सोचते हैं कि हम भी अपने देश को ऐसा ही बनाएं। जहां तक उनके दिल का सवाल है, उसमें बुराई नहीं है, वे सही मायने में चाहते हैं कि हमारा देश अमरीका की तरह खुशहाल हो, लेकिन जहां तक दिमाग का सवाल है, उनका दिमाग सही दिशा में काम नहीं करता। सिवाए नकल करने के और कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा या सरकार को निर्णय करना चाहिए कि शहर को हम कितना बड़ा बनाएं। शहर को हम ज्यादा बड़ा न बनाएं। जब शहर बड़ा होता है तो शहर के आस-पास की जमीन आवास के लिए ले ली जाती है, जो कि उपजाऊ और बहुत अच्छी जमीन होती है, जिस पर अच्छी सब्जी की खेती होती है, वह जमीन ले ली जाती है और कहीं-कहीं तो 15-20 साल से जमीन लेकर यूं ही छोड़ देते हैं, वहां न मकान बनते हैं और न फसल होती है। इससे ज्यादा त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण योजना क्या हो सकती है, यह मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ आंकड़ों में जाने से काम नहीं होगा, किताबी ज्ञान से काम नहीं होगा, जमीन के अनुभव को लेकर आपको चलना होगा, तभी सही मायने में आवास समस्या का निदान हो सकता है।

बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज भी मिट्टी के मकान बनते हैं, पहले से बनते आ रहे हैं और 50-50 साल पहले के मिट्टी के बने हुए मकानों पर खरोंच तक नहीं आई है। लेकिन आज के नए मकान, इंदिरा आवास योजना और दूसरी योजनाओं के लिए जो मकान बनते हैं, मिटटी से हाई स्कूल और कालिज बनाओ, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, मकान अच्छे बनेंगे, ईंट और सीमेंट से बनते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन ली जाती है, इंजीनियर्स से टैक्नीकल सेंक्शन ली जाती है, लेकिन इस सबके बाद जो मकान बनते हैं, वे बहुत रद्दी बनते हैं और 2-3-5 साल में धराशायी हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जहां मिट्टी के मकान बनते हैं, वहां गरीबों के लिए सिर्फ मिट्टी के मकान बनाओ, मिट्टी से हाई स्कूल और कालेज बनाओ, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, मकान अच्छे बनेंगे, ईंट-सीमेंट के मकानों से ज्यादा मजबूत होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन यहां तो दिमाग विदेशों में है और काम यहां कर रहे हैं, तो कैसे काम होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों में जहां मिट्टी से मकान बनते हैं, वहां ईंट और सीमेंट के मकान न बनाएं। यह बात मैं व्यावहारिक दृष्टि से कह रहा हूं। वहां गरीबों को कुछ आर्थिक सहायता दे दें, ताकि वे मिट्टी के मकान बना सकें, खपरैल से उनको छाप सकें, बांस-पट्टी का इस्तेमाल कर सकें, तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे मकान बन सकेंगे।

इस मुल्क में आवास की भूख तेजी से बढ़ती जा रही है। जो ज्यादा पढ़ा-लिखा है, जो ज्यादा जागरूक है और ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है उसकी भूख ज्यादा है। वह कहता है कि हमारा एक मकान गांव में होना चाहिए, एक मकान प्रखंड मुख्यालय में होना चाहिए, एक जिला मुख्यालय में होना चाहिए और एक राज्य की राजधानी में होना चाहिए तथा एक मकान दिल्ली में होना चाहिए। यदि आप देखें तो इन लोगों में राजनीति करने वालों की संख्या कम नहीं है। यदि हम चाहेंगे कि हमारे पांच-छः मकान हों तो गरीबों को कहां से मकान मिलेगा। जो राष्ट्रीय आवास नीति बनी है वह एक-दो प्रतिशत लोगों के लिए बनी है, इसमें 99 प्रतिशत लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और न ही होंगे।

जमीन की किस तरह से लूट हो रही है, उसका भी अलग-अलग तरीका है। आजकल घूसखोरी का पवित्रीकरण कर दिया गया है, भ्रष्टाचार का पवित्रीकरण कर दिया गया है, चन्दे के नाम पर। इसी तरह से जमीन की लूट भी कई तरह से हो रही है। जैसे कोआपरेटिव के माध्यम से हो रही है। आप देखें कि इसमें कौन-कौन आते हैं। सारे देश में आप देख लें कि कौन लोग को-आपरेटिव के सदस्य हैं। ऐसे ही भगवान और खुदा का नाम लेने वाले जमीन की लूट कर रहे हैं। कहीं ठाकुर का मन्दिर बना रहे हैं तो कहीं मस्जिद बना रहे हैं। सरकारी जमीन पर बिना सरकार की अनुमति के ऐसा कर रहे हैं और उसमें दुकानें और मकान बनाकर किराये पर उठा रहे हैं। इसी दिल्ली में जमीन की कितनी लूट हो रही है, मुझे याद आता है इसी सदन में जार्ज फर्नांडीज़ ने कहा था कि जो कादीरपुर का इलाका है वहां पंचायत की जमीन पर, स्कूल की जमीन पर लूट मची हुई है। मैंने भी एक दर्जन बार इस सम्बन्ध में लिखा है, कभी वह रुक जाती है, फिर शुरु हो जाती है।

चकबन्दी का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने देखा कि इसमें तो लूट बन्द हो जायेगी, आमदनी नहीं होगी तो उन्होंने इसको रूकवा दिया। जिनके हाथ में अब तक सत्त का नेतृत्व रहा है, शासन की बागडोर रही है, उन्होंने सही मायनों में ईमानदारी के साथ काम नहीं किया है। यदि यही हालत बनी रही तो फिर आवास की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

हम जब राष्ट्रीय आवास नीति पर विचार कर रहे हैं तो हमें पूरी बातों को सामने रखकर, ईमानदारी के साथ, गहराई से इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। प्रतिभाशाली लोग, पढ़े-लिखे लोग, सर्विस में लगे लोग सरकार से ऋण लेते हैं मकान बनाने के लिए, क्योंकि सूद कम देना पड़ता है।.लोग सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं और ऋण लेकर मकान बना रहे हैं, फिर वह किराये पर दे देते हैं। क्या यह डकैती नहीं है ? क्या सरकार में दम है कि इसको रोके, क्या यह सरकार कर सकती है कि जो लोग ऋण लेंगे उनको सरकार क्वार्टर नहीं मिलेगा ? जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक गरीबों के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। तब तक कोई भी आवास नीति सफल नहीं हो सकेगी। जिनके पास बुद्धि है, सत्ता है, वे इतने बेइमान हो गये हैं कि पहले अपना स्वार्थ सोचते हैं, तब औरों की बात करते हैं। हालत बहुत-बहुत खराब हैं। जिन लोगों के कई जगह मकान हैं, उन्हें किसी भी हालत में मकान नहीं मिलना चाहिए, चाहे को-आपरेटिव में सदस्य हो या अन्य कोई हो। ये वे लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं और दफ्तर के नाम पर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। इस प्रकार यह जमीन बर्बाद हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जमीन सीमित है, आबादी ज्यादा है और साधन कम हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को राष्ट्रीय आवास नीति बनानी चाहिये और जो नीति हमारे सामने है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसलिये मैं इस राष्ट्रीय आवास नीति का विरोध करता हूं क्योंकि इससे आवास की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत की गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वास्तव में देश के लिये आज ऐसी ही नीति की आवश्यकता थी। माननीय मंत्री द्वारा जो आवास नीति प्रस्तुत की गयी है, वह स्वतः ही उपयुक्त और सही कदम है।

मान्यवर, आजादी की लड़ाई के समय हम सब लोगों ने एक ही नारा दिया था रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। जिन्दगी में रोटी और कपड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है लेकिन मकान उससे कम महत्व नहीं रखता है। आज मकान के बिना जीवन पूर्णता असंतुलित है। आज हमारे देश के राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं जहां पर ला एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। यदि आदमी दिनभर काम करता है और रात में अपने घर जाना चाहे तो सिर छुपाने के लिये उसे स्थान की जरुरत है। आज देश में 25 प्रतिशत लोगों के पास मकान नहीं हैं और आज 4 करोड़ मकानों की जरुरत है यदि एक कमरे में 5 आदमी भी रहें। आपने इस आवास नीति के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश की है। आज जरूरत इस बात की है कि आवास नीति शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग-अलग हो। देखा यह गया है कि जो आवास नीति बनायी जाती है, उसमें गांवों की उपेक्षा की जाती है। अभी देखा गया है कि पिछले दिनों में गांवों के लिए 12 हजार रुपये प्रति मकान की इन्दिरा आवास योजना बनायी गयी है। इस योजना में अनुसूचित जाति और विशेषकर आदिवासी लोगों के साथ उपहास किया गया है। जो मकान बनाये गये हैं, आज पांच वर्ष के बाद रहने लायक नहीं हैं क्योंकि उसमें जो ईंटें लगी हुई थीं, उनको देखकर मालूम होता है कि इंजीनियर ने कैसी व्यवस्था की है और उसने एप्रूव की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी हालत है तो जो अरबों रुपये राज्य सरकारों को इन्दिरा आवास योजना के लिये दिये जाते हैं, उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं। मैंने कई बार यहां कहा है और हमारी एस्टीमेट कमेटी भी कुछ समय पहले वाराणासी

जौनपुर आदि इलाकों में गयी थी जहां उसे इंदिरा आवास दिखाए गए थे। उसने भी देखकर कहा था कि बहुत गंदे मकान बनाये गये हैं और यह एक मजाक सा किया गया है।

अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि लोगों को गांवों में मकान बनाने की ट्रेनिंग दी जाये, टैक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए। वर्मा जी ने यहां जो बात कही, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं कि हमारे गांव के लोग जो अनपढ़ हैं, उन्हें इंजीनियरिंग के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, वे इंजीनियरिंग से काफी दूर है। लेकिन आप किसी भी अच्छे से अच्छे मकान को देख लीजिये, आप यहां पुराना किला देखने चले जाईये, उसमें जो चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, वह 3-4 हजार वर्ष पुरानी है लेकिन आज भी ज्यों की त्यों है जबकि आज इंजीनियरिंग में जहां अनेकों कैमिकल्स का विकास हो गया है, दूसरी ओर हमारे गांवों में आज भी 150 या 200 वर्ष पुराने बने कच्चे मकान चले आ रहे हैं और उनमें आदमी बड़े आराम के साथ रहता है। कहा जाता है कि गांवों में मकान बनाने के लिए टैक्नोलॉजी का विकास होना चाहिये लेकिन वहां आज जो टैक्नोलॉजी मौजूद है, उसी टैक्नोलॉजी को हम क्यों न और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायें, उसका और विकास करें, मेरा विश्वास है कि इससे गांवों की आवास समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी।

हमारी मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, ये अच्छी तरह जानती हैं और इन्होंने देखा भी है, फिर भी मैं आपका ध्यान आवास के लिए ले जाना चाहता हूं कि आज हमारे यहां दिक्कत ऐसी नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है और वे अपने लिये मिट्टी के मकान नहीं बना सकते लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवास नीति में आप ऐसी व्यवस्था करिये कि लोगों को मकान बनाने के लिये लोन मिल सके, ऋण मिल सके। हमारे गरीब, हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग लोन लेकर अपने मकान बना सकें।

मान्यवर, हमारे लाइफ इंश्यारेंस कार्पोरेशन या अन्य कार्पोरेशन केवल शहरों में मकान बनाने के लिये ऋण सुविधा देते हैं। जैसा अभी यहां चर्चा हो रही थी कि गांवों में भी मकान बनाने के लिये ये कार्पोरेशन लोन उपलब्ध कराएं, मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी आवास नीति में कुछ ऐसी व्यवस्था जोड़े कि जितनी हमारी ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थायें हैं, लाइफ इंश्योरैंस कार्पोरेशन या अन्य कार्पोरेशन्स हैं, वित्तीय संस्थान हैं, वे सभी मकान बनाने के लिये लोगों को गांवों में भी ऋण दे सकें ताकि वे लोग भी अपने मकान बना सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप गांवों को साफ-सुथरा बनाना चाहते हैं, गांवों में नये ढंग के आवास बनाना चाहते हैं तो उसके लिये आपको डिजाइन तैयार करने की जरूरत है। आप अपने इंजीनियरों को कहें कि वे कुछ ऐसे डिजाइन तैयार करें ताकि उनके आधार पर ग्रामीण लोग मकान निर्मित कर सकें।

अभी यह जिक्र हो रहा था कि हमारे शहर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी शहरों में ज्यादा बढ़ रही है और हमें शहरों के विकास को रोकना पड़ेगा। ऐसा सुझाव देते समय शायद हमारे वर्मा जी ने यह नहीं सोचा कि शहरों का विस्तार तो जरुर हो रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन शहरों के विस्तार को कैसे रोका जा सकता है, शहरों का विस्तार तो होगी ही, उसे कैसे रोका जा सकता है लेकिन जो आवास नीति यहां प्रस्तुत की गयी है, उसमें आपको कुछ बुनियादी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए आजकल शहरों में सीलिंग प्रथा लागू है जिसके चलते इतना नुकसान हो रहा है कि कहीं-कहीं मकान बनने ही अवरूद्ध हो गए हैं, प्लाट बेकार हो गये हैं, उन पर 10-10 या 20-20 साल से सीलिंग का झगड़ा चलता आ रहा है और तय नहीं हो पाया

है। नक्शों की समस्या अपनी जगह है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। आज यदि नगर महापालिकाओं या नगर पालिकाओं में मकानों के नक्शे प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनके पीछे दौड़ते-दौड़ते लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन उनका नक्शा मंजूर नहीं किया जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या बात है कि मकानों का नक्शा ही मंजूर नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि विकास नीति में आप कुछ ऐसी ड्राइंग पहले से मंजूरी देकर शामिल करें कि 50 गज के प्लाट के लिये अमुक ड्राइंग होगी, 100 गज के प्लाट के लिये अमुक ड्राइंग होगी, 200 गज के प्लाट के लिये ऐसी ड्राइंग होगी और उसी के आधार पर लोगों को मकान बनाने की इजाजत दें। यदि पहले से विभिन्न आकार के प्लाटों के लिये एक विशेष प्रकार का स्टैन्डर्ड नक्शा बनाकर शामिल कर लिया जाता है तो कोई विवाद ही नहीं होगा।

अब मैं आपके सामने रैंट कंट्रोल एक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आपने रैंट कंट्रोल एक्ट बहुत अच्छा बनाया है लेकिन उसके जो उल्टे परिणाम सामने आये, वह किसी से छिपे नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप ध्यान दें।

मान्यवर, अभी यहां पर बातचीत हो रही थी काले धन से मकान बनाने की। हमारे कई सदस्यों ने काले धन से मकान बनाने की बात कही। इस बात पर हमें हंसी भी आती है और गुस्सा भी क्योंकि इससे काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा। फिर लोग सोचेंगे कि काले धन से मकान बनाओ सरकार टैक्स माफ करेगी। इससे काला धन और बढ़ेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक दो-तीन बातें आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं। पहली तो यह कि आप बार-बार अपनी नीति में परिवर्तन क्यों करती हैं। जहां तक मुझे ख्याल है आपने 1977 में एक मकान सम्बन्धी नीति बनाई थी। उसके मुताबिक आप प्लाट देती थीं और उसके ऊपर आदमी अपने मकान बनाते थे। फिर प्लाट देना बन्द कर दिया गया। फिर आपने नई योजना फ्लैट देने की बनाई जिसके अन्तर्गत लोगों को फ्लैट मिलने लगे और फिर आपने 1989 में एक और नई स्कीम चलाई रजिस्ट्रेशन की जिसके अन्तर्गत सीरियल नंबर से सभी रजिस्ट्रेशन कर्ताओं को मकान मिलने लगे। ये बने-बनाए फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यहां दिल्ली में दिए जाते थे। फिर 1982 में आपने इस सिस्टम को भी बदल दिया। फिर 1984 में आपने उस सिस्टम को बदलकर आपने कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम लागू कर दिया और उसके अनुसार मकान अलाट होने लगे। अब फिर 1994-95 में आप उसको भी चेंज कर रहीं हैं और एक दूसरा सिस्टम ला रही हैं। इस प्रकार बार-बार नीति में परिवर्तन करने के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। आप बार-बार नीतियों को बदलती हैं। इससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर और दूसरी चीजों पर बहुत फर्क पड़ता है और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी नीति बनाई जाए जो 10, 15, 20 या 25 साल तक लगातार चले।

उपाध्यक्ष महोदय, आवास की, दुनियां के हर देश में समस्या है। यूनाईटेड नेशंस ने 1988 में एक आवास नीति बनाई थी। आपने भी उसके मुताबिक एक आवास नीति 1988 में बनाई। उसको आप पांच वर्ष के बाद फिर बदल रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कृपया अपने उत्तर में बताएं कि इसको पुनः बदलने की क्या जरूरत पड़ गई ? जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने यहां बोलते हुए कहा कि 1988 की आवास नीति ने देश

के लोगों को घर उपलब्ध कराने में बहुत सहयोग दिया जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली और इस देश की बहुत सी समस्याओं को हल किया। उस नीति में ऐसी क्या दिक्कत आ गई जिसके कारण आपको इस नीति को पुनः बदलना पड़ रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में करोड़ों लोग गृहविहीन हैं और ऐसे लोग गृहविहीन हैं, जो दूसरों के लिए आलीशान मकान उपलब्ध करवाते हैं। बम्बई, कलकत्ता और देश की राजधानी दिल्ली में आज एक करोड़ से अधिक आदमी फुटपाथ पर सो रहे हैं। एक लाख से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां बनी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों का सपना था और आजादी के बाद यह नारा था कि "रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिलेगा एक समान" आज यह सपना धाराशायी हो गया। हम 47 वर्षों में भी अभी तक अपने देश के लोगों के लिए मकान नहीं दे सके हैं। इसको सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नैशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमें अपने देश के अंदर 31 मिलियन मकानों की आवश्यकता है। 20.6 मिलियन देहात को और 10.4 मिलियन शहर को। इतनी बड़ी तादाद में अभी आपको मकानों की जरूरत है। यह बिल्डिंग नैशनल आर्गेनाइजेशन जिसको कि आपने समाप्त कर दिया है, उसकी रिपोर्ट है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी मात्रा में मकानों की जरूरत को अपनी इस नीति के द्वारा कैसे आवास सुलभ कराएंगे इस पर आप अपने उत्तर में विशेष रूप से बताएं।

मान्यवर, मैं दो-एक निवेदन छोटे-छोटे और करना चाहता हूं। आप बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। आपने तीन वर्षों में आवास की समस्या को सुलझाने में काफी मेहनत की है, लेकिन डिपार्टमेंट आपकी सारी स्कीमों पर पानी फेर देता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर एक डा० एम०पी० श्रीवास्तव हैं, जो हिन्दुस्तान के जाने-माने डाक्टर हैं और जिन्होंने दुनियां में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। वे 16 वर्ष से एक ही सरकारी मकान में रहते थे। 21 अक्तूबर, 1993 को वे रिटायर हो गए। उनको बंगला खाली करने के लिए आदेश चला गया। नियमतः आठ माह तक का एक्सटेंशन दिया जाता है। मंत्री जी से हम लोग मिले। मंत्री जी ने उनको 4 माह का एक्सटेंशन दे दिया था। डा० श्रीवास्तव की पत्नी हार्ट की मरीज हैं जिसका प्रमाण पत्र राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीनियर फिजिशियन ने उनको दिया। जब मैं मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा कि हमको उनसे सहानुभूति है। आप डाक्टर से प्रमाण पत्र ले आयें। वहां पर डाक्टर भी पहुंचा। आपने उनको फिर 21 सितम्बर तक एक्सटेंशन दे दी लेकिन उसके तीसरे ही दिन आपके डायरेक्टरेट ने मकान खाली करने के लिए कहा। हमारे कहने पर उसने कहा है कि मंत्री जी के आदेश की यहां जरूरत नहीं है। आप मकान खाली कर दीजिए। उसके बाद फिर आपके यहां चिट्ठी लिखी गयी। यहां पर साल्वे साहब बैठे हुए थे, उनको भी पच्चीसों एम०पीज़० ने लिखकर दिया। उन्होंने आपसे कहा भी लेकिन हमकी ताज्जुब होता है कि एक ओर आपका आदेश होता है और दूसरी ओर आपके आदेश की आपके डिपार्टमेंट द्वारा अवहेलना की जाती है। वे आपके नाम पर अवहेलना करते हैं। मैं जानता हूं कि आपका हृदय कोमल है। आपने कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया होगा। लेकिन आपके आदेशों पर उंगली उठायी गई। मान्यवर, मैं इसके संबंध में आपसे कहूंगा कि आप जरा इधर भी ध्यान दें। आपसे एक बात और कहूंगा कि आपका डिपार्टमेंट आपको कहां ले जा रहा है। जनरल पूल एकोमोडेशन बिना बारी के हाउस अलॉट करता है। क्या उसका कोई नियम है ? मैंने आपसे एक प्रश्न के

दौरान भी पूछा था और हमको बताया था कि बारी के 4 मकान देने के बाद बिना बारी के एक मकान दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1992 और अक्तूबर, 1993 के फिगर्स मेरे पास हैं। टाइप-II के बारी के 941 मकान आपने दिये हैं और बिना बारी से 1007 मकान दिये हैं जबकि आपको केवल 23 मकान देने चाहिए थे। टाइप-III में बारी के 691 मकान देने थे और आपने दिये भी हैं। बिना बारी के 427 मकान आबंटित किय गये जबकि 173 देने चाहिए थे। यह सब आपके अफसरों ने किया है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। टाइप-IV में 952 मकान बारी से दिये गये और 273 मकान बिना बारी के दिये गये जबकि 248 मकान देने चाहिए थें। आपके अफसरों ने आपको धोखा दिया है। टाइप-V में 201 मकान बारी से दिये गये और 71 मकान बिना बारी के दिये गये जबकि इसमें 50 मकान होने चाहिए थे। टाइप स्पेशल में 29 मकान बारी के दिये गये और 30 मकान बिना बारी के दिये गये जबकि 4 में से एक ही मकान बिना बारी के देना चाहिए था। इस पर भी आप ध्यान दीजिये। यह क्या हो रहा है; कैसे हो रहा है ?

मान्यवर, आपसे मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, द्वाराका प्रोजेक्ट में कोपरेटिव सोसाइटी को जमीन देने की बात कही गयी। आज इस जमीन का रेट जो आप लगा रहे हैं वह 1,145 रुपये प्रति स्कावॉयर मीटर है। 1983 में यही जमीन लगभग 400 रुपये स्कवॉयर मीटर थी। बाद में आपने 1987-88 में दाम और बढ़ा दिए। ये जमीनें तो आपने 10 साल पहले अलॉट कराई थीं। 10 साल पहले आपने किसानों से पैसा ले लिया और आज आप कह रहे हैं कि इनके दाम और भी बढ़ गए हैं। यह कैसे कहा जाता है कि बिजली की कीमत बढ़ गयी है। पार्कों के लिए जमीन की कीमत बढ़ गयी, यह ठीक है। लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी ध्यान दें।

आपके DDA फ्लैट की कीमत उत्तरोतर बढ़ती जा रही है। अगर यही फ्लैट हम अपने पैसों से बनायें तो वह ढ़ाई लाख में बन जायेगा और यदि आपके यहां से खरीदें तो हमें 6 या 7 लाख रुपये तक मिलता है।

आपके फ्लैटों की स्थिति क्या है ? आपके फ्लैट 3-4 महीने के बाद धीरे-धीरे गलने शुरू हो जाते हैं और 5-7 साल बाद तो उनकी हालत दयनीय हो जाती है। दूसरी ओर हम अपने पैसों से जो फ्लैट बनाते हैं, वह उच्च कोटि का बनता है। हम यह नहीं कहते कि उसमें आपका कोई दोष है लेकिन उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो फ्लैट बन रहे हैं, उनको जाकर स्वतः देखना चाहिए। 2-4 फ्लैटों के नमूने देख लेंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि उसमें कितनी गड़बड़ी की जा रही है।

आप लैंड की कीमत के साथ उससे संबंधित दूसरे मैटिरियल्स के जो ज्यादा मूल्य बढ़ा रहे हैं, उसपर नियंत्रण करें। तीसरे दर्जे के निर्माण कार्य पर भी नियंत्रण करें। आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। आपने एक समस्या को हल करने का प्रयान किया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। 9 अगस्त जैसे पवित्र दिन को आपने इसे हाउस में पेश किया था। उस दिन क्रान्ति की स्थापना हुई थी, भारत छोड़ो आन्दोलन हुआ था। हम कामना करते हैं कि आप इसमें सफल हों।

इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं

***श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा के पटल पर रखी गई राष्ट्रीय आवास नीति का स्वागत करता हूं और इस सभा के अनुमोदन हेतु इस संबंध में पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं और नई राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 1991 में घोषित नई आर्थिक नीति के अनुरूप इस नई नीति का तहेदिल से अपना समर्थन करते हुए मैं नई राष्ट्रीय आवास नीति पर अपने विचार भी प्रकट करना चाहता हूं।

एक स्वतंत्र राष्ट्र की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करे और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करे। मौलिक अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को हासिल कराने में सक्षम बनाने के लिए उचित वातावरण तैयार करे। एक स्वतंत्र देश का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने लक्ष्य का निर्वाह करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करे।

अतः मैं यह महसूस करता हूं कि नई आर्थिक नीति के अनुरूप इस नई राष्ट्रीय आवास नीति का विचार और लक्ष्य ही लोगों की एक मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना है।

मैं शहरी विकास तथा आवास मंत्री श्रीमती शीला कौल को दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने यह नीति जुलाई, 1992 में सभा-पटल पर रखी थी।

हमारे विचार से जो प्रश्न जरूरी है, वह यह कि लोगों की जरूरतें पूरी की जाएं क्योंकि स्थिति निरन्तर गम्भीर होती जा रही है। इसमें अत्यधिक धन की जरूरत है। जिस नीति को हम स्वीकार करने जा रहे हैं उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि सरकार उसमें से "निर्माता" की भूमिका को त्याग देगी और एक "सुविधा प्रदान कर्ता" की भूमिका अपनाएगी। नई आवास नीति में निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने की बात पर बल दिया गया है और यह कहा गया है कि सरकार एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। किन्तु आप धन की आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करेंगे ? इसके लिए जरूरी इतने अधिक धन को किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं ? यह जिम्मेदारी अब स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों, सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उठाई जाएगी। अभी इसके लिए आवश्यक धनराशि वही रहेगी।

वर्ष 1950 में यह अनुमान लगाया गया था कि समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। किन्तु अब हमें 1,00,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। यदि हम बढ़ते हुए मूल्यों की बात पर ध्यान दें, तो यह राशि अधिक अर्थात् 2,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है।

भारी धनराशि एकत्रित करने के लिए हमें निर्माण कार्य को उद्योग के रुप में पहचान देने की बात पर विचार करना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाए।

---

* मूलतः तमिल से दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारी उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण अनेक विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में आ रही हैं। उन्हें अपनी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भूमि तथा भवनों की जरूरत पड़ेगी। हमें इस मामले में अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। यदि विदेशी लोगों को भूमि की आवश्यकता है तो यह सरकार द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए और वह भी लम्बी अवधि के पट्टे पर दी जानी चाहिए। केवल तभी हम काले धन के प्रसार और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन पर रोक लगा सकते हैं। अतः हमें विदेशी लोगों द्वारा भूखण्ड अथवा सम्पदाओं की खरीद किए जाने को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के संबंध में भूसम्पदा के व्यापार में निवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी बजाए उन्हें केवल उन्हीं व्यवसायिक और औद्योगिक उपक्रमों में ही निवेश करने का निर्देश दिया जाए, जिनका नई प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग किया जा सके।

आवास सुविधाओं के विस्तार के विचार से पूरे देश में और विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कई आवास परिसरों और कालोनियों का व्यापक निर्माण किया गया है। किन्तु इनमें से अधिकतर योजनाओं में पीने के पानी की सुविधा, सीवरेज प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जरूरी बातों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। चूंकि इनमें समन्वित प्रयासों की कमी रह जाती है, इसलिए इसका बोझ फिर स्थानीय निकायों पर पड़ जाता है। इसी के कारण स्थानीय निकास अधिक खर्च करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे पहले से परिकल्पित योजना और विकास संबंधी बातें प्रभावित होती हैं। इस प्रकार से, उपयुक्त समन्वित ढंग से आयोजना बनाने और समेकित आवास योजनाओं पर बल दिए जाने की आवश्यकता है।

जब हम राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं आपके ध्यान में मकान मालिकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लाना चाहूंगा। गृह-कर लगाने और इसे इकट्ठा करने का कार्य राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। शहरी भूमि सीमा प्रवर्तन कार्य भी राज्य सरकारों का ही है। विभिन्न राज्यों और राज्यों के कई जिलों में कराधान संबंधी नियमों और कानूनों की भी विभिन्न ढंग से व्याख्या की गई है। जो अधिकारी अपनी मनमर्जी और अपने तरीके से इनकी व्याख्या करते हैं, वे अत्यधिक कर लगा देते हैं। वे सम्पत्ति कर के अतिरिक्त भवन और गृह-कर वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त वे भूमि सीमा उल्लंघन के नाम पर न केवल बाह्य क्षेत्र पर ही कर वसूल करते हैं, बल्कि नींव क्षेत्र पर भी कर वसूलते हैं जिस पर मकान खड़ा होता है। इससे विभिन्न विसंगतियां पैदा हो गई हैं। हम मुम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े नगरों में विद्यमान घोर अनियमितताओं के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार का इसी प्रकार का एक सीमा अधिनियम वेल्लौर जैसे शहरों में भी लागू कर दिया गया है। नियमों और विनियमों की बेतुकी और मनमर्जी से की गई गलत व्याख्या का मकान मालिकों और सम्पत्ति स्वामियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह गृह कर लगाए जाने के मामले में समान ढांचा विकसित करके इस शिकायत को दूर करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विसंगतियों के चलते लोग अपने स्वयं के घरों का निर्माण करने के मामले में हतोत्साहित हो सकते हैं। अन्यथा चारों ओर खुले क्षेत्र वाले तथा प्रदूषण रहित पर्यावरण वाले आवास ज्यादा दिनों तक उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्ग-निर्देश दिए जाने चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक, विधवा महिला, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी इस विचार से मकानों के निर्माण करते हैं, ताकि उनके धन का लाभकारी और सुरक्षित ढंग से निवेश हो सके। वे अपनी गाढ़ी कमाई से की गई बचत में से पचास हजार अथवा पांच लाख तक खर्च करते हैं। वे अपने मकानों को इसलिए किराए पर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मकान पर खर्च की गई बचत पर ब्याज नहीं मिलता है। जब वे किरायेदार से किराए के भुगतान में दोष होने अथवा अपनी स्वयं की आवश्यकता पर मकान खाली करने के लिए कहते हैं, तो उनमें बैठे लोग न्यायालय की ओर भागते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं। वे किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आश्रय ढूंढते हैं। इस प्रकार के मामलों पर आसानी से निपटारा नहीं हो पाता और वर्षों तक लटकते रहते हैं। अतः इस कमी पर नियंत्रण पाने के लिए आपको समान कानून बनाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इस प्रकार के मामलों का तीन से छः महीने तक निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करना चाहिए। पूरे देश में समान अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत लोगों और विधवाओं जैसे निर्बल मकान-मालिकों का हित हो सके।

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब छः बज चुके हैं। क्या हम सभा की बैठक पांच मिनट तक के लिए बढ़ा दें ? वह अपना भाषण समाप्त करके कहीं जाना चाहते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उन्हें कितना समय चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० जीवारत्नम आपको कितना समय चाहिए ?

श्री आर० जीवारत्नम (अर्कोनिम) : मैं पन्द्रह मिनट का समय और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवारत्नम महोदय आप ऐसा करें कि आप केवल पांच ही मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री आर० जीवारत्नम : महोदय, मैं दस मिनट और लूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : वह कल बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह दस मिनट तक बोल सकते हैं। हमारे पास कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन भी है।

श्री जीवारत्नम महोदय, यदि आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें, तो आप बोल सकते हैं।

श्री आर० जीवारत्नम : मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल पांच मिनट ही बोलेंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : वह कल भी यहीं पर हैं। वह कल बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवारत्नम आप पांच मिनट तक बोलें।

श्री आर० जीवारत्नम : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवारत्नम आप जरा सुनिए। इसके लिए एक नियम है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं।

श्री आर० जीवारत्नम : महोदय, आप मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नियम यह है कि लिखित भाषण की सभापति की पूर्वानुमति के बिना पढ़ने की इजाजत नहीं है। यदि आप अपना भाषण पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अध्यक्षपीठ की पूर्वानुमति हासिल करनी चाहिए।

***श्री आर० जीवारत्नम (अर्कोनियम) :** पूरे देश में हम देखते हैं कि निजी भवन निर्माता भवन निर्माण करके उसे व्यापारिक संस्थाओं को किराए पर देते हैं। जब कभी ऐसे सम्पत्ति मालिक अपने सम्पत्ति का दुरुपयोग होता हुआ पाते हैं तो वे पट्टेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए किसी भवन का एक हिस्सा होटल के लिए चलाने हेतु किराए पर दिया जाता है। भवन किराये पर लेते समय होटल वाला यह वादा करता है कि होटल के लिए भोजन कहीं और बनाया जाएगा और भवन का प्रयोग सिर्फ उसे खिलाने के लिए किया जाएगा। लेकिन बाद में वह भोजन वहीं बनाना शुरु कर देता है और लकड़ी तथा चारकोल के प्रयोग से भवन को नुकसान पहुंचता है। लाखों रूपयों की लागत से निर्मित करोड़ों रुपये मूल्य के भवन को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। जब उस भवन का मालिक इस पर आपत्ति करता है और उसे खाली करने के लिए कहता है तो वह होटल वाला अविलम्ब न्यायालय जा कर 'स्थगन आदेश' ले आता है जो उसे आसानी से मिल जाता है। न्यायालय भवन मालिक का पक्ष सुने बगैर ही स्थगन आदेश दे देते हैं। यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। चूंकि किराया नियंत्रण अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है अतः भवन मालिकों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मुकद्दमेबाजी की प्रक्रिया लम्बी होने की बजह से भूमि मालिकों को घाटा सहना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कारगर और आसान बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का निपटारा तीन महीनों अथवा छः महीनों के अंदर किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे व्यापारिक सट्टे समझौतों पर नियंत्रण के संबंध में निर्धारित नियमों एवं विनियमनों वाला समान अधिनियम बनाना चाहिए।

अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि आप अधिकतम भूमि सीमा अधिनियमों के गलत विवेचन दिए जाने पर रोक लगाएं और वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम की कमियों अथवा नियमों एवं विनियमनों के ने होने के कारण मकान मालिकों तथा भवन मालिकों को होने वाली परेशानियों को समाप्त करें। मैं यह महसूस करता हूं कि इस नई नीति को लागू करने वाले सभी राज्य सरकारों को इससे उचित मार्ग-निर्देश मिलेगा। इस संबंध में मॉडल विधेयकों का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस पर सभी सम्बद्ध लोगों को विचार करना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों को अपने मकान निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है और इसके लिए उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस तरह से उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण पर्याप्त नहीं है और इसमें उपलब्ध मूल्य सूचकांक के अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए। मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके

* मूलतः तमिल से दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

साथ ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने रहने के लिए बनाए गए कम से कम पहले मकान के लिए आयकर में पूर्ण छूट दी जानी चाहिए। इस समय, उन्हें केवल पहले दस हजार रुपयों पर ही आयकर में छूट मिलती है। उदाहरण के लिए यदि उन्हें तीस हजार रुपयों का ऋण दिया जाता है तो शेष बीस हजार अथवा इससे अधिक राशि को आय माना जाता है और इस पर कर लिया जाता है। यह विसंगति है। जब आप उसकी पूरी आय पर कर लगाते हैं जिसमें लिए गए ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि भी शामिल होती है, तो आप ऋण राशि को भी कर योग्य आय क्यों मानते हैं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसके बजाए, भवन निर्माण पर खर्च की गई राशि पर आयकर में छूट दी जानी चाहिए तथा इस सुविधा को समाज के अन्य वर्गों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे आवास सुविधा के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई नीति में बनाए जाने वाले आवासीय काम्पलैक्सों में पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने की बात नहीं है। भवन निर्माण कार्यों को शुरू किए जाते समय ही पीने का पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों के आस-पास पेड़ लगाने के कार्य और भवन निर्माण कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। अतः मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से इसे नई राष्ट्रीय आवास नीति में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

अब अधिक से अधिक निजी क्षेत्र की कम्पनियों, आवासीय कालोनियों तथा इन्कलेवों के निर्माण हेतु आगे आ रही हैं। इन्हें सामाजिक कार्यों तथा दायित्वों को निभाने में भी हाथ बंटाना चाहिए। अन्यथा स्थानीय निकाय साधनहीन होकर रह जाएंगे। इसी के साथ निजी भवन निर्माताओं को कम कीमत वाले घरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि गरीब तथा कम सुविधा प्राप्त लोगों को घर उपलब्ध कराया जा सके। इस सामाजिक दायित्व के निर्वाह में हिस्सा लेने वाले निजी कम्पनियों को कर में छूट दी जाये। इसके साथ-साथ हमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ और समय तक मुफ्त मकानों तथा प्लाटों के वितरण के कार्य को जारी करना होगा। मैं आपके ध्यान में यह बात पुनः लाना चाहता हूं कि वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनिमय कम से कम पैंतालीस वर्ष पुराना है। जब यह अधिनियम लागू हुआ था उस समय हमारी आबादी लगभग 40 करोड़ थी। इस समय हमारी आबादी 90 करोड़ से भी अधिक हो गई है। वर्तमान परिस्थितियों में इस अधिनियम के उपबंध उपयोगी नहीं हैं। हमारे पास मकानों के निर्माण के लिए भूमि की कमी है। इस अधिनियम में अनेक खामियां हैं। वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम से पट्टाधारकों को अनुचित संरक्षण मिलने के कारण विधवाओं जैसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें व्यवहारिक रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक समान अधिनियम लाने हेतु विधि मंत्रालय और सभी राज्यों के राजस्व व वित्त मंत्रालयों से परामर्श करे जिससे कि इसे सुसमन्वित और समेकित सामाजिक उपाय के रूप में पूरे देश में समान रूप से कार्यान्वित किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस नीति का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

6.14 ½ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

चौवालीसवां प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.15 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा की बैठक गुरुवार, 18 अगस्त, 1994/27 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।